किताबुलहज व उमरा

हज और उमरा के मसाइल

लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लाशरीका लका लब्बैक

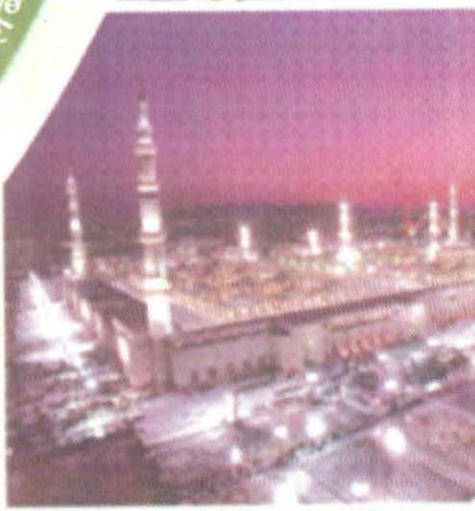

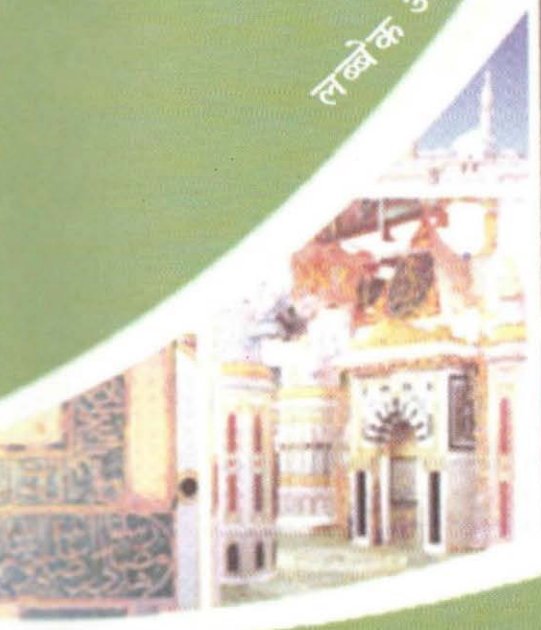

लेखक
मुहम्मद इक़बाल कीलानी

Www.IslamicBooks.Website

كتاب الحج والعمرة

हज और उमरा के मसाइल

लेखक

मुहम्मद इक़बाल कीलानी

अल किताब इन्टर नेशनल

मुरादी रोड, बटला हाउस,

जामिया नगर, नई दिल्ली-25

फ़ोन- 26986973,9312508762

Www.IslamicBooks.Website

सर्वाधिकार प्रकाशकाधीन

नाम पुस्तक	:	हज और उमरा के मसाइल
लेखक	:	मुहम्मद इक़बाल कीलानी
पुष्ठ	:	293
संख्या	:	1000
प्रकाशन	:	2009
मुल्य	:	120/

मिलने के पतेः

1- मक्तबा तरजुमान उर्दू बाज़ार दिल्ली-6
2- हकीम सिद्दीक़ मेमोरियल ट्रस्ट जोधपूर राजस्थान
3- दारुल कुतुबुस्सलफ़िया मटिया महल दिल्ली-6
4- मक्तबा मुस्लिम बरबरशाह श्रीनगर कशमीर

Www.IslamicBooks.Website

विषय सुची

○	प्रस्तावना	7
○	हज की संक्षिप्त तारीख़	9
○	अरब आरबा	"
○	अरब मुस्तारिया	"
○	हज की कुछ प्रमुख शिक्षाएं	20
○	अक़ीदा तौहीद	22
○	सुन्नत की पैरवी की शिक्षा	26
○	कुरबानी की शरअी हैसियत	32
○	कुछ ग़लत परिभाषाएं	37
○	मदीना मुनव्वरा का सफ़र	43
○	हज और उमरा के मसाइल एक नज़र में हज	47
○	हज की शर्तें	"
○	मीक़ात	48
○	अहराम	49
○	तवाफ़	50
○	सई	51
○	हज के दिन	52
○	उमरा का मसनून तरीक़ा, एक नज़र में	54

Www.IslamicBooks.Website

○	हज तमत्तोअ़ का मसनून तरीक़ा एक नज़र में	58
○	हज इफ़राद का मसनून तरीक़ा एक नज़र में	62
○	हज क़िरान का मसनून तरीक़ा एक नज़र में	63
○	हज की फ़रज़ियत	65
○	हज और उमरा की श्रेष्ठता	67
○	हज का महत्व	75
○	हज और उमरा क़ुरआन मजीद की रोशनी में	77
○	हज की शर्तें	85
○	मीक़ात के मसाइल	91
○	मीक़ात मकानी	"
○	मीक़ात ज़मानी	98
○	अहराम की क़िस्में	100
○	हज की नीयत को उमरा की नीयत में बदलना	105
○	अहराम के मसाइल	107
○	अहराम में जाइज़ काम	115
○	अहराम की हालत में वर्जित काम	123
○	फ़िदया के मसाइल	130
○	तलबिया के मसाइल	133
○	मक्का मुकर्रमा और मस्जिद हराम में दाख़िल होने के मसाइल।	138
○	तवाफ़ की क़िस्में	143
○	तवाफ़ के मसाइल	146

Www.IslamicBooks.Website

○	तवाफ़ के बारे में वे काम जो सुन्नत से साबित नहीं	162
○	हाजी पर कितने तवाफ़ वाजिब हैं	164
○	सई के मसाइल	166
○	सई के बारे में वे काम जो सुन्नत से साबित नहीं	76
○	हाजी पर कितनी सई वाजिब है	177
○	हज के दिनों के मसाइल 8 ज़िलहिज्जा तरवियह के दिन	179
○	9 ज़िलहिज्जा अरफ़ा का दिन	182
○	9 ज़िलहिज्जा (मुज़दलफ़ा) की रात के मसाइल	192
○	10 ज़िलहिज्जा क़ुरबानी के दिन	198
○	उमरा उक़बा की रमी के मसाइल	202
○	रमी से संबंधित ग़ैर मसनून काम	208
○	क़ुरबानी के मसाइल	210
○	सर मुंडवाने और बाल कटवाने के मसाइल	216
○	तवाफ़े ज़ियारत के मसाइल	220
○	तशरीक़ के दिनों के मसाइल	223
○	तवाफ़े वदा के मसाइल	228
○	औरतों का हज	230
○	बच्चों का हज	233
○	दूसरों की तरफ़ से हज करने के मसाइल	236
○	मय्यित की तरफ़ से हज अदा करना	239
○	मक्का मुकर्रमा की हुरमत के मसाइल	241
○	मदीना मुनव्वरा की हुरमत के मसाइल	247

Www.IslamicBooks.Website

○	मस्जिद नबवी की ज़ियारत के मसाइल	252
○	क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के मसाइल	256
○	क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के बारे में ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें।	260
○	क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के बारे में वे काम जो सुन्नत से साबित नहीं।	262
○	मस्जिद कुबा की ज़ियारत के मसाइल	265
○	क़ब्रों की ज़ियारत के मसाइल	266
○	विभिन्न मसाइल	268
○	कुरआन मजीद और हदीस शरीफ़ की दुआएं	281

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

प्रस्तावना

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلاَةُ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِهِ الْاَمِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ!

मक्कतुल मुकर्रमा धरती पर अल्लाह तआला की प्रियतम ज़मीन, आकर्षक और जलाल भरी काबतुल्लाह की ज़मीन, अल्लाह के दिन की ज़मीन, चमत्कारों की ज़मीन, अमन व सलामती की ज़मीन, बरकतों व रहमतों की ज़मीन सदक़ा व ख़ैरात की ज़मीन, सय्यदना हज़रत इबराहीम अलैहि0 की दुआओं और तमन्नाओं की ज़मीन, सय्यदना हज़रत बिलाल रज़ि0 की अल्लाह के एक होने के नारों की ज़मीन, सय्यदना हज़रत अबु ज़र ग़िफ़्फ़ारी रज़ि0 की वफ़ा की दासतान की ज़मीन, शहादत की राह में क़दम रखने वाले आल यासिर रज़ि0 की जमीन, इंक़िलाब, का केन्द्र तौहीद, का सर चश्माए हिदायत व रहमत व अनवार, जहां जन्नत से लाया गया पत्थर हजरे असवद मौजूद है जिस पर रसूले रहमत सल्ल0 ने आंसू बहाए, जहां मुलतज़िम है जिस पर सरवरे आलम सल्ल0 ने यूं अपने मुबारक गाल रखे जैसे बच्चा अपनी मां की छाती से चिमट जाता है, जहां जन्नत से लाया गया पत्थर ..... मक़ामे इबराहीम..... भी है, जहां रुकने यमानी है जिस के छूने से गुनाह माफ़ होते हैं जहां क़ुदरत का एक चश्मा ज़मज़म है जिस में हर रोग की दवा और हर दुख का इलाज मौजूद है। जहां सफ़ा और मरवा पहाड़ी भी है जिसे अल्लाह तआला ने क़ुरआन मजीद में अपनी निशानियों में से निशानी क़रार दिया है, यही वह ज़मीन है जहां

Www.IslamicBooks.Website

मिना के वे भाग्य शाली कण हैं जहां तौहीद के इमाम सय्यदना हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने अल्लाह तआला की मुहब्बत में अपने नवजवान बेटे के गले पर छुरी चलाई। यही वह ज़मीन है है जहां मैदाने अरफ़ात के वह मुबारक छोटे छोटे पत्थर हैं जिन पर खड़े हो कर अल्लाह तआला को याद करने का हुक्म दिया गया है। यही वह ज़मीन है जहां ज़मीन व आसमान मेज़बान होता है और उस के मिसकीन व मोहताज बन्दे सभ्य मेहमान क़रार पाते हैं। यही वह ज़मीन है जहां केवल दीन की दौलत ही नहीं दुनिया की दौलत भी लुटती है। इस ज़मीन पर जो व्यक्ति जितना बड़ा भिखारी बन कर आता है उतना ही अधिक सम्मान व गौरव का हक़दार ठहरता है, जो व्यक्ति जितना अधिक हाथ फैलाने के शिष्टाचार से परिचित होता है उतना ही अधिक गौरव व सम्मान का हक़दार क़रार पाता है। यहां स्रष्टा व स्रष्टि के बीच कोई पर्दा और आड़ बाक़ी नहीं रहती। समीपता का आभास और रहमत के अवतरित होने के दृश्य इन्सान अपनी आंखों से देख सकता है।

तो ऐ दुखों और मुसीबतों के मारे हुए परेशान हाल लोगो! गुनाहों और बुराइयों में डूबे हुए इन्सानों! आओ इस ज़मीन की तरफ़ जहां कायनात का स्वामी स्वयं मेज़बान होता है, जो बड़ा कृपालू और दया करने वाला है। जो एक बालिश्त आगे बढ़ने पर एक हाथ आगे बढ़ता है, जो एक हाथ आगे बढ़ने पर दो हाथ आगे बढ़ता है, जो चल कर आने वालों की तरफ़ दौड़ कर आता है जो हर दिन अपने गुनाहगार बन्दों के गुनाह माफ़ करने के लिए आसमाने दुनिया पर बिराजमान होता है जिस की रहमत उस के गुस्सा पर छायी है जिस की दया ज़मीन व आसमान की व्यापकताओं से भी व्यापक तर है आओ उस ज़मीन की तरफ़ जहां एक दिन में इतने आदमी जहन्नम

Www.IslamicBooks.Website

की आग से आज़ाद किए जाते हैं जितने सारे साल में किसी और दिन नहीं होते। आओ इस ज़मीन की तरफ़ जहां से आदमी इस तरह गुनाहों से पाक लौटता है जैसे आज ही मां के पेट से पैदा हुआ हो।

ऐ लोगो! जो ईमान लाए हो, कान लगाकर तनिक ध्यान से सुनो, अल्लाह का पैग़ाम लाने वाला हमारे लिए क्या पैग़ाम लाया है।

﴿قُلْ يَاعِبَادِيَ الَّذِيْنَ اسْرَفُوْا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللهِ إِنَّ اللهَ يَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ﴾ (٣٩:٥٣)

अनुवादः (ऐ नबी सल्ल0) कह दो कि ऐ मेरे (अल्लाह के) बन्दो जिन्होंने अपनी जानों पर ज़ुल्म किया है अल्लाह की रहमत से निराश न हो जाओ, निश्चय ही अल्लाह सारे गुनाह माफ़ कर देता है निःसन्देह वह बड़ा क्षमा करने वाला और बड़ा दया करने वाला है।

(सूरा ज़ुमर आयत 53)

हज की संक्षिप्त तारीख़

प्राचीन अरब क़ौमों की दो शाख़ें अधिक मशहूर हैं।

अरब आरबाः

जिन्हें क़हतानी अरब कहा जाता है। उनका पूर्वज यारब बिन यसहब बिन क़हतान है।

अरब मुस्तारियाः

जिन्हें अदनानी अरब कहा जाता है इन के पूर्वज सैदना हज़रत इबराहीम अलैहि0 हैं।

सैदना हज़रत इबराहीम अलैहि0 लग भग चार हज़ार साल पहले इराक़ के शहर "ऊर" में पैदा हुए। "ऊर" जहां दुनियावी दृष्टि से

Www.IslamicBooks.Website

बहुत बड़ा औधोगिक और तिजारती केन्द्र था वहीं दीनी दृष्टि से भी शिर्क का बहुत बड़ा केन्द्र था। हज़रत इबराहीम अलैहि0 का बाप "आज़र" अपनी क़ौम का पुरोहित और पेशवा था। हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने होश संभाला तो सोचने लगे कि क़ौम जिन बुतों और पत्थरों को अपना उपास्य समझती है ये न बोल सकते हैं न चल फिर सकते हैं। न खा पी सकते हैं न किसी को लाभ व हानि दे सकते हैं न ही किसी को ज़िन्दगी और मौत दे सकते हैं, तो फिर उन्हें अपना पालनहार क्यों माना जाए? अतएव हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने साफ़ साफ़ ऐलान कर दिया:

﴿إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ﴾ (٦ : ٧٩)

अनुवाद: "मैंने एकाग्र होकर अपना रुख़ उस हस्ती की तरफ़ कर लिया जिस ने ज़मीन और आसमानों को पैदा किया है और मैं कदापि शिर्क करने वालों में से नहीं हूं (सूरह अनआम, आयत न0 79) इस स्पष्ट और तौहीद के खुले ऐलान के बाद बाप ने हज़रत इबराहीम अलैहि0 को क़त्ल करने और घर से निकालने की धमकी दे दी। बाप का यह आक्रामक व्यवहार हज़रत इबराहीम अलैहि0 के दृढ़ संकल्प में ज़रा सी घबराहट भी पैदा न कर सका और आप एक क्षण की देरी किए बिना बाप की विरासत, गद्दी और मान सम्मान सब कुछ छोड़ कर निकल खड़े हुए।

हज़रत इबराहीम अलैहि0 का दूसरा टकराव उस समय की हुकूमत के साथ हुआ। अपनी मुश्रिक क़ौम को शिर्क की हक़ीक़त समझाने के लिए मौक़ा पाकर सरकारी उपासन स्थल में घुस गए और बड़े बुत के अलावा तमाम बुतों के टुकड़े टकड़े कर दिए। कुलहाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया, जब लोगों को पता चला

Www.IslamicBooks.Website

तो आप को बादशाह के दरबार में पेश किया गया और पूछा गया "इबराहीम! क्या तूने हमारे खुदाओं के साथ यह हरकत की है?" आप ने जवाब में इर्शाद फ़रमाया "यह सब कुछ उन के सरदार ने किया है। इन टूटे हुए खुदाओं से पूछ लो अगर ये बोलते हैं।" फिर आगे फ़रमाया "लोगो! क्या तुम अल्लाह को छोड़ का इन चीज़ों की उपासना कर रहे हो जो न तुम्हें लाभ पहुंचाने पर समर्थ हैं न हानि पहुंचाने पर। अफ़सोस है तुम पर और तुम्हारे उपास्यों पर जिन की तुम उपासना कर रहे हो अल्लाह को छोड़ कर, क्या तुम कुछ भी अक़्ल नहीं रखते?" (सूरा अनआम आयत न0 22,63,26,67)

इस मौक़ा पर बुतों का न बोल सकना, लाभ व हानि न पहुंचा सकना एक ऐसी खुली हक़ीक़त थी जिस का इन्कार मुमकिन न था। अत. दूसरा सवाल यह पूछा गया कि "फिर तुम्हारा पालनहार कौन है?" आप ने जवाब दिया "मेरा पालनहार वह है जिस के बस में ज़िन्दगी और मौत है।" बादशाह ने जवाब दिया ज़िन्दगी और मौत तो मेरे बस में है।" तब हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने तुरन्त इर्शाद फ़रमाया "अच्छा तो (मेरा) अल्लाह सूरज को पूरब से निकालता है तू ज़रा उसे पश्चिम से निकाल ला।" यह (दलील) सुन कर काफ़िर (बादशाह) चकित रह गया।" सूरह बक़र आयत न0 285) इस सतर्क और उचित जवाब पर सोच विचार करने के बजाए यह शाही फ़रमान जारी किया गया। "जला डालो इस को और मदद करो अपने खुदाओं की अगर तुम्हें कुछ करना है।"

हुकूमत का यह ज़ालिमाना फ़ैसला भी हज़रत इबराहीम अलैहि0 को अक़ीदा तौहीद से हटा न सका और आप पहाड़ों की सी दृढ़ता और बुलन्दी के साथ अपने अक़ीदा पर डटे रहे। वह एक ऐकेश्वरवादी जिस के साथ न कोई लशकर था न कोई जमाअत थी

Www.IslamicBooks.Website

न उसे कोई लड़ाई के संसाधन पर्याप्त थे न ही उस के पास कोई ताक़त थी। अकेला पूरी मुश्रिक क़ौम पर भारी साबित हुआ, उसे रास्ते से हटाने के लिए पूरी क़ौम हरकत में आ गई। आग का अलाव तैयार कराया गया और वह जो पहले ही अपने मालिक हक़ीक़ी के नाम पर अपनी जान के अलावा हर चीज़ कुरबान करके आया था। अब अपनी जान का नज़राना भी पेश करने के लिए बे ख़तर आतिशे नमरूद में कूद गया। तब ज़िन्दगी और मौत के हक़ीक़ी मालिक की तरफ़ से फ़रमान पारित हुआ।

﴿قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَّسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ﴾ (٢١:٦٩)

अनुवादः "हम ने कहा ऐ आग ठंडी और सलामती वाली बन जा इबराहीम के लिए।" (सूरह अंबिया आयतः 69)

और हज़रत इबराहीम अलैहि0 आग से बिल्कुल महफ़ूज़ और सुरक्षित बाहर निकल आए।

उस मुश्रिक क़ौम की बद नसीबी देखिए जो कि इतना बड़ा चमत्कार देखने के बावजूद कोई एक आदमी भी आप पर ईमान न लाया। अतएव अल्लाह तआला ने आप को वहां से हिजरत का हुक्म दे दिया और आप अक़ीदा तौहीद की ख़ातिर अपना पैतृक वतन छोड़ कर शाम के शहर "ख़ुरासान" तशरीफ़ ले गए। वहां से फ़लस्तीन का सफ़र किया। एक बार अपनी पत्नी हज़रत सारा के साथ मिस्र तशरीफ़ ले गए। बादशाह को मालूम हुआ तो उस ने बुरी नीयत से दोनों को दरबार में तलब किया। हज़रत सारा ने अल्लाह से दुआ की जो क़ुबूल हुई और बादशाह उसी समय अल्लाह की पकड़ में आ गया। जिस से बादशाह समझ गया कि यह महिला अल्लाह तआला की कोई ख़ास बन्दी है अतएव उस ने तौबा की और अपनी बेटी हाजरा को हज़रत सारा की सेवा में दे दिया।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत सारा ने स्वयं हज़रत हाजरा का निकाह हज़रत इबराहीम अलैहि0 से करवा दिया।

मिस्र से हज़रत इबराहीम अलैहि0 वापस फ़लस्तीन तशरीफ़ लाए और उसे अपनी दावत का केन्द्र बनाया। अस्सी (80) साल की उम्र में अल्लाह तआला ने हज़रत हाजरा से आप को एक बेटा (हज़रत इसमाईल अलैहि0) प्रदान किया। हज़रत सारा अभी तक बे औलाद थीं। इस लिए दोनों पत्नियां इकट्ठी न रह सकीं अतः आप हज़रत हाजरा और हज़रत इसमाईल अलैहि0 को लेकर हिजाज़ तशरीफ़ ले आए। जहां अल्लाह तआला के हुक्म से अपनी पत्नी और बेटे का एक वीरान वादी में ठहरा दिया। वापस जाने लगे तो पत्नी ने बार बार सवाल किया कि "आप हमें इस वीरान जंगल में किस के सहारे छोड़े जा रहे हैं?" अपनी जीवन संगनि और कुछ माह के बेटे से जुदाई की कल्पना निशचय ही हज़रत इबराहीम अलैहि0 की भावनाओं में तूफ़ान बरपा कर रही होगी। आप ने वापस पलटे और देखे बिना केवल इतना जवाब दिया "अल्लाह के हुक्म पर" तब वह अल्लाह की बन्दी शान्त हो गई और कहा कि "फिर अल्लाह हमें बर्बाद नहीं करेगा।" इस तरह आप अपने घर वालों से आज्ञात समय के लिए जुदा हो गए। कुछ आगे जाकर हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने अपने पालनहार से हाथ फैलाकर वह दुआ मांगी जिस के प्रभाव आज हर मुसलमान उस वादी में पहुंच कर स्वयं देख सकता है।

﴿رَبَّنَا إِنِّيٓ أَسۡكَنتُ مِن ذُرِّيَّتِي بِوَادٍ غَيۡرِ ذِي زَرۡعٍ عِندَ بَيۡتِكَ الۡمُحَرَّمِ رَبَّنَا لِيُقِيمُوا الصَّلَاةَ فَاجۡعَلۡ أَفۡئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهۡوِيٓ إِلَيۡهِمۡ وَارۡزُقۡهُم مِنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمۡ يَشۡكُرُونَ﴾ (۱۴:۳۷)

अनुवाद–"ऐ हमारे पालनहार! मैंने एक वीरान वादी में अपनी

Www.IslamicBooks.Website

औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है पालनहार यह मैंने इस लिए किया है कि लोग यहां नमाज़ क़ाइम करें। अतः तू लोगों के दिलों को इन का तलबगार बना और इन्हें खाने को फल दे शायद कि ये शुक्र गुज़ार बनें।"

ऐसी जगह जहां पर कीड़े मकोड़ों और जंगली दरिन्दों की मौजूदगी की संभावना तो हर समय मौजूद थी लेकिन किसी दोस्त और हमदर्द इन्सान की मौजूदगी की कल्पना भी मुश्किल थी। जहां कुछ दिनों की खूराक ख़त्म होने के बाद प्रत्यक्ष में आहार हासिल होने की कोई आशा न थी। वहां हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने अपने घर वालों को अकेला छोड़ कर और हज़रत हाजरा ने ऐसी जगह रहना सहना पसन्द करके अल्लाह पर भरोसे का ऐसा नमूना पश किया जो रहती दुनिया तक अपनी मिसाल आप रहेगा।

सैदना हज़रत इबराहीम अलैहि0 का अपने घर वालों को उस बे आबाद वीराने में ले जाकर बसाना अल्लाह की बारगाह में इतना पसन्द आया कि अल्लाह तआला ने क़यामत तक के लिए फ़ैसला कर दिया कि जिस व्यक्ति पर हज की इबादत फ़र्ज़ हो वह इसी तरह अपने घर से बे घर और वतन से बे वतन हो जिस तरह मेरा बन्दा अपने घर से बे घर और अपने वतन से बे वतन हुआ और फिर उस मक़ाम पर पहुंचे जहां ईमान ने भौतिक वाद को पराजित किया, इश्क़ ने पराजय दी अक़्ल को अल्लाह के पालन ने पराजय दी नफ़्स का आज्ञा पालन करने को, अल्लाह की मुहब्बत ने पराजय दी घर वालों की मुहब्बत को, और ज़िन्दगी ने पराजय दी मौत को!

हज़रत इबराहीम अलैहि0 उस वीरान मरुस्थल में अपने घर वालों के लिए जो जीवन सामग्री छोड़ कर गए थे वह पानी का एक मिशकीज़ा और कुछ खुजूरें थीं जब वह ख़त्म हो गई तो हज़रत

Www.IslamicBooks.Website

हाजरा भी प्यास महसूस करने लगीं और बच्चा प्यास की शिद्दत से रोने लगा। हज़रत हाजरा बेचैन होकर क़रीब की पहाड़ी "सफ़ा" की तरफ़ भागीं कि शायद वहां कोई आदमी नज़र आ जाए जिस से पानी ले सकें, कोई चीज़ नज़र न आई तो उसी परेशानी की हालत में दूसरी पहाड़ी "मरवा" की तरफ़ भागीं। उसी परेशानी और मुसीबत की हालत में सफ़ा और मरवा के बीच सात चक्कर हो गए अभी "मरवा" पर ही थीं कि एक आवाज़ सुनी, देखा हज़रत जिब्राईल अलैहि0 के ऐड़ी मारने से पानी का चश्मा वहीं निकल आया जहां सैयदना हज़रत इसमाईल अलैहि0 लेटे थे। यह वही चश्मा है जिसे आज "ज़मज़म" कहा जाता है। हज़रत हाजरा ने चश्मे के गिर्द मुंडेर बना कर उसे हौज़ की शक्ल दे दी। अब सैयदना हाजरा इत्मीनान से स्वय भी ज़मज़म पीतीं और बच्चे को भी इत्मीनान से दूध पिलातीं।

क्षण भर के लिए कल्पना कीजिए कि वीरान विशाल मरुस्थल, अकेली औरत और साथ में कुछ माह का बच्चा, न कोई बात सुनने वाला न सुनाने वाला, न कोई दिलासा देने वाला, न सहारा देने वाला, भयानक सन्नाटा, पहली रात आई होगी कैसे कटी होगी फिर जब खाने पीने की सामग्री ख़त्म हुई होगी तो उस तन्हाई में मां की जान पर ही बन आई होगी मासूम जिगर के टुकड़े को भूख और प्यास से रोते देख कर अकेली मां का कलेजा कट गया होगा। परेशानी के आलम में बच्चे की सलामती के लिए मामता के हाथ दर्द भरे अंदाज़ में अल्लाह की बारगाह में उठे होंगे और फिर उसी परेशानी की कैफ़ियत में पानी की तलाश में भाग निकली होंगी। कभी सफ़ा पर कभी मरवा पर। अल्लाह तआला ने अपनी मोमिना बन्दी की यह बेचैनी व भाग दौड़ इस तरह कुबूल फ़रमाई कि उस

Www.IslamicBooks.Website

तमाम भाग को इबादते हज (या उमरा) का रुक्न बना दिया।

कुछ मुद्दत के बाद एक क़बीला "बनु जरहम" का उधर से गुज़र हुआ। पानी की सुविधा देख कर उन्होंने हज़रत हाजरा से क़याम की इजाज़त चाही। हज़रत हाजरा ने पानी पर अपना हक़े मिल्कियत तसलीम करवाते हुए इजाज़त दे दी।

समय बड़ी तेज़ी के साथ पर लगा कर उड़ता रहा। नव्वे साला बूढ़े बाप की उम्मीदों का सहारा बचपन की दहलीज़ से गुज़र कर जवानी की बहारों से अवगत होने लगा तो कुदरत ने इस बार बाप के साथ बेटे की भी परीक्षा लेने का फ़ैसला कर लिया।

हज़रत इबराहीम अलैहि0 को सपने में दिखाया गया कि वह अपने इकलौते बेटे को ज़ब्ह कर रहे हैं। अल्लाह का आज्ञा पालक और वफ़ादार बन्दा जो अभी अभी कितनी ही कठिन परीक्षाओं से गुज़र कर आया था, यह सपना देख कर न तो दुखी हुआ और न ही भविष्य की शंकाओं और वसवसों का शिकार हुआ बल्कि बिना संकोच एक आज्ञा पालक गुलाम की तरह अपने आक़ा व मालिक की मर्ज़ी के आगे सर झुका दिया और हुक्म के पालन के लिए तुरन्त फ़लस्तीन से मक्का पहुंच गया।

बाप जब बेटे से मिला होगा तो बाप ने अपने जिगर के टुकड़े को सीने से लगा कर खूब प्यार किया होगा। जब बाप ने बेटे को बताया कि अल्लाह तआला ने मुझे सपने में तुम्हें ज़ब्ह करने का हुक्म दिया है, तो आज्ञा पालक बेटे ने अपनी इच्छा की इसी कार्य प्रणाली का प्रदर्शन किया जिस का प्रदर्शन इस से पहले महान बाप कर चुका था। हज़रत इसमाईल अलैहि0 का जवाब अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में इन शब्दों में नक़ल फ़रमाया है:

Www.IslamicBooks.Website

﴿يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِيْ إِنْ شَآءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ۝﴾

(۱۰۲:۳۷)

अनुवाद–"अब्बा जान! जो कुछ आप को हुक्म दिया जा रहा है, इसे कर डालिए। इन्शा अल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों से पाएंगे।"

शिष्टाचारी बेटे का जवाब सुन कर बाप को इत्मीनान हो गया और दोनों बाप बेटा अल्लाह के हुक्म के पालन के लिए निकल खड़े हुए और फिर अल्लाह तआला की प्रसन्नता के लिए हज़रत इबराहीम अलैहि० ने तारीख़ इन्सानी का वह महान कारनामा अंजाम दिया जिस को न इस से पहले कभी ज़मीन व आसमान ने देखा न उस के बाद देखेंगे। अपने जिगर के टुकड़े को मुंह के बल ज़मीन पर लिटा दिया छुरी तेज़ की आंखों पर पट्टी बांधी और उस समय तक पूरी ताक़त से छुरी अपने बेटे के गले पर चलाते रहे जब तक अल्लाह तआला की तरफ़ से यह निंदा न आ गई।

﴿قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَالِكَ نَجْزِى الْمُحْسِنِيْنَ۝﴾

(۱۰۵:۳۷)

अनुवाद–"(ऐ इबराहीम!) तूने सपना सच कर दिखाया हम भले लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं।"

अतएव हज़रत इसमाईल अलैहि० की जगह जन्नत से एक मेंढा भेज दिया गया जिसे हज़रत इबराहीम अलैहि० ने ज़ब्ह कर दिया।

अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों अल्लाह तआला की मुहब्बत में कुरबान करने का अमल अल्लाह की बारगाह में इतना सम्मानित ठहरा कि रहती दुनिया तक अहले ईमान को चाहे वह मिना में हों या मिना से बाहर पूरब में हों या पश्चिम में यह हुक्म दे

Www.IslamicBooks.Website

दिया गया कि वह हर साल इबराहीमी भावना के साथ एक जानवर ज़ब्ह करके इस महान घटना की याद ताज़ा किया करें।

इस अनोखे और अजीब व ग़रीब इम्तिहान में कामयाबी के बाद अल्लाह तआला ने हज़रत इबराहीम अलैहि0 को एक बहुत बड़े गौरव से नवाज़ने का फ़ैसला फ़रमाया। हुक्म दिया गया कि दुनिया में मेरे लिए एक घर तामीर करो। बाप बेटे ने ख़ुशी ख़ुशी घर की तामीर शुरू कर दी। तामीर करते करते जब हजरे असवद की जगह पहुंचे तो हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने हज़रत इसमाईल अलैहि0 से कहा "बेटा! कोई अच्छा सा पत्थर ढूंड कर लाओ हज़रत इसमाईल अलैहि0 पत्थर ढूंड कर लाए तो देखा कि हज़रत इबराहीम अलैहि0 वहां कोई दूसरा पत्थर लगा चुके हैं हज़रत इसमाईल अलैहि0 ने पूछा "यह पत्थर कहां से आया है?" हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने फ़रमाया "यह पत्थर अल्लाह के हुक्म से हज़रत जिब्राईल अलैहि0 ले कर आए हैं।" (इब्ने कसीर) यह वही पत्थर है जिसे हजरे असवद कहा जाता है और तवाफ़ के हर चक्कर में जिस को चूमा जाता है जिस के बारे में इर्शाद नबवी सल्ल0 है "हजरे अवसद जन्नत से भेजा हुआ पत्थर है दूध की तरह सफ़ेद था लेकिन लोगों के गुनाहों ने इसे सियाह कर दिया है।" (तिर्मिज़ी) दीवारें जब काफ़ी ऊंची हो गईं तो हज़रत इसमाईल अलैहि0 एक पत्थर उठा कर लाए जिस पर खड़े होकर हज़रत इबराहीम अलैहि0 बैतुल्लाह शरीफ़ की तामीर करते रहे यह वही पत्थर है जिसे "मक़ामे इबराहीम" कहा जाता है और जिस पर हज़रत इबराहीम अलैहि0 के क़दमों के निशानात मौजूद हैं। इर्शाद नबवी सल्ल0 के मुताबिक़ यह पत्थर भी जन्नत से भेजा गया है (इब्ने ख़ुज़ैमा) भाग्य शाली बाप और बेटा बैतुल्लाह शरीफ़ की तामीर करते रहे और

Www.IslamicBooks.Website

साथ साथ यह दुआ मांगते रहे।

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ﴾ (۲:۱۲۷)

अनुवाद– "ऐ हमारे पालनहार! हम से हमारी यह सेवा कुबूल कर तू सब की सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है।"

बैतुल्लाह शरीफ़ की तामीर पूरी हो गई तो अल्लाह तआला ने हज़रत इबराहीम अलैहि0 को हुक्म दिया:

واذن فی الناس بالحج (۲۲:۲۷)

अनुवाद– "ऐ इबराहीम! लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो।" (सूरा हज, आयत न0 27) हज़रत इबराहीम अलैहि ने अर्ज़ किया– "इस बे आबाद वीराने से बाहर आबादियों तक मेरी आवाज़ कैसे पहुंचेगी?" अल्लाह तआला ने फ़रमाया "ऐलान करना तुम्हारा काम है और उसे लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है।" अतएव अल्लाह तआला ने हज़रत इबराहीम अलैहि0 का यह ऐलान न केवल उस समय के ज़िन्दा इन्सानों तक पहुंचाया बल्कि आत्म लोक मे तमाम आत्माओं तक भी यह आवाज़ पहुंचा दी गई जिस जिस व्यक्ति के भाग्य में बैतुल्लाह शरीफ़ की ज़ियारत लिखी थी उस ने हज़रत इबराहीम अलैहि0 के ऐलान के जवाब में लब्बैक कहा। हज के तलबिया की असल बुनियाद हज़रत इबराहीम अलैहि0 के उसी ऐलान का जवाब है। (इब्ने कसीर)

जब तक हज़रत इसमाईल अलैहि0 ज़िन्दा रहे। बैतुल्लाह शरीफ़ के मुतवल्ली रहे। आप की वफ़ात के बाद क़बीला बनू जरहम के सरदार बैतुल्लाह शरीफ़ के मुतवल्ली बने। बनू जरहम के दौर में ही दीन इबराहीमी में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया मुतवल्ली लोग नज़रानों और हदयों का माल हड़प करने लगे अतएव क़बीला बनू खुज़ाआ ने जंग करने के बाद यह मंसब वनु जरहम से छीन लिया।

Www.IslamicBooks.Website

लेकिन उन के ज़माने में बिगाड़ और बढ़ता गया। बैतुल्लाह शरीफ़ बुतकदे की शक्ल इख़्तियार कर गया। शिर्क की इन्तिहा का यह हाल था कि लात, मनात, उज्ज़ा और हुबुल के बुतों के साथ साथ हज़रत इबराहीम अलैहि0 के बुत भी बना कर बैतुल्लाह शरीफ़ में रख दिए गए। बनू खुज़ाआ के बाद बैतुल्लाह शरीफ़ की तौलियत कुरैश मक्का के हाथ आ गई। कुरैशी सरदार कुसा बिन किलाब ने खुज़ाई सरदार की बेटी से शादी की जिस के नतीजे में कुरैशी दामाद को खुज़ाई ससुर से काबा की तौलियत हासिल हो गई।

नबी सल्ल0 के नबी बनाए जाने के 21 साल बाद तक (अर्थात 8 हि0) तक बैतुल्लाह शरीफ़ शिर्क और बुत परस्ती का केन्द्र बना रहा है और आज्ञानता के तरीक़े के मुताबिक़ मुश्रिक हज करते रहे। 8 हि0 में आप सल्ल0 ने मक्का फ़तह किया तो बैतुल्लाह शरीफ़ को तमाम बुतों और तस्वीरों से पाक किया। 9 हि0 में हज फ़र्ज़ हुआ। तो आप सल्ल0 ने हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 को अमीरुल हज बनाकर भेजा और हज का फ़रीज़ा इस्लामी शरीअत के मुताबिक़ अदा किया गया। 10 हि0 में रसूले अकरम सल्ल0 ने एक लाख चौबीस (या चालीस) हज़ार जां निसार सहाबा किराम रज़ि0 की मौजूदगी में पवित्र जीवनी का पहला और आख़िरी हज, हज्जतुल विदाअ अदा फ़रमाया।

हज की कुछ प्रमुख शिक्षाएं:

हज निः सन्देह एक अनेक उद्देश्यों और बहुत से लाभों वाली इबादत है जिस के दीनी और दुनियावी लाभ इतने हैं कि उन्हें गिनने के लिए एक अलग किताब के पृष्ठों की ज़रूरत है। अल्लाह तआला ने कुरआन मजीद में इस हक़ीक़त को इन शब्दों में व्यक्त है لیشهدوا منافع لهم "अर्थात लोग यहां आएं और आकर देखें कि हज

Www.IslamicBooks.Website

में उनके लिए कैसे कैसे दीनी और दुनियावी लाभ हैं।''

सोच विचार कीजिए हज करने वालों का घर बार बाल बच्चों और अपनी तमाम व्यस्तताएं छोड़ कर अल्लाह के घर की ज़ियारत के लिए लम्बे सफ़र पर निकल खड़े होना अल्लाह की ओर पलटने और उसपर भरोसा करने की एक ख़ास कैफ़ियत इन्सान के अन्दर पैदा कर देता है। दौराने सफ़र ख़ालिस अल्लाह की प्रसन्नता के लिए हर क़िस्म की तकलीफ़ और परेशानी सहन करना निश्चय ही नफ़्स सफ़ाई सुथराई का कारण बनता है। दुनिया के भिन्न भिन्न हिस्सों में रहने वालों, भिन्न भिन्न ज़बानें बोलने वालों भिन्न भिन्न लिबास पहनने वालों, विभिन्न रंगों और विभिन्न नसलों से संबंध रखने वाले लोगों का एक ही केन्द्र पर पहुंचने के लिए चल पड़ना, मीक़ात पर पहुंच कर अपने क़ौमी लिबास उतार कर एक ही क़िस्म का सादा सा फ़क़ीराना लिबास पहन लेना, समानता की एक लम्बी व्यवहारिक शिक्षा देता है जिसकी मिसाल दुनिया के किसी दूसरे मज़हब में नहीं मिलती अमीर, फ़क़ीर, शाह, भिखारी, अरबी, ग़ैर अरबी, पूर्वी, पश्चिमी सभी लोगों का एक ही लिबास में, एक ही ज़बान में, एक रुख़ पर एक जैसे शब्दों में तौहीद का तराना बुलन्द करना और फिर एक ही समय में एक ही रुख़ पर एक ही तरीक़ा पर अपने मालिक व स्वामी के सामने सज्दा करना ज़बान, रंग, नस्ल और राष्ट्र आदि के नाम पर बनाई हुई क़ौम के स्वयं गढे हुए बुतों को तोड़ फोड़ कर बस एक ही क़ौम..... क़ौमे रसूल हाशमी। बनने का सबक़ देता है एक रंग, अर्थात अल्लाह का रंग (सिबग़तुल्लाह) अपनाने की शिक्षा देता है। हरम में दाख़िल होने की पाबन्दियां, अहराम की पाबन्दियां, आपस में एक दूसरे के साथ अमन व सलामती और इज़्ज़त व सम्मान के साथ ज़िन्दगी बसर करने का

Www.IslamicBooks.Website

शिष्टाचार सिखाती हैं।

सोच विचार कीजिए तो महसूस यह होगा कि इस्लामी शिक्षाओं का कोई ऐसा स्थल बाक़ी नहीं बचता जिस की शिक्षा हज के दौरान प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष न दी गई हो। एकता और मिल जुल कर रहने की शिक्षा, कुरबानी व त्याग और भाईचारा की शिक्षा, अनुशासन की शिक्षा, आपस में जुड़े रहने की शिक्षा, दावत व जिहाद की शिक्षा, एकागता और मेल मिलाप की शिक्षा, समानता और बन्धुत्व की शिक्षा, अमन व सलामती की शिक्षा, मुस्लिम समुदाय की शिक्षा, अल्लाह की ओर पलटने और अनुसरण करने की शिक्षा, सुन्नत की पैरवी करने की शिक्षा, अक़ीदा तौहीद की शिक्षा।

अक़ीदा तौहीद और सुन्नत का अनुसरण इस्लाम की दो बुनियादें और महत्वपूर्ण शिक्षाएं हैं। इन के बारे में हम विस्तार से बात करेंगे कि किस तरह हज के दौरान इन दोनों बातों की याद दिहानी और शिक्षा का आयोजन किया गया है।

अक़ीदा तौहीदः

दीन इस्लाम में अक़ीदा तौहीद का महत्व स्पष्टीकरण का मोहताज नहीं। अक़ीदा तौहीद अगर सही न हो तो कोई बड़े से बड़ा सद कर्म भी अल्लाह के यहां स्वीकार नहीं होता। कुरआन मजीद में अल्लाह तआला ने रसूले अकरम सल्ल० को मुख़ातब करके यह बात इर्शाद फ़रमाई।

﴿لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۝﴾

(٣٩:٦٥)

अनुवाद—"अगर तुम ने शिर्क किया तो तुम्हारा किया कराया अमल बर्बाद हो जाएगा और तुम घाटा पाने वालों में से हो जाओगे।" (सूरह ज़ुमर, आयतः 65)

Www.IslamicBooks.Website

सूरह माइदा में अल्लाह तआला ने स्पष्ट रूप से यह बात इर्शाद फ़रमाई है कि मुश्रिक के लिए जन्नत हराम है और वह हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। अल्लाह का इर्शाद है।

﴿إِنَّـهُ مَـنْ يُشْـرِكْ بِـاللهِ فَـقَـدْ حَـرَّمَ اللهُ عَلَيْـهِ الْجَنَّةَ وَمَـاوَاهُ النَّارُ﴾ (٥:٧٢)

अनुवाद–"जिस ने अल्लाह के साथ शि।र्क किया उस पर अल्लाह ने जन्नत हराम कर दी है और उस का ठिकाना जहन्नम है।" (सूरह माइदा, आयतः 72)

रसूले अकरम सल्ल0 ने अपने एक सहाबी हज़रत मआज़ रज़ि0 को यह नसीहत की।

﴿لاَ تُشْرِكْ بِاللهِ شَيْئًا وَإِنْ قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ﴾

अर्थात अल्लाह तआला के यहां किसी को शरीक न ठहराना चाहे क़त्ल कर दिए जाओ या जला दिए जाओ (मुसनदे अहमद) क़यामत के दिन रसूले अकरम सल्ल0 के चचा अबु तालिब, हज़रत इबराहीम अलैहि0 के बाप, हज़रत नूह अलैहि0 का बेटा और हज़रत लूत अलैहि0 की पत्नी, अंबिया के साथ गहरे खूनी रिश्ते के बावजूद जहन्नम में चले जाएंगे केवल इस लिए कि वे अक़ीदा तौहीद से वंचित होंगे। इस से अक़ीदा तौहीद की अहमियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आइए एक नज़र देखें कि हज किस तरह हाजी को अक़ीदा तौहीद में पक्का व मज़बूत करने का साधन बनता है।

मक़ामे हज अर्थात मक्का मुकर्रमा पहुंचने से कई मील पहले ही जब हाजी मीक़ात पर पहुंच कर अहराम बांधता है तो उसे अल्लाह तआला की तौहीद, तहमीद, बड़ाई और महानता पर अधारित

Www.IslamicBooks.Website

तलबिया (1) पढ़ने का हुक्म दिया जाता है, मक्का पहुंच कर हाजी तवाफ़ का आरंभ करता है, तो उसे अल्लाह की बड़ाई के कलिमात अदा करने का हुक्म होता है यहां तक कि तवाफ़ के हर चक्कर में हजरे असवद के पास आकर उसे यही कलिमात दोहराने होते हैं। दौराने तवाफ़ हाजी को अधिकता से अल्लाह का ज़िक्र तसबीह व तहलील और तहमीद व तक़दीस करने का हुक्म दिया जाता है। तवाफ़ के बाद सई के लिए सफ़ा की तरफ़ जाने से पहले फिर एक बार हाजी को हजरे असवद के सामने आकर "बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर" कहने का हुक्म दिया जाता है। सई के आरंभ से पहले हाजी को सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर अल्लाह तआला की तौहीद व तकबीर और प्रशंसा व स्तुति के वे बेहतरीन कलिमात अदा करने का हुक्म दिया जाता है, जो रसूले अकरम सल्ल0 ने फ़तह मक्का के अवसर पर सफ़ा पहाड़ी पर खड़े होकर अदा किए।(2) यही तौहीद, तकबीर और प्रशंसा व स्तुति के कलिमात मरवा पहाड़ी पर दोहराने का हुक्म दिया जाता है। सई के दौरान हाजी को अधिकता से अल्लाह का ज़िक्र, तसबीह व तहलील और तहमीद व तक़दीस करने का हुक्म दिया जाता है। 8 ज़िल हिज्जा को मिना जाते हुए तमाम रास्ते में अक़ीदा तौहीद पर आधारित तलबिया बुलन्द करते रहने का हुक्म दिया जाता है। मैदाने अरफ़ात में रसूले अकरम सल्ल0 ने जिस दुआ को बेहतरीन दुआ क़रार दिया है वह सारी की सारी अक़ीदा तौहीद की शिक्षा पर आधारित है जिस के शब्द यह हैं।

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ.

1- तलबिया के मसाइल मसला न0 120 के तहत देखें।

2- उल्लिखित कलिमात मसला न0 201 के तहत देखें।

Www.IslamicBooks.Website

अनुवाद–"अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, वह एक है उस का कोई साझी नहीं। बादशाही उसी की है प्रशंसा उसी के लिए है और वह हर चीज़ पर समर्थ है।" (तिर्मिज़ी) क़याम मुज़दलफ़ा के दौरान अल्लाह तआला को निरंतर याद करने का हुक्म कुरआन मजीद में दिया गया है। अल्लाह का इर्शाद है।

﴿فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ﴾

(۱۹۸:۲)

अनुवाद–"मशअरे हराम (मुज़दलफ़ा की पहाड़ी का नाम है) के नज़दीक अल्लाह तआला को खूब याद करो और इस तरह याद करो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है।" (सूरह बक़रा आयत न0 198) मिना से अरफ़ात, अरफ़ात से मुज़दलफ़ा और मुज़दलफ़ा से मिना जाते हुए निरंतर तलबिया, तहलील, तहमीद और तक़दीस के कलिमात बुलन्द आवाज़ से पुकारने को ही हज मबरुर कहा गया है। कुरबानी करते समय अल्लाह का नाम और उस की बड़ाई व्यक्त करने का हुक्म दिया गया है। रमी जमार की हर कंकरी फेंकने के साथ अल्लाह तआला की बड़ाई का नारा बुलन्द करने का हुक्म दिया गया है।

हज के दौरान ख़ासकर तशरीक़ के दिनों (11,12, और 13 ज़िलहिज्जा) को साल भर के तमाम दिनों के मुक़ाबले मे इस लिए श्रेष्ठम दिन क़रार दिया गया है कि इन दिनों में अधिकता से अल्लाह की तौहीद और तकबीर बयान की जाती है इन दिनों में अल्लाह तआला को याद करते रहने का हुक्म भी कुरआन मजीद में दिया गया है।

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ﴾ (۲۰۳:۲)

अनुवाद–"और अल्लाह को गिनती के इन कुछ दिनों में खूब

Www.IslamicBooks.Website

याद करो।" (सूरह बक़रा आयत न0 203)

मानो हज के दिनों में क़दम क़दम पर हाजी की ज़बान से बार बार अल्लाह की तौहीद, तकबीर, तहमीद, और तक़दीस के कलिमात निकलवा कर इस बात का पूरा पूरा आयोजन कर दिया गया है कि अगर कोई हाजी पूरे होश और सूझ बूझ के साथ ये दिन मसनून तरीक़े से गुज़ारे तो अक़ीदा तौहीद हाजी के दिल व दिमाग़ में पूरी तरह बैठ जाता है।

सुन्नत की पैरवी की शिक्षाः

अक़ीदा तौहीद के बाद सुन्नत की पैरवी दीन इस्लाम की दूसरी अहम बुनियाद है। रसूल चूंकि अल्लाह तआला का संदेष्टा और प्रतिनिधि होता है। इस लिए रसूल की पैरवी और अनुसरण हक़ीक़त में अल्लाह तआला ही की पैरवी और अनुसरण है। क़ुरआन मजीद ने इस हक़ीक़त को इन शब्दों में स्पष्ट फ़रमाया है।

﴿مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾ (٤:٨٠)

अनुवाद–"जिस ने रसूल की पैरवी की उस ने असल में अल्लाह की पैरवी की। (सूरह निसा, आयत न0 80) स्वयं रसूले अकरम सल्ल0 ने भी एक हदीस में यही बात इर्शाद फ़रमाई है।

﴿مَنْ أَطَاعَنِیْ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَنْ عَصَانِیْ فَقَدْ عَصَى اللهَ﴾

अनुवाद–"जिस ने मेरी पैरवी की उस ने मानो अल्लाह की पैरवी की और जिस ने मेरी अवज्ञा की उस ने मानो अल्लाह की अवज्ञा की।" (बुख़ारी व मुस्लिम)

ज़िन्दगी के हर मामले में रसूलुल्लाह सल्ल0 की पैरवी और अनुसरण ही वह रास्ता है जिस में दुनिया और आख़िरत की कामयाबी की ज़मानत है अल्लाह का इर्शाद है।

﴿وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا۝﴾ (٣٣:٧١)

Www.IslamicBooks.Website

अनुवाद–"और जिस ने अल्लाह और उस के रसूल सल्ल0 की पैरवी की उस ने बड़ी कामयाबी हासिल कर ली।"

(सूरह अहज़ाब, आयत न0 171)

एक हदीस में रसूले अकरम सल्ल0 का इर्शाद मुबारक है।

﴿مَنْ أَطَاعَنِیْ دَخَلَ الْجَنَّةَ﴾

अनुवाद–"जिस ने मेरी पैरवी की वह जन्नत में दाख़िल हुआ।"

(बुख़ारी)

सुन्नते रसूल सल्ल0 की अवहेलना करना या छोड़ना पूरी तरह गुमराही और हलाकत का कारण है। अल्लाह का इर्शाद है।

﴿وَمَنْ يَّعْصِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلٰلاً مُّبِيْنًا﴾ (٣٦:٣٣)

अनुवाद–"और जिस ने अल्लाह और उस के रसूल की अवज्ञा की वह खुली गुमराही में पड़ गया।"

(सूरह अहज़ाब, आयत न0 136)

एक हदीस में आप सल्ल0 का इर्शाद मुबारक है।

﴿فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِیْ فَلَيْسَ مِنِّیْ﴾

अनुवाद–"जिस ने मेरी सुन्नत से मुंह मोड़ा वह मुझ से नहीं।" (बुख़ारी व मुस्लिम) एक दूसरी हदीस में रसूले अकरम सल्ल0 ने स्पष्ट रूप से यह बात इर्शाद फ़रमाई है कि जिस ने सवाब की ख़ातिर ऐसा काम किया जो मेरी शरीअत में मौजूद नहीं वह अमल अल्लाह के यहां मरदूद और अस्वीकार्य होगा।

(बहवाला बुख़ारी व मुस्लिम)

और ये शब्द तो आप सल्ल0 अपने हर ख़ुतबा में इर्शाद फ़रमाया करते थे।

﴿وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ

Www.IslamicBooks.Website

وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ﴾ (رواه النسائی)

अनुवाद–"दीन में नई बात पैदा करना बदतरीन काम है। और दीन में हर नई बात बिदअत है और हर बिदअत गुमराही है।" (बहवाला बुख़ारी व मुस्लिम) और हर गुमराही का ठिकाना आग है (नसाई)

उल्लिखित आयतों और हदीसों से आसानी से यह अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इन्सान के सद कर्म अल्लाह के यहां इसी सूरत में सवाब का सबब होंगे जब वह सुन्नते रसूल सल्ल0 के मुताबिक़ होंगे जो कर्म सुन्नते रसूल से हट कर होंगे वह अल्लाह के यहां अ स्वीकार्य और मरदूद ठहरेंगे। मनासिक हज पर एक नज़र डालिए और सोच विचार कीजिए कि ये मनासिक शुरू से लेकर आख़िर तक किस तरह हाजी को सुन्नत की पैरवी की शिक्षा देते हैं।

8 ज़िलहिज्जा को हाजी मस्जिदुल हराम छोड़ कर एक बे आबाद पथरियों भरे मैदान में ख़ेमाज़न हो जाता है अगर मात्र अज्र व सवाब ही अपेक्षित हो तो मस्जिदुल हराम में अदा की गई नमाज़ों का सवाब मिना के मुक़ाबले में लाखों दर्जा अधिक है तो फिर हाजी मस्जिदुल हराम क्यों छोड़ता है? इस लिए कि रसूले अकरम सल्ल0 की सुन्नत और आप सल्ल0 का बताया हुआ तरीक़ा यही है। संक्षिप्त से क़याम के बाद दूसरे दिन अर्थात 9 ज़िलहिज्जा को सूरज उदय के बाद हाजी फिर सफ़र करता है और केवल कुछ किलो मीटर की दूरी पर मैदाने अरफ़ात में जा ठहरता है वही मिट्टी वही पथरियां वही जलवायु। अरफ़ात में आख़िर कौन सी ऐसी खूबी है जो मिना में नहीं। फिर लाखों इन्सानों का मिना की सीमाओं से निकल कर अरफ़ात में जाकर ठहरना अपने अन्दर क्या हिकमत रखता है? यही कि रसूले अकरम सल्ल0 ने ऐसा ही किया था।

Www.IslamicBooks.Website

मैदाने अरफ़ात में हाजी ज़ोहर के समय इमामे हज का ख़ुतबा सुनने के बाद दोनों नमाज़ें (ज़ोहर और अस्र) इकट्ठी और क़स्र करके पढ़ता है। सोचिए वह हाजी जो दुनिया भर के सारे काम काज छोड़ कर अपने आप को इस लिए फ़ारिग़ करके आया है कि अल्लाह की इबादत करे वह ज़ोहर और अस्र की नमाज़ें एक ही समय में इकट्ठी और क़स्र करके क्यों अदा करता है? इस लिए कि उसे अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने ऐसा ही करने का हुक्म दिया है।

अरफ़ात में कुछ घन्टे क़याम के बाद हाजी फिर अपना सामान बांधता है और क़रीब ही एक दूसरे मैदान, मुज़दलफ़ा में जाकर क़याम करता है अरफ़ात में हाजी रात क्यों नहीं गुज़ारता और मुज़दलफ़ा में क्यों गुज़ारता है? इस की वजह इस के सिवा और क्या है कि सुन्नते रसूल सल्ल0 यही है कि अरफ़ात की पथरियों को सूरज अस्त होने के बाद अलविदाअ कहा जाए और मुज़दलफ़ा की पथरियों पर आकर रात बसर की जाए।

अरफ़ात से हाजी सूरज अस्त होने के बाद रवाना होता है लेकिन मग़रिब की नमाज़ समय पर अदा नहीं करता बल्कि मुज़दलफ़ा आकर इशा की नमाज़ के साथ अदा करता है यद्यपि प्रथम समय में नमाज़ अदा करना श्रेष्ठतम अमल है (तिर्मिज़ी) और नमाज़ देर से अदा करना कपट की निशानी है फिर इस अवसर पर हाजी जान बूझकर मग़रिब की नमाज़ में देरी क्यों करता है? इस लिए कि इस अवसर पर नमाज़ मग़रिब समय पर अदा करने में सुन्नते रसूल सल्ल0 का उल्लंघन है और देरी करने में रसूल सल्ल0 का अनुसरण है।

मुज़दलफ़ा में हाजी सारी रात सोकर गुज़ारता है और जानकर नमाज़ तहज्जुद छोड़ता है यद्यपि रसूले अक़रम सल्ल0 ने तमाम

Www.IslamicBooks.Website

नफ़िल नमाज़ों में से तहज्जुद को श्रेष्ठतम नमाज़ क़रार दिया है (मुसनद अहमद) हाजी इस रात नमाज़ तहज्जुद क्यों छोड़ता है? केवल इस लिए कि स्वंय रसूले अकरम सल्ल0 ने उस रात नमाज़ तहज्जुद अदा नहीं की।

मुज़दलफ़ा से हाजी फिर पलट कर उसी जगह..... मिना.....में आ जाता है जहां से चला था इस लिए कि अल्लाह के रसूल सल्ल0 ने ऐसा ही करने का हुक्म दिया है।

10 ज़िलहिज्जा को मिना पहुंच कर हाजी केवल जमरा उक़बा को कंकरियां मारता है यद्यपि बाक़ी दो या तीन दिनों में जमरा उक़बा के साथ साथ जमरा वुस्ता और जमरा ऊला को भी कंकरियां मारता है इस की वजह केवल यही है कि 10 ज़िलहिज्जा को चूंकि रसूल सल्ल0 ने केवल जमरा उक़बा को ही कंकरियां मारीं, जमरा वुस्ता और जमरा ऊला को नहीं मारीं अतः इताअत रसूल सल्ल0 के अनुसरण और पैरवी यही है कि उस दिन केवल जमरा उक़बा को ही कंकरियां मारी जाएं।

उसी दिन हाजी क़ुरबानी करके बाल कटवाता है और नहा धोकर मक्का मुकर्रमा तवाफ़ ज़ियारत के लिए जाता है थका मांदा ससताने का इच्छुक हाजी तवाफ़ ज़ियारत के बाद फिर उन्हीं क़दमों पर वापस मिना पलट जाता है केवल इस लिए कि रसूले अकरम सल्ल0 ने ऐसा ही किया था। तशरीक़ के दिनों में हाजी सूरज ढलने के बाद जमरा वुस्ता और जमरा उक़बा को क्रमवार कंकरियां मारता है लेकिन अगर वह पहले जमरा उक़बा फिर जमरा वुस्ता और फिर जमरा ऊला को कंकरियां मारे तो उस का यह अमल बातिल ठहरता है क्योंकि इस से पैग़म्बरे ख़ुदा सल्ल0 की सुन्नत का उल्लंघन होता है। उस की रमी केवल उस समय ही

Www.IslamicBooks.Website

अल्लाह तआला के हां स्वीकार्य और अज्र व सवाब का कारण होगी जब वह रसूले अकरम सल्ल0 की बताई हुई तरतीब के मुताबिक़ होगी।

तशरीक़ के दिनों में मिना में गुज़ारने के बाद हाजी फिर मक्का मुकर्रमा आता है और अपने वतन रवाना होने से पहले एक बार फिर बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करता है यद्यपि उस घर के कितने ही तवाफ़ वह पहले कर चुका है लेकिन जब तक हाजी यह आख़िरी तवाफ़ तवाफ़े वदाअ। नहीं करता वह मक्का मुकर्रमा से रुख़सत नहीं हो सकता, क्योंकि सुन्नत रसूल सल्ल0 यही है।

मनासिक हज शुरू से लेकर आख़िर तक देखिए और सोच विचार कीजिए तो यह हक़ीक़त सामने आती है कि हाजी न तो ज़मान व मकान का बन्दा है न अक़्ल व समझ का गुलाम, बल्कि वह बन्दा और गुलाम है केवल और केवल अल्लाह और उस के रसूल सल्ल0 का। जिस से मतलूब है बिना शर्त रसूल सल्ल0 की पैरवी व अनुसरण और बिला हील व हुज्जत रसूल सल्ल0 का आज्ञापालन!

अमीरुल मोमिनीन सैयदना हज़रत उमर रज़ि0 ने दौराने तवाफ़ हजरे असवद को मुख़ातब करके फ़रमाया "अल्लाह की क़सम! मैं ख़ूब जानता हूं कि तू एक पत्थर है न हानि पहुंचा सकता है न लाभ दे सकता है अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को चूमते न देखा होता तो तुझे कभी न चूमता" यह कह कर हजरे असवद का इस्तिलाम किया फिर फ़रमाने लगे "अब हमें तवाफ़ (उमरा) के पहले तीन चक्करों में रमल करने की क्या ज़रूरत है रमल तो मुश्रिकों के लिए था और अब अल्लाह तआला ने उन्हें तबाह कर दिया है।(1) फिर

1-याद रहे ज़ीक़ाअदा 7 हिजरी में रसूले अकरम सल्ल0 उमरा क़ज़ा के लिए मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो मुश्रिकीन मक्का मुसलमानों को देखने के लिए इकट्ठे (बक़िया अगले पृ0 पर)

Www.IslamicBooks.Website

स्वयं ही फ़रमाया "रमल वह चीज़ है जिसे नबी अकरम सल्ल० ने किया और नबी अकरम सल्ल० की सुन्नत छोड़ना हमें पसन्द नहीं।" (सहीह बुख़ारी)

यह है सुन्नत के अनुसरण की वह इंक़िलाबी सोच जो मनासिक हज एक समझदार हाजी के अन्दर पैदा कर देती है जिसे सैयदना हज़रत उमर रज़ि० ने दौराने तवाफ़ व्यक्त किया तो इबादत हज का असल उद्देश्य यह ठहरा कि मुसलमान अपनी सारी ज़िन्दगी सुन्नत की पैरवी पर जारी रखें। रसूलुल्लाह सल्ल० के अनुसरण को अपने जीवन का उद्देश्य बना के रखे। उस के काम काज का तमाम तर आधार रसूलुल्लाह की पैरवी पर हो।

क़ुरबानी की शरअी हैसियतः

इल्म दीन से अपरिचित, भौतिकता के माहौल और प्रगति शील विचारों के हमले ने मिल जुल कर मुसलमानों का ईमान इतना कमज़ोर बना दिया है कि इस्लाम की ख़ातिर त्याग की भावना धीरे धीरे समाप्त होती चली जा रही है इन्हीं बातों के कारण आज हमारे समाज में क़ुरबानी के महत्व को ख़त्म करने या कम करने की सोच भी बढ़ती चली जा रही है।

कहा जाता है कि करोड़ों रुपयों का धन मात्र क़ुरबानी पर बर्बाद करने की बजाए अगर यही धन राष्ट्र की प्रगति और कल्याण के कामों

(पिछले पृ० का हाशिया) हो गए। उन का गुमान यह था कि मदीना मुनव्वरा की जलवायु ने मुसलमानों को कमज़ोर कर दिया है। अतएव रसूलुल्लाह सल्ल० ने सहाबा किराम रज़ि० को दौराने तवाफ़ पहले तीन चक्करों में तेज़ तेज़ चलने का हुक्म दिया। इसे रमल कहते हैं मुश्रिकीन ने मुसलमानों को यूं चाक़ व चौबन्द देखा तो कहने लगे "ये लोग जिन के बारे में हम यह समझ रहे थे कि बुख़ार ने उन्हें तोड़ दिया है ये तो ऐसे और ऐसे ताक़तवर लोगों से भी ज़्यादा ताक़तवर हैं।" और यूं रसूलुल्लाह सल्ल० की कार्य प्रणाली से मुश्रिकीन मक्का की सारी ग़लत फ़हमी दूर हो गई।

Www.IslamicBooks.Website

पर ख़र्च किया जाए तो न केवल देश की प्रगति के लिए लाभकारी होगा बल्कि सवाब का कारण भी होगा।

प्रथम जैसा कि इन्हीं पृष्ठों में बताया गया है कि क़ुरबानी असल में यादगार है उस महान तारीख़ी घटना की जिस में नबियों के सरदार हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने अल्लाह तआला की प्रसन्नता के लिए अपने नवजवान बेटे के गले पर छुरी चला दी थी। अल्लाह तआला ने उनकी इस वफ़ादारी की भावना को यूं स्वीकार किया कि बेटे की जगह जन्नत से एक मेंढ़ा भिजवाकर हज़रत इसमाईल अलैहि0 की जान बचा ली। इसी लिए रसूलुल्लाह सल्ल0 ने ईदुल अज़हा की क़ुरबानी को सुन्नते इबराहीमी क़रार दिया है।

(अहमद, इब्ने माजा)

तनिक सोचिए! अगर अल्लाह तआला हज़रत इसमाईल अलैहि0 की क़ुरबानी क़ुबूल फ़रमा लेता और उसके बाद उम्मत को यह हुक्म दिया जाता कि हर मुसलमान सुन्नते इबराहीमी पर अमल करते हुए अपने पहले बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह करे, तो यह कितना बड़ा इम्तिहान होता और हम में से कितने मुसलमान ऐसे होते जो इस इम्तिहान में पूरे उतरते? अल्लाह तआला ने अपने कमज़ोर और विवश बन्दों पर कृपा की और सन्तान की जगह जानवरों की क़ुरबानी क़ुबूल की इस के बावजूद जो लोग इस क़ुरबानी से भी बचना चाहते हैं। उन्हें अपने दीन और ईमान का स्वयं अवलोकन कर लेना चाहिए कि वे ईमान के किस दर्जे पर मौजूद हैं?

दूसरे यह बात ज़ेहन नशीन रहनी चाहिए कि क़ुरबानी एक इबादत है जिस का उद्देश्य केवल और केवल अल्लाह तआला की प्रसन्नता हासिल करना है। अल्लाह और उस के रसूल सल्ल0 के

Www.IslamicBooks.Website

बताए हुए तरीक़े के मुताबिक़ अल्लाह तआला की प्रसन्नता हासिल करने के लिए ख़र्च की जाने वाली रक़म को न तो बर्बाद करना ठहराया जा सकता है और न ही इबादत की इस निश्चित शक्ल को स्वयं से किसी दूसरी मन पसन्द शक्ल में बदला जा सकता है सोच विचार कीजिए! क्या हज़ारों यतीम बच्चों की किफ़ालत पर ख़र्च की गई रक़म एक फ़र्ज़ नमाज़ छोड़ने का कफ़्फ़ारा बन सकती है? क्या हज़ारों विधवाओं की किफ़ालत पर ख़र्च की गई रक़म एक फ़र्ज़ रोज़ा छोड़ने का कफ़्फ़ारा बन सकती है? क्या हज़ारों मरीज़ों की सेहत के लिए ख़र्च की गई रक़म हज छोड़ देने का कफ़्फ़ारा बन सकती है? कदापि नहीं! इसी तरह देश की प्रगति और कल्याण के कामों पर ख़र्च की गई लाखों और करोड़ों रुपयों की रक़म अल्लाह की राह में जानवरों का ख़ून बहाने का कफ़्फ़ारा भी नहीं बन सकती।

तीसरे कुरबानी के मामले में रसूले अकरम सल्ल0 के जीवन का नमूना भी सामने रखना चाहिए। रसूले अकरम सल्ल0 ने मदीना मुनव्वरा में दस साल क़याम फ़रमाया इस सारे समय में आप सल्ल0 ने एक बार भी कुरबानी करना नहीं छोड़ी। यहां तक कि सफ़र के दौरान भी आप सल्ल0 ने कुरबानी का आयोजन किया। हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं कि हम एक सफ़र में नबी अकरम सल्ल0 के साथ थे, ईदुल अज़हा आ गई और हम लोग एक गाय में सात और एक ऊंट में दस आदमी शरीक हुए। (तिर्मिज़ी) अन्तिम हज के अवसर पर रसूलुल्लाह सल्ल0 ने सौ ऊंट कुरबान किए ऊंट ख़रीदने के लिए आप सल्ल0 ने हज़रत अली रज़ि0 को ख़ास तौर से यमन भेजा जिस का मतलब यह है कि ऊंटों की इतनी बड़ी संख्या न मक्का में पर्याप्त थी न मदीना में और फिर

Www.IslamicBooks.Website

यौमुन्नहर जैसे व्यस्त तरीन दिन में तरेसठ ऊंट रसूले अकरम सल्ल0 ने अपने मुबारक हाथों से ज़बह किए। ऊंट ज़बह करने में निश्चय ही सहाबा किराम रज़ि0 ने आप सल्ल0 की मदद की होगी। इस के बावजूद ऊंट को कुरबानी की जगह लाना, उसे बांधना उसे ज़बह करना और फिर उसे गिराना इस सारे काम पर इस्तेमाल किया गया समय अगर कम से कम पांच मिनट प्रति ऊंट लगाया जाए तब भी आप सल्ल0 ने इस काम पर पांच घन्टे पन्द्रह मिनट ख़र्च किए। तनिक सोचिए! वह ज़ात जो ज़िन्दगी का एक क्षण भी बर्बाद किए बिना हर समय उम्मत को दीनी मसाइल और आदेश सिखाने में व्यस्त रहती हो, उस का ऐसे अवसर पर जबकि एक लाख चौबीस हज़ार (या चालीस हज़ार) सहाबा किराम रज़ि0 की भीड़ आस पास मौजूद थी। जिसे आप सल्ल0 स्वयं फ़रमा रहे थे خذوا عنی مناسککم अर्थात मुझ से हज के तरीक़े सीखो आप सल्ल0 का कुरबानी के लिए इतना लम्बा समय निकालना और इतनी मेहनत करना निश्चय ही एक असाधारण काम था। इस घटना का अगर पवित्र जीवनी के आर्थिक पहलू से अवलोकन किया जाए तो कुरबानी का महत्व कहीं ज़्यादा बढ़ जाता है। मदनी जिन्दगी में एक तरफ़ तो एक साथ 9 घरों के ख़र्च का बोझ आप सल्ल0 के कंधों पर था। दूसरी तरफ़ कोई मुस्तक़िल काम धंधा न होने की वजह से आप सल्ल0 की आर्थिक हालत ऐसी थी कि कभी कभी फ़ाक़ा कशी तक नौबत पहुंच जाती। हज़रत आइशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि रसूले अकरम सल्ल0 जब से मदीना तशरीफ़ लाए मुहम्मद के घर वालों ने निरंतर तीन दिन रात कभी पेट भरकर गन्दुम की रोटी नहीं खाई। यहां तक कि आप सल्ल0 इस दुनिया से तशरीफ़ ले गए (बुख़ारी) और फ़रमाती हैं कि हम पर ऐसे महीने भी गुज़रे हैं जिन में हम ने

Www.IslamicBooks.Website

घर में आग तक नहीं जलाई हमारा गुज़ारा केवल पानी और खुजूरों पर होता सिवा इस के कि कहीं से गोश्त (का हदया) आ जाता। (बुख़ारी) ऐसे आर्थिक हालात में रसूले अकरम सल्ल0 का सौ ऊंट ज़बह करने के लिए संसाधन जुटाना, कुरबानी के महत्व को बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है।

यहां यह बात भी उल्लेखनीय है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने सौ ऊंट ज़बह किए तो सारे गोश्त को बांटने का आयोजन नहीं किया, बल्कि हर ऊंट से केवल एक एक टुकड़ा हासिल करके उसे पकवाया और खाया जिस का मतलब यह है कि कुरबानी के गोश्त का बांटा न जाना कुरबानी न करने का जवाज़ नहीं बन सकता, कुरबानी का गोश्त तक़सीम हो या न हो इस्तेमाल में आए या न आए इस से कुरबानी का महत्व किसी सूरत भी कम नहीं होता।(1) यही मतलब है अल्लाह तआला के इस इर्शाद का।

﴿لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَائُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ﴾

(۳۷:۲۲)

"अल्लाह तआला को कुरबानियों के गोश्त और खून नहीं पहुंचते, बल्कि तुम्हारा तक़वा पहुंचता है।" (सूरह हज, आयत न0 37) अर्थात अल्लाह तआला को गोश्त बांटने या न बांटने से मतलब नहीं बल्कि वह यह देखता है कि किसने किस नीयत और इरादे से कुरबानी की है।

1-याद रहे कि कुरबानी का गोश्त तक़सीम करना फ़र्ज़ या वाजिब नहीं अगर कहीं कुरबानी का गोश्त तक़सीम करना मुमकिन न हो या किसी ख़ानदान के लोग इतने ज़्यादा हों कि वह सारा गोश्त स्वंय इस्तेमाल करना चाहें तो ऐसा खुशी से कर सकते हैं। कुरबानी का गोश्त रिश्तेदारों और मसाकीन व फ़ुक़रा में तक़सीम करना सवाब का कारण है लेकिन गोश्त तीन हिस्सों में तक़सीम करके एक अपने लिए, एक रिश्तेदारों के लिए और एक फ़ुक़रा के लिए रखना सुन्नत से साबित नहीं।

Www.IslamicBooks.Website

अन्त में क़ुरबानी की ताक़त रखने के बावजूद क़ुरबानी न करने वालों के बारे में रसूले अकरम सल्ल0 का एक इर्शाद मुबारक भी पढ़ लीजिए। इर्शाद नबवी सल्ल0 है "जो व्यक्ति क़ुरबानी की ताक़त रखता है फिर भी क़ुरबानी न करे वह (नमाज़ ईद के लिए)हमारी ईदगाह के क़रीब भी न आए।" (मुसनद अहमद)

तो अल्लाह और आख़िरत के दिन पर ईमान रखने वालों के लिए रसूले अकरम सल्ल0 की ज़ात मुबारक मं बेहतरीन नमूना है कि वह दिल व जान से उन की पैरवी और अनुसरण करें।

कुछ ग़लत परिभाषाएं:

(अ) हज्जे अकबर प्रायः लोग यह समझते हैं कि जिस साल अरफ़ा के दिन, जुमा का दिन आए वह हज "हजे अकबर" कहलाता है और उस का सवाब आम हज की तुलना में सत्तर गुना ज़्यादा होता है। यह धारणा बिल्कुल ग़लत है 9 हिजरी में रसूले अकरम सल्ल0 ने हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 को अमीर हज बनाकर भेजा। बाद में सूरह तौबा की शुरू की आयतें नाज़िल हुईं जिन में यह बात भी इर्शाद फ़रमाई गई।

﴿وَأَذَانٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ﴾ (۹:۳)

अनुवाद–"आम ऐलान है अल्लाह और उस के रसूल की तरफ़ से हजे अकबर के दिन तमाम लोगों के लिए अल्लाह और उस का रसूल मुश्रिकीन से मुक्त हैं।" (सूरह तौबा, आयत न0 3) आयतों के अवतरित के बाद आप सल्ल0 ने हज़रत अली रज़ि0 को भेजा कि आप जाकर हज के अवसर पर लोगों को यह ऐलान सुना दें। यह बात तहक़ीक़ शुदा है कि 9 हिजरी में अरफ़ा का दिन, जुमा का दिन नहीं था, लेकिन क़ुरआन मजीद ने इस के लिए हज अकबर का

Www.IslamicBooks.Website

शब्द इस्तेमाल किया है। 10 हिजरी में जब रसूले अकरम सल्ल0 ने अन्तिम हज अदा किया उस साल अरफ़ा का दिन जुमा के दिन था, 10 ज़िलहिज्जा को आप सल्ल0 ने खुतबा इर्शाद फ़रमाया هذا يوم الحج الاكبر अर्थात यह हज अकबर का दिन है। (अबु दाऊद) इस का मतलब यह है कि अरफ़ा का दिन, जुमा के दिन आए या किसी दूसरे दिन, ज़िलहिज्जा में अदा किया गया हर हज, हजे अकबर ही कहलाएगा। याद रहे कि नबी अकरम सल्ल0 ने कुरबानी के दिन खुतबा देते हुए यह बात इर्शाद फ़रमाई कि आज कुरबानी का दिन है और यह दिन "हजे अकबर" है। अर्थात हर हज में कुरबानी का दिन अकबर का दिन है इमाम अहमद बिन हंबल रह0 की मुसनद में एक बाब का नाम ही यह रखा गया है "यौमे हज अकबर से तात्पर्य नहर का दिन है"(1) इस से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि हर साल कुरबानी का दिन हज अकबर का दिन है और हर साल का हज, हजे अकबर कहलाता है।

हज को हजे अकबर कहने की वजह केवल यह है कि उमरा में चूंकि हज के कुछ अरकान शामिल हैं इस लिए अरब वाले उमरा को हजे असग़र कहते थे और ज़िलहिज्जा में अदा किए गए हज को "हजे असग़र" से अलग करने के लिए हजे अकबर की परिभाषा इस्तेमाल करते थे। अतः अब भी विद्वान इसी मायना के साथ ये दोनों परिभाषाएं इस्तेमाल करते हैं।

(ब) बड़ा उमरा और छोटा उमराः कुछ लोग यह समझते हैं कि जो उमरा मीक़ात से अहराम बांध कर किया जाता है वह बड़ा उमरा होता है और जो उमरा तनईम या जअ़राना से अहराम बांध

1–अद्लीलु अला अन्नल मुराद यौमुल हज्जिल अकबरे यौमुन्नहरि (फ़तहुल बारी बारहवां भाग 12, पृ0 214।

Www.IslamicBooks.Website

कर किया जाए वह छोटा उमरा होता है। हदीसों से न तो छोटे बड़े उमरा के शब्द साबित हैं न ही उल्लिखित फ़र्क़ हदीसों से साबित है। रसूले अकरम सल्ल0 ने उम्र भर में चार उमरे अदा किए। तीन मदीना मुनव्वरा से आकर अर्थात ज़ुलहलीफ़ा से अहराम बांध कर और एक ग़ज़वा हुनैन से वापसी पर जअ़राना से अहराम बांध कर, लेकिन क़याम मक्का के दौरान तनईम या जअ़राना जाकर अहराम बांधना न तो रसूले अकरम सल्ल0 से साबित है और न ही सहाबा किराम रज़ि0 और इमामों से बल्कि विद्वानों ने हमेशा ही इस के ना पसन्दीदा होने पर सहमति व्यक्त की है। तनईम या जअ़राना से अहराम बांध कर उमरा करने की असल हक़ीक़त यह है कि हज़रत आइशा रज़ि0 जब नबी अकरम सल्ल0 के साथ हज्जतुल विदाअ के लिए तशरीफ़ लायीं तो रास्ते में उन्हें हैज़ की शिकायत हो गई जिस वजह से वे हज से पहले उमरा अदा न कर सकीं। हज के बाद नबी अकरम सल्ल0 ने उन के भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर रज़ि0 से कहा कि उन्हें (हज़रत आइशा रज़ि0) तनईम ले जाओ ताकि वहां से अहराम बांध कर यह उमरा कर सकें। अगर ऐसी ही कोई मजबूरी या शरअी वजह किसी को पेश आ जाए तो फिर तनईम से अहराम बांध कर उमरा करना सही है और वह उमरा ऐसा ही होगा जैसा मीक़ात से अहराम बांध कर किया गया उमरा। इसे छोटा उमरा कहना सही नहीं होगा।

(ज) रोज़ा शरीफ़ाः अधिकांश लोग रसूले अकरम सल्ल0 की क़ब्र मुबारक को रोज़ा शरीफ़ कह कर पुकारते हैं यद्यपि वह असल में हुजरा शरीफ़ है जो उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा सिद्दीक़ा रज़ि0 का घर हुआ करता था और अब उसी जगह पर आप सल्ल0 की क़ब्र मुबारक है।

Www.IslamicBooks.Website

नबी अकरम सल्ल0 ने जिस मक़ाम को "रोज़ा" का नाम दिया है वह आप सल्ल0 के घर और आप सल्ल0 के मिंबर के बीच वाली जगह है जिसे अब सफ़ेद संग मरमर के खम्बां से सजा दिया गया है और जहां हमेशा सफ़ेद रंग के क़ालीन बिछे रहते हैं जिस के बारे में आप सल्ल0 का इर्शाद मुबारक है। مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ "अर्थात मेरे घर और मेरे मिंबर की बीच की जगह जन्नत के बाग़ीचों में से एक बाग़ीचा है।" (बुख़ारी व मुस्लिम) यहां बैठ कर नमाज़ पढ़ना, तिलावत करना और दुआ व अज़कार और तौबा इस्तिग़फ़ार करना बहुत ज़्यादा सवाब का कारण है।

(द) जमरात और शैतानः जमरात या जमार जमरा का बहुवचन। जमरा का मतलब है कंकरी। मिना में थोड़े थोड़े फ़ासले पर तीन खम्बे तामीर किए गए हैं जिन्हें हाजी हज के दौरान बारी बारी सात सात कंकरियां मारते हैं इसी वजह से इन खम्बों को जमरात कहा गया है। रमी जमार के बारे में सब से ज़्यादा मशहूर बात यह है कि जब हज़रत इबराहीम अलैहि0 हज़रत इसमाईल अलैहि0 को ज़बह करने के लिए जा रहे थे तो रास्ते में इन तीन स्थानों पर शैयतान प्रकट हुआ। हज़रत इबराहीम अलैहि0 को बेटे की क़ुरबानी देने से रोकने और बहकाने की कोशिश की। हज़रत इबराहीम अलैहि0 ने उसे हर स्थान पर सात सात कंकरियां मारीं और शैतान भाग गया। अतः इस घटना की यादगार के तौर पर इन स्थानों पर कंकरियां फेंकी जाती हैं(1) इस घटना के हवाले से

1- रमी जमार के बारे में दो दृष्टिकोण और भी हैं एक यह कि रसूलुल्लाह सल्ल0 की पैदाइश से कुछ दिन पहले फ़ील की घटना पेश आयी जिस में वादी मिना और मुज़दलफ़ा के बीच वादी महसर में अल्लाह तआला ने परिन्दों द्वारा छोटे छोटे कंकर अबरहा के लशकर पर फेंके और उसे तबाह कर दिया। यह रमी जमरात उसी घटना की यादगार है। दूसरा दृष्टिकोण यह है कि रमी का मायना तीर फेंकना भी है (बक़िया हाशिया अगले पृ0 पर)

Www.IslamicBooks.Website

अधिकांश लोग जमरात को शैतान कहते हैं जमरा उक़बा को बड़ा शैतान, जमरा वुस्ता को बीच का शैतान और जमरा ऊला को छोटा शैतान कहा जाता है और इन जमरात को कंकरियां मारते हुए यह समझा जाता है कि ये कंकरियां शैतान को मारी जा रही हैं। यही वजह है कि इस स्थान पर लोगों में एक नाक़ाबिले बयान जुनूनी कैफ़ियत सी पैदा हो जाती है लोग हुल्लड़ बाज़ी, शोर व गुल और हंगामा करते हुए और शैतान को लान तान और गाली गलौंच करते हुए पाए जाते हैं और जमरात पर छोटे बड़े पत्थरों के अलावा जूते तक फेंकते हैं और समझते हैं कि सामने खम्बे की शक्ल में शैतान खड़ा है जिस का अपमान और दुर्गति हो रही है।

प्रथम तो हज़रत इबराहीम अलैहि0 से संबंधित उल्लिखित घटना मुसनद अहमद में हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 के कथन की हैसियत से दी गयी है। कोशिश के बावजूद हमें इस दृष्टिकोण के हक़ में कोई मरफ़ूअ हदीस नहीं मिल सकी। अतः मात्र हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 के इस कथन की बुनियाद पर रमी जमार को उल्लिखित घटना से जोड़ना मुश्किल है संभव है हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 ने यह बात हज़रत काअब बिन अहबार से सुनी हो जो कि एक यहूदी विद्वान थे और मुसलमान हो गए थे। वल्लाह आलम बिस्सवाब!

तीसरे अगर हजरत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 की इस रिवायत

(पिछले पृ0 का बक़िया हाशिया) और जमार का मतलब संगठित और सामूहिक लोग भी है, अतः हज के दौरान पूरे मुस्लिम समुदाय का संगठित होकर एक जगह रमी करना इस बात का ऐलान है कि वह कुफ़्र व शिर्क के ख़िलाफ़ व्यवहारिक जिहाद करने के लिए हर समय तैयार हैं। दोनों बातों के हक़ में न तो कोई क़ुरआन मजीद की आयत है न कोई हदीस और न ही किसी सहाबी का कथन बल्कि ख़ास मानसिक पैदवार है, अतः दोनों बातों को आम लोक प्रियता हासिल नहीं हो सकी।

Www.IslamicBooks.Website

को सही भी मान लिया जाए तब भी ज़्यादा से ज़्यादा उस से जो बात निकाली जा सकती है वह यह है कि रमी जमार हज़रत इबराहीम अलैहि0 की उल्लिखित घटना की यादगार है लेकिन इस से जमरात को शैतान क़रार देने और जमरात पर रमी को शैतान पर क़रार देने का जवाज़ तो फिर भी साबित नहीं होता।

हासिल कलाम यह है कि जमरात को शैतान कहना और जमरात पर रमी को शैयतान पर रमी कल्पना करना बिल्कुल ग़लत और बे बुनियाद है। सहाबा किराम रज़ि0 ताबईन और तबअ ताबईन रह0 में से किसी से भी जमरात के बारे में ऐसा समझना साबित नहीं। रमी जमार के बारे में जो बात सहीह हदीस से साबित है वह यह है कि जिस तरह तवाफ़, सई, कुरबानी, वकूफ़ अरफ़ात और वकूफ़ मुज़दलफ़ा इबादात हैं। उसी तरह रमी जमार भी एक इबादत है(1) जिस का मक़सद अल्लाह तआला का ज़िक्र, महानता और बड़ाई बयान करना है यही वजह है कि हर कंकरी फेंकते समय "अल्लाहु अकबर" कहने का हुक्म दिया गया है।

जमरा वुस्ता और जमरा ऊला को कंकरियां मारने के बाद क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआएं मांगने का हुक्म भी है। इमाम इब्ने तैमिया रह0 ने 10 ज़िलहिज्जा को जमरा उक़बा की रमी को मिना का तहय्या क़रार दिया है उन के नज़दीक दौराने हज कुरबानी के दिन को नमाज़ ईद न पढ़ने की वजह केवल यह है कि जिस तरह मस्जिदुल हराम में तवाफ़ तहय्या अदा करने के बाद दो रकअत नमाज़ अदा करने की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती इसी तरह रमी जमरा उक़बा के बाद नमाज़ ईद की ज़रूरत बाक़ी नहीं रहती (फ़तावा इब्ने तैमिया) अतः हर हाजी पर लाज़िम है कि वह रमी

1- देखें हो मसला न0 174

Www.IslamicBooks.Website

जमार के समय उसी गंभीरता, प्रतिष्ठा और अनुशासन को बर क़रार रखे, जो गंभीरता, प्रतिष्ठा और अनुशासन, तवाफ़, सई, वक़ूफ़ अरफ़ात और वक़ूफ़ मुज़दलफ़ा को इबादत समझते हुए मलहूज़ रखा जाता है।

मदीना मुनव्वरा का सफ़रः

मदीना मुनव्वरा का सफ़र करते हुए हाजी को निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।

1–मदीना मुनव्वरा का सफ़र केवल मस्जिद नबवी सल्ल0 की ज़ियारत की नीयत से करना चाहिए। आप सल्ल0 का इर्शाद मुबारक है "मेरी इस मस्जिद में अदा की गई नमाज़ दूसरी मस्जिदों के मुक़ाबला में हज़ार दर्जा श्रेष्ठ है सिवाए मस्जिद हराम के।" (सहीह मुस्लिम) अतः मस्जिद नबवी सल्ल0 में नमाज़ पढ़ कर ज़्यादा अज्र व सवाब हासिल करने की नीयत से मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना मसनून है।

2–मस्जिद नबवी की ज़ियारत मनासिक हज का हिस्सा नहीं अगर कोई व्यक्ति हज अदा करने से पहले या बाद में मस्जिद नबवी की ज़ियारत नहीं करता तो मात्र इस वजह से उस के हज में कोई ख़राबी नहीं होगी।

3–क़ब्र मुबारक की ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना जाइज़ नहीं। आप सल्ल0 का इर्शाद मुबारक है "तीन मस्जिदों के अलावा (सवाब हासिल करने की ख़ातिर) किसी दूसरी जगह का सफ़र करना जाइज़ नहीं। मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा।" (सहीह मुस्लिम) अतः बात यह है कि आदमी मस्जिद की ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा का सफ़र करे और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के बाद क़ब्र मुबारक पर दुरूद व

Www.IslamicBooks.Website

सलाम अर्ज़ करे जो कि मुस्तहब है।

4–मस्जिद नबवी में चालीस नमाज़ें जमाअत से अदा करके कपट और आग से नजात हासिल करने वाली तमाम हदीसें ज़ईफ़ या मौज़ूअ (मन गढ़ंत) हैं अतः ऐसा अक़ीदा रखना सही नहीं।

5–मस्जिद नबवी की ज़ियारत के शिष्टाचार में से यह है कि मस्जिद नबवी में दाख़िल होने के बाद सब से पहले दो रकअत तहिय्यतुल मस्जिद अदा की जाएं और उस के बाद क़ब्र मुबारक पर दुरूद व सलाम पढ़ा जाए।

क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के अवसर पर निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए।

अः आप सल्ल0 की क़ब्र मुबारक पर बड़े आदर सम्मान के साथ धीमी आवाज़ से मसनून दुरूद व सलाम पढ़ा जाए।

बः दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए क़ब्र मुबारक पर बार बार हाज़िर होकर भीड़ न की जाए।

जः किताब व सुन्नत से यह बात साबित है कि आप सल्ल0 की मौत उसी तरह हो चुकी जिस तरह दूसरे इन्सानों पर घटित होती है अतः अब आप सल्ल0 सांसारिक जीवन की दृष्टि से मौत की हालत में हैं(1) इस लिए दुरूद व सलाम पेश करने के बाद क़ब्र

1– रसूले अकरम सल्ल0 अपनी क़ब्र मुबारक में बरज़ख़ी ज़िन्दगी की दृष्टि से ज़िन्दा हैं जो कि शहीदों की तुलना में ज़्यादा कामिल ज़िन्दगी है लेकिन यह बात याद रहे कि बरज़ख़ी ज़िन्दगी न तो मौत से पहली वाली ज़िन्दगी जैसी है न ही क़यामत क़ाइम होने के बाद वाली ज़िन्दगी जैसी है बल्कि इस की असल कैफ़ियत केवल अल्लाह तआला ही जानते हैं। अतः हमें रसूलुल्लाह सल्ल0 की बरज़ख़ी ज़िन्दगी के बारे में अपनी अक़्ल और अन्दाजे से कोई बात नहीं कहनी चाहिए। अलबत्ता सारी बातों पर ज्यों का त्यों ईमान लाना चाहिए जिन की ख़बर हमें नबी सल्ल0 ने दी है जैसे जब कोई व्यक्ति आप सल्ल0 पर दुरूद भेजता है तो वह आप तक पहुंचाया जाता है लेकिन इस की कैफ़ियत क्या होती है, यह केवल अल्लाह तआला ही जानते हैं।

Www.IslamicBooks.Website

मुबारक पर कोई ऐसी बात या ऐसी हरकत नहीं होनी चाहिए जो अल्लाह तआला की जनाब में गुस्ताख़ी और शिर्क का कारण(1) बने। क़ब्र मुबारक पर हाज़िरी के समय क़ब्र शरीफ़ पर लिखी हुई यह आयत और उस का मतलब हर क्षण ध्यान में रहना चाहिए।

﴿فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ﴾ (۴۷:۱۹)

अनुवाद–"तो ऐ नबी! खूब जान लो कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के योग्य नहीं और अल्लाह से माफ़ी मांगो अपने क़ुसूर के लिए भी और मोमिन मर्दों और औरतों के लिए भी।"

(सूरह मुहम्मद, आयत न019)

किताबुल हज वल उमरा पर नज़र डालने वाले आदर्णीय सम्मान योग्य उलेमा के लिए दिल की गहराई से दुआ करता हूं कि अल्लाह तआला उन के इस ज्ञानात्मक सहयोग को आम लोगों के लिए बरकत व भलाई का साधन बनाए और उन्हें दुनिया व आख़िरत में इज्ज़त व सफ़लता प्रदान करे। (आमीन)

हदीसों की जांच के मामले में फ़ज़ीलतुश्शैख़ मुहम्मद नासिरुद्दीन अलबानी की तहक़ीक़ से फ़ायदा उठाया गया है।

आख़िर में हदीस पब्लिकेशन्स के उन तमाम सहयोगियों के हक़ में भी दुआ करना ज़रूरी समझता हूं जो किसी न किसी तरह हदीस की किताबों की तैयारी और प्रकाशन में मददगार साबित होते हैं। अल्लाह तआला इन तमाम लोगों की मेहनत स्वीकार करे इन्हें अपनी कृपा व रहमत से नवाज़े और दुनिया व आख़िरत में सफ़लता

1–क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत के पूर्व मसाइल इसी किताब के अध्याय "क़ब्र नबवी की ज़ियारत के मसाइल" में देखें।

Www.IslamicBooks.Website

से नवाज़े। आमीन

﴿رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ﴾

"ऐ हमारे पालनहार! हमारी इस मेहनत को स्वीकार कर। निःसन्देह तू सुनने वाला और जानने वाला है और हम पर दया की नज़र कर। निःसन्देह तू बड़ा तौबा क़ुबूल करने वाला और बड़ा दया करने वाला है।"

मुहम्मद इक़बाल कीलानी

जामिया मलिक सऊद रियाज़

सऊदी अरब

22- ज़िलहिज्जा, 1313 हि0

1-क़ब्र शरीफ़ की ज़ियारत के विस्तृत मसाइल इसी किताब के अध्याय "क़ब्र नबवी की ज़ियारत के मसाइल" में देखें।

Www.IslamicBooks.Website

أَحْكَامُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ مُخْتَصَرًا

हज और उमरा के मसाइल एक नज़र में

हज (रुक्ने इस्लाम)

अरकाने हजः

1–अहराम 2– वकूफ़ अरफ़ा 3– तवाफ़ ज़ियारत 4– सई।

वाजिबाते हजः

1–मीक़ात से अहराम बांधना 2–मग़रिब तक अरफ़ात में वकूफ़ करना 3–सूरज उदय होने से थोड़ा पहले तक रात मुज़दलफ़ा में गुज़ारना 4–तशरीक़ के दिनों की रातें मिना में गुज़ारना 5–जमरात को कंकरियां मारना 6–जमरा उक़बा की रमी के बाद हजामत बनवाना 7–तवाफ़ वदाअ करना।

स्पष्टी करणः ○ हज का रुक्न अदा न करने से हज नहीं होता हज के वाजिबात में से कोई वाजिब अदा न करने पर एक कुरबानी ज़िम्मे आती है हज की सुन्नतों में से कोई सुन्नत अदा न करने पर कोई फ़िदया या गुनाह नहीं।

☆☆☆

हज की शर्तें

मर्दों के लिएः

1–मालदार होना 2–आज़ाद होना 3–आक़िल होना 4–बालिग़ होना 5–मुसलमान होना 6–स्वस्थ होना 7–रास्ते का शान्ति पूर्ण होना 8–हुकूमत की तरफ़ से रुकावट न होना।

Www.IslamicBooks.Website

औरतों के लिएः

उपरोक्त आठ(8) शर्तों के अलावा और दो शर्तें यह हैं।

1- मेहरम का साथ होना 2-इद्दत की हालत में न होना।

☆☆☆

मीक़ात

मीक़ाते मकानीः

1-आफ़ाक़ी, अर्थात मीक़ात से बाहर मुक़ीम लोगों के लिए, हज और उमरा दोनों के लिए मीक़ात निम्न हैं।

(अ) ज़ुल हुलैफ़ा, मदीना वालों के लिए 2-यलमलम, यमन वालों के लिए, हिन्दुस्तान व पाकिस्तान आदि 3-जोंहफ़ा, मिस्र व शाम वालों के लिए 4-क़रनल मनाज़िल या सैले कबीर, नज्द व ताइफ़ वालों के लिए 5-इराक़ वालों के लिए ज़ाते अर्क़।

(ब) हिल, अर्थात हरम की सीमा से बाहर और मीक़ात के अन्दर लोगों के लिए, उमरा और हज दोनो के लिए अपनी रिहाइशें मीक़ात हैं।

(ज) अहले हरम, अर्थात हुदूद हरम के अन्दर मुक़ीम लोगों के लिए उमरा के लिए हुदूद हरम से बाहर कोई जगह तनईम या जअराना और हज के लिए अपनी रिहाइशें मीक़ात हैं।

मीक़ाते ज़मानीः

(अ) उमरा के लिए सारा साल।

(ब) हज के लिए शव्वाल, ज़ीक़ाअदा और ज़िलहिज्जा। तीन माह।

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

अहराम

(उमरा या हज अदा करने का लिबास)

अहराम की क़िस्में:

1–अहराम उमरा (केवल उमरा का अहराम बांधना)

2–अहराम हज इफ़राद (केवल हज का अहराम बांधना)

3–अहराम हज क़िरान (उमरा और हज दोनों का एक साथ अहराम बांधना।

4–अहराम हज तमत्तोअ़ (पहले उमरा का अहराम बांधना, फिर हज के दिनों में मक्का से ही हज का अहराम बांधना।)

मसनून कामः

1–गुस्ल करना 2–मर्दों का जिस्म पर खुशबू लगाना 3–दो बिना सिली चादरें पहनना और टख़नों से नीचे तक जूते पहनना 4–उमरा या हज या दोनों की नीयत के शब्द अदा करना 5–तलबिया पुकारना 6–संभव हो तो नमाज़ ज़ोहर के बाद अहराम बांधना।

मुबाहाते अहरामः

1–गुस्ल करना 2–सर और बदन खुजलाना 3–मरहम पट्टी करवाना, दवाएं खाना पीना 4–आंखों में सुरमा या दवा डालना 5–ख़तरनाक जानवर को मारना 6–अहराम की चादरें बदलना 7–अंगूठी, घड़ी, ऐनक, पेटी या छतरी आदि इस्तेमाल करना 8–बिना खुशबू वाला तेल या साबुन इस्तेमाल करना 9–समन्द्री शिकार करना 10–बच्चों या नौकरों को शिक्षा व प्रशिक्षण के लिए मारना।

Www.IslamicBooks.Website

अहराम में मनाही मर्दों और औरतों, दोनों के लिए:

1–संभोग व अवज्ञाकारी 2–लड़ाई झगड़ा 3–तमाम गुनाह और नाफ़रमानी के काम 4–खुशबू लगाना 5–निकाह करना, कराना या पैग़ाम भिजवाना 6–ख़ुश्की का शिकार करना, शिकारी की मदद करना, शिकार किया हुआ जानवर ज़बह करना 7–बाल या नाखुन काटना।

अहराम में मनाही, केवल मर्दों के लिए:

उपरोक्त सात मनाही वाले कामों के अलावा निम्न तीन काम केवल मर्दों के लिए हैं।

1–सिला हुआ कपड़ा पहनना 2–सर पर टोपी या पगड़ी पहनना 3–मौज़े या जुराबें पहनना।

अहराम में मनाही, केवल औरतों के लिए:

उपरोक्त सात मनाही वाले कामों के अलावा निम्न दो काम केवल औरतों के लिए मना हैं।

1– नक़ाब इस्तेमाल करना 2–दसताने पहनना।

☆☆☆

तवाफ़

(बैतुल्लाह शरीफ़ के गिर्द सात चक्कर लगाना)

तवाफ़ की क़िस्में:

1–तवाफ़ कुदूम 2–तवाफ़े उमरा 3–तवाफ़े ज़ियारत 4–तवाफ़े वदा 5–तवाफ़े नफ़ली।

हज में वाजिब तवाफ़ की संख्या:

1–हज इफ़राद में दो अदद (तवाफ़ ज़ियारत, तवाफ़े विदा)

Www.IslamicBooks.Website

2–हजे क़िरान में तीन अदद (तवाफ़े उमरा, तवाफ़े ज़ियारत, तवाफ़े वदा) 3–हजे तमत्तो में तीन अदद (तवाफ़े उमरा, तवाफ़े ज़ियारत।

तवाफ़ के अहकामः

1– अहराम की हालत में होना 2–बा वजू होना 3–परेशानी की हालत में होना (केवल तवाफ़ उमरा के लिए) 4–मर्दों का पहले तीन चक्करों में रमल करना (केवल तवाफ़ उमरा के लिए) 5–हजरे असवद से हजरे असवद तक सात चक्कर लगाना 6–हजरे असवद को बोसा देना या हाथ से छूकर हाथ को बोसा देना या हाथ से इशारा करना और हाथ को बोसा न देना 7–हजरे असवद के इस्तिलाम के समय "بِسْمِ اللهِ، اَللهُ اَكْبَرُ" कहना 8–रुक्ने यमानी को छूना और हाथ को बोसा न देना अगर छूना संभव न हो तो इशारा किए बिना गुज़र जाना 9–सात चक्कर पूरे करने के बाद मक़ामे इबराहीम पर दो रकअत नमाज़ अदा करना 10–दो रकअत अदा करने के बाद आबे ज़मज़म पीना और कुछ सर पर बहाना 11–सफ़ा और मरवा पर सई के लिए जाने से पहले हजरे असवद का इस्तिलाम करना।

तवाफ़ के मुहाबातः

1–ज़रूरत के समय बात करना 2–ज़रूरत के समय सिलसिला तवाफ़ ख़त्म करना 3–सवारी पर तवाफ़ करना।

☆☆☆

सई

(सफ़ा मरवा के बीच सात चक्कर लगाना)

Www.IslamicBooks.Website

हज में सई की संख्याः

1–हज इफ़राद में एक अदद 2–हज क़िरान में दो अदद 3–हज तमत्तोअ में दो अदद।

सई के अहकामः

1–सफ़ा से सई की शरूआत करना 2–सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ कर, क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआएं मांगना 3–मर्दों का सब्ज़ खम्बों के बीच तेज़ तेज़ चलना (बीमारों और बूढ़ों के अलावा) 4–मरवा पहाड़ी पर चढ़ कर क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआएं मांगना 5–सफ़ा से शुरू करके मर्वा पर सात चक्कर पूरे करना।

सई के मुहाबातः

1–बिना वज़ू सई करना 2–औरतों का हालते हैज़ में सई करना 3–दौराने सई गुफ़तगू करना 4– ज़रूरत के समय सई का सिलसिला ख़त्म करना 5–सवारी पर सई करना।

☆☆☆

हज के दिन

(8,9,10,11,12,13 ज़िलहिज्जा)

8 ज़िलहिज्जा ..... का दिन

1–सूरज उदय होने के बाद और नमाज़े ज़ोहर से पहले मिना पहुंचना 2–मिना में पांच नमाज़ें (ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और फ़ज्र) अदा करना 3–मिना में तमाम नमाज़ें क़स्र के साथ अदा करना 4– बुलन्द आवाज़ से तलबिया कहना।

9 ज़िलहिज्जा ..... का दिनः

1–सूरज उदय होनेके बाद मिना से अरफ़ात रवाना होना 2–सूरज ढलने के बाद मस्जिद नमरा में खुतबा सुनना, ज़ोहर और

Www.IslamicBooks.Website

अस्र की नमाज़ जमाअत से जमा करके और क़स्र अदा करना 3–नमाज़ों के बाद जब्ले रहमत के क़रीब या जहां जगह मिले, क़िब्ला रुख़ वक़ूफ़ करना 4–सूरज अस्त होने के बाद मुज़दलफ़ा रवाना होना और जाते हुए वादी महसर से तेज़ी से गुज़रना 5–दौराने सफ़र बुलन्द आवाज़ से तलबिया पढ़ना।

9 ज़िलहिज्जा ..... मुज़दलफ़ा की रातः

1–नमाज़े मग़रिब और इशा मुज़दलफ़ा में जमाअत से जमा करके और क़स्र करके अदा करना 2–रात सोकर गुज़ारना 3–नमाज़ फ़ज्र समय से पहले अदा करना 4–नमाज़े फ़ज्र के बाद सूरज उदय होने से थोड़ा पहले तक मशअरे हराम के क़रीब या जहां जगह मिले, क़िब्ला रुख़ वक़ूफ़ करना 5–सूरज उदय होने से थोड़ा पहले मिना रवाना होना 6–दौराने सफ़र तलबिया कहना।

10 ज़िलहिज्जा ..... क़ुरबानी का दिनः

1–सूरज उदय होने के बाद जमरा उक़बा की रमी करना 2–रमी से पहले तलबिया कहना बन्द कर देना 3–क़ुरबानी करना 4–हल्क़ या तक़सीर करना 5–मक्का जाकर तवाफ़ ज़ियारत अदा करना 6–मक्का मुकर्रमा से मिना वापस आना।

11,12,13 ज़िलहिज्जा ..... तशरीक़ के दिनः

1–तमाम रातें मिना में गुज़ारना 2–जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा उक़बा की सूरज ढलने के बाद रमी करना 3–अधिकता से तकबीर व तहलील, तक़दीस व तहमीद और अज़कार व वज़ाइफ़ करना 4–12 ज़िलहिज्जा को वापस आना हो तो सूरज अस्त होने से पहले मिना से निकलना 5–मक्का वापस आकर अपने शहर या मुल्क रवाना होने से पहले तवाफ़े वदाअ करना।

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

صِفَةُ الْعُمْرَةِ الْمَاثُوْرَةِ مُخْتَصَرًا

उमरा का मसनून तरीक़ा, एक नज़र में

1- मीक़ात पर पहुंच कर अहराम बांधना (मसला न0 46)

2- अहराम से पहले ग़ुस्ल करना और जिस्म पर ख़ूशबू लगाना। (मसला न0 74)

3- अहराम बांधने से पहले لبیک عمرة के शब्दों से उमरा की नीयत करना।(1) (मसला न0 77)

4- अहराम बांधने के बाद बुलन्द आवाज़ से तलबिया पुकारना।(2) (मसला न0 130)

5- बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ शुरू करने से पहले तलबिया कहना बन्द कर देना। (मसला न0 130)

6- तवाफ़ शुरू करने से पहले कंधों वाली चादर का एक हिस्सा दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे पर डाल लेना (अर्थात इज़्तिबाग़ की हालत इख़्तियार करना) (मसला न0 155)

7- हजरे असवद के इस्तिलाम से तवाफ़ का आग़ाज़ करना। (मसला न0 56)

8- हजरे असवद के इस्तिलाम के लिए हजरे असवद को बोसा देना और अगर संभव हो तो उस पर पेशानी भी रखना या हाथ से

1- हवाई जहाज़ पर जद्दा पहुंचने वाले लोग जहाज़ में बैठने से पहले अहराम बांध सकते हैं लेकिन अहराम की नीयत मीक़ात पर पहुंचने के बाद करनी चाहिए।

2- तलबिया के मसनून शब्द ये हैं: لبیک، اللھم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمة لک والملک لا شریک لک अनुवाद 'ऐ अल्लाह! मैं हाजिर हूं, मैं हाज़िर हूं तेरा कोई साझी नहीं, मैं हाज़िर हूं बेशक प्रशंसा तेरे ही लिए है सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं बादशाही तेरे ही लिए है और तेरा कोई साझी नहीं।

Www.IslamicBooks.Website

छूकर बोसा देना या हाथ से इशारा करके हाथ को बोसा देना और इशारा करते समय रफ़अ यदैन की तरह दोनों हाथ बुलन्द न करना। (मसला न0 162,163,172)

9- इस्तिलाम के समय بسم الله الله اكبر कहना। (मसला न0 162)

10- तवाफ़ के हर चक्कर में हजरे असवद का इस्तिलाम करना। (मसला न0 168)

11-तवाफ़ के पहले तीन चक्करों में रमल (तेज़ चाल चलना) करना और बाक़ी चार चक्करों में आम चाल चलना। (मसला न0 159)

12- रुकने यमानी को छूकर बोसा न देना अगर छूना संभव न हो तो फिर इशारा किए बिना गुज़र जाना। (मसला न0 169, 170)

13- रुकने यमानी और हजरे असवद के बीच رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْاٰخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ पढ़ना और बाक़ी तवाफ़ में जो भी कुरआनी या नबवी दुआएं याद हों वे पढ़ना। (मसला न0 174)

14- एक तवाफ़ के लिए सात चक्कर पूरे करना। (मसला न0 158)

15- सात चक्कर पूरे करने के बाद وَاتَّخِذُوْا مِنْ مَّقَامِ اِبْرَاهِيْمَ مَصَلًّى(1) पढ़ते हुए मक़ामे इबराहीम की तरफ़ आना और वहां (या जहां कहीं भी जगह मिले) दो रकअत नमाज़ अदा करना। पहली रकअत में قُلْ يَآ اَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ ○ और दूसरी में قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ ○ पढ़ना। (मसला न0 160,181)

16- नमाज़ के बाद आबे ज़मज़म पीना और कुछ सर पर डालना। (मसला न0 184)

17- ज़मज़म पीने के बाद फिर हजरे असवद का इस्तिलाम करना और सई के लिए सफ़ा पहाड़ी की तरफ़ जाना। (मसला न0

1- (अनुवाद) और मक़ाम इबराहीम को अपनी नमाज़ की जगह बनाओ।

Www.IslamicBooks.Website

184, 161)

18- सफ़ा पहाड़ी पर चढ़ते हुए إِنَّ الصَّفَاءَ وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ اَوِ اعْتَمَرَ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِ اَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَاِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ (۱) पढ़ना और फिर ये शब्द कहना ابدء بما ابدء الله به (۲) (मसला न0 201)

19- सफ़ा पहाड़ी के ऊपर चढ़कर क़िब्ला रुख़ खड़े होना और तीन बार यह कलिमात कहना اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ اَللهُ اَكْبَرُ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَشَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ اَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْاَحْزَابَ وَحْدَهُ (۳) और बीच में दुआएं मांगना। (मसला न0 203,204,205)

20- सफ़ा से सई का आरंभ करके मरवा पहाड़ी पर जाना और वही अमल दोहराना जो ऊपर न0 18 और 19 में दिया गया है। (मसला न0 203,208)

21- सब्ज़ खम्बों के बीच (मर्दों का) तेज़ तेज़ चलना। (मसला न0 209)

22- दौराने सई जो भी क़ुरआनी या नबवी दुआएं याद हों वे पढ़ना। (मसला न0 211)

1- (अनुवाद) निःसन्देह सफ़ा और मरवा पहाड़ियां अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं अतः जो व्यक्ति अल्लाह का हज करे उस के लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वह इन दोनों पहाड़ियों के बीच सई करे और जो कोई अपनी इच्छा से भलाई का काम करेगा अल्लाह तआला को इस का पता है और अल्लाह बड़ा क़दर करने वाला है। (सूरह बक़रह, आयत न0 158)

2- (अनुवाद) मैं सई का आरंभ उसी (पहाड़ी) से करता हूं जिस (के ज़िक्र) से अल्लाह तआला ने (क़ुरआन मजीद) में आरंभ की।

3- (अनुवाद) अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाह, अकबर, अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं वह अकेला है उस का कोई साझी नहीं। बादशाही और प्रशंसा उसी के लिए है और वह हर चीज़ पर समर्थ है अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं वह अकेला है उस ने अपना वायदा पूरा किया अपने बन्दे की मदद की और अकेले लशकरों को पराजय दी।

Www.IslamicBooks.Website

23- सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर गिन करके सात चक्कर पूरे करना। (मसला न0 212)

24- सई के बाद मर्दों का सारे सर के बाल कटवाना सर मुंडवाना और औरतों का केवल एक या दो पोर बाल काटना। (मसला न0 218)

25- अहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहनना। (मसला न0 219)

स्पष्टीकरण: विस्तृत मसाइल अगले अध्यायों में देखें।

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

हज तमत्तोअ़ का मसनून तरीक़ा एक नज़र में

1- मीक़ात से उमरा का अहराम बांध कर मक्का मुकर्रमा आना और उमरा अदा करने के बाद अहराम उतार देना।(1) (मसला न0 56)

2- 8 ज़िलहिज्जा (तरविया के दिन) को मक्का मुकर्रमा में अपनी क़यामगाह से हज के लिए अहराम बांधना। (मसला न0 228)

3- अहराम बांधने से पहले لبیک حجا कह कर हज की नीयत करना। (मसला न0 77)

4- अहराम बांधने से पहले ग़ुस्ल करना और जिस्म पर खूशबू लगाना। (मसला न0 73,74)

5- बीमार आदमी का अहराम बांधते समय اَللّٰهُمَّ مَحِلِّیْ حَیْثُ حَبَسْتَنِیْ (अनुवादः ऐ अल्लाह! मेरे अहराम खोलने की जगह वही है जहां तूने मुझे रोक लिया।) कहना। (मसला न0 85)

6- संभव हो तो नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद अहराम बांधना। (मसला न0 75)

7- अहराम बांधने के बाद बुलन्द आवाज़ से तलबिया कहना और एक बार ये शब्द अदा करना اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ حُجَّةٌ لَا رِیَاءَ فِیْهَا وَلَا سُمْعَةَ (अनुवादः या अल्लाह! मेरे इस हज से न दिखावा अभिप्राय है न प्रसिद्धि मतलूब है) (मसला न0 124)

8- 8 ज़िलहिज्जा को अहराम बांधने के बाद ज़ोहर से पहले तलबिया कहते हुए मिना पहुंचना और वहां ज़ोहर, अस्र, मग़रिब इशा और फ़ज्र की (पांच) नमाज़ें क़स्र करके अपने

1- उमरा का मसनून तरीक़ा पिछले पृष्ठों में गुज़र चुका है

Www.IslamicBooks.Website

अपने समय पर जमाअत से अदा करना। (मसला न0 229,231,233)

9- 9 ज़िलहिज्जा (यौमे अरफ़ा) को सूरज उदय होने के बाद तकबीर व तहलील और तलबिया कहते हुए मिना से अरफ़ात रवाना होना। (मसला न0 231)

10- अरफ़ात के दिन रोज़ा न रखना। (मसला न0 256)

11- अरफ़ात में दाख़िल होने से पहले वादी नमरा में क़याम करना। जोहर के समय अरफ़ात में इमामे हज का खुतबा सुनना। उस के बाद ज़ोहर और अस्र की दोनों नमाज़ें एक अज़ान, दो इक़ामत के साथ जमाअत से क़स्र करके अदा करना। (मसला न0 238,239)

स्पष्टीकरण: भीड़ की वजह से अगर वादी नमरा में जगह न मिले और हाजी सीधा अरफ़ात चला जाए तो कोई हरज नहीं।

12- ज़ोहर और अस्र की नमाज़ें अदा करने के बाद अरफ़ात में दाख़िल होना और जबले रहमत के दामन में (या जहां कहीं भी जगह मिले) वक़ूफ़ करना, क़िब्ला रुख़ खड़े होकर हाथ बुलन्द करके कुरआनी व नबवी दुआएं मांगना और बीच में तकबीर व तहलील और तलबिया भी कहना। (मसला न0 241, 246, 247, 248)

13- सूरज अस्त होने के बाद, नमाज़ मग़रिब अदा किए बिना शान्त और प्रतिष्ठा के साथ तलबिया कहते हुए मुज़दलफ़ा रवाना होना। (मसलना न0 257,258)

14- मुज़दलफ़ा पहुंच कर मग़रिब और इशा की नमाज़ें, एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ क़स्र करके इकट्ठी अदा

Www.IslamicBooks.Website

करना। (मसला न0 261)

15- रात सोकर गुज़ारना और 10 ज़िलहिज्जा की नमाज़ फ़ज्र मामूल के समय से थोड़ा पहले अदा करना। (मसला न0 264, 267)

16- नमाज़ फ़ज्र जमाअत अदा करने के बाद मश्अरे हराम पहाड़ी के दामन में (या जहां कहीं भी जगह मिले) क़िब्ला रुख़ खड़े होकर हाथ बुलन्द करके सूरज उदय होने से पहले खूब रोशनी फैलने तक तकबीर व तहलील कहना, तौबा इस्तिग़फ़ार करना और दुआएं मांगना। (मसला न0 265)

17- सूरज उदय होने से पहले सुकून और वक़ार के साथ तलबिया कहते हुए मिना रवाना होना और रास्ता में वादी महसर से तेज़ी से गुज़रना। (मसला न0 272, 273)

18- मिना पहुंच कर सूरज उदय होने के बाद जमरा उक़बा की रमी करना और रमी से पहले तलबिया कहना बन्द कर देना। (मसला न0 290,281)

19- जमरा उक़बा की रमी के बाद क़ुरबानी करना और उस से कुछ पका कर खाना। (मसला न0 275, 305)

स्पष्टीकरण: याद रहे हज इफ़राद वालों पर क़ुरबानी करना वाजिब नहीं। (मसला न0 296)

20- क़ुरबानी के बाद हल्क़ या तक़सीर करवाना और अहराम की चादरें उतार कर आम लिबास पहनना। (मसला न0 221, 311, 320)

21- मिना से मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ इफ़ाज़ा करना, ज़मज़म पीना और कुछ हिस्सा सर पर बहाना। (मसला न0 325)

22- सफ़ा व मरवा की सई करना और मक्का मुकर्रमा से मिना वापस

Www.IslamicBooks.Website

आना। (मसला न0 232)

23- अय्यामे तशरीक़ (11, 12, 13 ज़िलहिज्जा) की रातें मिना में गुज़ारना और रोज़ाना सूरज ढलने के बाद जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा उक़बा की क्रमवार रमी करना। (मसला न0 334,335)

24- जमरा ऊला, जमरा वुस्ता की रमी के बाद क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआएं मांगना लेकिन जमरा उक़बा की रमी के बाद दुआएं मांगे बिना वापस पलटना। (मसला न0 336)

25- क़याम मिना के दौरान मुमकिन हो तो रोज़ाना तवाफ़ करना, मस्जिद ख़ैफ़ में जमाअत से नमाज़ें अदा करना, अधिकता से तहलील व तकबीर, प्रशंसा व स्तुति, तौबा इस्तिग़फ़ार और दुआएं मांगना। (मसला न0 338, 339)

26- 12 ज़िलहिज्जा को मिना से वापस आना हो तो सूरज अस्त होने से पहले मिना से निकलना। (मसला न0 33)

स्पष्टी करणः अगर सूरज मिना में ही अस्त हो जाए तो फिर 13 ज़िलहिज्जा को ढलने के बाद रमी करके मिना से वापस आना चाहिए।

27- मक्का मुअज़्ज़मा पहुंच कर घर रुख़सत होने से पहले तवाफ़ विदा अदा करना। (मसला न0 344)

Www.IslamicBooks.Website

हज इफ़राद का मसनून तरीक़ा एक नज़र में

1- मीक़ात से हज की नीयत से अहराम बांधना। (मसला न0 54)

2- अहराम बांधने से पहले गुस्ल करना और जिस्म पर खूशबू लगाना। (मसला न0 73, 74) لَبَّیْکَ حَجًّا कह कर हज की नीयत करना (मसला न0 77) संभव हो तो नमाज़ ज़ोहर अदा करने के बाद अहराम बांधना (मसला न0 75) अहराम बांधने के बाद बुलन्द आवाज़ से तलबिया कहना और एक बार ये शब्द अदा करना اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ حَجَّةٌ لَا رِيَاءَ فِيْهَا وَلَا سُمْعَةَ (ऐ अल्लाह! मेरे इस हज से न दिखावा अभिप्राय है न प्रसिद्धि मतलूब है) (मसला न0 124)

3- अगर समय हो तो मक्का मुकर्रमा पहुंच कर तवाफ़ तहिय्या करना अगर समय न हो तो सीधे मिना चले जाना। (मसला न0 145)

4- हज इफ़राद करने वाले व्यक्ति (मुफ़रिद) के ज़िम्मा दो तवाफ़ वाजिब हैं। 1-तवाफ़े इफ़ाज़ा। 2-तवाफ़े विदा। (मसला न0 194)

5- हजे इफ़राद अदा करने वालों पर केवल एक सई वाजिब है जो कुरबानी के दिन तवाफ़ ज़ियारत के बाद अदा की जाएगी। (मसला न0 225) आसानी के लिए हज की सई 8 ज़िलहिज्जा को मिना में जाने से पहले करना जाइज़ है। (मसला न0 222)

6- 8 ज़िलहिज्जा को मिना जाने के बाद हज इफ़राद के बाक़ी तमाम काम वही हैं जो हज तमत्तोअ के हैं।

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

हज क़िरान का मसनून तरीक़ा एक नज़र में

1- मीक़ात से उमरा और हज दोनों की नीयत से अहराम बांधना। (मसला न0 54)

स्पष्टीकरण: अहराम बांधने का विवरण हज इफ़राद के मसनून तरीक़ा में मसला न0 2 के तहत देखें।

2- मक्का मुकर्रमा पहुंच कर उमरा अदा करना लेकिन उमरा की सई के बाद हजामत न बनवाना। न ही अहराम खोलना बल्कि अहराम की हालत में ही हज के दिनों का इन्तिज़ार करना। (मसला न0 54)

3- 8 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर की नमाज़ से पहले तलबिया कहते कहते मिना पहुंचना और वहां ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और 9 ज़िलहिज्जा की नमाज़ क़स्र करके अपने अपने समय पर जमाअत से अदा करना। (मसला न0 229,231,233)

स्पष्टीकरण: इस के बाद हज के दिनों के तमाम काम वही हैं जो हज तमत्तोअ के हैं।

4- हज क़िरान करने वालों पर क़ुरबानी अदा करना वाजिब है। (मसला न0 296)

5- जो व्यक्ति क़ुरबानी की ताक़त न रखता हो उस को दस दिन के रोज़े रखने चाहिएं। (मसला न0 296)

6- हज क़िरान का अहराम बांधने के लिए क़ुरबानी का जानवर साथ ले जाना मसनून है। (मसला न0 55)

7- हज क़िरान अदा करने वालें व्यक्ति (क़ारिन) के ज़िम्मे तीन तवाफ़ वाजिब हैं एक उमरा का, दूसरा हज का और तीसरा

Www.IslamicBooks.Website

तवाफ़ विदा। (मसला न0 195)

8- हज क़िरान अदा करने वालों पर दो सई वाजिब हैं। एक सई उमरा की और दूसरी हज की। (मसला न0 226)

Www.IslamicBooks.Website

فَرْضِيَّةُ الْحَجِّ

हज की फ़रज़ियत

मसला 1 हज इस्लाम के बुनियादी अरकान में से एक रुक्न है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: بُنِيَ الْإِسْلَامُ عَلَى خَمْسٍ شَهَادَةِ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَإِقَامِ الصَّلٰوةِ وَإِيْتَاءِ الزَّكَاةِ وَالْحَجِّ وَصَوْمِ رَمَضَانَ. (رواه البخاری) (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "इस्लाम की बुनियाद पांच चीज़ों पर रखी गई है। 1–इस बात की गवाही कि अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं और मुहम्मद सल्ल0 अल्लाह के रसूल हैं। 2–नमाज़ क़ाइम करना। 3–ज़कात अदा करना। 4–हज करना और 5–रमज़ान के रोज़े रखना।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 2 हज सारी ज़िन्दगी में केवल एक बार फ़र्ज़ है:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَطَبَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ فُرِضَ عَلَيْكُمُ الْحَجَّ فَحُجُّوا فَقَالَ رَجُلٌ أَكُلَّ عَامٍ يَارَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟) فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْقُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ ثُمَّ قَالَ: ذَرُوْنِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ

1– किताबुल ईमान, बाब क़ौलुन्नबी बुनियल इस्लाम अला ख़मसिन।

Www.IslamicBooks.Website

مَااسْتَطَعْتُمْ وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيءٍ فَدَعُوْهُ. رواه مسلم (۱)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्ल0 ने हम को खुतबा दिया और फ़रमाया "लोगो! तुम पर हज फ़र्ज़ किया गया है, अतः हज करो।" एक आदमी ने पूछा "या रसूलुल्लाह! क्या हर साल हज करें?" रसूलुल्लाह सल्ल0 ख़ामोश रहे। यहां तक कि सहाबी ने तीन बार यही सवाल किया। तब आप सल्ल0 ने फ़रमाया "अगर मैं हां कह देता तो तुम पर हर साल हज करना फ़र्ज़ हो जाता और तुम यह न कर सकते। फिर फ़रमाया जो चीज़ मैं तुम को बताना छोड़ दूं उस बारे में तुम भी मुझ से सवाल न किया करो। तुम से पहले लोग अपने अंबिया से ज़्यादा सवाल करने और उन से मतभेद करने की वजह से ही विनष्ट हुए, अतः जब मैं तुम्हें किसी बात का हुक्म दूं तो यथा साम्थर्य उस पर अमल करो और जब किसी चीज़ से मना करूं तो रुक जाओ (सवाल व जवाब मत किया करो।)" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

☆☆☆

1- किताबुल हज बाब फ़रज़ुल हज

Www.IslamicBooks.Website

فَضْلُ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ

हज और उमरा की श्रेष्ठता

मसला 3 हज मबरूर अदा करने वाला जन्नती है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْعُمْرَةُ إِلَى الْعُمْرَةِ كَفَّارَةٌ لِمَا بَيْنَهُمَا وَالْحَجُّ الْمَبْرُوْرُ لَيْسَ لَهُ جَزَاءٌ إِلَّا الْجَنَّةُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. (۱)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "उमरा उन तमाम गुनाहों का कफ़्फ़ारा है जो मौजूदा और पिछले उमरा के बीच हुए हों और हजे मबरूर का बदला तो जन्नत ही है।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنْ عَمْرِو بْنَ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ ابْسُطْ يَمِيْنَكَ فَلَأُبَايِعْكَ فَبَسَطَ يَمِيْنَهُ قَالَ فَقَبَضْتُ يَدِي قَالَ: مَالَكَ يَا عَمْرُو؟ قَالَ قُلْتُ أَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِطَ قَالَ تَشْتَرِطَ بِمَاذَا؟ قُلْتُ أَنْ يُغْفَرَلِيْ قَالَ أَمَّا عَلِمْتَ أَنَّ الْإِسْلَامَ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ وَأَنَّ الْهِجْرَةَ تَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلِهَا وَأَنَّ الْحَجَّ يَهْدِمُ مَاكَانَ قَبْلَهُ. رواه مسلم (۲)

हज़रत अम्र बिन आस रज़ि० कहते हैं। मैं नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया "अपना दायां हाथ आगे कीजिए ताकि मैं आप सल्ल० से बैअत करूं" नबी अकरम सल्ल० ने अपना दायां हाथ आगे किया तो मेंने अपना हाथ पीछे खींच लिया।

1- बुख़ारी किताबुल उमरह।

2- किताबुल ईमान, बाब कौनुल इस्लामि यहदिमु मा क़बलहु व कज़ा हज वल उमरा

Www.IslamicBooks.Website

नबी अकरम सल्ल0 ने मालूम किया "अम्र! क्या हुआ?" मैंने अर्ज़ किया "(या रसूलुल्लाह सल्ल0) शर्त रखना चाहता हूं" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "तुम क्या शर्त रखना चाहते हो? मैंने अर्ज़ किया "(पिछले) गुनाहों की माफ़ी की" तब आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "क्या तुझे मालूम नहीं कि इस्लाम (में दाख़िल होना) पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है। हिजरत पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देती है और हज पिछले तमाम गुनाहों को मिटा देता है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 4 सुन्नत के मुताबिक़ हज अदा करने से पिछले तमाम गुनाह माफ़ हो जाते हैं:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه البخاری (۱)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्ल0 को यह फ़रमाते हुए सुना है कि जिस ने अल्लाह तआला की प्रसन्नता के लिए हज किया और इस दौरान कोई ग़लत बात या गुनाह न किया वह हज करके उस दिन की तरह (गुनाहों से पाक) लौटेगा जिस तरह उस की मां ने उसे (गुनाहों से पाक) जना था। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 5 निरंतर हज और उमरा मोहताजी और ग़रीबी दूर करते हैं:

عَنْ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَابِعُوا بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ فَإِنَّ الْمُتَابَعَةَ بَيْنَهُمَا تَنْفِي الْفَقْرَ وَالذُّنُوْبَ كَمَا يَنْفِي الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ. رواه ابن ماجة (۲) (صحيح)

1-किताबुल हज बाब फ़स्लुल हज्जिल मबरूर

2-किताबुल मनासिक, बाब फ़ज़लुल हज्जि वल उमरा

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत उमर रज़ि0 नबी अकरम सल्ल0 से रिवायत करते हैं कि आप सल्ल0 ने फ़रमाया "निरंतर हज और उमरा करो निःसन्देह ये दोनों ग़रीबी और गुनाहों को इस तरह दूर कर देते हैं जिस तरह भट्टी लोहे के मैल कुचैल को दूर कर देती है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 6 अल्लाह पर ईमान और जिहाद के बाद सबसे श्रेष्ठ अमल हज है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيُّ الْعَمَلِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: إِيْمَانٌ بِاللهِ وَرَسُوْلِهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: اَلْجِهَادُ فِي سَبِيْلِ اللهِ قِيْلَ ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَ: حَجٌّ مَبْرُوْرٌ. متفق عليه. (١)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 से सवाल किया गया कि "कौन सा अमल सब से श्रेष्ठ है?" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "अल्लाह और उस के रसूल पर ईमान लाना।" कहा गया "उस के बाद?" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "अल्लाह की राह में जिहाद करना" कहा गया 'उस के बाद? आप सल्ल0 ने फ़रमाया "हज मक़बूल।" इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 7 औरतों, बूढ़े और कमज़ोर लोगों को हज का सवाब जिहाद के बराबर मिलता है:

عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّيْ جَبَانٌ وَإِنِّيْ ضَعِيْفٌ فَقَالَ: هَلُمَّ إِلَى جِهَادٍ لاَشَوْكَةَ فِيْهِ الْحَجُّ. رواه الطبراني (٢)

1– बुख़ारी किताबुल ईमान बाब मन क़ाला अन्नल ईमाना हुवल अमल

2– फ़िक़्हुस्सुन्ना, लिसैयदिस्साबिक़, पहला भाग अव्वल, पृ0 626

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत हसन बिन अली रज़ि0 कहते हैं कि एक आदमी नबी अकरम सल्ल0 के पास आया और कहा कि मैं कमज़ोर दिल और बूढ़ा आदमी हूं। आप सल्ल0 ने फ़रमाया "ऐसा जिहाद कर जिस में तकल्लुफ़ नहीं है अर्थात हज।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

عَنْ عَائِشَةَ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللهِ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) نَرَى الْجِهَادَ أَفْضَلَ الْأَعْمَالِ أَفَلَا نُجَاهِدُ؟ قَالَ: لَا لَكِنَّ أَفْضَلَ الْجِهَادِ حَجٌّ مَبْرُوْرٌ. رواه البخارى (١)

उम्मुल मोमिनीन हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है, मैंने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह! हमें मालूम है कि जिहाद सब से ज़्यादा श्रेष्ठ अमल है, क्या हम जिहाद न करें?" आप सल्ल0 ने इर्शाद फरमाया "नहीं (औरतों के लिए) बेहतरीन जिहाद, हज मबरूर है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 8 हज और उमरा अदा करने वलों की दुआएं अल्लाह ताला क़ुबूल फ़रमाता है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْغَازِيْ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَالْحَاجُّ وَالْمُعْتَمِرُ وَفْدُ اللهِ دَعَاهُمْ فَأَجَابُوْهُ وَسَأَلُوْهُ فَأَعْطَاهُمْ. رواه بان ماجة (٢) (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 नबी अकरम सल्ल0 से रिवायत करते हैं कि आप सल्ल0 ने फ़रमाया "ग़ाज़ी फ़ी सबीलिल्लाह, हाजी और उमरा अदा करने वाले अल्लाह तआला के मेहमान हैं। अल्लाह तआला ने उन को बुलाया और उन्होंने हुक्म का पालन किया। फिर उन्होंने अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने उन को प्रदान किया।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

1- किताबुल हज, बाब फ़ज़लुल हज मबरूर

2- किताबुल मनासिक, बाब फ़ज़लुद्दुआइल हज

Www.IslamicBooks.Website

मसला 9 रमज़ान में उमरा अदा करने का सवाब हज के बराबर है:

عَنْ أُمِّ مَعْقِلٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ لَمَّا حَجَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجِّهِ جِئْتُهُ فَقَالَ: يَا أُمَّ مَعْقِلٍ مَا مَنَعَكِ أَنْ تَخْرُجِيْ مَعَنَا؟ قَالَتْ لَقَدْ تَهَيَّأْنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِلٍ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِيْ نَحُجُّ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِلٍ فِي سَبِيْلِ اللهِ قَالَ فَهَلَّا خَرَجْتِ عَلَيْهِ فَإِنَّ الْحَجَّ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَأَمَّا إِذْ فَاتَتْكِ هَذِهِ الْحَجَّةُ مَعَنَا فَاعْتَمِرِيْ فِيْ رَمَضَانَ فَإِنَّهَا كَحَجَّةٍ. رواه أبوداؤد (١) (صحيح)

हज़रत उम्मे माक़ल रज़ि० कहती हैं कि जब रसूलुल्लाह सल्ल० ने हज किया तो हमारे पास एक ऊंट था जिसे अबु माक़ल रज़ि० ने अल्लाह तआला की राह में दे दिया (इसी दौरान) हमें बीमारी ने आ लिया और अबु माक़ल रज़ि० मर गए और रसूले अकरम सल्ल० हज के लिए रवाना हो गए। जब आप सल्ल० हज से फ़ारिग़ हुए (और वापस मदीना तशरीफ़ लाए) तो मैं सेवा में हाज़िर हुई, आप सल्ल० ने फ़रमाया "ऐ उम्मे माक़ल! तू हमारे साथ हज पर क्यों नहीं गई?" उम्मे माक़ल रज़ि० ने अर्ज़ किया "हम ने तैयारी की थी लेकिन अबु माक़ल मर गए और हमारे पास एक ही ऊंट था जिस पर हम हज किया करते थे जिसे अबु माक़ल ने अल्लाह की राह में देने की वसीयत कर दी थी।" आप सल्ल० ने फ़रमाया "तो उस पर क्यों न निकल पड़ी हज भी तो फ़ी सबीलिल्लाह में दाख़िल है। ख़ैर हमारे साथ तो तेरा हज न हो सका अब रमज़ान में उमरा कर लेना क्योंकि रमज़ान में उमरा (का सवाब) हज के बराबर है।" इसे अबु

1- किताबुल मनासिक, बाबल उमरा

Www.IslamicBooks.Website

दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 10 रमज़ान में उमरा अदा करने का सवाब रसूलुल्लाह सल्ल0 के साथ हज करने के बराबर है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَرَادَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَّ فَقَالَتِ امْرَأَةٌ لِزَوْجِهَا أَحِجَّنِي مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَاعِنْدِيْ مَا أَحِجُّكِ عَلَيْهِ قَالَتْ أَحِجَّنِيْ عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ! قَالَ ذَاكَ حَبِيْسٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ فَأَتَى رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنَّ امْرَأَتِيْ تَقْرَأُ عَلَيْكَ السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَإِنَّهَا سَأَلَتْنِي الْحَجَّ مَعَكَ! قَالَتْ أَحِجَّنِيْ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ مَا عِنْدِيْ مَا أُحِجُّكَ عَلَيْهِ فَقَالَتْ أَحِجَّنِيْ عَلَى جَمَلِكَ فُلَانٍ فَقُلْتُ ذَاكَ حَبِيْسٌ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ فَقَالَ: أَمَا إِنَّكَ لَوْ أَحْجَجْتَهَا عَلَيْهِ كَانَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ قَالَ وَإِنَّهَا أَمَرَتْنِيْ أَنْ أَسْأَلَكَ مَا يَعْدِلُ حَجَّةً مَعَكَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَقْرِئْهَا السَّلَامَ وَرَحْمَةَ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ وَأَخْبِرْهَا أَنَّهَا تَعْدِلُ حَجَّةً مَعِيْ يَعْنِيْ عُمْرَةً فِيْ رَمَضَانَ. رواه أبوداؤد (۱) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि जब रसूलुल्लाह सल्ल0 ने हज का इरादा फ़रमाया तो एक औरत ने अपने पति से कहा मुझे भी रसूले अकरम सल्ल0 के साथ हज करा दे। उस ने कहा "मेरे पास कोई सवारी नहीं जिस पर तुझे हज कराऊं।" औरत ने कहा "अपने फ़लां ऊंट पर" पति ने कहा "वह तो अल्लाह की राह में दिया जा चुका है।" फिर वह आदमी रसूलुल्लाह सल्ल0 की सेवा में हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! मेरी बीवी सलाम अर्ज़ करती है उसने मुझ से

1-किताबुल मनासिक, बाब अल उमरा

Www.IslamicBooks.Website

आप के साथ हज करने की प्रार्थना की है और कहा है कि मुझे रसूलुल्लाह सल्ल0 के साथ हज करा दो, मैंने कहा कि मेरे पास सवारी नहीं है जिस पर तुझे हज कराऊं, तो उस ने कहा अपने फ़लां ऊंट पर हज कराओ, मैंने पत्नी से कहा कि वह तो अल्लाह की राह में दिया जा चुका है।'' रसूलुल्लाह सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया ''अगर तू इसी ऊंट पर हज करा देता तो वह (अमल) भी फ़ी सबीलिल्लाह होता'' उस आदमी ने अर्ज़ किया कि ''मेरी पत्नी ने मुझे आप से यह बात पूछने के लिए कहा है कि ''कौन सा अमल आप सल्ल0 के साथ हज करने के बराबर है?'' रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया ''उस औरत को मेरा सलाम कहना और बताना कि ''रमज़ान में उमरा करना मेरे साथ हज करने के बराबर है।'' इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: एक हदीस में रमज़ानुल मुबारक में उमरा का सवाब हज के बराबर बताया गया है जबकि दूसरी हदीस में रमज़ानुल मुबारक में उमरा का सवाब रसूले अकरम सल्ल0 के साथ हज करने के बराबर बताया गया है। अज्र व सवाब में यह फ़र्क़ उमरा अदा करने वाले की नीयत, निष्ठा और अक़ीदा की बुनियाद पर होगा।

मसला 11 हाजी या मोतमर अगर हज या उमरा अदा करने से पहले रास्ता में ही मर जाए तब भी उसे हज या उमरा का पूरा सवाब मिलता है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَاجًا اَوْ مُعْتَمِرًا اَوْ غَازِيًا ثُمَّ مَاتَ فِيْ طَرِيْقِهِ كَتَبَ اللهُ لَهُ اَجْرَ الْغَازِيْ وَالْحَاجِّ وَالْمُعْتَمِرِ. رواه البيهقي. (۱)

1- मिशकातुल मसाबीह, किताबुल मनासिक, तीसरा भाग

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जो व्यक्ति हज या उमरा या जिहाद के इरादे से निकले और उसे रास्ते में ही मौत आ जाए तो अल्लाह तआला उसे ग़ाज़ी, हाजी या उमरा करने वाले का सवाब प्रदान करता है।" इसे बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

मसला 12 अहराम की हालत में मरने वाला हाजी या मोतमर (उमरा करने वाला) क़यामत के दिन तलबिया पुकारता हुआ उठेगाः

स्पष्टीकरणः हदीस मसला न0 105 के तहत देखें।

Www.IslamicBooks.Website

اَهَمِيَّةُ الْحَجِّ

हज का महत्व

मसला 13 संसाधन रखने के बावजूद हज न करने वाला मुसलमान नहीं:

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ أَبْعَثَ رِجَالاً إِلَى هٰذِهِ الْأَمْصَارِ فَيَنْظُرُوْا كُلَّ مَنْ كَانَ لَهُ جَدَةٌ وَلَمْ يَحُجَّ لِيُضْرِبُوْا عَلَيْهِمُ الْجِزْيَةَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ مَاهُمْ بِمُسْلِمِيْنَ. رواه سعيد فى سننه. (۱) (حسن)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि0 कहते हैं कि मैंने इरादा किया कुछ आदमियों को शहरों में भेजूं वह तहक़ीक़ करें कि जिन लोगों में हज की ताक़त है और उन्होंने हज नहीं किया उन पर जिज़या लगा दूं। ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं, ऐसे लोग मुसलमान नहीं हैं। इसे सईद ने अपनी सुनन में रिवायत किया है।

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ مَنْ قَدَرَ عَلَى الْحَجِّ فَتَرَكَهُ فَلاَ عَلَيْهِ أَنْ يَّمُوْتَ يَهُوْدِيًّا أَوْ نَصْرَانِيًّا. رواه سعيد فى سننه. (۲)

हज़रत अली रज़ि0 से रिवायत है उन्होंने कहा कि जिस ने क़ुदरत के बावजूद हज न किया, उस के लिए बराबर है यहूदी होकर मरे या ईसाई होकर। इसे सईद ने अपनी सुनन में रिवायत किया है।

मसला 14 संसाधन पर्याप्त होने के बाद हज अदा करने में देरी करना जाइज़ नहीं:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

1- मुंक़ियुल अख़बार, किताबुल मनासिक, बाब वजूबुल हज अलल फ़ौर

2- अलहज वलउमरा वज़्ज़ियारति लिश्शैख़ अब्दुल अज़ीज़ बिन बाज़, पृ0 8

Www.IslamicBooks.Website

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ أَرَادَ الْحَجَّ فَلْيَتَعَجَّلْ فَإِنَّهُ قَدْ يَمْرَضُ الْمَرِيْضُ وَتَضِلُّ الضَّالَّةُ وَتَعْرِضُ الْحَاجَةُ. رواه ابن ماجة (١) (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुलाह सल्ल0 ने फ़रमाया " जो व्यक्ति हज का इरादा करे उसे जल्दी करना चाहिए क्योंकि कभी आदमी बीमार हो जाता है। सवारी का प्रबन्ध नहीं हो सकता या कोई रुकावट पेश आ जाती है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: تَعَجَّلُوا إِلَى الْحَجِّ يَعْنِي الْفَرِيْضَةَ فَإِنَّ أَحَدَكُمْ لاَ يَدْرِيْ مَا يَعْرِضُ لَهُ. رواه أحمد (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 नबी अकरम सल्ल0 से रिवायत करते हैं कि आप सल्ल0 ने फ़रमाया "फ़रीज़ा हज अदा करने के लिए जल्दी करो, क्योंकि किसी को मालूम नहीं कि उसे क्या परेशानी पेश आ जाए।' इसे अहमद ने रिवायत किया है।

मसला 15 मरने वाले पर हज फ़र्ज़ हो, तो उस के वारिसों को मय्यित की तरफ़ से हज अदा करना चाहिए:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 373 के तहत देखें।

☆☆☆

1–किताबुल मनासिक, बाब खुरुज इलल हज

2– मुंतक़ियुल अख़बार, किताबुल मनासिक, बाब वजूबुल हज अलल फ़ौर

Www.IslamicBooks.Website

اَلْحَجُّ وَالْعُمْرَةُ فِیْ ضَوْءِ الْقُرْآنِ

हज और उमरा क़ुरआन मजीद की रोशनी में

मसला 16 ताक़त रखने वालों पर हज अदा करना फ़र्ज़ है:

﴿وَ لِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِيْنَ○﴾ (۳:۹۷)

लोगों पर अल्लाह तआला का हक़ है कि जो उस के घर तक पहुंचने की ताक़त रखता हो, वह उस घर का हज करे और जो व्यक्ति उस के हुक्म की पैरवी से इन्कार करे, उसे मालूम होना चाहिए कि अल्लाह तमाम दुनिया वालों से बे नियाज़ है। (सूरह आले इमरान आयत न0 97)

मसला 17 हज के महीने में अल्लाह तआला की तरफ़ से मुक़र्रर किए गए हैं:

मसला 18 हज के दौरान शहवानी कामों, लड़ाई झगड़ा और अन्य तमाम गुनाह के काम हराम हैं:

मसला 19 क़र्ज़ ले कर या मांग कर हज अदा करना जाइज़ नहीं:

﴿اَلْحَجُّ أَشْهُرٌ مَّعْلُوْمَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيْهِنَّ الْحَجَّ فَلاَ رَفَثَ وَلاَ فُسُوْقَ وَلاَ جِدَالَ فِي الْحَجِّ وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ وَتَزَوَّدُوْا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوٰى وَاتَّقُوْنِ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ○﴾ (۲:۱۹۷)

हज के महीने सब को मालूम हैं, जो व्यक्ति इन महीनों में हज की नीयत करे उसे ख़बरदार रहना चाहिए कि हज के दौरान उस से कोई शहवानी काम, कोई गुनाह, कोई लड़ाई झगड़े की बात न हो और जो नेक काम तुम करोगे, वह अल्लाह के ज्ञान में होगा।

Www.IslamicBooks.Website

सफ़र हज के लिए रास्ते का सामान साथ ले कर निकलो और सब से बेहतर सामान तक़वा (सवाल करने से बचना) है। तो ऐ होशमन्दो! मेरी अवज्ञा से बचा करो। (सूरह बक़रा, आयत न0 197)

स्पष्टीकरण: 1–हज के महीने शव्वाल, ज़ीक़ाअदा और ज़िलहिज्जा के पहले दस दिन हैं:

2–लड़ाई और गुनाह के काम आम हालात में भी मना हैं लेकिन अहराम की हालत में यह काम और भी मना हैं। इस लिए आम हालात के मुक़ाबले में दौराने हज इनका ज़्यादा गुनाह है।

मसला 20 अहराम बांधने के बाद किसी मजबूरी की बिना पर हरम न पहुंच सकने पर हाजी या मोतमर (उमरा करने वाला) ताक़त के मुताबिक़ एक (ऊंट या गाय या बकरी) क़ुरबानी देकर अहराम खोल सकता है:

मसला 21 बीमार या सर की तकलीफ़ के कारण "यौमे नहर" से पहले अहराम अगर किसी व्यक्ति को खोलना पड़े, तो उसे तीन रोज़े या सदक़ा या एक क़ुरबानी देनी चाहिए।

मसला 22 मीक़ात से बाहर रहने वाले लोग हज क़िरान और हज तमत्तोअ अदा कर सकते हैं लेकिन मीक़ात के अन्दर रहने वाले लोगों को हज क़िरान और हज तमत्तोअ करना मना है:

मसला 23 हजे क़िरान और हजे तमत्तोअ करने वालों पर क़ुरबानी अदा करना वाजिब है:

मसला 24 जो व्यक्ति क़ुरबानी की ताक़त न रखता हो उसे दस रोज़े रखने चाहिएं:

मसला 25 किसी व्यक्ति की तरफ़ से उमरा या हज करने की नीयत से अहराम बांध लिया जाए, तो उस हज या उमरा को

Www.IslamicBooks.Website

किसी दूसरे व्यक्ति के नाम से नहीं किया जा सकता:

﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلّٰهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِنْ رَأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ذَالِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللّٰهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ﴾ (۲:۱۹۶)

और जब हज और उमरे की नीयत करो, तो अल्लाह तआला की ख़शनूदी के लिए उसे पूरा करो और अगर कहीं घिर जाओ, तो जो कुरबानी पर्याप्त आए अल्लाह की जनाब में पेश करो और जब तक कुरबानी अपनी जगह न पहुंच जाए (अर्थात ज़बह न हो जाए) अपने सर न मूंडो, मगर जो व्यक्ति मरीज़ हो या जिस के सर में कोई तकलीफ़ हो और (इस वजह से वह अपना सर मुंडाले) तो उसे फ़िदया के तौर पर रोज़े रखने चाहिएं या सदक़ा देना चाहिए या कुरबानी करनी चाहिए फिर अगर तुम्हें अमन नसीब हो जाए (और तुम हज से पहले मक्का पहुंच जाओ) तो जो व्यक्ति तुम में से हज का ज़माना आने तक उमरे का फ़ाइदा उठाए वह यथा शक्ति कुरबानी दे और अगर कुरबानी पर्याप्त न हो तो तीन रोज़े हज के ज़माने में और सात रोज़े घर जाकर अर्थात पूरे दस रोज़े रखे। यह रिआयत उन लोगों के लिए है जिन के घर बार मस्जिदुल हराम के क़रीब न हों। अल्लाह तआला के इन अहकाम का उल्लंघन करने से बचो और खूब जान लो कि अल्लाह तआला सख़्त सज़ा देने वाला है।

(सूरह बक़रा, आयत न0 196)

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण: 1– रोज़े और सदक़ा के बारे में रसूलुल्लाह सल्ल0 ने हदीस में स्पष्टीकरण किया है कि रोज़े तीन रखे जाएं या छः मिसकीनों को दो समय के खाने के बराबर अनाज सदक़ा दिया जाए जो लग–भग साढ़े सात किलो बनता है। देखें मसला न0 114

2–कुरबानी हुदूद हरम में किसी जगह भी दी जा सकती है।

3–अगर हरम में स्वयं कुरबानी न दी जा सके तो किसी दूसरे से दिलवाई जा सकती है।

4–यह कुरबानी चूंकि कफ्फ़ारा है इस लिए सारा गोश्त मसाकीन और फुक़रा में तक़सीम करना ज़रूरी है इस लिए न स्वयं खाना चाहिए न किसी मालदार को हदया देना चाहिए।

मसला 26 हालते अहराम में खुश्की पर शिकार करना मना है अगर कोई शिकार करे तो उसे शिकार किए गए जानवर के बराबर कुरबानी देनी चाहिए:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّدًا فَجَزَاءٌ مِثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ هَدْيًا بَالِغَ الْكَعْبَةِ أَوْ كَفَّارَةٌ طَعَامُ مَسَاكِينَ أَوْ عَدْلُ ذَلِكَ صِيَامًا لِيَذُوقَ وَبَالَ أَمْرِهِ عَفَا اللَّهُ عَمَّا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْتَقِمُ اللَّهُ مِنْهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ ذُو انْتِقَامٍ﴾ (٥:٩٥)

ऐ लोगो, जो ईमान लाए हो! अहराम की हालत में शिकार न मारो और अगर तुम में से कोई जान बूझ कर ऐसा कर गुज़रे, तो जो जानवर उस ने मारा हो उसी के जैसा एक जानवर उसे मवेशियों में से नज़्र कर देना होगा जिस का फ़ैसला तुम में से दो न्याय प्रिय व्यक्ति करेंगे। और यह नज़राना काबा पहुंचाया जाएगा

Www.IslamicBooks.Website

या फिर उसी गुनाह के कफ़्फ़ारा में कुछ मिसकीनों को खाना खिलाना होगा या उस के जितने रोज़े रखना होंगे ताकि वह अपने किए का मज़ा चखे। पहले जो कुछ हो चुका उसे अल्लाह ने माफ़ कर दिया और जिस ने इस हरकत को दोहराया तो उस से अल्लाह बदला लेगा। अल्लाह सब पर प्रभुत्व शाली है और बदला लेने की ताक़त रखता है। (सूरह माइदा, आयत न0 95)

मसला 27 हालते अहराम में समन्द्री शिकार करना और उसे खाना जाइज़ है:

﴿أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ مَتَاعًا لَّكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ مَادُمْتُمْ حُرُمًا وَاتَّقُوا اللهَ الَّذِي إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (٥:٩٦)

तुम्हारे लिए समन्द्र का शिकार (मारना) और उस का खाना हलाल कर दिया गया है जहां तुम ठहरो, वहां उसे खा भी सकते हो और क़ाफ़िले के लिए ज़ादे राह भी बना सकते हो। अलबत्ता खुशकी का शिकार तुम पर हालते अहराम में हराम किया गया है अतः उस अल्लाह तआला की अवज्ञा से बचो जिस की पेशी में तुम सब को घेर कर हाज़िर किया जाएगा। (सूरह माइदा, आयत न0 96)

मसला 28 हज या उमरा के दौरान सफ़ा और मरवा पहाड़ियों का तवाफ़ अर्थात सई करने का हुक्म है:

﴿إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَآئِرِ اللهِ فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَّطَّوَّفَ بِهِمَا وَمَنْ تَطَوَّعَ خَيْرًا فَإِنَّ اللهَ شَاكِرٌ عَلِيْمٌ﴾ (٢:١٥٨)

निश्चय ही सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं अतः जो व्यक्ति बैतुल्लाह शरीफ़ का हज या उमरा करे उस के

Www.IslamicBooks.Website

लिए कोई गुनाह की बात नहीं कि वह इन दोनों पहाड़ियों के बीच सई करे और जो व्यक्ति अपनी इच्छा से कोई भला काम करेगा, अल्लाह को उस का पता है और वह उस की क़दर करने वाला है।

(सूरह बक़रा आयत न0 158)

स्पष्टीकरण: अज्ञानता काल में लोगों ने सफ़ा पर "असाफ़" और मरवा पर "नाइला" बुत रखे हुए थे और उन का तवाफ़ करते थे इस वजह से मुसलमान सफ़ा और मरवा का तवाफ़ करने में दुविधा में थे कि शायद सफ़ा और मरवा की सई ज़माना शिर्क की ईजाद है। उपरोक्त आयत में अल्लाह तआला ने इस विचार का खंडन किया हैं

मसला 29 हज अदा करने के साथ साथ तिजारत करना भी जाइज़ है:

मसला 30 वक़ूफ़ अरफ़ा हज का रुक्न है:

मसला 31 मुज़दलफ़ा में अल्लाह तआला को खूब याद करने का हुक्म है। मशअरे हराम के क़रीब वक़ूफ़ करना श्रेष्ठ है:

﴿لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِّنْ رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللهَ إِنَّ اللهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ﴾ (۲:۱۹۸-۱۹۹)

अगर हज के साथ तुम लोग अपने पालनहार का फ़ज़्ल भी तलाश करते जाओ, तो इस में कोई हरज नहीं फिर जब अरफ़ात से (वापस) चलो तो मशअरे हराम (मुज़दलफ़ा) के पास ठहर कर अल्लाह को याद करो और इस तरह याद करो जिस की हिदायत उस ने तुम्हें दी है वरना इस से पहले तो तुम लोग भटके हुए थे फिर जहां से दूसरे लोग पलटते हैं वहीं से तुम भी पलटो और अल्लाह से

Www.IslamicBooks.Website

माफ़ी मांगो। निश्चय ही वह माफ़ करने वाला और रहम फ़रमाने वाला है। (सूरह बक़रा, आयत न0 198–199)

मसला 32 तशरीक़ के दिनों में अल्लाह तआला को खूब याद करने का हुक्म है:

मसला 33 तशरीक़ के दिनों में मिना से बारह ज़िल्लहिज्जा को वापस आना जाइज़ है, लेकिन तेरह ज़िलहिज्जा को वापस आना श्रेष्ठ है:

﴿وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ وَمَن تَأَخَّرَ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ اتَّقَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ﴾ (۲:۲۰۳)

ये गिनती के कुछ दिन हैं जो तुम्हें अल्लाह तआला की याद में बसर करने चाहिएं फिर जो कोई जल्दी करके दो ही दिन में वापस हो गया तो कोई हरज नहीं और जो कुछ ज़्यादा देर ठहर कर पलटा तो भी कोई हरज नहीं बशर्तेकि ये दिन उस ने तक़वा के साथ बसर किए हों। अल्लाह की अवज्ञा से बचो और खूब याद रखो कि एक दिन उस के सामने तुम्हारी पेशी होने वाली है।

(सूरह बक़रा, आयत न0 203)

मसला 34 हज एक अत्यधिक उद्देश्यों और अत्यधिक लाभ वाली इबादत है:

मसला 35 तवाफ़ ज़ियारत हज का रुक्न है:

﴿وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَىٰ كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِن كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ ○ لِّيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ وَيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ فِي أَيَّامٍ مَّعْلُومَاتٍ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ ○ ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ○﴾ (۲۲:۲۷–۲۹)

(ऐ इबराहीम!) लोगों को हज के लिए आम ऐलान कर दो कि वह

Www.IslamicBooks.Website

तुम्हारे पास हरेक दूर दूर के स्थानों से पैदल और ऊंटों पर सवार होकर आएं ताकि वे लाभ देखें जो यहां उनके लिए रखे गए हैं और कुछ मुक़र्रर दिनों (अर्थात नहर के दिनों और तशरीक़ के दिनों) में उन जानवरों पर अल्लाह का नाम लें (अर्थात ज़बह करें) जो उस ने उन्हें बख़्शे हैं स्वयं भी खाएं और तंग दस्त मोहताज को भी दें फिर अपना मैल कुचैल दूर करें और (किसी ने इस अवसर के लिए नज़्र मान रखी हो तो) अपनी नज़्र पूरी करें और क़दीम घर (अर्थात बैतुल्लाह शरीफ़) का तवाफ़ करें। (सूरह हज आयत न02 7 से 29)

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

شُرُوطُ الْحَجِّ

हज की शर्तें

मसला 36 मालदार, आज़ाद, आक़िल, मुसलमान मर्द और औरत पर हज फ़र्ज़ है:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: رُفِعَ الْقَلَمُ عَنْ ثَلاَثَةٍ عَنِ النَّائِمِ حَتَّى يَسْتَيْقِظَ وَعَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَعَنِ الْمَجْنُوْنِ حَتَّى يَعْقِلَ. رواه أبو داؤد (١) (صحيح)

हज़रत अली रज़ि० से रिवायत है रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "तीन व्यक्ति शरअी हुक्म के पाबन्दी नहीं एक सोया हुआ यहां तक कि वह जाग जाए, दूसरा बच्चा यहां तक कि बालिग़ हो जाए और तीसरा मजनूं यहां तक कि उस का जुनून ख़त्म हो जाए।" इसे अबू दाऊद ने रिवायत किया है।

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَّحُجَّ أُخْرَى وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَّحُجَّ حُجَّةً أُخْرَى. رواه الطبراني (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जो बच्चा हज करे फिर बालिग़ हो जाए तो उसे ताक़त हासिल होने पर दोबारा हज करना चाहिए। और जिस ग़ुलाम ने हज किया फिर आज़ाद हो गया तो उसे (ताक़त हासिल होने पर) दोबारा हज अदा करना चाहिए।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

1–किताबुल हुदूद, बाब फ़िलमजनूनि अव युसीबु

2–फ़िक़्हुस्सुन्ना, लिस्सैदि साबिक़, पहला भाग 333

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عُمَرُ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعَرِ لاَيُرَى عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ (صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) أَخْبِرْنِيْ عَنِ الْإِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْإِسْلاَمُ أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِيَ الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ إِنِ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيْلاً.

رواه مسلم (۱)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० से रिवायत है एक दिन हम रसूले अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर थे इतने में एक व्यक्ति बहुत सफ़ेद कपड़ों वाला, बड़े सियाह बालों वाला आया। जिस पर सफ़र के कोई आसार नज़र नहीं आते थे और हम में से कोई भी उसे नहीं पहचानता था, आकर नबी अकरम सल्ल० के पास बैठ गया और कहने लगा "ऐ मुहम्मद सल्ल०! मुझे इस्लाम के बारे में बतलाइए।" आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया "इस्लाम यह है कि तुम गवाही दो अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं और मुहम्मद सल्ल० अल्लाह के रसूल हैं, नमाज़ क़ाइम करो, ज़कात अदा करो, रमज़ान के रोज़े रखो और बैतुल्लाह शरीफ़ का हज करो, बशर्तेकि तुम वहां तक जाने की क़ुदरत रखते हो।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا السَّبِيْلُ؟ قَالَ: اَلزَّادُ وَالرَّاحِلَةُ. رواه الدار قطنى (۲)

रसूलुल्लाह! "सबील" से क्या तात्पर्य है?" आप ने इर्शाद फ़रमाया

1-किताबुल ईमान। 2- फ़िक़्हुस्सुन्ना, पहला भाग, पृ० 121

Www.IslamicBooks.Website

"सफ़र ख़र्च और सवारी।" इसे दारे कुतनी ने रिवायत किया है।

मसला 37 सफ़र हज के लिए औरत के साथ पति या किसी मेहरम (जैसे बाप, भाई, बेटा, चचा या मामू आदि) का होना शर्त है:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ يَقُوْلُ: لاَ يَخْلُوَنَّ رَجُلٌ بِإِمْرَأَةٍ إِلاَّ وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ وَلاَ تُسَافِرُ الْمَرْأَةُ إِلاَّ مَعَ ذِي مَحْرَمٍ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ إِنَّ امْرَأَتِيْ خَرَجَتْ حَاجَّةً وَإِنِّيْ اكْتُتِبْتُ فِي غَزْوَةِ كَذَا وَكَذَا قَالَ انْطَلِقْ فَحُجَّ مَعَ امْرَأَتِكَ. رواه مسلم (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्ल0 को खुतबा देते हुए सुना आप फ़रमा रहे थे "कोई मर्द किसी औरत के साथ कदापि अकेले में न मिले या कि उस (औरत) का मेहरम साथ हो न ही कोई औरत मेहरम के बिना सफ़र करे।" एक आदमी खड़ा हुआ उस ने अर्ज़ किया "या यह रसूलुल्लाह सल्ल0 मेरी पत्नी हज के लिए चली गई और मैंने फ़लां फ़लां ग़ज़वा में अपना नाम लिखवा दिया है।" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "जाओ और अपनी पत्नी के साथ हज करो।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنْ يَحْيَ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ كَتَبَتْ إِمْرَأَةٌ مِنْ أَهْلِ الرَّيِّ إِلَى إِبْرَاهِيْمَ النَّخْعِيِّ أَنِّيْ لَمْ أَحُجَّ حُجَّةَ الْإِسْلاَمِ وَأَنَا مُوْسِرَةٌ. لَيْسَ لِيْ ذُوْمَحْرَمٍ فَكَتَبَ إِلَيْهَا إِنَّكِ مِمَّنْ لَمْ يَجْعَلِ اللهُ لَهُ سَبِيْلاً ذَكَرَهُ فِيْ فِقْهِ السُّنَّةِ. (٢)

हज़रत या हया बिन अ़बाद रह0 कहते हैं कि रै (ईरान का एक शहर) की एक औरतं ने हज़रत इबराहीम नख़ई रह0 (इमाम अबु

1-किताबुल हज, बाब सफ़रुल मआ ज़ी महरम

2-किताबुल हज, बाब हज्जल मिरअति

Www.IslamicBooks.Website

हनीफ़ा रह के उस्ताद) को लिखा कि मैंने फ़र्ज़ हज अदा नहीं किया और मैं मालदार हूं लेकिन मेरा मेहरम नहीं है (मेरे लिए क्या हुक्म है?) हज़रत इबराहीम नख़ई रह0 ने औरत को जवाब लिखा कि तू उन लोगों में से है जिन पर अल्लाह ने हज फ़र्ज़ नहीं किया। यह रिवायत फ़िक़हुस्सुन्ना में है।

स्पष्टीकरण: हराम रिश्तों का विवरण निम्न है।

☆ मां, बाप की मां और मां की मां चाहे हक़ीक़ी हों या सौतेली।

☆ बेटी, पोती, नवासी (हक़ीक़ी और सौतेली)

☆ बहन (हक़ीक़ी और सौतेली)

☆ फूफी (हक़ीक़ी और सौतेली)

☆ ख़ाला (हक़ीक़ी और सौतेली)

☆ भतीजी (चाहे हक़ीक़ी भाई की बेटी हो या सौतेले भाई की)

☆ भांजी (चाहे हक़ीक़ी बहन की बेटी हो या सौतेली बहन की)

☆ रज़ाई मां।

☆ रज़ाई बहन (चाहे हक़ीक़ी मां का दूध पीने की वजह से या एक ही अन्ना का दूध पीने की वजह से।

☆ पत्नी की मां।

☆ बेटे, पोते और नवासे की बीवी।

मसला 38 रास्ते का शान्ति पूर्ण होना और हुकूमत की तरफ़ से रुकावट न होना भी हज की शर्तें हैं:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 14 के तहत देखें।

मसला 39 औरत के लिए पति की मौत के बाद हालते इद्दत में न होना भी सफ़र हज के लिए शर्त है:

عَنْ سَعِيْدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ

Www.IslamicBooks.Website

رَضِيَ اللهُ عَنْهُ كَانَ يَرُدُّ الْمُتَوَفَّى عَنْهُنَّ أَزْوَاجُهُنَّ مِنَ الْبَيْدَاءِ يَمْنَعُهُنَّ الْحَجَّ. رواه مالک (۱)

हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि0 उन औरतों को जो पति मर हो जाने की वजह से हालते इद्दत में होतीं मक़ामे बैदा से वापस लौटा देते और हज न करने देते। इसे मालिक ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: याद रहे कि पति की मौत के बाद औरत की इद्दत चार माह दस दिन है।

मसला अ/39 हज के महीनों में उमरा अदा करने से हज का फ़र्ज़ होना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला ब/39 छोटी उमर में हज अदा करने से हज का फ़र्ज़ होना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला ज/39 बेटों के अविवाहित होने की वजह से हज का साक़ित होना सुन्नत से साबित नहीं:

☆☆☆

1- किताबुत्तलाक़, बाब मक़ामुत्तवफ़्फ़ा अन्हा ज़ौजहा फ़ी बैनिहा हत्ता नहलि

Www.IslamicBooks.Website

मीक़ात

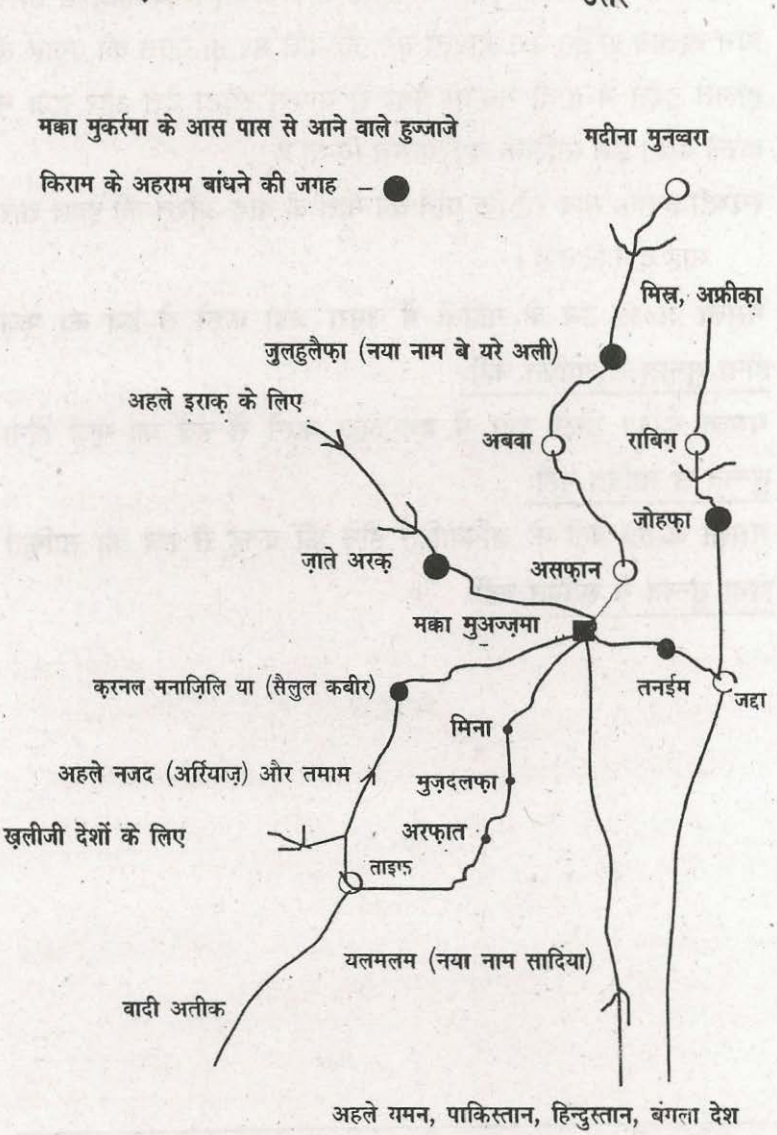

Www.IslamicBooks.Website

اَلْمَوَاقِيْتُ

मीक़ात(1) के मसाइल

मसला 40 मीक़ात की दो क़िस्में हैं:

अ–मीक़ात मकानी: वे स्थान जहां से हज या उमरा करने वाला अहराम बांधता है।

ब– मीक़ात ज़मानी: वह ज़माना जिस के अन्दर अन्दर हज करना ज़रूरी है।

1–मीक़ात मकानी

मसला 41 बाहर से आने वाले हाजियों के लिए निम्न पांच मीक़ात हैं:

1– मदीना या उस रास्ते से आने वालों के लिए ज़ुलहुलैफ़ा (नया नाम बयरे अली) मीक़ात है।

2– शाम या उस रास्ते से आने वालों (जैसे मिस्र, लीबिया, अलजज़ाइर और मराकश आदि) के लिए जोहफ़ा मीक़ात है।

3– नज्द या उस रास्ते से आने वालों (जैसे बहरीन, दमाम, अल रियाज़ आदि) के लिए क़रनल मनाज़िल (नया नाम सैले कबीर) मीक़ात है।

4– यमन या उस रास्ते से आने वालों (जैसे पाकिस्तान, हिन्दुस्तान, बंगला देश आदि) के लिए यलमलम (नया नाम सादिया) मीक़ात है।

5– इराक़ या उस रास्ते से आने वालों के लिए ज़ाते अर्क़ मीक़ात है।

1– मीक़ात का बहुवचन मवाक़ीत है, मीक़ात का मतलब है निश्चित समय या निश्चित जगह।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ وَقَّتَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَاالْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ وَمِصْرَ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ.

(رواه النسائی (۱) (صحیح)

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल0 ने मदीना वालों के लिए जुलहुलैफ़ा, शाम वालों और मिस्र वालों के लिए जोहफ़ा, इराक़ वालों के लिए ज़ाते अर्क़ और नज्द (रियाज़) वालों के लिए क़रन (अलमनाज़िल) और यमन वालों के लिए यलमलम मीक़ात निश्चित की हैं। इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 42 मक्का मुकर्रमा में और मक्का मुकर्रमा के बीच स्थाई रहने वालों अर्थात स्थानीय लोगों और अस्थाई तौर पर रहने वालों अर्थात बाहर के हाजियों को हज के लिए अपने आवास से अहराम बांधना चाहिए:

عَنْ إِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَهْلِ الْمَدِيْنَةِ ذَا الْحُلَيْفَةِ وَلِأَهْلِ الشَّامِ الْجُحْفَةَ وَلِأَهْلِ نَجْدٍ قَرْنَ الْمَنَازِلِ وَلِأَهْلِ الْيَمَنِ يَلَمْلَمَ قَالَ فَهُنَّ لَهُنَّ وَلِمَنْ أَتَى عَلَيْهِنَّ مِنْ غَيْرِ أَهْلِهِنَّ مِمَّنْ أَرَادَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذَالِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا. رواه مسلم (۲)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने मदीना वालों के लिए जुलहुलैफ़ा, शाम वालों के लिए जोहफ़ा, नज्द वालों के लिए क़रनल मनाज़िल, यमन वालों के लिए यलमलम मीक़ात मुक़र्रर की हैं यह मीक़ात उन मुल्कों में रहने

1- किताबुल हज, बाब फ़िल मवाक़ीत।

2- किताबुल हज, बाब फ़िल मवाक़ीत।

Www.IslamicBooks.Website

वाले लोगों के लिए भी हैं और उन लोगों के लिए भी जो हज और उमरे के इरादे से इन इलाक़ों से आएं। जो लोग मीक़ात के अन्दर रहते हों वे अपने घरों से ही अहराम बांधें, यहा तक कि मक्का वाले, मक्का मुकर्रमा से ही अहराम बांधें। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरणः 1–मक्का मुकर्रमा और मीक़ात के बीच रहने वाले लोगों में अहले हरम (अर्थात हरम की सीमाओं के अन्दर रहने वाले लोग) और हिल वाले (अर्थात हरम की सीमा से बाहर और मीक़ात के अन्दर रहने वाले लोग) दोनों शामिल हैं।

2– नौकरी की मन्शा से आए हुए मीक़ात के अन्दर मुक़ीम विदेशी लोगों की गणना भी स्थाई निवास वाले अर्थात मक़ामी बाशिन्दों में होगी।

3– याद रहे कि जद्दा और मक्का मुकर्रमा के बीच कोई मीक़ात नहीं है अतः हज या उमरा के लिए आने वाले विदेशी लोगों का जद्दा पहुंच कर अहराम बांधना जाइज़ नहीं। क़तर, कुवेत, दमाम और अल रियाज़ आदि से कार द्वारा आने वाले लोगों को क़रनल मनाज़िल या सैलुल कबीर (ताइफ़ और मक्का के बीच मीक़ात) पहुंच कर अहराम बांधना चाहिए जबकि हवाई जहाज़ द्वारा जद्दा पहुंच कर मक्का मुकर्रमा आने वाले लोगों को अपने शहर या देश से अहराम बांधना चाहिए, अलबत्ता अहराम की नीयत और तलबिया मीक़ात पर पहुंच कर कहना चाहिए।

4– जद्दा के स्थानीय लोगों को हज और उमरा के लिए जद्दा से ही अहराम बांधना चाहिए।

5– सऊदी अरब के किसी शहर या विदेशों से कारोबार या डयूटी की नीयत से जद्दा आने वाले लोग अपने कारोबार या डयूटी से फ़ारिग़ होने के बाद उमरा या हज का इरादा करें तो वह जद्दा

Www.IslamicBooks.Website

से ही अहराम बांधे। (वल्लाहु आलम)

मसला 43 हरम की सीमाओं में अस्थाई तौर पर रहने वाले अर्थात विदेशियों को ज़रूरत के समय उमरा का अहराम हरम की सीमाओं से बाहर अर्थात हिल में किसी स्थान जैसे तनईम या जाअराना जाकर बांधना चाहिए:

عَنْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُرْدِفَ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَيُعْمِرَهَا مِنَ التَّنْعِيْمِ. رواه البخاری (۱)

1–हज उड़ानों में मीक़ात पर पहुंचने से पहले मीक़ात का ऐलान किया जाता है ताकि जो लोग अहराम बांधना चाहें वह अहराम बांध लें। आम उड़ानों में अगर जहाज़ के स्टाफ़ को पहले से कह दिया जाए, तो मीक़ात पहुंचने से पहले मीक़ात की सूचना दे दी जाती है।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قَوْلِهِ بَرَاءَةٌ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ لَمَّا قَفَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُنَيْنٍ أَعْتَمَرَ مِنَ الْجِعْرَانَةِ ثُمَّ أَمَّرَ اَبَا بَكْرٍ عَلَى تِلْكَ الْحَجَّةِ.

رواه ابن خزيمة (۲) (صحيح)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0, अल्लाह तआला के इर्शाद मुबारक:

برآة من الله ورسوله.

(अल्लाह और उस के रसूल की तरफ़ से ऐलान बराअत है (सूरह तौबा, आयत न0 1) की टीका करते हुए रिवायत करते हैं कि जब नबी अकरम सल्ल0 जंग हुनैन से वापस तशरीफ़ लाए, तो जाअराना से (अहराम बांधकर) उमरा अदा किया। फिर हज़रत

1–किताबुल उमरा, बाब उमरतित्तनईम

2–किताबुल मनासिक बाब इबाहतुल उमराति मिनल जाअराना

Www.IslamicBooks.Website

अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 को उस)के बाद अदा किए गए) हज का अमीर नियुक्त फ़रमाया। इस को इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1–याद रहे तनईम और जाअराना मीक़ात नहीं हैं बल्कि हरम की सीमा से बाहर मक्का मुकर्रमा के निकटतम दो अलग अलग स्थान हैं तनईम जद्दा की दिशा में और जाअराना ताइफ़ की दिशा में।

2– विदेशी या सऊदी अरब के किसी शहर से कारोबार या अस्थाई डयूटी के लिए मक्का मुकर्रमा आने वाले लोग कारोबार या डयूटी से फ़ारिग़ होने के बाद उमरा की नीयत करें तो उन्हें तनईम या जाअराना जाकर अहराम बांधना चाहिए।

3– हरम की सीमा में स्थाई रूप से रहने वाले स्थानीय लोग उमरा का अहराम अपने निवास से बांध सकते हैं।

4– मक्का मुकर्रमा में काम करने वाले विदेशी जिम या व्यापारी लोगों के लिए आदेश वही हैं जो मक्का मुअज्ज़मा में रहने वाले स्थानीय लोगों के हैं। (वल्लाह आलम बिस्सवाब)

मसला 44 हरम की सीमा के अन्दर अस्थाई रूप से रहने वाली विदेशी औरतें अगर मासिक धर्म के दिनों की वजह से उमरा अदा न कर सकें तो मासिक धर्म ख़त्म होने के बाद हरम की सीमा से बाहर तनईम या जाअराना जाकर अहराम बांध कर उमरा अदा कर सकती हैं:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا أَهَلَّتْ بِعُمْرَةٍ فَقَدِمَتْ وَلَمْ تَطُفْ بِالْبَيْتِ حَتَّى حَاضَتْ فَنَسَكَتِ الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا وَقَدْ أَهَلَّتْ بِالْحَجِّ فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ النَّفْرِ يَسْعُكِ طَوَافُكِ لِحَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ فَأَبَتْ فَبَعَثَ بِهَا مَعَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ إِلَى التَّنْعِيمِ

Www.IslamicBooks.Website

فَاعْتَمَرَتْ بَعْدَ الْحَجِّ. رواه مسلم (۱)

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने उमरा का अहराम बांधा। मक्का मुकर्रमा आईं अभी बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ नहीं किया था कि मासिक धर्म की शिकार हो गईं। (अतः तवाफ़ के अलावा बाक़ी) मनासिक हज अदा किए और (हज के दिनों में) हज का अहराम बांधा। रसूलुल्लाह सल्ल0 ने मिना से रवांगी के दिन हज़रत आइशा रज़ि0 से फ़रमाया कि तुम्हारा तवाफ़ (इफ़ाज़ा) हज और उमरा दोनों के लिए काफ़ी होगा। हज़रत आइशा रज़ि0 न मानीं, तो रसूलुल्लाह सल्ल0 ने उन के भाई हज़रत अब्दुर्रहमान (इब्ने अबी बकर सिद्दीक़ रज़ि0) के साथ उन्हें तनईम भेज दिया (जहां से वह अहराम बांध कर मक्का आईं और) हज के बाद उमरा अदा किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 45 बार बार तनईम या जाअराना से अहराम बांधकर अधिकता से उमरे करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 46 मीक़ात पर पहुंच कर अहराम बांधना श्रेष्ठ है लेकिन मीक़ात से पहले अहराम बांधना जाइज़ है:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقُوْلُ بَيْدَاؤُكُمْ هَذِهِ الَّتِيْ تَكْذِبُوْنَ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْهَا مَا أَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ عِنْدِ الْمَسْجِدِ يَعْنِيْ ذَا الْحُلَيْفَةِ. رواه مسلم (۲)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 फ़रमाते हैं। बैदा वह जगह है (मस्जिद जुल हुलैफ़ा से आगे मक्का की तरफ़) जिस के बारे में तुम रसूलुल्लाह सल्ल0 के बारे में ग़लत बात करते हो (कि आप ने बैदा से अहराम बांधा यद्यपि) आप ने मस्जिद जुलहुलैफ़ा के नज़दीक (अहराम बांधकर) लब्बैक पुकारना शुरू किया। इसे मुस्लिम ने

1-किताबुल हज, बब बयानि वजूहिल अहराम।

2-किताबुल हज बाब अहरामि मिन इन्दा मस्जिदि जुलहुलैफ़ा।

Www.IslamicBooks.Website

रिवायत किया है।

عَنْ نَافِعٍ عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ أَهَلَّ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ. رواه الشافعي (١)

हज़रत नाफ़ेअ रह0 से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 ने बैतुल मक़्दिस से अहराम बांधा। इसे शाफ़ओ ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरणः मीक़ात से पहले अहराम बांधने की सूरत में अहराम की नीयत मीक़ात पर पहुंच कर करनी चाहिए। (देखिऐ मसला न0 82)

मसला 47 हज या उमरा अदा करने वाला बिना अहराम मीक़ात से गुज़र जाए, तो उसे वापस उसी मीक़ात पर जाकर अहराम बांधना चाहिए, जिस से गुज़र कर आया है।

عَنْ أَبِي الشَّعْثَاء رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ رَأَى ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَرُدُّ مَنْ جَاوَزَ الْمِيْقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ. رواه الشافعي (٢)

हज़रत अबु शासा रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 को देखा कि जो व्यक्ति अहराम बांधे बिना मीक़ात से गुज़र जाता उसे मीक़ात पर वापस लौटाते (ताकि अहराम बांधकर आए) इसे शाफ़ओ ने रिवायत किया है।

मसला 48 हज या उमरा करने वाला बिना अहराम के मीक़ात से गुज़र जाए और फिर उस के लिए मीक़ात पर वापस जाना संभव न हो तो उसे एक बकरी ज़बह करके ग़रीबों में बांट देनी चाहिए और अहराम पहन कर हज या उमरा अदा करना चाहिएः

स्पष्टीकरणः हदीस मसला न0 117 के तहत देखें।

1–किताबुल हज बाब फ़िल मवाक़ीति।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 49 हज या उमरा की नीयत न हो तो अहराम बांधे बिना मीक़ात से गुज़रना और मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होना जाइज़ है:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ مَكَّةَ وَقَالَ قُتَيْبَةُ دَخَلَ يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَعَلَيْهِ عِمَامَةٌ سَوْدَاءُ بِغَيْرِ إِحْرَامٍ. رواه مسلم (١)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह अन्सारी रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० मक्का में दाख़िल हुए और (हदीस के एक रावी) कुतैबा कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० मक्का की विजय के दिन मक्का में दाख़िल हुए तो आप के सर पर सियाह पगड़ी थी और आप बिना अहराम के थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

ब-मीक़ात ज़मानी

मसला 50 उमरा का अहराम साल के किसी भी हिस्से में बांधा जा सकता है:

मसला 51 हज के महीनों या हज के दिनों में उमरा का अहराम बांधने से हज फ़र्ज़ नहीं होता:

عَنْ عَلِي إِبْنِ أَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ فِيْ كُلِّ شَهْرٍ عُمْرَةٌ.

رواه الشافعي (٢)

हज़रत अली बिन अबु तालिब रज़ि० फ़रमाते हैं कि उमरा हर महीने में अदा किया जा सकता है। इसे शाफ़ई ने रिवायत किया है।

मसला 52 हज का अहराम हज के महीनों में ही बांधना चाहिए:

1- किताबुल हज, बाब दुखूलिन्नबी मक्काता ग़ैरा मुहरमिन यौमिल फ़तहि

2- किताबुल हज, बाब मा जाआ फ़िल उमराति।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 53 हज के महीने ये हैं, शव्वाल, ज़ीक़ाअदा और ज़िलहिज्जा।

عَنْ إِبْنِ جُرَيْجٍ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَسَمِعْتَ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يُسَمِّي أَشْهُرَ الْحَجِّ؟ قَالَ نَعَمْ كَانَ يُسَمِّي شَوَّالٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحَجَّةِ قُلْتُ لِنَافِعٍ فَإِنْ أَهِلَّ إِنْسَانٌ بِالْحَجِّ قَبْلَهُنَّ؟ قَالَ لَمْ أَسْمَعْ فِي ذَلِكَ مِنْهُ شَيْئًا. رواه الشافعي (١)

हज़रत इब्ने जुरैहि रह० कहते है। मैंने हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० से मालूम किया कि तुम ने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० को हज के महीनों का नाम लेते हुए सुना है? हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० ने कहा "हां! हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि० शव्वाल, ज़ीक़ाअदा और ज़िलहिज्जा को हज के महीने शुमार करते थे।" मैंने हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० से पूछा "अगर कोई व्यक्ति इन से पहले हज का अहराम बांधे (तो इस के बारे में क्या हुक्म है?)" हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० ने कहा "मैंने इस बारे में उन से कुछ नहीं सुना (कि ऐसा करना भी जाइज़ है।)" इसे शाफ़ओी ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ لَّا يُحْرِمَ الرَّجُلُ بِالْحَجِّ إِلَّا فِي أَشْهُرِ الْحَجِّ. رواه البخاري (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं "सुन्नत यह है कि आदमी हज का अहराम हज के महीनों में ही बांधे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

☆☆☆

1- किताबुल हज , बाब फ़ी मवाक़ीतिल हज्ज वल उमराति।

2- मुंतक़ियुल अख़बार, किताबुल हज, बाब मा जाआ फ़ी अशहरिल हज्जि।

Www.IslamicBooks.Website

اَنْوَاعُ الْاِحْرَامِ

अहराम(1) की क़िस्में

मसला 54 अहराम की निम्न क़िस्में हैं:

1--उमरा- इस में केवल उमरा की नीयत से अहराम बांधा जाता है।

2- हजे इफ़राद- इस में केवल हज की नीयत से अहराम बांधा जाता है।

3- हजे क़िरान इस में उमरा और हज दोनों की नीयत से इकट्ठा अहराम बांधा जाता है और हज पूरा होने के बाद खोला जाता है।

4-तमत्तोअ- इस में पहले उमरा की नीयत से अहराम बांधा जाता है और उमरा पूरा होने के बाद खोल दिया जाता है। हज के दिनों में अपने आवास से ही दोबारा अहराम बांधा जाता है और हज पूरा होने के बाद खोला जाता है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ وَمِنَّا مَنْ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَأَهَلَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْحَجِّ فَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ فَحَلَّ وَأَمَّا مَنْ أَهَلَّ بِحَجٍّ أَوْ جَمَعَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَلَمْ يَحِلُّوا حَتَّى كَانَ يَوْمُ النَّحْرِ. رواه مسلم (٢)

हज़रत आइशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि हम हज्जतुल वदाअ के साल रसूलुल्लाह सल्ल0 के साथ (हज के लिए) निकले हम में से

1-अहराम उन दो चादरों को कहा जाता है जिन्हें हाजी हज के दौरान या उमरा के दौरान इस्तेमाल करता है।

2- किताबुल हज, बाब बयानि वुजूहिल अहराम।

Www.IslamicBooks.Website

कुछ लोगों ने उमरा का अहराम बांधा और कुछ ने हज और उमरा दोनों का (अर्थात हज क़िरान का) कुछ ने केवल हज का अर्थात इफ़राद का) और नबी अकरम सल्ल0 ने हज का अहराम बांधा था। तो जिन्होंने उमरा का अहराम बांधा था वे (उमरा अदा करने के बाद) हलाल हो गए (अर्थात अहराम खोल दिया) जिन्होंने केवल हज का अहराम बांधा था या हज और उमरा दोनों का अहराम बांधा था वे कुरबानी के दिन तक अहराम में ही रहे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1–हज तमत्तोअ़ करने वाला व्यक्ति अगर हज के महीनों (शव्वाल या ज़ीक़ाअदा) में उमरा अदा करने के बाद अपने शहर जैसे जद्दा, रियाज़, दमाम आदि या अपने देश जैसे पाकिस्तान, हिन्दुस्तान वापस चला जाए और हज के दिनों में आकर केवल हज करले, तो उस का हज तमत्तोअ़ सही नहीं होगा। हज तमत्तोअ़ के लिए घर से निकलने के बाद एक ही सफ़र में उमरा और हज अदा करना ज़रूरी है।

मसला 55 हजे क़िरान का अहराम बांधने के लिए क़ुरबानी का जानवर साथ ले जाना मसनून है:

मसला 56 जो लोग क़ुरबानी का जानवर मक्का साथ ले कर न जाएं उन के लिए हजे तमत्तोअ़ का अहराम बांधना मसनून है:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمِيْنَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ كَانَ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُقِمْ عَلَى إِحْرَامِهِ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ هَدْيٌ فَلْيُحْلِلْ قَالَتْ فَلَمْ يَكُنْ مَعِي هَدْيٌ فَأَحْلَلْتُ وَكَانَ مَعَ الزُّبَيْرِ هَدْيٌ فَلَمْ يَحِلَّ. رواه ابن ماجة (١) (صحيح)

1–किताबुल मनासिक हज।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत असमा बिन्त अबी बकर रज़ि० फ़रमाती हैं कि हम अहराम की हालत में नबी अकरम सल्ल० के साथ (हज के लिए) निकले। नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "जिस के साथ क़ुरबानी का जानवर है वह (उमरा अदा करने के बाद) अहराम में ही रहे और जिस के साथ क़ुरबानी का जानवर नहीं है वह अहराम उतार दे।" हज़रत असमा रज़ि० फ़रमाती हैं "मेरे साथ क़ुरबानी का जानवर नहीं था अतः मैंने अहराम खोल दिया। हज़रत ज़ुबैर रज़ि० (हज़रत असमा रज़ि के पति) के साथ क़ुरबानी का जानवर था। इस लिए वह अहराम में ही रहे।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

عَنْ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَاقَ هَدْيًا فِيْ حَجِّهِ.

رواه النسائي (١) (صحيح)

हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० हज में अपनी क़ुरबानी मदीना से साथ ले कर गए थे। इसे नसाई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरणः सऊदी अरब के विभिन्न शहरों में हज से हफ़्ता अशरा पहले क़ुरबानी के लिए बेचे जाने वाले कोपन अगर अपने शहर से ख़रीद कर मक्का मुकर्रमा का सफ़र किया जाए तो वह क़ुरबानी का बदल बन सकता है और हाजी हज क़िरान का अहराम बांध सकता है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

मसला 57 नबी अकरम सल्ल० ने हज क़िरान का अहराम बांधा थाः

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَخْبَرَنِيْ أَبُوْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَنَ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ.

رواه ابن ماجة (٢) (صحيح)

1- किताबुल मनासिक, हज बाबु सूक़िल हदी।

2-किताबुल हज, बाब मन क़रनल हज वल उमरा।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं मुझे हज़रत अबु तलहा रज़ि0 ने बताया कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने हज और उमरा मिलाकर अदा किए। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ وَحَجَّةٍ. رواه الترمذي (١) (صحيح)

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्ल0 को यह फ़रमाते हुए सुना है कि "मैं उमरे और हज के लिए हाज़िर हूं।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 58 जो हाजी कुरबानी का जानवर अपनी रिहाइश से मक्का ले जाए, वह केवल हज क़िरान ही अदा कर सकता है:

मसला 59 हजे तमत्तोअ का अहराम बांधना श्रेष्ठ है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِأَرْبَعٍ مَضَيْنَ مِنْ ذِي الْحِجَّةِ أَوْ خَمْسٍ فَدَخَلَ عَلَيَّ وَهُوَ غَضْبَانٌ فَقُلْتُ مَنْ أَغْضَبَكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَدْخَلَهُ اللهُ النَّارَ قَالَ أَوَمَا شَعَرْتِ أَنِّي أَمَرْتُ النَّاسَ بِأَمْرٍ فَإِذَا هُمْ يَتَرَدَّدُوْنَ قَالَ الْحَكَمُ كَأَنَّهُمْ يَتَرَدَّدُوْنَ أَحْسِبُ وَلَوْ أَنِّي اسْتَقْبَلْتُ مِنْ أَمْرِي مَا اسْتَدْبَرْتُ مَا سُقْتُ الْهَدْيَ مَعِي حَتَّى أَشْتَرِيَهُ ثُمَّ أَحِلُّ كَمَا حَلُّوا. رواه مسلم (٢)

हज़रत आइशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ज़िलहिज्जा की चौथी या पांचवीं तारीख़ को मक्का पहुंचे और ग़ुस्सा की हालत में मेरे पास तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! अल्लाह उस को आग में डाले जिस ने आप सल्ल0 को ग़ुस्सा दिलाया है?" रसूलुल्लाह सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया

1–अबवाबुल हज्जि, बाब जमा बैनुल हज्जि वल उमराति।

2–किताबुल हज, बाब बयानि वजूहिल अहरामि।

Www.IslamicBooks.Website

"तुम्हें पता नहीं कि मैंने लोगों को एक बात का हुक्म दिया और वे उस के पालन में शंका कर रहे हैं।" (हदीस के एक रावी) हकम कहते हैं कि मेरा विचार है रसूलुल्लाह सल्ल0 ने यूं फ़रमाया "अर्थात लोग शंका करते हैं।" फिर आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "अगर मैं पहले से वह बात जानता जो मुझे बाद में मालूम हुई है तो कुरबानी का जानवर (मदीना से) अपने साथ न लाता और (यहीं मक्का से) ख़रीद लेता। फिर जिस तरह लोगों ने (उमरा अदा करने के बाद तमत्तोअ के लिए) अहराम खोला उसी तरह मैं भी खोल देता।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

فَسْخُ الْحَجِّ اِلَى الْعُمْرَةِ

हज की नीयत को उमरा की नीयत में बदलना

मसला 60 मीक़ात से हज इफ़राद या हज क़िरान की नीयत से अहराम बांधने वाला व्यक्ति, मक्का मुकर्रमा पहुंचने से पहले या मक्का मुकर्रमा पहुंचने के बाद हज तमत्तोअ करना चाहे, तो अपनी नीयत बदल सकता है और हज के अहराम को उमरा के अहराम में तब्दील कर सकता है:

मसला 61 अगर हज क़िरान अदा करने वाला व्यक्ति अपने साथ कुरबानी का जानवर मक्का मुकर्रमा ले कर आया हो तो वह हज की नीयत उमरा में तब्दील नहीं कर सकता:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُهِلِّيْنَ بِالْحَجِّ فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ نَجْعَلَهَا عُمْرَةً وَنَحِلَّ قَالَ وَكَانَ مَعَهُ الْهَدْىُ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَجْعَلَهَا عُمْرَةً. رواه مسلم (١)

हज़रत जाबिर रज़ि० से रिवायत है कि हम रसूलुल्लाह सल्ल० के साथ हज की लब्बैक पुकारते हुए (मक्का मुकर्रमा) आए। हमें आप सल्ल० ने हुक्म दिया कि अपने हज को उमरा बना लें और हलाल हो जाएं। रावी कहते हैं कि चूंकि रसूले अकरम सल्ल० के साथ कुरबानी का जानवर था (जो आप सल्ल० मदीना से अपने साथ लाए थे) इस लिए आप सल्ल० अपने हज (क़िरान) को उमरा में न बदल सके। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

1- किताबुल हज, बाब बयानि वजूहिल अहराम।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 62 मीक़ात से उमरा की नीयत से अहराम बांधने वाले व्यक्ति का उमरा की नीयत को हज की नीयत में बदलना सुन्नत से साबित नहीं:

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

اَحْكَامُ الْأَحْرَامِ

अहराम के मसाइल

मसला 63 उमरा या हज के लिए अहराम बांधना फ़र्ज़ है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 42 के तहत देखें।

मसला 64 अहराम के लिबास में तहबन्द, चादर और ऐसे जूते (जो टख़नों से नीचे तक हों) शामिल हैं:

عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيْثٍ لَهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلْيُحْرِمْ أَحَدُكُمْ فِي إِزَارٍ وَّرِدَاءٍ وَنَعْلَيْنِ فَإِنْ لَّمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ.

رواه أحمد (۱) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "तुम्हें तहबन्द, चादर और जूतों में अहराम बांधना चाहिए अगर जूते न हों तो मौज़े पहन लो लेकिन उन्हें टखनों से नीचे तक काट लो।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।

मसला 65 अगर मुहरिम को अहराम बांधने के लिए तहबन्द न मिल सके तो पायजामा इस्तेमाल कर सकता है और अगर टख़नों से नीचे तक का जूता न मिले तो आम जूता भी इस्तेमाल कर सकता है:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ لَمْ يَجِدْ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَمَنْ لَمْ يَجِدْ إِزَاراً فَلْيَلْبَسْ

1- मुंतकियुल अख़बार, किताबुल हज बाब मा यसना मिन इरादल अहरामि।

Www.IslamicBooks.Website

سَرَاوِيْلَ. رواه مسلم (١)

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जिसे (अहराम बांधने के लिए) जूते न मिलें वह मौज़े पहन ले और जिसे तहबन्द न मिले वह पायजामा पहन ले।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 66 अगर मुहरिम भूल कर या अनजाने में सिले हुए कपड़े पहन ले या सर कपड़े से ढांप ले या खूशबू इस्तेमाल कर ले या नाखुन नोच ले या बाल उखाड़ ले तो उस पर कोई फ़िदया या दम नहीं। अलबत्ता याद आते ही या पता होते ही उस काम से रुक जाना ज़रूरी है:

عَنْ يَعْلَى رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ وَهُوَ بِالْجِعْرَانَةِ وَأَنَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ مُقَطَّعَاتٌ يَعْنِيْ جُبَّةً وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوْقِ فَقَالَ إِنِّيْ أَحْرَمْتُ بِالْعُمْرَةِ وَعَلَيَّ هَذَا وَأَنَا مُتَضَمِّخٌ بِالْخَلُوْقِ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ قَالَ أَنْزِعُ عَنِّيْ هَذِهِ الثِّيَابَ وَأَغْسِلُ عَنِّيْ هَذَا الْخَلُوْقَ فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا كُنْتَ صَانِعًا فِي حَجِّكَ فَاصْنَعْهُ فِي عُمْرَتِكَ. رواه مسلم (٢)

हज़रत याला रज़ि० कहते हैं जब आप जाअराना में थे तो एक आदमी सेवा में हाजिर हुआ और मैं उस समय आप के पास मौजूद था वह साइल जुब्बा पहने हुए था और उस में खूशबू लगी हुई थी। उस ने अर्ज़ किया "मैंने उमरा का अहराम बांधा है और मैंने यह जुब्बा पहन रखा है जिस पर खुशबू लगी है।" आप ने उस से मालूम

1- किताबुल हज, बाब मा युबाहा लिल मुहरिमि।

2-किताबुल हज, बाब मा युबाहा लिल मुहरिमि।

Www.IslamicBooks.Website

किया "(अगर तुम हज करना चाहते तो) हज में क्या करते?" उस ने अर्ज़ किया "मैं यह कपड़े उतार डालता और खूशबू धो डालता।" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "जो कुछ हज में करते हो वही उमरे में करो।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 67 हैज़ की हालत या निफ़ास में उमरा या हज के लिए आने वाली औरतों को भी मीक़ात से अहराम बांधना चाहिए:

मसला 68 अगर बीमारी का ख़ौफ़ न हो, तो हैज़ या निफ़ास वाली औरतों को अहराम बांधने से पहले ग़ुस्ल करना चाहिए:

मसला 69 औरतों का अहराम वही लिबास है जो वे आम ज़िन्दगी में इस्तेमाल करती हैं उन के लिए कोई अलग लिबास बनाना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 70 अहराम बांधते समय औरतों का सर के बालों को बांधना या बाल बांधने के लिए ख़ुसूसी कपड़ा सिलवाना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 71 अहराम के लिए रंगदार कपड़ों का इस्तेमाल जाइज़ है लेकिन सफ़ेद कपड़ों का इस्तेमाल मुस्तहब है:

عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُمُ الْبَيَاضَ فَإِنَّهَا أَطْهَرُ وَأَطْيَبُ وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ.

رواه النسائی (۱) (صحیح)

हज़रत समुरा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "सफ़ेद कपड़े पहना करो। यह सब से ज़्यादा बेहतर और पसन्दीदा है और इन्हीं में अपने मुर्दों को कफ़न दिया करो।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

1- किताबुज्ज़ीनत, बाब अल्लज़ी युलबिसुल बैज़ु मिनस्सियाबि।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 72 ऐसी चादर जिस पर खूशबू लगी हो, अहराम के लिए इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَلْبَسَ الْمُحْرِمُ ثَوْبًا مَصْبُوْغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ. رواه ابن ماجة (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने अहराम पहनने वाले को वर्स (रंग की एक क़िस्म) और ज़ाफ़रान में रंगी हुई चादरें इस्तेमाल करने से मना फ़रमाया। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 73 अहराम बांधने के लिए ग़ुस्ल करना मसनून है:

عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّهُ رَأَى النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَجَرَّدَ لِإِهْلَالِهِ وَاغْتَسَلَ. رواه الترمذى (٢) (صحيح)

हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने देखा कि नबी अकरम सल्ल० अहराम बांधने के लिए अलग हुए और ग़ुस्ल फ़रमाया। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 74 अहराम बांधने से पहले मुर्दो का जिस्म पर ख़ुशबू लगाना सुन्नत है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِأَطْيَبِ مَا أَقْدِرُ عَلَيْهِ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ ثُمَّ يُحْرِمُ.

رواه مسلم (٣)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं रसूलुल्लाह सल्ल० को अहराम बांधने से पहले अच्छी तरह खूशबू लगाती थी। फिर आप

1- किताबुल मनासिक, बाब मा युलबिसुल महरिम मिनस्सियाबि।

2- किताबुल हज, बाब इग़तिसाति अब्दिल अहरामि।

3- किताबुल हज,

Www.IslamicBooks.Website

अहराम बांधते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 75 फ़र्ज़ नमाज़ अदा करके अहराम बांधना मुस्तहब है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الظُّهْرَ بِذِى الْحُلَيْفَةِ ثُمَّ دَعَا بِنَاقَتِهِ فَأَشْعَرَهَا فِي صَفْحَةِ سَنَامِهَا الْأَيْمَنِ وَسَلَتَ الدَّمَ وَقَلَّدَهَا نَعْلَيْنِ ثُمَّ رَكِبَ رَاحِلَتَهُ فَلَمَّا اسْتَوَتْ بِهِ عَلَى الْبَيْدَاءِ أَهَلَّ بِالْحَجِّ. رواه مسلم (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने (ज़ोहर की) नमाज़ ज़ुल हुलैफ़ा में अदा की। अपनी (क़ुरबानी की) ऊंटनी तलब की। उस की कोहान की दायीं तरफ़ एक घाव लगाया। खून साफ़ किया और उस के गले में दो जूतियों का हार डाला, फिर अपनी सवारी (वाली ऊंटनी) पर सवार हुए। जब ऊंटनी बैदा (स्थान का नाम) पर सीधी खड़ी हुई तो हज के लिए तलबिया पुकारा। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 76 अहराम बांधने के लिए दो नफ़िल अदा करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 77 अहराम बांधने से पहले हज और उमरा दोनों की नीयत करने के लिए निम्न शब्द कहना मसनून है:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلَبِّيْ بِالْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ جَمِيْعًا يَقُوْلُ: لَبَّيْكَ عُمْرَةً وَحَجًّا.

رواه مسلم (۲)

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्ल0 को हज और उमरा दोनों के लिए तलबिया पुकारते सुना है। आप

1- किताबुल हज, बाब अशअरिन्नबी सल्ल0 इन्दल अहरामि।

2- किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

फ़रमाते थे .لبیک عمرة وحجا इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: केवल उमरा की नीयत से अहराम बांधा हो तो لبیک عمرة के शब्द कहने चाहिएं और अगर हज की नीयत से अहराम बांधा हो तो لبیک حجا के शब्दों से नीयत अदा करनी चाहिए।

मसला 78 तवाफ़ उमरा में अहराम की चादर दाएं कंधे से निकाल कर बाएं पर डालना मसनून है। इसे इज़्तिबाग़ कहते हैं।

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 146 के तहत देखें।

मसला 79 अहराम की हालत इज़्तिबाग़ केवल तवाफ़ उमरा के लिए ख़ास है। आम हालात में ख़ास कर नमाज़ के समय दोनों कंधे अहराम की चादर से ढांकने ज़रूरी हैं:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يُصَلِّيْ أَحَدُكُمْ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ لَيْسَ عَلَى عَاتِقَيْهِ شَيْءٌ.

رواه البخاري (۱)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "तुम में से कोई व्यक्ति एक कपड़े में इस तरह नमाज़ न पढ़े कि उस के कंधों पर कोई चीज़ न हो।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 80 अहराम बांधने के बाद तलबिया कहना मसनून है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 120 के तहत देखें।

मसला 81 मीक़ात से पहले अहराम बांधना जाइज़ है लेकिन मीक़ात पर पहुंच कर बांधना श्रेष्ठ है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 46 के तहत देखें।

1- किताबुस्सलात, बाब इज़ा सल्ला फ़िस्सौबिल वाहिदि।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 82 मीक़ात से पहले अहराम बांधने की सूरत में अहराम की नीयत और तलबिया मीक़ात पर पहुंच कर कहना शुरू करना चाहिए:

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ .....

رواه البخاری (۱)

हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि0 कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को फ़रमाते हुए सुना है कि कर्मों (के अज्र व सवाब) का आधार नीयतों पर है। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 83 अहराम बांधने के बाद कोई रुकावट पेश आ जाने की वजह से उमरा या हज अदा न कर सकने की सूरत में हाजी या मोंतमर (उमरा करने वाला) को एक जानवर ज़बह करके अहराम खोल देना चाहिए:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 118 के तहत देखें।

मसला 84 अगर किसी व्यक्ति को बीमारी या सर की तकलीफ़ के कारण क़ुरबानी के दिन से पहले अहराम खोलना पड़े तो तीन रोज़े रखने चाहिएं या छः मिसकीनों को खाना खिलाना चाहिए या एक बकरी ज़बह करनी चाहिए।

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 21 के तहत देखें।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى ضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ لَهَا أَرَدْتِ الْحَجَّ؟ قَالَتْ وَاللهِ مَا أَجِدُنِيْ إِلَّا وَجِعَةً فَقَالَ لَهَا حُجِّيْ وَاشْتَرِطِيْ وَقُوْلِيْ اَللّٰهُمَّ مَحِلِّيْ حَيْثُ حَبَسْتَنِيْ وَكَانَتْ تَحْتَ الْمِقْدَادِ. رواه مسلم (۲)

1- किताबु बदउल वहय इला रसूलिल्लाहि सल्ल0।

2- किताबुल हज, बाब जवाज़ु इशरातिल मुहरिमि।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० जुबाआ बिन्त जुबैर रज़ि०, जो कि हज़रत मिक़दाद रज़ि० के निकाह में थीं, के यहां तशरीफ़ लाए और पूछा क्या तुम ने हज का इरादा किया है? उन्होंने कहा "अल्लाह की क़सम! मैं प्रायः बीमार हो जाती हूं।" आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया "हज करो, लेकिन (अहराम बांधते समय) यह शर्त कर लो कि "ऐ अल्लाह! जहां तूने मुझे रोक दिया, मैं वहीं अहराम खोल दूंगी।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 86 हज या उमरा अदा करने वाले ऐसे उलमा या बुजुर्ग की (जो वहां मौजूद न हों) संगत हासिल करने के लिए अहराम बांधते समय अगर यह नीयत की जाए कि जो "अहराम फ़लां का वही मेरा" तो यह जाइज़ है:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَدِمَ عَلِيٌّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ: بِمَ أَهْلَلْتَ يَا عَلِيُّ؟ قَالَ أَهْلَلْتُ كَإِهْلَالِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَوْلَا أَنَّ مَعِي الْهَدْيَ لَأَحْلَلْتَ. متفق عليه (۱)

हज़रत अनस रज़ि० कहते हैं कि हज़रत अली रज़ि० (यमन से) रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में (अहराम की हालत में) हाज़िर हुए। आप सल्ल० ने पूछा "तुम ने किस नीयत से अहराम बांधा है?" हज़रत अली रज़ि० ने अर्ज़ किया "मैंने आप के अहराम की तरह अहराम बांधा है।" रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अगर मेरे पास क़ुरबानी का जानवर न होता तो मैं (उमरा अदा करने के बाद) हलाल हो जाता।" इसे बुख़ारी और मुस्लिम ने रिवायत किया है।

☆☆☆

1–मुंतक़ियुल अख़बार, किताबुल हज, बाब मन अहरमा मुतलक़न, रक़मुल हदीस 3401

Www.IslamicBooks.Website

مُبَاحَاتُ الْإِحْرَامِ

अहराम में जाइज़ काम

मसला 87 अहराम की हालत में सर धोना, सर मलना और ग़ुस्ल करना जाइज़ हैः

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ وَالْمِسْوَرِ بْنِ مَخْرَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أَنَّهُمَا اخْتَلَفَا بِالْأَبْوَاءِ فَقَالَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ وَقَالَ الْمِسْوَرُ لَا يَغْسِلُ الْمُحْرِمُ رَأْسَهُ فَأَرْسَلَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ إِلَى أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ أَسْأَلُهُ عَنْ ذَلِكَ فَوَجَدْتُهُ يَغْتَسِلُ بَيْنَ الْقَرْنَيْنِ وَهُوَ يَسْتَتِرُ بِثَوْبٍ قَالَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَقَالَ مَنْ هَذَا؟ فَقُلْتُ أَنَا عَبْدُ اللهِ بْنُ حُنَيْنٍ أَرْسَلَنِي إِلَيْكَ عَبْدُ اللهِ بْنُ عَبَّاسٍ أَسْأَلُكَ كَيْفَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ؟ فَوَضَعَ أَبُو أَيُّوبَ (رَضِيَ اللهُ عَنْهُ) يَدَهُ عَلَى الثَّوْبِ فَطَأْطَأَهُ حَتَّى بَدَا لِي رَأْسُهُ ثُمَّ قَالَ لِإِنْسَانٍ يَصُبُّ اصْبُبْ فَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ حَرَّكَ رَأْسَهُ بِيَدَيْهِ فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ ثُمَّ قَالَ هَكَذَا رَأَيْتُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَفْعَلُ. رواه مسلم (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास और मिसवर बिन मख़रमा रज़ि0 में अबवा के स्थान पर तकरार हुई। हज़रत अबदुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते थे कि मुहरिम सर धो सकता है और हज़रत मिसवर रज़ि0 कहते थे कि नहीं धो सकता। हज़रत मिसवर बिन मख़रमा रज़ि0 ने कहा कि मुझे हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 ने हज़रत अबु अय्यूब रज़ि0 के पास भेजा कि उन से मसला पूछूं मैंने उन को कुंए की दो लकड़ियों के बीच ग़ुस्ल करते पाया। वह

1-किताबुल हज, बाब जवाज़ ग़ुस्लिल मुहरिम बदनिहि व रासिहि।

Www.IslamicBooks.Website

एक कपड़े से पर्दा किए हुए थे। मैंने अस्सलाम अलैकुम कहा, तो उन्होंने पूछा "कौन है?" मैंने कहा कि मैं अब्दुल्लाह बिन हुनैन रज़ि0 हूं और अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 ने मुझे आप की तरफ़ भेजा है कि आप से पूछूं कि रसूले अकरम सल्ल0 अहराम में क्योंकर सर धोते थे। हज़रत अबु अय्यूब रज़ि0 ने अपने दोनों हाथ कपड़े पर रखे और सर झुकाया यहां तक कि मुझे नज़र आया और उस आदमी से कहा जो उन पर पानी डालता था कि पानी डालो फिर उन्होंने सर को हिलाया और अपने हाथ से आगे पीछे मला। फिर उन्होंने कहा कि मैंने नबी अकरम सल्ल0 को ऐसे ही करते देखा है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 88 अहराम की हालत में आंखों के इलाज के लिए सुरमा या कोई दवा डालना जाइज़ है बशर्तेकि उस में खूशबू न हो:

عَنْ عُثْمَانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ حَدَّثَ عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الرَّجُلِ إِذَا اشْتَكَى عَيْنَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ ضَمَّدَهُمَا بِالصَّبِرِ.

رواه مسلم (۱)

हज़रत उसमान रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल0 ने अहराम की हालत में जिस की आंखें दुखती हों, उस के बारे में इर्शाद फ़रमाया कि वह अपनी आंखों पर ऐलवे (दवा का नाम) का लेप करे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

قَالَ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَكْتَحِلِ الْمُحْرِمُ بِأَيِّ كُحْلٍ إِذَا رَمَدَ مَالَمْ يَكْتَحِلِ بِطِيْبٍ وَمِنْ غَيْرِ رَمْدٍ ذَكَرَهُ فِي فِقْهِ السُّنَّةِ. (۲)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं। मुहरिम जो

1–किताबुल हज, बाब जवाजु मदावतिल महरिमि अैनिहि।

2–किताबुल हज, बाब मा युबाहा लिल मुहरिमि।

Www.IslamicBooks.Website

सुरमा चाहे इस्तेमाल कर सकता है चाहे आंखें दुखती हों या न दुखती हों बशर्ते कि सुरमा में खुशबू न हो। यह रिवायत फ़िक़्हुस्सुन्ना में है।

मसला 89 अहराम की हालत में इलाज के तौर पर जिस्म के किसी हिस्सा से खून निकलवाना और मरहम पट्टी करवाना जाइज़ है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ احْتَجَمَ وَهُوَ مُحْرِمٌ. رواه مسلم (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने अहराम की हालत में पुछने लगवाए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 90 अहराम की हालत में ऐसा तेल और साबुन इस्तेमाल करना जाइज़ है जिस में खुशबू न हो।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ ادَّهَنَ بِزَيْتٍ غَيْرِ مُقَتَّتٍ وَهُوَ مَحْرِمٌ. رواه أحمد (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने अहराम की हालत में ऐसा तेल लगाया गया जिस में खुशबू नहीं थी। इसे अहमद ने रिवायत किया है।

मसला 91 अहराम की हालत में खूशबूदार फूल सूंघना जाइज़ है:

मसला 92 अहराम की हालत में अंगूठी, पेटी, ऐनक और घड़ी आदि इस्तेमाल करना जाइज़ है:

मसला 93 खाई और पी जाने वाली दवाओं के द्वारा अहराम की हालत में इलाज करना जाइज़ है:

قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَشَمُّ الْمُحْرِمُ الرَّيْحَانَ وَيَنْظُرُ

1- किताबुल हज, बाब जवाज़ हज वल मुहरिम

2-शरहुस्सुन्ना, किताबुल हज।

Www.IslamicBooks.Website

فِي الْمَرْاَةِ وَيَتَدَاوَى بِمَا يَأْكُلُ الزَّيْتِ وَالسَّمْنِ وَقَالَ عَطَاءٌ يَتَخَتَّمُ وَيَلْبَسُ الْهِمْيَانَ. رواه البخاری (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं मुहरिम रीहान (फूल) सूंघ सकता है। आईना देख सकता है और जिन चीज़ों को खा सकता है जैसे तेल और घी (आदि) उन को दवा के तौर पर इस्तेमाल कर सकता है। हज़रत अता रह0 फ़रमाते हैं मुहरिम अंगूठी पहन सकता है और पेटी बांध सकता है। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 94 अहराम की हालत में सर और बदन खुजलाना जाइज़ है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا سُئِلَتْ عَنِ الْمُحْرِمِ يَحُلُّ جَسَدَهُ قَالَتْ نَعَمْ فَلْيَحُكَّهُ وَلْيُشَدِّدْ. رواه البخاری (۲)

हज़रत आइशा रज़ि0 से पूछा गया कि मुहरिम बदन खुजला सकता है? कहा "हां बल्कि ज़ोर से खुजलाए।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 95 अहराम की हालत में ख़ेमा, छत या छतरी से सर पर साया करना जाइज़ है:

عَنْ أُمِّ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ حَجَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَجَّةَ الْوَدَاعِ فَرَأَيْتُ أُسَامَةَ وَبِلَالاً وَأَحَدُهُمَا آخِذٌ بِخِطَامِ نَاقَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْآخَرُ رَافِعٌ ثَوْبَهُ يَسْتُرُهُ مِنَ الْحَرِّ حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رواه مسلم (۳)

हज़रत उम्मे हसीन रज़ि0 कहती हैं कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्ल0 के साथ हज अदा किया, तो मैंने हज़रत उसामा बिन ज़ैद

1–किताबुल मनासिक, बाबुत्तैयब इन्दल अहरामि।

2–फ़िक़्हुस्सुन्ना, अल पहला भाग रक़मुल हदीस 68

3–सहीह मुस्लिम, किताबुल हज।

Www.IslamicBooks.Website

रज़ि0 और बिलाल रज़ि0 को देखा कि उन में से एक ने नबी अकरम सल्ल0 की ऊंटनी की महार पकड़ी हुई थी और दूसरे ने अपने कपड़े से आप सल्ल0 पर साया किया हुआ था ताकि आप को गरमी से बचाए। यहां तक कि आप सल्ल0 ने जमरा उक़बा को कंकरियां मारीं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 96 मुहरिम अहराम की चादरें धो सकता है अगर तब्दील करना चाहे तो कर सकता है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 66 के तहत देखें।

मसला 97 औरत अहराम की हालत में ज़ेवर इस्तेमाल कर सकती है और रंगीन कपड़े भी पहन सकती है:

وَلَمْ تَرَ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا بَأْسًا بِالْحُلِيِّ وَالثَّوْبِ الْأَسْوَدِ وَالْمُوَرَّدِ وَالْخُفِّ لِلْمَرْأَةِ. رواه البخاى (١)

हज़रत आइशा रज़ि0 के नज़दीक औरत के लिए अहराम की हालत में ज़ेवर पहनने, सियाह और गुलाबी रंग का कपड़ा पहनने और मौज़े पहनने में कोई हरज नहीं। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 98 अहराम की हालत में बच्चे या नौकर को ज्ञान एवं शिष्टाचार सिखाने के लिए डांट डपट करना जाइज़ है:

عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ أَبِيْ بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُجَّاجًا حَتّٰى إِذَا كُنَّا بِالْعَرْجِ نَزَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَنَزَلْنَا فَجَلَسَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِلَى جَنْبِ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَجَلَسْتُ إِلَى جَنْبِ أَبِيْ وَكَانَتْ زِمَالَةُ أَبِيْ بَكْرٍ وَزِمَالَةُ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

1- किताबुल मनासिक

Www.IslamicBooks.Website

وَسَلَّمَ وَاحِدَةً مَعَ غُلَامِ لِأَبِي بَكْرٍ فَجَلَسَ أَبُو بَكْرٍ يَنْتَظِرُ أَنْ يَطْلُعَ عَلَيْهِ فَطَلَعَ وَلَيْسَ مَعَهُ بَعِيرُهُ قَالَ أَيْنَ بَعِيرُكَ؟ قَالَ أَضْلَلْتُهُ الْبَارِحَةَ قَالَ فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ بَعِيرٌ وَاحِدٌ تُضِلُّهُ قَالَ فَطَفِقَ يَضْرِبُهُ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَبَسَّمُ وَيَقُولُ انْظُرُوا إِلَى هَذَا الْمُحْرِمِ مَا يَصْنَعُ. رواه أبوداؤد (۱) (حسن)

हज़रत असमा बिन्त अबी बकर रज़ि0 से रिवायत है कि हम लोग रसूले अकरम सल्ल0 के साथ हज के लिए निकले जब हम अर्ज (के स्थान पर) पहुंचे तो रसूलुल्लाह सल्ल0 और हम सब ने पड़ाव डाला। हज़रत आइशा रज़ि0 नबी अकरम सल्ल0 के क़रीब और मैं अपने बाप (हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0) के पास बैठ गई। हज़रत अबु बकर रज़ि0 और रसूलुल्लाह सल्ल0 का सामान एक ही ऊंटनी पर था और हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 का गुलाम भी (सामान की निगरानी के लिए) साथ था। हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 (अर्ज के स्थान पर) बैठ कर गुलाम का इन्तिज़ार करने लगे। जब वह आया, तो उस के साथ ऊंट नहीं था। हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 ने पूछा "ऊंट कहां है?" गुलाम ने अर्ज़ किया "वह तो पिछली रात मुझ से गुम हो गया।" हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 ने फ़रमाया "एक ही तो ऊंट था उसी को तुम ने गुम कर दिया।" और गुलाम को मारने लगे। नबी अकरम सल्ल0 (देख कर) मुस्कुराए और फ़रमाया "इस मुहरिम की तरफ़ देखो यह क्या कर रहा है।" इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 99 अहराम की हालत में समन्दरी जानवर का शिकार करना, उसको खरीदना व बेचना और उस का गोश्त खाना जाइज़ है।

1–किताबुल मनासिक।

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 27 के तहत देखें।

मसला 100 अहराम की हालत में सांप, बिच्छू कव्वा चील और काटने वाला कुत्ता और अन्य दरिन्दे जैसे शेर, चीता आदि को हरम में भी मारना जाइज़ है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ خَمْسٌ فَوَاسِقُ يُقْتَلْنَ فِي الْحِلِّ وَالْحَرَمِ الْحَيَّةُ وَالْغُرَابُ الْأَبْقَعُ وَالْفَأْرَةُ وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ وَالْحُدَيَّا. رواه مسلم (۱)

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "पांच ख़तरनाक जानवरों को हिल या हरम में हर जगह मारा जाए। सांप, चितकबरा कव्वा, चूहा, काटने वाला कुत्ता और चील।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 101 अहराम की हालत में मच्छर, मक्खी, जूं, काटने वाली चियूंटी आदि को भी मारा जा सकता है।

عَنْ عَطَاءٍ أَنَّ رَجُلاً سَأَلَهُ عَنِ الْقُرَادَةِ وَالنَّمْلَةِ تَدُبُّ عَلَيْهِ وَهُوَ مُحْرِمٌ فَقَالَ أَلْقِ عَنْكَ مَالَيْسَ مِنْكَ ذَكَرَهُ فِي فِقْهِ السُّنَّةِ. (۲)

हज़रत अता रह0 से एक आदमी ने सवाल किया कि "मुहरिम पर अगर पिस्सू या चियूंटी चलने लगे तो क्या हुक्म है?" उन्होंने कहा "जो चीज़ तुझ से नहीं उसे उतार फेंक।" यह रिवायत फ़िक़्हुस्सुन्ना में है।

मसला 102 ज़रूरत के समय मुहरिम अपने साथ हथियार रख सकता है:

عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ إِعْتَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذِي الْقَعْدَةِ فَأَبَى أَهْلُ مَكَّةَ أَنْ يَدَعُوهُ يَدْخُلُ مَكَّةَ حَتَّى

1- किताबुल हज

2- किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

قَاضَاهُمْ لَا يَدْخُلُ مَكَّةَ سِلَاحًا إِلَّا فِي الْقِرَابِ. رواه البخاری. (۱)

हज़रत बराअ़ बिन आज़िब रज़ि0 फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 ज़ीक़ाअ़दा में उमरा करने के लिए (मदीना से मक्का) तशरीफ़ लाए (हुदैबिया के स्थान पर) मक्का वालों ने नबी अकरम सल्ल0 को मक्का में आने से रोक दिया। यहां तक कि नबी अकरम सल्ल0 ने मक्का वालों से इस बात पर सुलह करली कि रसूलुल्लाह सल्ल0 (अगले साल) मक्का (उमरतुल क़ज़ा के लिए) तशरीफ़ लाएंगे और उन की तलवारें म्यानों में होंगी। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

☆☆☆

1–किताबुश्शहादत, बाब कैफ़ा यकतुबु हाज़ा मा सहीहा फ़लां बिन फ़लां।

Www.IslamicBooks.Website

مَمْنُوعَاتُ الْأَحْرَامِ

अहराम की हालत में वर्जित काम(1)

मसला 103 अहराम की हालत में निम्न चीज़ों का इस्तेमाल नाजाइज़ है:

अ–सिला हुआ कपड़ा, पहनना (मर्दों के लिए)

ब– सर पर पगड़ी, टोपी या कपड़ा ओढ़ना (मर्दों के लिए)

ज– मौज़े, जुराबें या ऐसा जूता पहनना जो टख़नों से ऊंचा हो (मर्दों के लिए)

द– जिस्म या अहराम के कपड़ों पर खुशबू लगाना (औरतों और मर्दों के लिए)

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَلْبَسُ الْمُحْرِمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَلْبَسُ الْقُمُصَ وَلاَ الْعَمَائِمَ وَلاَ السَّرَاوِيْلاَتِ وَلاَ الْبَرَانِسَ وَلاَ الْخِفَافَ إِلاَّ أَحَدٌ لاَ يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ وَلاَ تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ الزَّعْفَرَانُ أَوْ وَرْسٌ. رواه البخارى (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि एक आदमी ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! मुहरिम कौन से कपड़े पहने?" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "क़मीज़, पगड़ी, पायजामा और कोट न पहने, न ही मौज़े पहने। हां अलबत्ता जिसे जूतियां न मिलें, वह मौज़े टख़नों तक काट कर पहन ले और ज़ाफ़रान या वर्स (या कोई भी खूशबू) लगा हुआ कपड़ा भी इस्तेमाल न करे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

1–किताबुल मनासिक

Www.IslamicBooks.Website

मसला 104 अहराम पहनने के बाद अहराम की चादरों या जिस्म पर ख़ुशबू लगाना मना है:

मसला 105 मुहरिम अगर मर जाए तब भी उसे ख़ुशबू नहीं लगानी चाहिए न ही उस का सर ढांपना चाहिए:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَجُلاً كَانَ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَوَقَصَتْهُ نَاقَتُهُ وَهُوَمُحْرِمٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اغْسِلُوْهُ بِمَاءٍ وَسِدْرٍ وَكَفِّنُوْهُ فِي ثَوْبَيْهِ وَلاَ تَمَسُّوْهُ بِطِيْبٍ وَلاَ تُخَمِّرُوا رَأْسَهُ فَإِنَّهُ يُبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. رواه النسائى (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि (हज्जतुल वदाअ़ के अवसर पर) "एक आदमी अहराम की हालत में नबी अकरम सल्ल0 के साथ था उस की ऊंटनी ने उसे (गिराकर) उस की गरदन तोड़ दी और वह मर गया। रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "उसे पानी और बेरी के पत्तों से ग़ुस्ल दो और (अहराम के) दोनों कपड़ों में उसे कफ़न दो, उसे ख़ूशबू न लगाओ, न ही उस का सर ढांपो। यह क़ियामत के दिन तलबिया कहते हुए उठेगा।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 106 मुहरिम न निकाह कर सकता है न करा सकता है न ही निकाह का पैग़ाम भेज सकता है:

عَنْ أَبَانَ ابْنِ عُثْمَانَ قَالَ سَمِعْتُ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ يَنْكِحُ الْمُحْرِمُ وَلاَيُنْكِحُ وَلاَ يَخْطُبُ. رواه مسلم (٢)

हज़रत अबान रज़ि0 कहते हैं मैंने हज़रत उसमान रज़ि0 को कहते हुए सुना है कि रसूले अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "मुहरिम

1- किताबुल हज, बाब ग़ुस्लिल मुहरिमि

2-किताबुन्निकाह।

Www.IslamicBooks.Website

निकाह करे न करवाए और न ही निकाह का पैग़ाम भेजे।'' इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 107 अहराम की हालत में ख़ुशकी के जानवर का शिकार करना और ज़बह करना दोनों मना हैं:

मसला 108 अहराम की हालत में किसी शिकारी की मदद करना भी मना है।

मसला 109 अगर कोई व्यक्ति अहराम की हालत में न हो और वह अपने लिए स्वयं शिकार करे तो मुहरिम के लिए खाना जाइज़ है लेकिन अगर वह मुहरिम को देने की नीयत से शिकार किया गया हो तो फिर मुहरिम के लिए खाना जाइज़ नहीं:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ حَاجًّا وَخَرَجْنَا مَعَهُ قَالَ فَصَرَفَ مِنْ أَصْحَابِهِ فِيْهِمْ أَبُوقَتَادَةَ فَقَالَ خُذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ حَتَّى تَلْقَوْنِيْ قَالَ فَأَخَذُوا سَاحِلَ الْبَحْرِ فَلَمَّا انْصَرَفُوْا قِبَلَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَحْرَمُوا كُلُّهُمْ إِلَّا أَبَا قَتَادَةَ فَإِنَّهُ لَمْ يُحْرِمْ فَبَيْنَمَا هُمْ يَسِيْرُوْنَ إِذْ رَأَوْا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُوقَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلُوا فَأَكَلُوا مِنْ لَحْمِهَا قَالَ فَقَالُوا أَكَلْنَا لَحْمًا وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ قَالَ فَحَمَلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِ الْأَتَانِ فَلَمَّا أَتَوْا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّا كُنَّا أَحْرَمْنَا وَكَانَ أَبُوقَتَادَةَ لَمْ يُحْرِمْ فَرَأَيْنَا حُمُرَ وَحْشٍ فَحَمَلَ عَلَيْهَا أَبُوقَتَادَةَ فَعَقَرَ مِنْهَا أَتَانًا فَنَزَلْنَا فَأَكَلْنَا مِنْ لَحْمِهَا فَقُلْنَا نَأْكُلُ لَحْمَ صَيْدٍ وَنَحْنُ مُحْرِمُوْنَ فَحَمَلْنَا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا فَقَالَ: هَلْ مِنْكُمْ أَحَدٌ أَمَرَهُ أَوْ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ قَالَ قَالُوا لَا قَالَ فَكُلُوا مَا بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا. رواه مسلم (۱)

1-किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अबु क़तादा रज़ि0 कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 मदीना हज के लिए निकले और हम भी आप सल्ल0 के साथ निकले। हज़रत अबु क़तादा रज़ि0 ने कहा कि आप सल्ल0 ने और राह ली और अपने सहाबा में से कुछ को फ़रमाया "तुम साहिल समन्द्र की राह लो यहां तक कि मुझ से आ मिलो।" उन्हीं में हज़रत अबु क़तादा रज़ि0 भी थे। उन लोगों ने पानी के किनारे की राह ली। फिर जब वे रसूले अकरम सल्ल0 के पास पहुंचे तो उन्होंने अहराम बांध लिए सिवाए हज़रत अबु क़तादा रज़ि0 के उन्होंने अहराम नहीं बांधा था वे चले जा रहे थे कि उन्होंने रास्ते में वहशी गधों को देखा। हज़रत अबु क़तादा रज़ि0 ने उन पर हमला किया और उन में से एक गधी की कोंचें काट दीं अतएव सब ने एक जगह पड़ाव किया। उस का गोश्त खाया फिर उन्होंने (आपस में) कहा कि हम ने गोश्त खाया यद्यपि हम मुहरिम थे। उस का बाक़ी गोशत साथ ले लिया। फिर जब रसूले अकरम सल्ल0 के पास पहुंचे तो अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! हम ने अहराम बांध लिया था लेकिन हज़रत अबु क़तादा रज़ि0 ने नहीं बांधा था फिर हम ने कुछ वहशी गधे देखे और हज़रत अबु क़तादा रज़ि0 ने उन पर हमला करके एक की कोचें काट डालीं। हम ने पड़ाव डाला और सब ने उस का गोश्त खाया। फिर हम ने कहा कि हम शिकार का गोशत खा रहे हैं यद्यपि हम अहराम बांधे हुए हैं और उस का बाक़ी गोश्त हम ले आए हैं। आप सल्ल0 ने फ़रमाया "किसी ने तुम में से इस का हुक्म दिया था या इस की तरफ़ इशारा किया था?" तो उन्होंने अर्ज़ किया "नहीं!" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "इस का जो गोश्त बाक़ी है वह भी खालो।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَّامَةَ اللَّيْثِيِّ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

Www.IslamicBooks.Website

وَسَلَّمَ حِمَارًا وَحْشِيًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بِوَدَّانَ فَرَدَّهُ عَلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ فَلَمَّا أَنْ رَأَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا فِيْ وَجْهِيْ قَالَ: إِنَّا لَمْ نَرُدُّهُ عَلَيْكَ إِلَّا إِنَّا حُرُمٌ. رواه مسلم (۱)

हज़रत साअब बिन जसामा लैसी रज़ि० से रिवायत है कि उन्होंने रसूले अकरम सल्ल० को एक जंगली गधा (शिकार करके) हदया पेश किया। उस समय आप सल्ल० वादो अबवा या वदान में थे। रसूलुल्लाह सल्ल० ने हदया वापस लौटा दिया लेकिन जब आपने साअब रज़ि० के चेहरे पर मलाल देखा तो फ़रमाया हमने यह हदया केवल इस लिए लौटाया है कि हम अहराम में हैं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 110 मुहरिम औरत के लिए चेहरे का पर्दा करना मना है अलबत्ता ज़रूरत के समय चेहरे को छुपाने के लिए औरत चादर या ओढ़नी आदि इस्तेमाल कर सकती है अगर ओढ़नी चेहरे को छुए तो कोई हरज नहीं।

मसला 111 मुहरिम औरत के लिए दस्ताने पहनना मना है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: وَلَا تَنْتَقِبِ الْمَرْأَةُ الْحَرَامُ وَلَا تَلْبَسِ الْقُفَّازَيْنِ.

رواه الترمذی (۲) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "अहराम वाली औरत नक़ाब और दस्ताने इस्तेमाल न करे।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّوْنَ بِنَا وَنَحْنُ

1-किताबुल हज

2-किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُحْرِمَاتٌ فَإِذَا جَاذْوْا بِنَا سَدَلَتْ إِحْدَانَا جَلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا عَلَى وَجْهِهَا فَإِذَا جَاوَزُوْنَا كَشَفْنَاهُ.

رواه أحمد وأبو داؤد وابن ماجة. (۱)

हज़रत आइशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि हम रसूलुल्लाह सल्ल0 के साथ हालते अहराम की हालत में थीं और क़ाफ़िले हमारे सामने से गुज़रते थे जब वे सामने आते तो हम अपनी चादरें मुंह पर लटका लेतीं और जब वे गुज़र जाते, तो मुंह खोल लेतीं। इसे अहमद, अबु दाऊद और इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 112 अहराम की हालत में जिन्सी काम या बातें लड़ाई झगड़ा या कोई और अवज्ञा का काम करना मना है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ حَجَّ هَذَا الْبَيْتَ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ. رواه البخاري (۲)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 कहते हैं कि मैंने नबी अकरम सल्ल0 को फ़रमाते हुए सुना है कि जिस व्यक्ति ने अल्लाह (की प्रसन्नता) के लिए हज किया और उस में कोई जिन्सी काम या जिन्सी अमल नहीं किया अल्लाह तआला की अवज्ञा नहीं की वह (हज के बाद उसी तरह गुनाहों से पाक होकर) उस दिन की तरह घर वापस आता है जिस दिन उस की मां ने उसे (गुनाहों से पाक) जना था। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 13 हालते अहराम में शिकार करने या खाने का फ़िदया एक दुंबे की क़ुरबानी देना है:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ جَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

1- मुंतक़ियुल अख़बार पहला भाग रक़्मुल हदीस 2441

2-किताबुल हज, बाबु फ़ज़लि हज्जिल मबरूर।

Www.IslamicBooks.Website

وَسَلَّمَ فِي الضَّبُعِ يُصِيْبُهُ الْمُحْرِمُ كَبْشًا وَجَعَلَهُ مِنَ الصَّيْدِ.

رواه ابن ماجة (۱) (صحيح)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल0 ने अहराम की हालत में बिज्जू का शिकार करने पर एक दुंबे की कुरबानी फ़िदया मुक़र्रर फ़रमाया है और उसे शिकार क़रार दिया है। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

स्पष्टी करण: अगर मुहरिम कोई बड़ा जानवर शिकार करेगा तो बड़ी कुरबानी फ़िदया में देनी पड़ेगी अगर छोटा जानवर शिकार करेगा तो छोटा जानवर फ़िदया देना पड़ेगा जैसे जंगली गधे के बदले गाय हिरन के बदले दुंबा या बकरा आदि अगर यह न हो सके तो फ़िदया की क़ीमत आधा साअ़ (4/1 किलो ग्राम) प्रति मिसकीन के हिसाब से मिसकीनों में तक़सीम करना चाहिए। यह भी मुमकिन न हो तो फ़िदया की क़ीमत से जितने रोज़े रखे जा सकते हों उतने रोज़े रखने चाहिएं। इन बातों का फ़ैसला दो न्याय प्रिय व्यक्ति करेंगे। देखें कुरआन मजीद की सूरह माइदा की आयत न0 94।

मसला 114 अहराम की हालत में बाल काटना, सर मुंडाना या नाख़ुन काटना मना है:

स्पष्टीकरण: मसला ऩ0 21 के तहत सूरह बक़रह की आयत 96 देखें।

मसला 115 अहराम की हालत में पत्नी से संभोग करना मना है ऐसा करने पर हज बातिल हो जाता है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 119 के तहत देखें।

☆☆☆

1–किताबुल मनासिक, जज़ाउस्सैयदि युसीबुहुल महरिमि।

Www.IslamicBooks.Website

اَلْفِدْيَةُ

फ़िदया के मसाइल

मसला 116 हाजी या मोतमर (उमरा करने वाला) अहराम में मनाही वाले कामों में से कोई काम करे, तो उस पर एक कुरबानी अगर यह संभव न हो तो छः मिसकीनों का खाना अगर यह भी संभव न तो तीन दिन के रोज़ों का फ़िदया अदा करना ज़रूरी है:

मसला 117 बीमारी या सर की तकलीफ़ के कारण कुरबानी के दिन से पहले अहराम खोलना पड़े तो उपरोक्त फ़िदया अदा करना होगाः

عَنْ عَبْدَ اللهِ بْنَ مَعْقِلٍ قَالَ قَعَدْتُ إِلَى كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ يَعْنِي مَسْجِدَ الْكُوْفَةِ فَسَأَلْتُهُ عَنْ فِدْيَةٍ مِنْ صِيَامٍ فَقَالَ حُمِلْتُ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْقُمَّلُ يَتَنَاثَرُ عَلَى وَجْهِي فَقَالَ: مَا كُنْتُ أُرَى أَنَّ الْجَهْدَ قَدْ بَلَغَ بِكَ هَذَا أَمَا تَجِدُ شَاةً قُلْتُ لاَ قَالَ صُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ أَوْ أَطْعِمْ سِتَّةَ مَسَاكِيْنَ لِكُلِّ مِسْكِيْنٍ نِصْفُ صَاعٍ مِنْ طَعَامٍ وَاحْلِقْ رَأْسَكَ. رواه البخارى (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन माक़िल रज़ि0 कहते हैं मैं हज़रत काअब बिन उजरा रज़ि0 के पास कूफ़ा की उस मस्जिद में बैठा हुआ था। मैंने उन से रोज़े के फ़िदया के बारे में सवाल किया (कि यह कितना होना चाहिए इस पर) उन्होंने बताया कि (हालते अहराम में) मुझे नबी अकरम सल्ल0 के पास ले जाया गया इस हाल में कि जुएं (अधिकता की वजह से) मेरे चेहरे पर गिर रही थीं। आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "मेरा ख़्याल नहीं था कि तुम्हें इतनी ज़्यादा तकलीफ़ होगी

1- किताबुत्तफ़सीर बाब क़ौलिहि फ़मन कान मिनकुम मरीज़न अव बिहि अज़न मिन रासिहि

Www.IslamicBooks.Website

अच्छा बताओ एक बकरी ज़बह करने की ताक़त रखते हो?" मैंने अर्ज़ किया "नहीं! आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "तो फिर तीन रोज़े रख लो या छः मिसकीनों को खाना खिलाओ (या) हर मिसकीन को एक समय के खाने के बदले आधा साअ़ (4/11 किलो ग्राम) अनाज या उस की क़ीमत दे दो और अपना सर मुंडवालो।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 118 अहराम बांधने के बाद किसी रुकावट के कारण हज या उमरा अदा न कर सकने की सूरत में हाजी या मोतमर को एक जानवर ज़बह करके अहराम खोल देना चाहिए:

عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا خَرَجَ مُعْتَمِراً فِي الْفِتْنَةِ فَقَالَ إِنْ صُدِدْتُ عَنِ الْبَيْتِ صَنَعْنَا كَمَا صَنَعْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَهَلَّ بِعُمْرَةٍ مِنْ أَجْلِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ أَهَلَّ بِعُمْرَةٍ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ. رواه البخارى (١)

हज़रत नाफ़ेअ रह0 से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 फ़ितनों के ज़माना में उमरा के लिए निकले तो कहने लगे "अगर मैं ख़ाना काबा पहुंचने से रोक दिया गया तो वही करूंगा जो हम ने रसूलुल्लाह सल्ल0 के ज़माना में किया था।" (अर्थात कुफ़्फ़ार मक्का के रोकने पर रसूलुल्लाह सल्ल0 ने जानवर कुरबान करके अहराम खोलने का हुक्म दे दिया था। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 119 अहराम की हालत में पत्नी से संभोग करने का फ़िदया एक ऊंट की कुरबानी और दूसरा हज अदा करना है:

عَنْ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ وَعَلِيَّ بْنَ أَبِيْ طَالِبٍ وَأَبَا هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ

1- किताबुल मग़ाज़ी, बाब ग़ज़वतिल हुदैबिया।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْهُمْ أَنَّهُمْ سُئِلُوا عَنْ رَجُلٍ أَصَابَ أَهْلَهُ وَهُوَ مُحْرِمٌ بِالْحَجِّ فَقَالُوا يَنْفُذَانِ يَمْضِيَانِ لِوَجْهِهِمَا حَتَّى يَقْضِيَا حَجَّهُمَا ثُمَّ عَلَيْهِمَا حَجٌّ قَابِلٍ وَالْهَدْيُ. رواه مالک في المؤطا. (۱)

हज़रत उमर, हज़रत अली और हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 से अहराम की हालत में अपनी पत्नी से संभोग करने वाले के बारे में पूछा गया, तो उन्होंने फ़रमाया "दोनों पति पत्नी हज के अरकान अदा करें यहां तक कि हज मुकम्मल हो जाए। फिर अगले साल दूसरा हज अदा करें और इसी के साथ क़ुरबानी करें।" इसे मालिक ने मोत्ता में रिवायत किया है।

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ وَقَعَ بِأَهْلِهِ وَهُوَ بِمِنًى قَبْلَ أَنْ يُفِيضَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَنْحَرَ بَدَنَةً. رواه مالک (۲)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से किसी आदमी ने सवाल किया कि उस आदमी के बारे में क्या हुक्म है जिस ने मिना में अपनी पत्नी से संभोग किया? हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 ने फ़रमाया "वह एक ऊंट की क़ुरबानी दे।" इसे मालिक ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: फ़िदया की क़ुरबानी हज की क़ुरबानी के अलावा होगी।

☆☆☆

1-किताबुल हज, बाब हदियुल मुहरिम इज़ा असाबा अहलहु।

2-किताबुल हज, बाब हदियुल मुहरिमि इज़ा असाबा अहलुहु क़ब्ला अन युफ़ीज़ा।

Www.IslamicBooks.Website

اَلتَّلْبِيَةُ (۱)

तलबिया के मसाइल

मसला 120 उमरा या हज का अहराम बांधने के बाद तलबिया कहने का हुक्म है:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: يَا آلَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ حَجَّ مِنْكُمْ فَلْيُهَلِّلْ فِيْ حَجِّهِ. رواه أحمد وأبن حبان. (۲)

हज़रत उम्मे सलमा रज़ि० कहती हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि "ऐ मुहम्मद! सल्ल० के घर वालो तुम में से जो व्यक्ति हज करे उसे तलबिया पुकारना चाहिए।" इसे अहमद और इब्ने हिब्बान ने रिवायत किया है।

मसला 121 तलबिया कहने की श्रेष्ठता:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ مُلَبٍّ يُلَبِّي إِلَّا لَبَّى مَا عَنْ يَمِيْنِهِ وَشِمَالِهِ مِنْ حَجَرٍ أَوْ شَجَرٍ أَوْ مَدَرٍ حَتَّى تَنْقَطِعَ الْأَرْضُ مِنْ هَاهُنَا وَهَاهُنَا. رواه ابن ماجة (۳) (صحيح)

हज़रत सहल बिन साद साइदी रज़ि० रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जब कोई तलबिया कहने वाला कहता है तो उस के दाएं और बाएं ज़मीन के आख़िरी किनारों तक

1- बुलन्द आवाज़ से لبیک اللھم لبیک पुकारने को तलबीह कहते हैं।

2- फ़िक़्हुस्सुन्ना, किताबुल हज, बाबुत्तलबिया।

3- किताबुल मनासिक, बाबुत्तलबिया।

Www.IslamicBooks.Website

तमाम पत्थर, पेड़ और कंकर भी लब्बैक पुकारते हैं। (जिस का सवाब तलबिया कहने वाले को मिलता है।)" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 122 तलबिया के मसनून शब्द निम्न हैं:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ تَلْبِيَةَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لاَ شَرِيْكَ لَكَ.

رواه البخارى (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल0 के तलबिया के शब्द यह थे।" हाज़िर हूं ऐ अल्लाह मैं हाज़िर हूं, मैं हाज़िर हूं, तेरा कोई साझी नहीं, मैं हाज़िर हूं बेशक प्रशंसा तेरे ही योग्य है सारी नेमतें तेरी ही दी हुई हैं। बादशाही तेरी ही है और तेरा कोई साझी नहीं।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 123 तलबिया के लिए निम्न शब्द कहने भी मसनून हैं:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ مِنْ تَلْبِيَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّيْكَ إِلٰهَ الْحَقِّ. رواه النسائى (۲) (صحيح)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 तलबिया के लिए ये शब्द भी अदा फ़रमाते "ऐ इलाहुल आलमीन! मैं हाज़िर हूं।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 124 हज का अहराम बांधने और तलबिया कहने के बाद एक बार اَللّٰهُمَّ حَجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةٌ कहना मसनून है:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

1- किताबुल मनासिक, बाबुत्तलबिया।

2- किताबुल मनासिक, बाबुत्तलबिया।

Www.IslamicBooks.Website

وَسَلَّمَ عَلَى رَحْلٍ رَثٍّ وَقَطِيْفَةٍ تُسَاوِي أَرْبَعَةَ دَرَاهِمَ أَوْ لاَ تُسَاوِي ثُمَّ قَالَ: اَللّٰهُمَّ حَجَّةٌ لاَ رِيَاءَ فِيْهَا وَلاَ سُمْعَةَ.

رواه ابن ماجة (۱) (صحيح)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने ऐसी सवारी पर हज किया जिस की ज़ीन पुरानी थी और आप सल्ल0 के जिस्म पर ऐसी चादर थी जो चादर दिरहम या उस से भी कम क़ीमत की थी। आप सल्ल0 यह फ़रमा रहे थे "या अल्लाह! मैं ऐसा हज कर रहा हूं जिस में न दिखावा है न किसी प्रसिद्ध की तलब अभिप्राय है।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 125 तलबिया कहने के बाद जन्नत हासिल करने और जहन्नम से पनाह मांगने की दुआ करना मसनून है:

عَنْ خُزَيْمَةَ بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَانَ إِذَا فَرَغَ مِنْ تَلْبِيَةٍ سَأَلَ اللّٰهَ رِضْوَانَهُ وَالْجَنَّةَ وَاسْتَغْفَاهُ بِرَحْمَتِهِ مِنَ النَّارِ. رواه الشافعي (۲)

हज़रत ख़ुज़ैमा (बिन साबित) रज़ि0 अपने बाप (हज़रत साबित रज़ि0) से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 जब तलबिया से फ़ारिग़ होते तो अल्लाह तआला से उस की प्रसन्नता और जन्नत का सवाल करते और अल्लाह तआला की रहमत के वसीले से आग से माफ़ी मांगते। इसे शाफ़ई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: दुआ के शब्द यूं हैं اللهم إني اسئلک رضوانک والجنة واعوذ برحمتک من النار अनुवाद "ऐ अल्लाह मैं तुझ से तेरी प्रसन्नता और जन्नत का सवाल करता हूं और तेरी रहमत के वसीले से आग से पनाह तलब करता हूं।"

1-किताबुल मनासिक, बाबुल हज 2-किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

मसला 126 तलबिया के बाद اِنِّیْ اُرِیْدُ الْحَجَّ فَیَسِّرْهُ لِیْ के शब्द कहना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 127 बुलन्द आवाज़ से तलबिया कहना हज के अज्र व सवाब में वृद्धि का कारण है:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ أَيُّ الْحَجِّ أَفْضَلُ؟ قَالَ: اَلْعَجُّ وَالثَّجُّ.

رواه الترمذي (١) (صحيح)

हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल0 से मालूम किया गया "कौन सा हज श्रेष्ठ है?" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "जिस में बुलन्द आवाज़ से तलबिया पुकारा जाए और कुरबानी दी जाए।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 128 केवल मर्दों को बुलन्द आवाज़ से तलबिया पुकारना चाहिए:

عَنْ خَلَّادِ ابْنِ السَّائِبِ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَتَانِي جِبْرِيْلُ فَأَمَرَنِي أَنْ آمُرَ أَصْحَابِي أَنْ يَرْفَعُوا أَصْوَاتَهُمْ بِالْإِهْلَالِ. رواه ابن ماجة (٢) (صحيح)

हज़रत ख़ल्लाद बिन साइब रज़ि0 अपने बाप (हज़रत साइब रज़ि0) से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "मेरे पास जिब्राइल अलैहि0 आए और मुझे (अल्लाह की तरफ़ से) हुक्म दिया कि मैं अपने सहाबा को हुक्म दूं कि वह तलबिया बुलन्द आवाज़ से कहें।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 129 औरत को बुलन्द आवाज़ से तलबिया नहीं कहना चाहिए बल्कि केवल इतनी आवाज़ से जिसे वह स्वयं सून सके:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:

1–किताबुल हज, बाब फ़ज़लुत्तलबियति वन्नहरि।

2–किताबुल मनासिक, बाब रफ़अस्सौति बित्तलबियति।

Www.IslamicBooks.Website

التَّسْبِيْحُ لِلرِّجَالِ وَالتَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ فِي الصَّلاَةِ. رواه مسلم (١)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "नमाज़ में (इमाम के भूलने पर) मर्दों के लिए سبحان الله कहना है, औरतों के लिए हाथ पर हाथ मारना है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 130 उमरा में तवाफ़ शुरू करने से पहले तलबिया कहना बन्द कर देना चाहिएः

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يُمْسِكُ عَنِ التَّلْبِيَةِ فِي الْعُمْرَةِ إِذَا اسْتَلَمَ الْحَجَرَ. رواه الترمذي (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 उमरा में हजरे असवद का इस्तिलाम करते ही तलबिया कहना बन्द कर देते।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 131 हज में दस ज़िलहिज्जा (क़ुरबानी के दिन) जमरा उक़बा को कंकरियां मारने से पहले तलबिया कहना बन्द कर देना चाहिएः

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَبَّى حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ. رواه ابو داؤد (٣) (صحيح)

हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल0 ने (अपने हज में) जमरा उक़बा को कंकरियां मारने तक तलबिया कहा। इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 132 काफ़िले वालों का सामूहिक रूप से बुलन्द आवाज़ से तलबिया कहना सुन्नत से साबित नहींः

☆☆☆

1-किताबुस्सलात बाबुत्तसबीह लिल हाजति फ़िस्सलाति।

2-किताबुल हज, बाब मा जाआ मता यक़तउत्तलबियता फ़िल उमराति।

3-किताबुल मनासिक, बाब मता यक़तउत्तलबियता।

Www.IslamicBooks.Website

دُخُولُ مَكَّةَ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ

मक्का मुकर्रमा और मस्जिद हराम में दाख़िल होने के मसाइल

मसला 133 मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने से पहले वादी तुवा (नया नाम अबार ज़ाहिद) में रात बसर करना मसनून है:

मसला 134 मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने से पहले ग़ुस्ल करना मुस्तहब है:

मसला 135 मक्का मुकर्रमा में दिन के समय दाख़िल होना मुस्तहब है:

عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اَنَّهُ كَانُ يُلَبِّيُ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ فَاِذَا بَلَغَ الْحَرَمَ أَمْسَكَ حَتَّى إِذَا جَاءَ ذَا طُوًى بَاتَ بِهِ فَإِذَا صَلَّى الْغَدَاةَ اغْتَسَلَ وَزَعَمَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ ذَلِكَ.

رواه البخارى (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 जुलहुलैफ़ा से तलबिया पुकारना शुरू करते। हरम की सीमा में पहुंचते तो रुक जाते और रात ज़ी तुवा में बसर करते। फिर नमाज़ अदा कर लेते तो ग़ुस्ल फ़रमाते (और फिर मक्का मुअज़्ज़मा में दाख़िल होते) हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 यक़ीन रखते कि रसूले अकरम सल्ल0 ने भी ऐसा ही किया था। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 136 मक्का मुकर्रमा में कुदाई के रास्ते दाख़िल होना मुस्तहब है और बाबुश्शीका के क़रीब मौहल्ला शमिया की निचली घाटी के रास्ते वापस आना मुस्तहब है:

1-किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَدْخُلُ مَكَّةَ مِنْ كُدَاءَ مِنْ ثَنِيَّةِ الْبَطْحَاءِ وَيَخْرُجُ مِنَ الثَّنِيَّةِ السُّفْلَى. رواه أبوداؤد (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० मक्का मुअज्ज़मा में बतहा वाली ऊंची घाटी से कुदाई के रास्ते दाख़िल होते और निचली घाटी से वापस तशरीफ़ लाते। इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 137 मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होते समय निम्न दुआ पढ़ना मसनून है:

عَنِ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نُسَافِرُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَإِذَا رَأَى قَرْيَةً يُرِيْدَ أَنْ يُّدْخُلَهَا قَالَ: اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَنَا فِيْهَا (ثَلاَثًا) اَللّٰهُمَّ أَرْزُقْنَا جَنَاهَا وَحَبِّبْنَا اِلَى أَهْلِهَا وَحَبِّبْ صَالِحَ أَهْلَهَا اِلَيْنَا. رواه الطبرانى (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं कि हम रसूले अकरम सल्ल० के साथ सफ़र में होते जब आप वह बस्ती देखते जिस में दाख़िल होना चाहते तो तीन बार फ़रमाते ऐ अल्लाह! हमें इस बस्ती में बरकत प्रदान कर इस बस्ती के फलों से हमें लाभान्वित कर और यहां के लोगों के दिलों में हमारी मुहब्बत डाल दे और यहां के भले लोगों को हमारे लिए महबूब बना दे। इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने पर वही दुआ पढ़ना मसनून है जो दूसरी बस्तियों में दाख़िल होने के लिए है। मक्का

1- किताबुल मनासिक, बाब दुख़ूलि मक्काता।

2- इद्दतुल हिस्नि वल हसीन फ़ज़्लुस्सफ़रि, रक़मुल हदीस 287

Www.IslamicBooks.Website

मुकर्रमा में दाख़िल होने के लिए कोई अलग दुआ रसूले अकरम सल्ल0 से साबित नहीं।

मसला 138 मस्जिदुल हराम में बाब बनी शीबा (अब बाबुस्सलाम) से दाख़िल होना मसनून है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا قَدِمَ فِيْ عُقْدِ قُرَيْشٍ فَلَمَّا دَخَلَ مَكَّةَ دَخَلَ مِنْ هٰذَا الْبَابِ الْأَعْظَمِ. رواه ابن خزيمة (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि जब रसूले अकरम सल्ल0 कुरैश मक्का से सन्धि के तहत मक्का तशरीफ़ लाए तो (मस्जिदुल हराम में) उसी महान बाब (बाब बनी शीबा) से दाख़िल हुए। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: नबी अकरम सल्ल0 के ज़माना में मस्जिदुल हराम की सीमा बनी शीबा तक थी। आज कल बाब बनी शीबा के बिल्कुल सामने बाबुस्सलाम पड़ता है। अगर हाजी बाबुस्सलाम से दाख़िल होकर सीधा बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ चले तो वह स्वयं ही बाब बनी शीबा से गुज़रेगा।

मसला 139 मस्जिदुल हराम में दाख़िल होते समय यह दुआ पढ़नी चाहिए بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ और निकलते समय यह दुआ पढ़नी चाहिए بِسْمِ اللّٰهِ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ ذُنُوْبِيْ وَافْتَحْ لِيْ اَبْوَابَ فَضْلِكَ.

عَنْ فَاطِمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا بِنْتِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ: كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ يَقُوْلُ:

1- किताबुल मनासिक, बाब इस्तिहबाबि दुख़ूलिल मस्जिद मिन बाबि बनी शीबा।

Www.IslamicBooks.Website

بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِى ذُنُوْبِىْ وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ قَالَ: بِسْمِ اللهِ وَالسَّلاَمُ عَلَى رَسُوْلِ اللهِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِىْ ذُنُوْبِى وَافْتَحْ لِىْ أَبْوَابَ فَضْلِكَ.

رواه ابن ماجة (۱) (صحيح)

हज़रत फ़ातिमा रज़ि० बिन्ते रसूलुल्लाह सल्ल० कहती हैं रसूले अकरम सल्ल० जब मस्जिद में दाख़िल होते तो फ़रमाते "अल्लाह के नाम से दाख़िल होता हूं, अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा और अपनी रहमत के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे" जब मस्जिद से बाहर निकलते तो ये कलिमात अदा फ़रमाते अल्लाह के नाम से मस्जिद से निकलता हूं, अल्लाह के रसूल पर सलाम हो। ऐ अल्लाह! मेरे गुनाह माफ़ फ़रमा और अपनी कृपा के दरवाज़े मेरे लिए खोल दे।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: मस्जिदुल हराम में दाख़िल होने और निकलने की वही दुआ है जो आम मस्जिदों के लिए है कोई अलग ख़ास दुआ रसूले अकरम सल्ल० से साबित नहीं।

मसला 140 बैतुल्लाह शरीफ़ को देख कर दुआ करना मुस्तहब है:

عَنْ سَعِيْدِ بْنَ مُسَيَّبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ كَانَ حِيْنَ يَنْظُرُ اِلَى الْبَيْتِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلاَمُ وَمِنْكَ السَّلاَمُ فَحَيِّنَا رَبَّنَا بِالسَّلاَمِ.

رواه الشافعى (۲)

हज़रत सईद बिन मुसय्यब रज़ि० जब बैतुल्लाह शरीफ़ की तरफ़ देखते तो फ़रमाते "तू सरापा सलामती है और सलामती तुझी से हासिल हो सकती है ऐ हमारे पालनहार हमें सलामती के साथ

1-किताबुल मसाजिद, बाबुहुआ इन्दा दुखूलिल मस्जिद। 2-किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

ज़िन्दा रख।" इसे शाफ़ओ ने रिवायत किया है।

मसला 141 मस्जिद हराम में दाख़िल होने के बाद सब से पहले वज़ू करके तवाफ़ करना मसनून है:

عَنْ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فَقَالَ قَدْ حَجَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرَتْنِيْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا إِنَّ أَوَّلَ شَيْءٍ بَدَأَ بِهِ حِيْنَ قَدِمَ مَكَّةَ أَنَّهُ تَوَضَّأَ ثُمَّ طَافَ بِالْبَيْتِ. متفق عليه (١)

हज़रत उरवा बिन ज़ुबैर रज़ि0 कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 के हज के बारे में हज़रत आइशा रज़ि0 ने मुझे बताया कि जब रसूले अकरम सल्ल0 मक्का मुकर्रमा (मस्जिद हराम) तशरीफ़ लाए तो सब से पहले आप सल्ल0 ने वज़ू किया फिर बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ किया। इसे बुख़ारी व मुस्लिम ने रिवायत किया है)

स्पष्टीकरण: अगर फ़र्ज़ नमाज़ खड़ी हो या क़ज़ा नमाज़ अदा करनी हो तो पहले फ़र्ज़ नमाज़ अदा करनी चाहिए और फिर तवाफ़ करना चाहिए।

मसला 142 मस्जिदुल हराम में दाख़िल होकर तहिय्यतुल मस्जिद अदा करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 143 मस्जिदुल हराम से निकलते समय उलटे पावं वापस आना सुन्नत से साबित नहीं:

☆☆☆

1-मिशकातुल मसाबीह, किताबुल हज, बाब दुख़ूलि मक्काता

Www.IslamicBooks.Website

اَنْوَاعُ الطَّوَافِ

तवाफ़(1) की क़िस्में

मसला 144 तवाफ़ की पांच क़िस्में हैं:

1–तवाफ़ कुदूम (या तवाफ़े तहिय्यह या तवाफ़े वरूद।

2–तवाफ़े उमरा।

3–तवाफ़ इफ़ाज़ा (या तवाफ़े ज़ियारत या तवाफ़े हज)

4–तवाफ़े वदा।

5–नफ़ली तवाफ़।

पांचों क़िस्मों का विवरण निम्न है।

मसला 145 मक्का मुकर्रमा में दाख़िल होने के बाद सब से पहले जो तवाफ़ किया जाता है उसे तवाफ़े कुदूम या तवाफ़े तहिय्यह या तवाफ़े वरूद कहा जाता है:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فَقَدْ حَجَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ قَبْلَ أَنْ يَأْتِيَ الْمَوْقِفَ. رواه مسلم (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने हज अदा किया और अरफ़ात जाने से पहले तवाफ़ (तहिय्यह)अदा किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: तवाफ़ कुदूम मसनून है वाजिब नहीं। अतः अगर कोई व्यक्ति मक्का मुकर्रमा जाने की बजाए सीधा मिना या अरफ़ात चला जाए तो उस पर कोई दम या फ़िदया नहीं है।

1– बैतुल्लाह शरीफ़ के गिर्द सात चक्कर लगाने को एक तवाफ़ कहा जाता है और एक चक्कर को शौत कहा जाता है।

2–किताबुल हज, बाब इस्तिहबाबि तवाफ़िल कुदूमि लिलहज।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 146 उमरा अदा करने वाला व्यक्ति मक्का मुअज्ज़मा पहुंच कर सब से पहले जो तवाफ़ अदा करता है उसे तवाफ़ उमरा कहा जाता है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَصْحَابَهُ اعْتَمَرُوا مِنَ الْجِعْرَانَةِ فَرَمَلُوا بِالْبَيْتِ وَجَعَلُوا أَرْدِيَتَهُمْ تَحْتَ اٰبَاطِهِمْ ثُمَّ قَذَفُوْهَا عَلَى عَوَاتِقِهِمُ الْيُسْرَى.

رواه ابوداؤد (۱) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल0 और आप सल्ल0 के सहाबा ने जाअ़राना से (अहराम बांध कर) उमरा किया तो (तवाफ़े उमरा में) अपनी चादरें दाएं मूंढों के नीचे से निकाल कर बाएं मूंढों पर डाल लीं। इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

वज़ाहतः 1–तवाफ़ उमरा, उमरा का रुक्न इस के बिना उमरा अदा नहीं होता।

2–मोतमर (उमरा अदा करने वाला) का तवाफ़ उमरा ही उस का तवाफ़ क़ुदूम या तवाफ़े तहिय्या या तवाफ़े वरूद कहलाएगा।

मसला 147 दस ज़िलहिज्जा को मिना में क़ुरबानी करने के बाद मक्का मुकर्रमा आकर बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करना फ़र्ज़ है इसे तवाफ़े इफ़ाज़ा या तवाफ़े ज़ियारत या तवाफ़े हज कहते हैं।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَرَادَ مِنْ صَفِيَّةَ بَعْضَ مَايُرِيْدُ الرَّجُلُ مِنْ أَهْلِهِ فَقَالُوا إِنَّهَا حَائِضٌ يَا

1–किताबुल मनासिक, बाबल इज़्तिबाइ फ़ित्तवाफ़ि।

Www.IslamicBooks.Website

رَسُوْلَ اللهِ! قَالَ: وَإِنَّهَا لَحَابِسَتُنَا فَقَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهَا قَدْ زَارَتْ يَوْمَ النَّحْرِ قَالَ: فَلْتَنْفِرْ مَعَكُمْ. رواه مسلم (1)

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल0 ने अपनी (पाक पत्नी) हज़रत सफ़िया रज़ि0 से इस काम का इरादा किया जो मर्द अपनी बीवी से करता है, उन्होंने अर्ज़ किया या रसूलुल्लाह सल्ल0! सफ़िया तो हैज़ से हैं। रसूले अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया फिर तो उस ने हमें (मदीना वापस जाने से) रोक लिया। पाक पत्नियों ने अर्ज़ किया या रसूलुलाह! सफ़िया क़ुरबानी के दिन तवाफ़ ज़ियारत तो कर चुकी हैं। तब आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया फिर वह तुम्हारे साथ (वापस) रवाना हो जाएं। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 148 हज अदा करने के बाद मक्का मुअज्ज़मा से रुख़सत होने से पहले बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करना वाजिब है। इसे तवाफ़ वदाअ़ कहते हैः

स्पष्टीकरणः हदीस मसला न0 344 के तहत देखें।

मसला 149 तवाफ़े क़ुदूम, तवाफ़े उमरा, तवाफ़े इफ़ाज़ा, और तवाफ़े वदा के अलावा जो भी तवाफ़ किया जाएगा वह नफ़्ली तवाफ़ कहलएगा।

स्पष्टीकरणः बैतुल्लाह शरीफ़ में क़याम के दौरान तमाम नफ़्ली इबादतों में से नफ़्ली तवाफ़ सब से श्रेष्ठ इबादत है। واللہ اعلم بالصواب.

☆☆☆

1–किताबुल हज, बाब वुजूबि तवाफ़ विदाइ।

Www.IslamicBooks.Website

اَلطَّوَافُ

तवाफ़ के मसाइल

मसला 150 बैतुल्लाह शरीफ़ के एक तवाफ़ का सवाब एक ग़ुलाम आज़ाद करने के बराबर है:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ طَافَ بِالْبَيْتِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ كَانَ كَعِتْقِ رَقَبَةٍ. رواه ابن ماجة. (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि जिस ने बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ किया और दो रकअतें अदा कीं मानो उस ने एक ग़ुलाम आज़ाद किया। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 151 तवाफ़ के लिए सतर पोशी शर्त (फ़र्ज़) है:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيْقَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ بَعَثَهُ فِي الْحَجَّةِ الَّتِيْ أَمَّرَهُ عَلَيْهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَوْمَ النَّحْرِ فِيْ رَهْطٍ يُؤَذِّنُ فِي النَّاسِ أَنْ لَا يَحُجَّ بَعْدَ الْعَامِ مُشْرِكٌ وَلَا يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ عُرْيَانٌ. رواه البخاري (٢)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि हज़रत अबु बकर रज़ि० ने हज्जतुल वदा से पहले उन्हें उस हज में भेजा जिस में रसूले अकरम सल्ल० ने उन्हें (अर्थात हज़रत अबु बकर रज़ि० को) अमीर मुक़र्रर किया था ताकि वह क़ुरबानी के दिन (अर्थात 10

1-किताबुल मनासिक, बाब फ़ज़्लित्तवाफ़ि।

2-किताबुल हज, बाब ला यतूफ़ु बिलबैति उरयानन।

Www.IslamicBooks.Website

ज़िलहिज्जा) मिना में लोगों के बीच आम ऐलान कर दें कि इस साल के बाद कोई मुश्रिक हज़ न करे और कोई व्यक्ति नंगा होकर बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ न करे। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 152 तवाफ़ के लिए हर तरह की नापाकी से पाक होना ज़रूरी है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْحَائِضُ تَقْضِي الْمَنَاسِكَ كُلَّهَا إِلَّا الطَّوَافَ بِالْبَيْتِ. رواه أحمد (١)

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "हैज़ वाली औरत तवाफ़ के अलावा बाक़ी तमाम अहकाम पूरे करे।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।

मसला 153 तवाफ़ के लिए वुज़ू से होना ज़रूरी है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 141 के तहत देखें।

मसला 154 इस्तिहाज़ा, बवासीर, पेशाब और मज़ी आदि के बीमार को हर तवाफ़ के लिए नया वज़ू करना चाहिए:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ أَبِي حُبَيْشٍ كَانَتْ تُسْتَحَاضُ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ دَمَ الْحَيْضِ دَمٌ أَسْوَدُ يُعْرَفُ فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ فَأَمْسِكِي عَنِ الصَّلَاةِ فَإِذَا كَانَ الْآخَرُ فَتَوَضَّئِي وَصَلِّي. رواه النسائي (٢) (حسن)

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत फ़ातिमा बिन्त अबी हुबैश रज़ि0 इस्तिहाज़ा की मरीज़ा थीं। उन्हें रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया, हैज़ के ख़ून का रंग सियाह होता है जो पहचाना

1-मुंतक़ियुल अख़बार, किताबुल हज, बाबुत्तहारति व सितरतुत्तवाफ़।

2-किताबुल हैज़ि वल इस्तिहाज़ा

Www.IslamicBooks.Website

जाता है अगर यह हो तो नमाज़ न पढ़ो और अगर इस के अलावा कोई दूसरा खून हो तो फिर (हर बार) वज़ू करो और और नमाज़ अदा करो। इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 155 तवाफ़े कुदूम और तवाफ़े उमरा में इज़्तिबाग़ (अहराम) की चादरें दाएं कंधे के नीचे से निकाल कर बाएं कंधे पर डालना मसनून है:

स्पष्टीकरण: 1–हदीस मसला न0 146 के तहत देखें।

2–तवाफ़ के बाद ख़ासकर नमाज़ के समय इज़्तिबाग़ जाइज़ नहीं। देखें मसला न0 79

मसला 156 तवाफ़ की इब्तिदा हजरे असवद को बोसा देने (या हाथ से छूकर हाथ को बोसा देने) से करनी चाहिए:

मसला 157 तवाफ़ में बैतुल्लाह शरीफ़ बायीं तरफ़ होना चाहिए:

मसला 158 एक तवाफ़ बैतुल्लाह शरीफ़ के गिर्द सात चक्करों पर आधारित होना चाहिए:

मसला 159 तवाफ़ कुदूम के पहले तीन चक्करों में रमल (कंधे अकड़ा कर तेज़ तेज़ और छोटे छोटे क़दम उठाना) मसनून है:

मसला 160 सात चक्कर पूरे करने के बाद मक़ामे इबराहीम पर आकर दो रकअत नमाज़ अदा करना मसनून है:

मसला 161 दो रकअत नमाज़ पढ़ने के बाद सफ़ा और मरवा पर जाने से पहले हजरे असवद का इस्तिलाम करना मसनून है:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ دَخَلَ الْمَسْجِدَ فَاسْتَلَمَ الْحَجَرَ ثُمَّ مَضَى عَلَى يَمِينِهِ فَرَمَلَ ثَلَاثًا وَمَشَى أَرْبَعًا ثُمَّ أَتَى الْمَقَامَ فَقَالَ (وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى) فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَالْمَقَامُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْبَيْتِ ثُمَّ أَتَى الْحَجَرَ بَعْدُ

Www.IslamicBooks.Website

الرَّكْعَتَيْنِ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ خَرَجَ إِلَى الصَّفَا.

رواه الترمذي (١) (صحيح)

हज़रत जाबिर रज़ि0 फ़रमाते हैं कि जब नबी अकरम सल्ल0 मक्का तशरीफ़ लाए और मस्जिद हराम में दाख़िल हुए तो हजरे असवद का इस्तिलाम किया फिर बैतुल्लाह शरीफ़ के दायीं तरफ़ चलना शुरू किया। तीन चक्करों में रमल किया। (बाक़ी) चार चक्करों में आम रफ़्तार से चले (सात चक्कर पूरे करने के बाद) मक़ामे इबराहीम की तरफ़ तशरीफ़ लाए और यह आयत तिलावत फ़रमाई "और मक़ामे इबराहीम को अपनी जाए नमाज़ बनाओ।" (सूरह बक़रा, आयत न0 125) वहां दो रकअत नमाज़ अदा की। (उस समय) मक़ामे इबराहीम, रसूलुल्लाह सल्ल0 और बैतुल्लाह शरीफ़ के बीच था। नमाज़ के बाद फिर आप हजरे असवद के पास तशरीफ़ लाए, इस्तिलाम किया और सफ़ाई की तरफ़ (सई के लिए) तशरीफ़ ले गए। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: तवाफ़े क़ुदूम के पहले तीन चक्करों में रमल केवल मर्दों के लिए है, औरतों के लिए नहीं। देखिए मसला न0 209।

मसला 162 हजरे असवद का इस्तिलाम (हाथ से छू कर हाथ को बोसा देना) करते समय بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ कहना मसनून है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَأْتِي الْبَيْتَ فَيَسْتَلِمَ الْحَجَرَ وَيَقُوْلُ: بِسْمِ اللهِ وَاللهُ أَكْبَرُ.

رواه أحمد (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 बैतुल्लाह शरीफ़ (के तवाफ़ के लिए) तशरीफ़ लाते

1-किताबुल हज, बाबु कैफ़त्तवाफ़ि।

2-फ़िक़्हुस्सुन्ना, किताबुल हज, बाबु सुनुत्तवाफ़ि।

Www.IslamicBooks.Website

तो हजरे असवद का इस्तिलाम करते और फ़रमाते "بِسْمِ اللهِ، اَللهُ اَكْبَرُ" इसे अहमद ने रिवायत किया है।

मसला 163 हजरे असवद को छूने के बाद हाथ को बोसा देना मसनून है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَأَلَهُ رَجُلٌ عَنِ اسْتِلَامِ الْحَجَرِ فَقَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَلِمُهُ وَيُقَبِّلُهُ.

رواه البخاي (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि उन से एक आदमी ने हजरे असवद के इस्तिलाम के बारे में सवाल किया तो उन्होंने कहा "मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को हजरे असवद को छूने के बाद हाथ को चूमते हुए देखा है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 164 भीड़ की वजह से हजरे असवद को बोसा देना संभव न हो तो हाथ या छड़ी से हजरे असवद को छूकर उसे बोसा दे लेना चाहिए:

عَنْ اَبِي الطُّفَيْلِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَيَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ مَعَهُ وَيُقَبِّلُ الْمِحْجَنَ. رواه مسلم (٢)

हज़रत अबु तुफ़ैल रज़ि0 कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करते हुए देखा आप सल्ल0 हजरे असवद को अपनी छड़ी से छूते और उसे चूम लेते। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 165 भीड़ के समय हजरे असवद का बोसा लेने के लिए धक्कम पेल और ज़ोर ज़बरदस्ती करना जाइज़ नहीं:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اِذَا وَجَدْتَ عَلَى الرُّكْنِ

1–किताबुल हज, बाब तक़बीलिल मुहरिमि।

Www.IslamicBooks.Website

زِحَامًا فَانْصَرِفْ وَلَا تَقِفْ. رواه الشافعی (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० फ़रमाते हैं जब हजरे असवद पर भीड़ हो तो (बोसा देने के लिए) वहां न ठहरो बल्कि (इशारा करके) निकल जाओ। इसे शाफ़ई ने रिवायत किया है।

मसला 166 तवाफ़ के हर चक्कर में हजरे असवद और रुक्ने यमानी को हाथ से छूना मसनून है:

मसला 167 सवारी पर या चारपाई पर तवाफ़ करना जाइज़ है:

मसला 168 तवाफ़ के हर चक्कर में हजरे असवद का इस्तिलाम करना मसनून है:

मसला 169 इस्तिलाम करते समय केवल "अल्लाहु अकबर" के शब्द कहना भी जाइज़ है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ وَهُوَ عَلَى بَعِيْرٍ كُلَّمَا أَتَى عَلَى الرُّكْنِ أَشَارَ إِلَيْهِ بِشَيْءٍ فِيْ يَدِهِ وَكَبَّرَ. رواه البخاری. (۲)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ ऊंट पर बैठ कर किया। जब भी आप सल्ल० हजरे असवद के पास आते तो आप सल्ल० के हाथ में जो चीज़ थी (अर्थात छड़ी) उस से इशारा करते और "अल्लाहु अकबर" कहते। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: अगर कोई व्यक्ति अपने किसी बच्चे, बूढे या मरीज़ को उठाकर तवाफ़ करे और दोनों तवाफ़ की नीयत कर लें तो उठाने वाले और उठाए जाने वाले दोनों का तवाफ़ सही

1–किताबुल मनासिक, बाब सादिस रक़म 889

2–मिश्कातुल मसाबीह, किताबुल मनासिक, बाब दुख़ूलि मक्काता वत्तवाफि पहली फ़स्ल

Www.IslamicBooks.Website

होगा। इन्शा अल्लाह।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَدَعُ أَنْ يَّسْتَلِمَ الرُّكْنَ الْيَمَانِيَّ وَالْحَجَرَ فِيْ كُلِّ طَوْفَةٍ.

رواه ابو داؤد (۱) (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 फ़रमाते हैं रसूले अकरम सल्ल0 किसी चक्कर में भी हजरे असवद और रुक्न यमानी का इस्तिलाम करना नहीं छोड़ते थे। इसे अबू दाऊद से रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: हजरे असवद और रुक्ने यमानी के इस्तिलाम में फ़र्क़ निम्न हैं।

हजरे असवदः

1–अवसर मिलने पर हजरे असवद को मुंह से चूमना मसनून है।

2–चूमना संभव न हो तो हजरे असवद को हाथ से छू कर हाथ चूमना मसनून है।

3–हजरे असवद को हाथ से छूना संभव न हो तो दूर से इशारा करना मसनून है:

4–हजरे असवद को छूते या इशारा करते समय بسم الله الله اكبر या الله اكبرकहना मसनून है।

रुक्ने यमानीः

1–रुक्ने यमानी को मुंह से चूमना मसनून नहीं बल्कि सिर्फ़ हाथ से छूना मसनून है।

2–रुक्ने यमानी को हाथ से छूकर हाथ को चूमना मसनून नहीं।

3–रुक्ने यमानी को हाथ से छूना मुमकिन न हो तो दूर से इशारा करना मसनून नहीं।

1–किताबुल मनासिक, बाबु इस्तिलामिल अरकान।

Www.IslamicBooks.Website

+–रुक्ने यमानी को छूते समय بسم الله الله اكبر या अल्लाहु अकबर कहना मसनून नहीं।

मसला 170 हजरे असवद और रुक्ने यमानी को छूने की फ़ज़ीलतः

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: اِنَّ مَسْحَهُمَا يَحُطُّ الْخَطَايَا.

رواه ابن خزيمة (۱) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को फ़रमाते हुए सुना है कि इन दोनों (पत्थरों) को छूना गुनाहों को मिटाता है। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 171 हजरे असवद क़यामत के दिन इस्तिलाम करने वालों के हक़ में गवाही देगा।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْحَجَرِ وَاللهِ لَيَبْعَثُهُ اللهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لَهُ عَيْنَانِ يُبْصِرُ بِهِمَا وَلِسَانٌ يَنْطِقُ بِهِ يَشْهَدُ عَلَى مَنِ اسْتَلَمَهُ بِحَقٍّ.

رواه الترمذي (۲) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने हजरे असवद के बारे में यह बात इशार्द फ़रमाई "अल्लाह की क़सम! क़यामत के दिन अल्लाह तआला हजरे असवद को इस तरह उठाएगा कि उस की दो आंखें होंगी जिन से यह देखेगा और ज़बान होगी जिस से बात करेगा और हर उस व्यक्ति के हक़ में गवाही देगा जिस ने ईमान के साथ उसे छुआ होगा।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

1–किताबुल मनासिक

2–अबवाबुल हज्जि, रक़मुल बाब 110।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 172 हजरे असवद पर सज्दा करना मसनून है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَبَّلَ وَسَجَدَ عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَلَ هٰكَذَا فَفَعَلْتُ. رواه ابن خزيمة (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि मैंने हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि० को हजरे असवद को चूमते और उस पर सज्दा करते देखा है। हज़रत उमर रज़ि० ने ऐसा करने के बाद फ़रमाया "मैंने रसूलुल्लाह सल्ल० को ऐसा करते देखा है इस लिए मैंने भी ऐसा किया है।" इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 173 हजरे असवद पर आंसू बहाना मसनून है:

عِنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اسْتَقْبَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ وَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ وَضَعَ شَفَتَيْهِ يَبْكِيْ طَوِيْلاً فَإِذَا عُمَرُ يَبْكِيْ طَوِيْلاً فَقَالَ يَا عُمَرُ هُنَا تُسْكَبُ الْعَبَرَاتُ. رواه حاكم (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० हजरे असवद के पास तशरीफ़ लाए। उसे बोसा दिया। फिर अपने होंट उस पर रख कर देर तक आंसू बहाते रहे। हज़रत उमर रज़ि० (जो आप के पास खड़े थे) भी देर तक रोते रहे। आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया "ऐ उमर! यहां आंसू बहाए जाते हैं।" इसे हाकिम ने रिवायत किया है।

मसला 174 रुक्ने यमानी और हजरे असवद के बीच निम्न दुआ मांगना मसनून है:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ السَّائِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ

1- किताबुल हज, बाबुस्सुजूदि अलल हजरिल असवद।

2- फ़िक़्हुस्सुन्ना, किताबुल हज सुननित्तवाफ़ि।

Www.IslamicBooks.Website

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَا بَيْنَ الرُّكْنَيْنِ (رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَّفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَّقِنَا عَذَابَ النَّارِ) رواه ابوداؤد (۱) (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन साइब रज़ि0 से रिवायत है कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को रुक्ने यमानी और हजरे असवद के बीच यह दुआ मांगते हुए सुना है "ऐ हमारे पालनहार हमें दुनिया में भलाई प्रदान कर और आख़िरत में भी आग के अज़ाब से बचा ले।" इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 175 हतीम बैतुल्लाह शरीफ़ का (बिना छत का) हिस्सा है अतः हतीम के बाहर से तवाफ़ करना चाहिए:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ الْحِجْرُ مِنَ الْبَيْتِ لِأَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَافَ بِالْبَيْتِ مِنْ وَرَائِهِ قَالَ اللهُ تَعَالىٰ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيْقِ. رواه ابن خزيمة (۲) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं हतीम बैतुल्लाह शरीफ़ का हिस्सा है क्योंकि रसूले अकरम सल्ल0 ने बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ हतीम के बाहर से किया और अल्लाह तआला का इर्शाद मुबारक है "पुराने घर का तवाफ़ करो।" इसे इब्ने ख़ुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 176 दौराने तवाफ़ तिलावत क़ुरआन, तसबीह व तहलील और दुआ व अज़्कार करना चाहिए:

मसला 177 दौराने तवाफ़ ज़रूरत के समय बात करना जाइज़ है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا جُعِلَ رَمْيُ الْجِمَارِ وَالطَّوَافُ بِالْبَيْتِ لِاَقَامَةِ ذِكْرِ اللهِ لَيْسَ لِغَيْرِهِ

1- किताबुल मनासिक, बाबुद्दुआ, फ़ित्तवाफ़।

2-किताबुल मनासिक,

Www.IslamicBooks.Website

وَزَادَ الْأَخَرُوْنَ فِي الْحَدِيْثِ وَالسَّعْيُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ.

رواه ابن خزيمة (١) (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "रमी जमार और बैतुल्लाह शरीफ़ के तवाफ़ को अल्लाह का ज़िक्र क़ाइम करने का ज़रिया बनाया गया है इस के अलावा उस का कोई उद्देश्य नहीं।" कुछ रावियों ने हदीस में सफ़ा और मरवा की सई की वृद्धि भी की है। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

عَنْ طَاوُسٍ رَحِمَهُ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ رَجُلٍ أَدْرَكَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الطَّوَافُ بِالْبَيْتِ صَلَاةٌ فَأَقِلُّوا مِنَ الْكَلَامِ.

رواه النسائي (٢) (صحيح)

हज़रत ताऊस रह0 एक ऐसे आदमी से रिवायत करते हैं जिस ने नबी अकरम सल्ल0 को देखा आप सल्ल0 ने फ़रमाया "बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ नमाज़ की तरह है अतः दौराने तवाफ़ कम से कम बात करो।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 178 दौराने तवाफ़ अगर कोई शरअी मजबूरी (जैसे फ़र्ज़ नमाज़ का क़याम) पेश आ जाए तो तवाफ़ का सिलसिला ख़त्म करना जाइज़ है:

मसला 179 तवाफ़ का सिलसिला ख़त्म करना पड़े तो मजबूरी दूर होने के बाद पहले चक्कर गिन कर केवल बाक़ी चक्कर पूरे करने चाहिए:

मसला 180 बाक़ी चक्करों का आरंभ उसी जगह से करना चाहिए जहां से तवाफ़ का सिलसिला ख़त्म किया था।

1- किताबुल मनासिक, बाब इस्तिहबाबि ज़िकरुल्लाहि फित्तवाफ़ि। रकमुल हदीस 2740

2- किताबुल मनासिकिल हज्जि, बाब इबाहतुल कलामि फित्तवाफ़ि।

Www.IslamicBooks.Website

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَطُوفُ بِالْبَيْتِ فَأُقِيمَتِ الصَّلاَةُ فَصَلَّى مَعَ الْقَوْمِ ثُمَّ قَامَ فَبَنَى عَلَى مَا مَضَى مِنْ طَوَافِهِ.

ذكره في فقه السنة (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि वे बैतुल्लाह का तवाफ़ करते (उस दौरान) नमाज़ खड़ी हो जाती तो लोगों के साथ नमाज़ अदा करते और तवाफ़ के जितने चक्कर लगा चुके होते उस के बाद बाक़ी चक्कर अदा करते। यह रिवायत फ़िक़्हुस्सुन्ना में है।

मसला 181 तवाफ़ की दो रकअत में से पहली में सूरह काफ़िरून और दूसरी में सूरह इख़लास पढ़ना मसनून है:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَرَأَ فِي رَكْعَتَيِ الطَّوَافِ بِسُوْرَتَى الْإِخْلاَصِ قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ وَقُلْ هُوَ اللهُ أَحَدٌ. رواه الترمذي (٢) (صحيح)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने तवाफ़ की दो रकअतों में से एक में قل يا ايها الكافرون और दूसरी में قل هو الله احد तिलावत की। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 182 बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ और नमाज़ तवाफ़ वर्जित समयों में भी जाइज़ हैं:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُنَّ أَحَدًا طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ. رواه النسائي (٣)

1-किताबुल मनासिक, बाब शुरुतुत्तवाफ़ि।

2-किताबुल मनासिक, बाब मा यक़राऊ फ़ी रकअतित्तवाफ़ि।

3-किताबुल हज बाब इबातुत्तवाफ़ि फ़ी कुल्लि अवक़ातिन।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "ऐ बनू अब्दे मुनाफ़! दिन और रात की किसी घड़ी में लोगों को बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करने और नमाज़ अदा करने से मना न करो।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: याद रहे वर्जित समयों में सूरज के उदय होने, ढलने और अस्त होने के तीन समय शामिल हैं:

मसला 183 उमरा अदा करने वाले व्यक्ति को तवाफ़ उमरा शुरू करने से पहले तलबिया कहना बन्द कर देना चाहिए:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 130 के तहत देखें।

मसला 184 तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद आबे ज़मज़म पीना और उस का कुछ हिस्सा सर पर बहाना मुस्तहब है:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَلَ ثَلاَثَةَ أَطْوَافٍ مِنَ الْحَجَرِ إِلَى الْحَجَرِ وَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ عَادَ إِلَى الْحَجَرِ ثُمَّ ذَهَبَ إِلَى زَمْزَمَ فَشَرِبَ مِنْهَا وَصَبَّ عَلَى رَأْسِهِ ثُمَّ رَجَعَ فَاسْتَلَمَ الرُّكْنَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى الصَّفَا فَقَالَ ابْدَءُوا بِمَا بَدَأَ اللهُ عَزَّ وَجَلَّ بِهِ. رواه أحمد (١) (صحيح)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 नबी अकरम सल्ल0 से रिवायत करते हैं कि आप सल्ल0 ने (तवाफ़ के) तीन चक्करों में हजरे असवद से लेकर हजरे असवद तक रमल किया (तवाफ़ मुकम्मल करने के बाद) दो रकअत नमाज़ अदा की। फिर हजरे असवद की तरफ़ लौटे (और उस का इस्तिलाम किया) फिर आप सल्ल0 ज़मज़म की तरफ़ तशरीफ़ लाए और ज़मज़म पिया और (कुछ हिस्सा) सर पर डाला। फिर पलट कर हजरे असवद का इस्तिलाम

1-तीसरा भाग रकमुस्सफ़हा 394

Www.IslamicBooks.Website

किया और उस के बाद सफ़ा की तरफ़ यह कहते हुए तशरीफ़ लाए ابـدء بما بداء الله (अनुवाद–मैं सई का आरंभ सफ़ा से करता हूं जिस के ज़िक्र से अल्लाह ने क़ुरआन मजीद में आयत का आरंभ किया" इसे अहमद ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त हदीस शरीफ़ में नबी अकरम सल्ल0 का दो रकअत नमाज़ अदा करने के बाद हजरे असवद के इस्तिलाम करने को मुहद्दिसीन ने रावी की भूल क़रार दिया है क्योंकि मुत्तफ़क़ अलैहि हदीसों में ऐसा नहीं है।

मसला 185 ज़मज़म इस ज़मीन के तमाम पानियों से बेहतर पानी है:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ مَاءٍ عَلَى وَجْهِ الْأَرْضِ مَاءُ زَمْزَمَ فِيْهِ طَعَامٌ مِنَ الطُّعْمِ وَشِفَاءٌ مِّنَ السُّقْمِ. رواه الطبرانى (١) (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "इस ज़मीन पर सब से बेहतर पानी ज़मज़म है जो कि भूखे के लिए खाना और बीमार के लिए शिफ़ा है।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

मसला 186 ज़मज़म पीने से पहले मांगी गई दुआ क़ुबूल होती है:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ.

رواه ابن ماجة (٢) (صحيح)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को फ़रमाते हुए सुना है कि ज़मज़म का पानी जिस इरादे से पिया जाए वह पूरा होता है।" इसे इब्ने माजा ने

1–सिलसिला अहादीसुस्सहीफ़ा लि अलबानी, रक़मुल हदीस 1056

2–किताबुल मनासिक, श्शर्बि मिन ज़मज़म।

Www.IslamicBooks.Website

रिवायत किया है।

मसला 187 ज़मज़म पीने से पहले रसूले अकरम सल्ल0 से कोई ख़ास दुआ मांगना साबित नहीं:

मसला 188 हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 ज़मज़म पीने से पहले निम्न दुआ मांगा करते थे:

كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا اِذَا شَرِبَهُ قَالَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْئَلُكَ عِلْمًا نَافِعًا وَ رِزْقًا وَاسِعًا وَشِفَاءً مِنْ كُلِّ دَاءٍ. رواه المنذرى (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 जब ज़मज़म पीते तो यह दुआ मांगते "ऐ अल्लाह! मैं तुझ से लाभदायक ज्ञान कुशादा रिज़्क़ और हर बीमारी से शिफ़ा का सवाल करता हूं।" इसे मुंज़री ने रिवायत किया है।

मसला 189 हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 ज़मज़म पीने से पहले निम्न दुआ मांगा करते थे:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَاءُ زَمْزَمَ لِمَا شُرِبَ لَهُ وَهٰذَا اَشْرَبُهُ بِعَطَشِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ شَرِبَ. رواه احمد (٢)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "ज़मज़म जिस नीयत से पिया जाए वह पूरी होती है अतः मैं इस नीयत से पीता हूं कि क़यामत के दिन (मैदाने हश्र में) प्यास की शिद्दत से महफ़ूज़ रहूं।" फिर ज़मज़म पीते। इसे अहमद ने रिवायत किया है।

मसला 190 ज़मज़म का पानी खड़े होकर पीना मुस्तहब है:

عَنْ ابْنَ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَقَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ

1-2- फ़िक़्हुस्सुन्ना, किताबुल हज, बाब इस्तिहबाबुश्शरबि मिन माआ ज़मज़म।

Www.IslamicBooks.Website

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ زَمْزَمَ فَشَرِبَ وَهُوَ قَائِمٌ. رواه البخاى (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को ज़मज़म पिलाया तो आप सल्ल0 ने खड़े होकर पिया। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 191 ज़मज़म पीने के बाद मुलतज़िम से चिमट कर दुआ मांगना मुस्तहब है:

عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُلْزِقُ وَجْهَهُ وَصَدْرَهُ بِالْمُلْتَزَمِ ذَكَرَهُ فِيْ فِقْهِ السُّنَّةِ. (٢)

हज़रत अम्र अपने बाप शुऐब से, शुऐब अपने दादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि0 से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को मुलतज़िम के साथ अपना चेहरा और सीना चिमटाए हुए देखा। यह रिवायत फ़िक़्हुस्सुन्ना में है।

मसला 192 तवाफ़ इफ़ाज़ा अदा करने से पहले अगर कोई हाजी मर जाए तो किसी दूसरे साथी को उस का बाक़ी (अर्थात तवाफ़ ज़ियारत) मुकम्मल करने की ज़रूरत नहीं:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 105 के तहत देखें।

मसला 193 अगर किसी तवाफ़ के चक्करों की संख्या में सन्देह हो जाए, तो कम संख्या गिन कर बाक़ी चक्करों से तवाफ़ पूरा करना चाहिए:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 217 के तहत देखें।

☆☆☆

1-किताबुल मनासिक, बाब मा जाआ फ़ी ज़मज़म।

2-किताबुल हज, बाब इस्तिहबाबुद्दुआ इन्दल मुलतज़िम।

Www.IslamicBooks.Website

तवाफ़ के बारे में वे काम जो सुन्नत से साबित नहीं

1–तवाफ़ के लिए نویت طوافی هذا जैसे शब्द से नीयत करना।

2–हजरे असवद का इस्तिलाम करते समय नमाज़ की तरह दोनों हाथ बुलन्द करना।

3– इस्तिलाम के बाद اَللّٰهُمَّ اِيْمَانًا بِكَ وَتَصْدِيْقًا بِكِتَابِكَ وَعَلٰى سُنَّةِ نَبِيِّكَ के शब्द कहना।

4– दौराने तवाफ़ सीने पर हाथ बांधना।

5– बैतुल्लाह शरीफ़ के दरवाज़े के सामने اَللّٰهُمَّ اِنَّ الْبَيْتَ بَيْتُكَ الْحَرَمَ نَبِيُّكَ के शब्द कहना।

6– दौराने तवाफ़ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُوْرًا وَذَنْبًا مَغْفُوْرًا وَسَعْيًا مَّشْكُوْرًا وَتِجَارَةً لَنْ تَبُوْرَ يَا عَزِيْزُ يَا غَفَّار कहना।

7– दौराने तवाफ़ रुक्ने शामी, रुक्ने इराक़ी या मक़ामे इबराहीम का इस्तिलाम करना।

8– बारिश के दौरान यह समझते हुए तवाफ़ करना कि इसी से पिछले सारे गुनाह माफ़ हो जाएंगे।

9– दौराने तवाफ़ रुक्ने यमानी को बोसा देना।

10– रुक्ने यमानी को छूने के बाद (हजरे असवद की तरह) हाथ को बोसा देना।

11– भीड़ के कारण रुक्ने यमानी को छू न सकने की सूरत में हजरे असवद की तरह दूर से इशारा करना।

12– रुक्ने यमानी को छूते हुए हजरे असवद की तरह بسم الله، الله اكبر कहना।

13– हजरे असवद को भीड़ के कारण छू न सकने की सूरत में दूर

Www.IslamicBooks.Website

से इशारा करने के बाद हाथ को चूमना।

14- हजरे असवद को बोसा देने के लिए इमाम से पहले सलाम फेर देना।

15- हजरे असवद का बोसा लेते समय आवाज़ निकालना।

16- दौराने तवाफ़ पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चक्कर में अलग अलग ख़ास दुआओं का आयोजन करना।

17- तवाफ़ उमरा के सारे चक्करों में रमल करना।

18- हजरे असवद के सामने फ़र्श पर सियाह पत्थर की लाइन पर ही तवाफ़ की दो रकअत नमाज़ अदा करना।

19- हजरे असवद या बैतुल्लाह शरीफ़ या ग़िलाफ़े काबा को छू कर अपने जिस्म पर मलना और यह अक़ीदा रखना कि इस से शिफ़ा या बरकत हासिल होगी।

20- हजरे असवद के सामने देर तक इस्तिलाम के लिए खड़े रहना और बार बार रफ़अ यदैन की तरह हाथ बुलन्द करना और बार बार بسم الله، الله اكبر कहना।

21- दौराने तवाफ़, मुतव्विफ़ (तवाफ़ करने वाले) का ऊंची आवाज़ में दुआएं मांगना और हाजियों के ग्रुप के पीछे पीछे बुलन्द आवाज़ से उस को दोहराना।

22- भीड़ के समय मक़ामे इबराहीम के नज़दीक नमाज़े तवाफ़ अदा करने के लिए धक्कम पेल करना।

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

عَلَى الْحَاجِّ كَمْ طَوَافًا

हाजी पर कितने तवाफ़ वाजिब हैं

मसला 194 हजे इफ़राद

अदा करने वाले व्यक्ति (मुफ़रिद) के ज़िम्मे दो तवाफ़ हैं एक तवाफ़ इफ़ाज़ा दूसरा तवाफ़ वदा।

मसला 195 हज क़िरान अदा करने वाले व्यक्ति (क़ारिन) के ज़िम्मे तीन तवाफ़ वाजिब हैं एक उमरा का दूसरा हज का, और तीसरा तवाफ़ वदा।

मसला 196 हजे तमत्तोअ़ अदा करने वाले व्यक्ति के ज़िम्मे तीन तवाफ़ वाजिब हैं। पहला तवाफ़ उमरा के अहराम में जो कि तवाफ़ उमरा कहलाएगा। दूसरा तवाफ़ हज के अहराम में जो कि तवाफ़ ज़ियारत कहलाएगा और तीसरा तवाफ़ वदा।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَأَهْلَلْنَا بِعُمْرَةٍ ..... فَطَافَ الَّذِيْنَ كَانُوا أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى وَأَمَّا الَّذِيْنَ جَمَعُوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ فَإِنَّمَا طَافُوا طَوَافاً وَاحِداً.

رواه البخاري (۱)

हज़रत आइशा रज़ि0, रसूले अकरम सल्ल0 की पाक पत्नि से रिवायत है कि हम हज्जतुल विदा में रसूले अकरम सल्ल0 के साथ (मदीना मुनव्वरा) से निकले। हमने उमरा का अहराम बांधा था। जिन

1- किताबुल हज, बाब तवाफ़ुल क़ारिन।

Www.IslamicBooks.Website

लोगों ने उमरा का अहराम बांधा था उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ (अर्थात तवाफ़े उमरा) अदा किया, सफ़ा और मरवा की सई की फिर अहराम खोल दिया। फिर (हज के दिनों में 10 ज़िलहिज्जा को) मिना से (वापस) मक्का आकर फिर तवाफ़ (अर्थात तवाफ़े हज) अदा किया जिन लोगों ने उमरा और हज का इकट्ठा अहराम बांधा था (अर्थात क़ारिन) उन्होंने एक ही तवाफ़ (अर्थात तवाफ़े ज़ियारत) अदा किया। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّاسُ يُنْصَرِفُوْنَ فِيْ كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. رواه مسلم (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं लोग (हज अदा करने के बाद) जिधर चाहते चले जाते तो आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रामया "कोई व्यक्ति उस समय तक न जाए जब तक आख़िरी बार तवाफ़ न कर ले" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

☆☆☆

1- किताबुल हज, बाब तवाफुल क़ारिन।

Www.IslamicBooks.Website

اَلسَّعْیُ

सई के मसाइल

मसला 197 सफ़ा और मरवा की सई के लिए वज़ू ज़रूरी नहीं अलबत्ता वज़ू से होना श्रेष्ठ है:

मसला 198 मासिक धर्म वाली औरत मासिक धर्म के दौरान सई कर सकती है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا نَرَى إِلَّا الْحَجَّ حَتَّى إِذَا كُنَّا بِسَرِفَ أَوْ قَرِيبًا مِنْهَا حِضْتُ فَدَخَلَ عَلَيَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَنَا أَبْكِي فَقَالَ أَنُفِسْتِ يَعْنِي الْحَيْضَةَ قَالَتْ قُلْتُ نَعَمْ قَالَ: إِنَّ هَذَا شَيْءٌ كَتَبَهُ اللهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ فَاقْضِي مَايَقْضِي الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ حَتَّى تَغْتَسِلِي.

رواه مسلم (۱)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि हम नबी अकरम सल्ल० के साथ हज के इरादे से (मदीना से) निकले जब हम लोग सिर्फ़ या उस के क़रीब पहुंचे तो मैं हाइज़ा हो गई। रसूलुल्लाह सल्ल० तशरीफ़ लाए तो मैं रो रही थी। आप सल्ल० ने पूछा "क्या तुम्हें हैज़ आया है?" मैंने अर्ज़ किया "हां!" आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया "यह वह चीज़ है जो अल्लाह तआला ने आदम अलैहि० की बेटियों के लिए लिख दी है, अतः अब तुम तवाफ़ के अलावा हाजियों वाले सब काम करो। तवाफ़ उस समय करना जब ग़ुस्ल कर लो।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

1- किताबुल हज, बाब बयनि वजूहिल अहरामि।

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण: अब सफ़ा और मरवा चूंकि मस्जिदुल हराम में शामिल हो चुकी हैं इस लिए हाइज़ा को गुस्ल करने के बाद ही सई करनी चाहिए।

मसला 199 सई, हज या उमरा का रुक्न है अगर यह अदा न किया जाए तो हज होता है न उमरा।

عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ شَيْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً أَخْبَرَتْهَا أَنَّهَا سَمِعَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَقُوْلُ: كُتِبَ عَلَيْكُمُ السَّعْيُ فَاسْعَوْا. رواه ابن خزيمة. (۱) (صحيح)

हज़रत सफ़िया बिन्त शीबा रज़ि0 से रिवायत है कि एक औरत ने उन्हें बताया कि उन्होंने नबी अकरम सल्ल0 को सफ़ा और मरवा के बीच (सई करते हुए) यह कहते हुए सुना "तुम पर (हज या उमरा के दौरान) सई फ़र्ज़ की गई है, अतः सई करो।" इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 200 सफ़ा और मरवा की सई के लिए आने से पहले हजरे असवद का इस्तिलाम करना मसनून है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 161 के तहत देखें।

मसला 201 तवाफ़ पूरा करने के बाद सई के लिए बाबे सफ़ा से गुज़र कर पहले सफ़ा पहाड़ी पर आना चाहिए और रास्ते में कुरआन मजीद की आयत إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ पढ़नी चाहिए:

मसला 202 सफ़ा पहाड़ी पर इतना चढ़ना चाहिए कि बैतुल्लाह शरीफ़ नज़र आने लगे।

मसला 203 सफ़ा पहाड़ी पर क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआ के लिए हाथ बुलन्द करके तीन बार اللهُ اكبر कहना चाहिए:

1-किताबुल मनासिक, रक़मुल हदीस 2765

Www.IslamicBooks.Website

मसला 204 तीन बार اللهُ اكبـــر कहने के बाद निम्न कलिमात तीन बार कहने चाहिएं और बीच में दुआएं मांगनी चाहिए:

मसला 205 तीन बार ..... لاَ اِلـٰـهَ اِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ لاَشَرِيْكَ لَـهُ कहने के बाद दुआएं मांगना मसनून है:

عَـنْ جَـابِـرِ ابْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ ..... ثُـمَّ خَـرَجَ مِـنَ الْبَـابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنَ الصَّفَا قَرَأَ (إِنَّ الصَّفَا وَالْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللهُ بِهِ) فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَوَحَّدَ اللهَ وَكَبَّرَهُ وَقَالَ: لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْـدَهُ أَنْجَزَ وَعْدَهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ ثُمَّ دَعَا بَيْنَ ذٰلِكَ قَالَ مِثْلَ هٰذَا ثَلاَثَ مَرَّاتٍ ..... الحديث رواه مسلم. (١)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 हज्जतुल वदा की घटना बयान करते हुए फ़रमाते हैं ..... फिर आप सल्ल0 बाबे सफ़ा से सफ़ा पहाड़ी की तरफ़ निकले, जब सफ़ा पहाड़ी के क़रीब पहुंचे तो यह आयत तिलावत फ़रमाई। "निःसन्देह सफ़ा और मरवा अल्लाह तआला की निशानियों में से हैं।" मैं (सई की) इब्तिदा इसी (पहाड़ी) से करता हूं जिस (के ज़िक्र) से अल्लाह तआला ने (क़ुरआन मजीद में) इब्तिदा की। तो आप सल्ल0 ने सई की इब्तिदा सफ़ा से की। आप सफ़ा पहाड़ी की इतनी बुलन्दी पर चढ़े कि बैतुल्लाह शरीफ़ नज़र आ गया। फिर क़िबला रुख़ हुए और अल्लाह तआला की तौहीद और तकबीर (इन शब्दों में) बयान फ़रमाई "अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं वह अकेला है, उस का कोई शरीक नहीं बादशाही और प्रशंसा उसी के लिए है और वह हर चीज़ पर समर्थ

1–किताबुल मनासिक, बाब हज्जातुन्नबी।

Www.IslamicBooks.Website

है। अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं वह अकेला है उस ने वायदा पूरा किया। अपने बन्दे की मदद की और तमाम लशकरों को अकेले पराजय दी।" फिर उस के बीच दुआ की। यह अमल आप सल्ल0 ने तीन बार दोहराया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ कहने के बाद रसूलुल्लाह सल्ल0 ने जो दुआएं मांगीं उन का ज़िक्र हदीसों में नहीं मिलता। والله اعلم بالصواب.

मसला 206 सफ़ा पहाड़ी पर दुआ मांगने से पहले तकबीर तहरीमा की तरह हाथ बुलन्द करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 207 सफ़ा पहाड़ी से उतर कर मरवा की तरफ़ आते हुए सब्ज़ रंग के खम्बों के बीच तेज़ तेज़ चलना चाहिए:

मसला 208 मरवा पहाड़ी पर चढ़ते हुए और चढ़ने के बाद वही अमल दोहराना चाहिए जो सफ़ा पर किया था:

عَنْ جَابِرِ ابْنِ عَبْدِاللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ ..... ثُمَّ نَزَلَ إِلَى الْمَرْوَةِ حَتّٰى إِذَا انْصَبَّتْ قَدَمَاهُ فِي بَطْنِ الْوَادِي سَعٰى حَتّٰى إِذَا صَعِدَتَا مَشٰى حَتّٰى أَتَى الْمَرْوَةَ فَفَعَلَ عَلَى الْمَرْوَةِ كَمَا فَعَلَ عَلَى الصَّفَا ..... الحديث رواه مسلم (۱)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 हज्जतुल वदा की घटना बयान करते हुए फ़रमाते हैं ..... फिर नबी अकरम सल्ल0 सफ़ा से उतरे और मरवा की तरफ़ आए जब आप सल्ल0 के क़दम मुबारक ढलान वाली जगह तक पहुंचे, तो आप सल्ल0 दौड़े। यहां तक कि जब आप के दोनों क़दम मुबारक (ढलान की जगह से) ऊपर चढ़ने लगे तो आप सल्ल0 आम चाल चलने लगे यहां तक कि मर्वा

1- किताबुल हज, बाब हज्जातुन्नबी।

Www.IslamicBooks.Website

तक पहुंच गए और वहां वही कुछ किया जो सफ़ा पर किया था। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 209 सब्ज़ खम्बों के बीच दौड़ने का हुक्म केवल मर्दों के लिए है औरतों के लिए नहीं:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ سَعْيٌ بِالْبَيْتِ وَلَا بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ. رواه الشافعي (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 फ़रमाते हैं कि न तो बैतुल्लाह शरीफ़ के गिर्द तेज़ चलने का हुक्म औरतों के लिए है न ही सफ़ा और मरवा के बीच दौड़ने का हुक्म औरतों के लिए है। इसे शाफ़ई ने रिवायत किया है।

मसला 210 बुढ़ापे या बीमारी की वजह से सब्ज़ खम्बों के बीच तेज़ तेज़ न चलने में कोई हज नहीं:

عَنْ كَثِيْرِ بْنِ جُمْهَانَ السُّلَمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَمْشِيْ فِي الْمَسْعٰى فَقُلْتُ لَهُ أَتَمْشِي فِي الْمَسْعٰى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ؟ فَقَالَ لَئِنْ سَعَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعٰى وَلَئِنْ مَشَيْتُ لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِي وَأَنَا شَيْخٌ كَبِيْرٌ. رواه ابن خزيمة (٢) (صحيح)

हज़रत कसीर बिन जुमहान सु–ल–मी रज़ि0 कहते हैं मैंने हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 को सफ़ा और मरवा के बीच आम चाल चलते देखा तो तो कहा "आप सफ़ा और मरवा के बीच आम चाल (क्यों) चल रहे हैं? हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 ने फ़रमाया "अगर मैं दौड़ूं तो (भी सही है कि) मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0

1– किताबुल हज बाबुस्सई बैनस्सफ़ा वल मरवा।

2– किताबुल मनासिक, रक़मुल हदीस 277।

Www.IslamicBooks.Website

को दौड़ते देखा है और अगर आम चाल चलूं तो (भी साही है कि) मैंने नबी अकरम सल्ल0 को आम चाल चलते भी देखा है और मैं बूढ़ा आदमी हूं (इस लिए आम चाल चल रहा हूं।)" इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 211 सई के दौरान अधिकता से तसबीह व तहलील और प्रशंसा व स्तुति करनी चाहिएः

स्पष्टीकरणः हदीस मसला न0 176 के तहत देखें।

मसला 212 सफ़ा और मरवा के बीच सात चक्कर लगाने से एक सई मुकम्मल होती हैः

عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدِمَ فَطَافَ بِالْبَيْتِ سَبْعاً وَصَلَّى خَلْفَ الْمَقَامِ رَكْعَتَيْنِ وَسَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ سَبْعًا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ.

رواه ابن خزيمة (۱) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 ने फ़रमाया रसूलुल्लाह सल्ल0 मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए तो बैतुल्लाह शरीफ़ के गिर्द सात चक्कर लगाए फिर मक़ामे इबराहीम पर दो रकअत नमाज़ अदा की और उसके बाद सफ़ा और मरवा के बीच सात चक्कर लगा कर सई पूरी की और निश्चय ही मुसलमानों के लिए रसूलुल्लाह सल्ल0 की ज़ात में बेहतरीन नमूना है। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरणः सफ़ा से मरवा तक एक चक्कर कहलाता है जबकि मरवा से सफ़ा तक दूसरा चक्कर कहलाता है इस तरह सफ़ा से शुरू किए गए सात चक्कर मरवा पर ख़त्म होते हैं।

1-किताबुल मनासिक, रक़मुल हदीस 276

Www.IslamicBooks.Website

मसला 213 किसी शरअी मजबूरी से सई पूरी करने से पहले सई का सिलसिला ख़त्म किया जा सकता है:

मसला 214 मजबूरी दूर होने के बाद सई का बाक़ी हिस्सा उसी जगह से शुरू करना चाहिए जहां से ख़त्म हुआ था:

عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ يَطُوْفُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ فَاَعْجَلَهُ الْبَوْلُ فَتَنَحَّى وَدَعَا بِمَاءٍ فَتَوَضَّا ثُمَّ قَامَ عَلَى مَا مَضَى. رواه سعيد بن منصور (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 सफ़ा और मरवा के बीच सई कर रहे थे कि उन्हें पेशाब की हाजत महसूस हुई अतएव अपनी हाजत पूरी करने चले गए फिर (वापस लौटे तो) पानी मंगवाया। वज़ू किया और फिर बाक़ी सई पूरी की। इसे सईद बिन मंसूर ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: दौराने सई फ़र्ज़ नमाज़ खड़ी हो जाए तो सई छोड़ कर फ़र्ज़ नमाज़ अदा करनी चाहिए और दोबारा सई उसी जगह से शुरू करनी चाहिए जहां से छोड़ी थी।

मसला 215 किसी शरअी मजबूरी से सवार होकर सई करना जाइज़ है:

عَنْ قُدَامَةَ بْنِ عَبْدِاللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَلَى بَعِيْرٍ لاَضَرْبَ وَلاَطَرْدَ وَلاَ اِلَيْكَ اِلَيْكَ ذَكَرَهُ فِيْ شَرْحِ السُّنَّه. (٢)

हज़रत क़दामा बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 फ़रमाते हैं मैंने रसूलुल्लाह को ऊंट पर सफ़ा और मरवा की सई करते देखा है आप सल्ल0 न ऊंटनी को मारते न भगाते और न हटो हटो कहते। यह रिवायत शरहुस्सुन्ना में है।

1-फ़िक़्हुस्सुन्ना, लिसयदिस्साबिक़, कातिबुल हज बाबुस्सई बैनस्सफ़ा वल मरवा।

2-किताबुल हज बाबुस्सादिसि रक़मुल हदीस 896

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण: अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे को उठाकर सई करे और उठाने वाला और उठाए जाने वाला दोनों की नीयत सई की हो तो एक साथ दोनों की सई हो जाएगी। इन्शा अल्लाह।

मसला 216 बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करने के बाद अगर सई करने में देरी हो जाए तो कोई हरज नहीं:

كَانَ عَطَاءُ وَالْحَسَنُ لاَ يَرَيَانِ بَأْساً لِمَنْ طَافَ أَوَّلَ النَّهَارِ أَنْ يُؤَخِّرَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلَى الْعِشَاءِ. ذكره فى شرح السنه. (١)

हज़रत अता रह० और हज़रत हसन रह० बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ पहले पहर करने और सफ़ा व मरवा की सई पिछले पहर करने में कोई हरज महसूस न करते। यह रिवायत फ़िक़्हुस्सुन्ना में है।

मसला 217 अगर किसी को सई या तवाफ़ के चक्करों की संख्या के बारे में शक हो जाए तो कम संख्या का यक़ीन हासिल करके सई या तवाफ़ पूरी करना चाहिए:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالْوَاحِدَةِ فَلْيَجْعَلْهَا وَاحِدَةً وَإِذَا شَكَّ فِي الثِّنْتَيْنِ وَالثَّلاَثِ فَلْيَجْعَلْهَا ثِنْتَيْنِ وَإِذَا شَكَّ فِي الثَّلاَثِ وَالْأَرْبَعِ فَلْيَجْعَلْهَا ثَلاَثًا ثُمَّ لِيَتِمَّ مَا بَقِيَ مِنْ صَلاَتِهِ حَتَّى يَكُوْنَ الْوَهْمُ فِي الزِّيَادَةِ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ. رواه ابن ماجة (٢) (صحيح)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ि० कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना कि जब तुम में से किसी को (नमाज़ की रकअतों की संख्या में) शक हो जाए कि दो पढ़ी हैं या एक, तो वह उसे एक माने और अगर दो या तीन का शक हो, तो दो माने और

1- किताबुल हज बाबुस्सई बैनस्सफ़ा वल मरवा।

2- किताबुस्सलात,

Www.IslamicBooks.Website

अगर तीन या चार का शक हो, तो तीन माने और अपनी बाक़ी नमाज़ पूरी करे ताकि वहम अधिक रकअतों में रहे (और कम रकअत के यक़ीन से नमाज़ मुकम्मल हो जाए) फिर सलाम फेरने से पहले बैठे बैठे दो सज्दे करे। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: याद रहे नमाज़ की रकअत में शक हो जाने पर कम रकअतों का यक़ीन हासिल करने के बाद भूल का सज्दा अदा करना पडता है लेकिन तवाफ़ या सई के चक्करों में शक पड़ने पर कम चक्करों का यक़ीन हासिल करके तवाफ़ और सई पूरी करने के बाद कोई फ़िदया या दम नहीं।

मसला 218 सई के सात चक्कर पूरे होने पर उमरा (या हजे तमत्तोअ) अदा करने वालों को मरवा पर अपने बाल कटवाने या मुंडवाने चाहिए:

عَنْ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَصَّرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِشْقَصٍ فِي عُمْرَةٍ عَلَى الْمَرْوَةِ. رواه النسائی (۱) (صحيح)

हज़रत मुआविया रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने उमरा अदा करने के बाद नबी अकरम सल्ल0 के बाल मरवा पर तीर के फल से काटे। इसे नसाई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: बाल कतरवाने या मुंडवाने के बारे में दूसरे मसाइल हज के दिनों के अध्याय में देखें।

मसला 219 सर के बाल कटवाने या मुंडवाने के बाद उमरा (या हज तमत्तोअ) करने वालों को अपना अहराम खोल देना चाहिए:

मसला 220 हज क़िरान करने वाले लोगों को सई के बाद न तो बाल मुंडवाने चाहिए न ही अहराम खोलना चाहिए बल्कि अहराम की हालत में ही हज के दिनों का इन्तिज़ार करना

1-किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

चाहिएः

स्पष्टीकरणः हदीस मसला न0 54 के तहत देखें।

मसला 221 बाल कटवाने के बाद उमरा अदा करने वाले को अहराम खोल देना चाहिएः

मसला 222 अहराम खोलने के साथ ही उमरा पूरा हो जाएगाः

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَجْعَلُوهَا عُمْرَةً وَيَطُوفُوا ثُمَّ يُقَصِّرُوا وَيَحِلُّوا. رواه البخارى (١)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने सहाबा किराम रज़ि0 को हुक्म दिया कि "वह (अपने हज को) उमरा बना दें और बैतुल्लाह शरीफ़ और सफ़ा व मरवा का तवाफ़ करके बाल कटवालें और अहराम खोल दें।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरणः उमरा पूरा करने के बाद हजे तमत्तोअ़ अदा करने वाले हाजियों को अहराम खोलने के बाद हज के दिनों का इन्तिज़ार करना चाहिए।

मसला 223— 8 ज़िलहिज्जा को मिना जाने से क़ब्ल (क़ारिन) हज की सई अदा कर सकता हैः

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ شَرِيْكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجًّا فَكَانَ النَّاسُ يَأْتُوْنَهُ فَمَنْ قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ سَعَيْتُ قَبْلَ أَنْ أَطُوفَ أَوْ قَدَّمْتُ شَيْئًا أَوْ أَخَّرْتُ شَيْئًا فَكَانَ يَقُوْلُ: لاَ حَرَجَ لاَ حَرَجَ إِلاَّ عَلَى رَجُلٍ اقْتَرَضَ عِرْضَ رَجُلٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ ظَالِمٌ فَذَلِكَ الَّذِيْ حَرِجَ وَهَلَكَ. رواه ابو داؤد (٢) (صحيح)

1–किताबुल उमरा, बाब मता यहिल्लुल मोतमर।

2–किताबुल मनासिक, बाब फ़ीमन क़दिमा शयअन क़ब्ला शयअन फ़ी हज्जति।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत उसामा बिन शरीक रज़ि० कहते हैं मैं हज के लिए नबी अकरम सल्ल० के साथ (मदीना से) निकला लोग नबी अकरम सल्ल० की सेवा में हाज़िर होते (और मसाइल मालूम करते) जिस किसी ने भी अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! मैंने तवाफ़ (इफ़ाज़ा) करने से पहले (हज की) सई करली है (या यूं कहा कि) मैंने एक चीज़ पहले की और दूसरी बाद में।" आप सल्ल० इर्शाद फ़रमाते "इस में कोई गुनाह नहीं, कोई गुनाह नहीं, हां अलबत्ता जो व्यक्ति किसी मुसलमान की ज़ुल्म करते हुए आबरू लूटे उस के लिए गुनाह है और हलाकत भी। इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

सई के बारे में वे काम जो सुन्नत से साबित नहीं

1–सफ़ा और मरवा पहाड़ी पर खड़े होकर दुआ करने के लिए दीवार तक पहुंचना।

सई के दौरान رب اغفروارحم وتجاوز عما تعلم انک انت الاعزالاکرم के शब्द अदा करना।

3–सफ़ा से मरवा तक और मरवा से सफ़ा तक केवल एक चक्कर मानना।

4–सई के पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें, छठे और सातवें चक्कर में अलग अलग प्रचलित दुआएं मांगना।

5–सई के बाद दो रकअत नफ़िल अदा करना।

6–सफ़ा और मरवा पर क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआ मांगने से पहले रफ़अ यदैन की तरह तीन बार हाथ बुलन्द करना।

7–सफ़ा और मरवा के तमाम रास्ते में आम चाल चलने की बजाय भागना।

Www.IslamicBooks.Website

عَلَى الْحَاجِ كَمْ سَعْياً
हाजी पर कितनी सई वाजिब हैं

मसला 224 हजे तमत्तोअ अदा करने वालों पर दो सई वाजिब हैं पहली उमरा की जो कि मक्का पहुंचते ही उमरा के लिए अदा की जाएगी और दूसरी हज की, जो कुरबानी के दिन (10 ज़िलहिज्जा) तवाफ़ ज़ियारत के बाद की जाएगी।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَتْ فَطَافَ الَّذِيْنَ أَهَلُّوا بِالْعُمْرَةِ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ثُمَّ حَلُّوا ثُمَّ طَافُوا طَوَافاً آخَرَ بَعْدَ أَنْ رَجَعُوا مِنْ مِنًى لِحَجِّهِمْ. رواه ابن خزيمة (١) (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि हज हज्जतुल वदा के लिए रसूलुल्लाह सल्ल0 के साथ (मदीना से) निकले। जिन लोगों ने उमरा के लिए अहराम बांधा था उन्होंने बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ किया, सफ़ा और मरवा की सई की और अपना अहराम खोल दिया। फिर (कुरबानी के दिन) मिना से वापस आने के बाद (तवाफ़ ज़ियारत के साथ) हज के लिए सफ़ा और मरवा की दोबारा सई की। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 225 हज इफ़राद अदा करने वालों पर हज की केवल एक सई वाजिब है जो कुरबानी के दिन तवाफ़ ज़ियारत के बाद की जाएगी:

मसला 226 हज क़िरान अदा करने वालों पर दो सई वाजिब हैं, एक उमरा की और दूसरी हज की:

1–किताबुल मनासिक, बाबुस्सई

Www.IslamicBooks.Website

मसला 227 क़ारिन अगर उमरा की सई करते समय उमरा और हज दोनों की सई की नीयत करले तो दो अलग अलग सई करने की बजाय एक ही सई काफ़ी है:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ لَمْ يَطُفِ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ أَصْحَابُهُ بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ إِلاَّ طَوَافاً وَاحِداً.

رواه مسلم (۱)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 और आप सल्ल0 के सहाबा किराम रज़ि0 ने (हजे क़िरान में) सफ़ा और मरवा की सई केवल एक ही बार की। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا حَاضَتْ بِسَرِفَ فَتَطَهَّرَتْ بِعَرَفَةَ فَقَالَ لَهَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُجْزِئُ عَنْكِ طَوَافُكِ بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّكِ وَعُمْرَتِكِ. رواه مسلم (۲)

हज़रत आइशा रज़ि0 (हज्जतुल वदा के अवसर पर मदीना से मक्का आते हुए एक स्थान) सर्फ़ पर मासिक धर्म से हो गईं और ग़ुस्ले हैज़ अरफ़ा में किया। रसूलुल्लाह सल्ल0 ने उन से इर्शाद फ़रमाया "तुम्हारी सफ़ा और मरवा की एक सई तुम्हारे हज और उमरा दोनों के लिए काफ़ी है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: आसानी के लिए हज क़िरान या हजे इफ़राद की सई 8 ज़िलहिज्जा को मिना जाने से पहले करना जाइज़ है। **والله اعلم بالصواب.**

☆☆☆

1- किताबुल हज,

2- किताबुल हज,

Www.IslamicBooks.Website

اَيَّامُ الْحَجِّ

हज के दिनों के मसाइल

8 ज़िलहिज्जा तरवियह के दिन

8 ज़िलहिज्जा (तरवियह के दिन) के मसाइल(1)

मसला 228 उमरा अदा करने के बाद अहराम खोलने वाले बाहर के हाजी (अर्थात मुतमत्तोअ़) और मीक़ात के अन्दर रहने वाले हज के इच्छुक तमाम लोगों को 8 ज़िलहिज्जा को अपनी रिहाइश से अहराम बांधना चाहिए:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ وَقَّتَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .....فَمَنْ كَانَ دُوْنَهُنَّ فَمِنْ أَهْلِهِ وَكَذَا فَكَذٰلِكَ حَتَّى أَهْلُ مَكَّةَ يُهِلُّوْنَ مِنْهَا. رواه مسلم (٢)

हज़रत अ़ब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने (अहराम बांधने के लिए) मीक़ात के अन्दर रहने वालों के बारे में फ़रमाया कि वह अपनी अपनी रिहाइशों से ही अहराम बांधें यहां तक कि मक्का मुकर्रमा में रहने वाले लोग मक्का मुकर्रमा से अहराम बांधें। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: हज इफ़राद और हजे क़िरान अदा करने वाले बाहर

1- तरविया का मतलब है "सैराब करना" रसूलुल्लाह सल्ल0 के ज़माना में चूंकि मिना, मुज़दलफ़ा और अरफ़ात आदि में पानी नहीं मिलता था इस लिए लोग मिना रवाना होने से पहले 9 ज़िलहिज्जा को अपने अपने ऊंटों को खूब पानी पिलाया करते थे ताकि हज के चार पांच दिन ऊंट पानी पिए बिना गुज़ारा कर सकें। इस लिए 8 ज़िलहिज्जा को "यौमुत्तरविया" कहा जाता है।

2-किताबुल हज, बाब फ़िलमवाक़ीत।

Www.IslamicBooks.Website

वालों को मीक़ात से बांधे हुए पहले अहराम के साथ ही 8 ज़िलहिज्जा को मिना में पहुंचना चाहिए।

मसला 229-8 ज़िलहिज्जा को नमाज़े ज़ोहर से पहले मिना पहुंचना मसनून है:

मसला 230 मक्का मुकर्रमा से सवारी पर मिना जाना जाइज़ है।

मसला 231 मिना में 8 ज़िलहिज्जा की नमाज़े ज़ोहर, अस्र, मग़रिब, इशा और 8 ज़िलहिज्जा की नमाज़े फ़ज्र, पांच नमाज़ें पूरी करना मसनून है।

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ ..... فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ التَّرْوِيَةِ تَوَجَّهُوا إِلَى مِنًى فَأَهَلُّوا بِالْحَجِّ وَرَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى بِهَا الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وَالْفَجْرَ ثُمَّ مَكَثَ قَلِيْلاً حَتَّى طَلَعَتِ الشَّمْسُ. رواه مسلم (۱)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से हज्जतुल विदा की हदीस में रिवायत है जब यौमुत्तरवियह (8 ज़िलहिज्जा) का दिन आया, तो सहाबा किराम रज़ि0 ने (मक्का मुकर्रमा से ही) अहराम बांधा और मिना के लिए रवाना हुए। रसूले अकरम सल्ल0 सवारी पर निकले और मिना में ज़ोहर, अस्र, मग़रिब और इशा और (9 ज़िलहिज्जा की) फ़ज्र की नमाज़ें अदा कीं। फिर (अरफ़ात रवाना होने से पहले) थोड़ी देर रुके। यहां तक कि सूरज उदय हो गया। (फिर अरफ़ात रवाना हुए) इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 232-8 ज़िलहिज्जा को ज़ोहर से क़ब्ल मिना पहुंचना और वहां पांच नमाज़ें अदा करना सुन्नत है, वाजिब नहीं:

اَنَّ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا لَمْ تَخْرُجْ مِنْ مَكَّةَ يَوْمَ التَّرْوِيَةِ حَتَّى

1- किताबुल हज, बाब हज्जतुन्नबी।

Www.IslamicBooks.Website

دَخَلَ اللَّيْلُ وَذَهَبَ ثُلُثُه. رواه ابن المنذر (۱)

हज़रत आइशा रज़ि0 8 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा से मिना रात गए पहुंची यहां तक कि एक तिहाई रात गुज़र गई। इसे इब्ने मुंज़िर ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: अगर कोई व्यक्ति 8 ज़िलहिज्जा को मिना न जा सके और 9 ज़िलहिज्जा को सीधा अरफ़ात पहुंच जाए तो उस पर कोई गुनाह नहीं न ही कोई दम और फ़िदया है।

मसला 233 हज के दौरान मिना, अरफ़ात, मुज़दलफ़ा हर जगह स्थानीय और ग़ैर स्थानीय सब लोगों को तमाम नमाज़ें क़स्र के साथ अदा करनी चाहिएं।

عَنْ حَارِثَةَ ابْنِ وَهْبٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ خَلْفَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمِنًى وَالنَّاسُ أَكْثَرُ مَا كَانُوا فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. رواه مسلم (۲)

हज़रत हारिसा बिन वहब खुज़ाई रज़ि0 फ़रमाते हैं मैंने हज्जतुल वदा के अवसर पर नबी अकरम सल्ल0 के पीछे नमाज़ पढ़ी। उस अवसर पर आप सल्ल0 के साथ बहुत से (स्थानीय और अस्थानीय) लोग थे। आप सल्ल0 ने सारे हज्जतुल वदा में (सब को) दो रकअतें (अर्थात क़स्र) नमाज़ पढ़ाई इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنْ أَنَسِ ابْنِ مَالِك رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمَدِيْنَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَلَّى رَكْعَتَيْنِ رَكْعَتَيْنِ حَتَّى رَجَعَ قُلْتُ كَمْ أَقَامَ بِمَكَّةَ قَالَ عَشْرًا. رواه مسلم (۳)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 फ़रमाते हैं कि हम रसूलुल्लाह

1–फ़िक़्हुस्सुन्ना, किताबुल हज, बाबुत्तवज्जोह इला मिना।

2–किताबुस्सलात, बाब सलातुल मुसाफ़िरीना व क़सरिहा।

3–किताबुस्सलात, बाब सलातुल मुंसाफ़िरीना व क़सरि।

Www.IslamicBooks.Website

सल्ल0 के साथ (हज के लिए) मदीना से मक्का के लिए निकले, तो (उस तमाम अर्सा में) दो दो रकअतें अदा करते रहे। यहां तक कि मदीना वापस पहुंच गए। रावी ने पूछा कि "आप मक्का में कितने दिन ठहरे?" हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 ने जवाब दिया "दस दिन।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: रसूले अकरम सल्ल0 हज के अवसर पर 4 ज़िलहिज्जा को मक्का मुकर्रमा पहुंचे। 5,6,7, ज़िलहिज्जा मक्का मुकर्रमा में क़याम किया। 8 ज़िलहिज्जा को मिना, 9 ज़िलहिज्जा को अरफ़ात और मुज़दलफ़ा। 10,11,12,13 ज़िलहिज्जा को मिना में क़याम किया और 14 ज़िलहिज्जा को मदीना रवाना हो गए। इस तरह आप सल्ल0 का मक्का मुकर्रमा में क़याम दस दिन तक रहा। इस दौरान आप सल्ल0 हर जगह क़स्र नमाज़ अदा करते रहे।

मसला 234 दौराने हज मिना, अरफ़ात और मुज़दलफ़ा किसी भी जगह नबी अकरम सल्ल0 का स्थानीय लोगों को पूरी नमाज़ अदा करने का हुक्म देना सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 235- 8 ज़िलहिज्जा को मिना जाने से पहले तवाफ़ इफ़ाज़ा करना सुन्नत से साबित नहीं:

9 ज़िलहिज्जा अरफ़ा का दिन

9 ज़िलहिज्जा (अरफ़ा के दिन) के मसाइल

मसला 236-9 ज़िलहिज्जा (यौमुल अरफ़ा) को सूरज उदय होने के बाद मिना से अरफ़ात रवाना होना चाहिए:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 231 के तहत देखें।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 237 मिना से अरफ़ात जाते हुए तकबीर व तहलील और तलबिया पुकारना मसनून हैः

عَنْ عَبْدِاللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ غَدَوْنَا مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ مِنًى إِلَى عَرَفَاتٍ مِنَّا الْمُلَبِّي وَمِنَّا الْمُكَبِّرُ.

روه مسلم (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 फ़रमाते हैं हम रसूलुल्लाह सल्ल0 के साथ मिना से अरफ़ात जाने के लिए निकले। हम में से कोई तलबिया कह रहा था और कोई तकबीर। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरणः तकबीर से तात्पर्य "अल्लाहु अकबर" कहना है तहलील से तात्पर्य "ला इलाह इल्लाह" कहना है और तलबिया से तात्पर्य "लब्बैक, अल्लाहुम्मा पुकारना है।

मसला 238 मिना से सीधे मैदाने अरफ़ात पहुंचने के बजाय पहले वादी नमरा में सूरज ढलने तक रुकना मसनून हैः

मसला 239 सूरज ढलने के बाद मस्जिद नमरा में पहले इमाम का ख़ुतबा सुनना और फिर ज़ोहर व अस्र की नमाज़ें एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ जमा और क़स्र करके पढ़ना मसनून हैः

मसला 240 दोनों नमाज़ों के बीच कोई नफ़िल या सुन्नत नमाज़ अदा नहीं करनी चाहिएः

मसला 241 ज़ोहर और अस्र की नमाज़ें अदा करने के बाद मैदाने अरफ़ात में दाख़िल होना मसनून है।

मसला 242 सूरज ढलने से पहले वक़ूफ़े अरफ़ा जाइज़ नहीं:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا فِي حَدِيْثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ

1-किताबुल हज, बाबुत्तलबियतु वत्तकबीरु फ़िज़्ज़हाबि मिन मिना इला अरफ़ात।

Www.IslamicBooks.Website

قَالَ ..... فَسَارَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا تَشُكُّ قُرَيْشٌ إِلَّا أَنَّهُ وَاقِفٌ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ كَمَا كَانَتْ قُرَيْشٌ تَصْنَعُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَأَجَازَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى عَرَفَةَ فَوَجَدَ الْقُبَّةَ قَدْ ضُرِبَتْ لَهُ بِنَمِرَةَ فَنَزَلَ بِهَا حَتَّى إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ أَمَرَ بِالْقَصْوَاءِ فَرُحِلَتْ لَهُ فَأَتَى بَطْنَ الْوَادِي فَخَطَبَ النَّاسَ ..... ثُمَّ أَذَّنَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ وَلَمْ يُصَلِّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى أَتَى الْمَوْقِفَ. رواه مسلم (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन जाबिर रज़ि० हज्जतुल वदा वाली हदीस में फ़रमाते हैं फिर रसूले अकरम सल्ल० (मिना से अरफ़ात की तरफ़) चले। कुरैश यक़ीन रखते थे कि आप सल्ल० मुज़दलफ़ा में ही क़याम फ़रमाएंगे जैसा कि कुरैश अज्ञानता काल में किया करते थे लेकिन आप सल्ल० (मुज़दलफ़ा से) आगे चले गए यहां तक कि अरफ़ात में पहुंच गए जहां वादी नमरा में आप सल्ल० के लिए ख़ेमा लगाया गया था। आप सल्ल० ने वहां क़याम किया। जब आफ़ताब ढल गया, तो आप सल्ल० ने (अपनी) कुसवा ऊंटनी तैयार करने का हुक्म दिया। आप सल्ल० उस पर सवार होकर वादी (नमरा) के बीच में तशरीफ़ लाए (आज कल मस्जिद नमरा उसी जगह पर है) वहां आप सल्ल० ने लोगों को ख़ुतबा दिया। फिर अज़ान और इक़ामत हुई और आप सल्ल० ने ज़ोहर की नमाज़ पढ़ाई। दोबारा इक़ामत हुई और आप सल्ल० ने अस्र की नमाज़ पढ़ाई। इन दोनों नमाज़ों के बीच कोई (नफ़िल या सुन्नत) नमाज़ नहीं पढ़ी गई। फिर आप सल्ल० (अपनी ऊंटनी पर) सवार हुए और (अरफ़ात में) खड़े होने की जगह तशरीफ़ लाए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

1-किताबुल हज, बाब हज्जतुन्नबी सल्ल०।

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण: 1- मिना से आकर वादी नमरा (या अरफ़ा) में सूरज ढलने तक ठहरना और सूरज ढलने के बाद वादी अरफ़ात में दाख़िल होना श्रेष्ठ है लेकिन भीड़ की वजह से अगर कोई ऐसा न कर सके तो कोई हरज नहीं।

2- हज्जतुल वदा में यौमे अरफ़ा जुमा के दिन था लेकिन आप सल्ल0 ने दोनों रकअतों में क़िरअत ऊंची आवाज में नहीं की। अर्थात आप सल्ल0 ने नमाज़ जुमा अदा नहीं की बल्कि ज़ोहर की नमाज़ क़स्र करके अदा की।

3- अगर किसी व्यक्ति को इमाम हज के साथ किसी शरअी मजबूरी के कारण जमाअत से नमाज़ पढ़ने का अवसर न मिले, तो उसे अपने ख़ेमा में दोनों नमाज़ें (ज़ोहर और अस्र) जमा और क़स्र करके अदा करनी चाहिएं। लोग अधिक हों तो जमाअत से जमा और क़स्र नमाज़ें अदा करनी चाहिएं। واللہ اعلم بالصواب.

मसला 243 स्थानीय और बाहरी तमाम सहाबा किराम रज़ि0 ने बनी अकरम सल्ल0 के पीछे अरफ़ात में ज़ोहर व अस्र की नमाज़ें जमा और क़स्र करके पढ़ीं। आप सल्ल0 का स्थानीय लोगों को नमाज़ पूरी करने का हुक्म देना किसी हदीस से साबित नहीं:

मसला 244 वक़ूफ़े अरफ़ा फ़र्ज़ है अगर यह रह जाए तो हज अदा नहीं होता न ही फ़िदया या दम से इस की तलाफ़ी होती है:

मसला 245 वक़ूफ़े अरफ़ा का समय 9 ज़िलहिज्जा के दिन दोपहर से ले कर 10 ज़िलहिज्जा की उदय तक है:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ يَعْمُرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَهِدْتُ رَسُولَ اللّٰهِ

Www.IslamicBooks.Website

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتَاهُ نَاسٌ فَسَأَلُوهُ عَنِ الْحَجِّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْحَجُّ عَرَفَةُ فَمَنْ أَدْرَكَ لَيْلَةَ عَرَفَةَ قَبْلَ طُلُوعِ الْفَجْرِ مِنْ لَيْلَةِ جَمْعٍ فَقَدْ تَمَّ حَجُّهُ. رواه النسائی (۱) (صحیح)

हज़रत अब्दुर्रहमान बिन यामुर रज़ि0 कहते हैं कि मैं नबी अकरम सल्ल0 के पास था कि कुछ लोग आए और हज के बारे में पूछा, तो आप सल्ल0 ने फ़रमाया "हज अरफ़ात में ठहरने का नाम है जो व्यक्ति मुज़दलफ़ा की रात (अर्थात 9 और 10 ज़िलहिज्जा की बीच की रात) फ़ज्र की उदय से पहले अरफ़ात में पहुंच जाए उस का हज अदा हो गया" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1- अगर किसी व्यक्ति ने अनजाने में या ग़लती से वादी अरफ़ात की बजाय वादी नमरा में वकूफ़ किया तो उस का हज अदा नहीं होगा। देखें हो मसला न0 245

2- जो व्यक्ति 10 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र की उदय से पहले पहले घड़ी भर के लिए भी मैदान अरफ़ात में पहुंच जाए उस का हज अदा हो जाता है।

मसला 246 नमाज़े ज़ोहर और अस्र अदा करने के बाद जबले रहमत (पुराना नाम जबले आलाल) के क़रीब वकूफ़ करना (खड़े होकर दुआएं मांगना) मुस्तहब है, लेकिन मैदाने अरफ़ात में किसी भी जगह वकूफ़ करना जाइज़ है:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ نَحَرْتُ هَاهُنَا وَمِنًى كُلُّهَا مَنْحَرٌ فَانْحَرُوا فِي رِحَالِكُمْ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَوَقَفْتُ هَاهُنَا وَجَمْعٌ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. رواه مسلم (۲)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह ने फ़रमाया

1-किताबुल हज, 2-किताबुल हज, बाब हज्जतुन्नबी।

Www.IslamicBooks.Website

"मैंने यहां कुरबानी की है और मिना का मैदान सारे का सारा कुरबानी की जगह है, अतः तुम लोग अपनी रिहाइशों पर ही कुरबानी कर लो और मैंने यहां (जबले रहमत के क़रीब) वकूफ़ किया है जबकि मैदाने अरफ़ात सारे का सारा वकूफ़ की जगह है। मैंने यहां (मशअरे हराम के क़रीब) वकूफ़ किया है जबकि मुज़दलफ़ा सारे का सारा वकूफ़ की जगह है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 247 मैदाने अरफ़ात में वकूफ़ के लिए क़िब्ला रू खड़े होना मसनून है:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ .....
وَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى غَرَبَتِ الشَّمْسُ. رواه مسلم (١)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० हज्जतुल वदा वाली हदीस में फ़रमाते हैं (ऊंटनी पर सवार होने के बाद) नबी अकरम सल्ल० क़िब्ला रु हुए और सूरज अस्त तक वकूफ़ फ़रमाया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 248 मैदाने अरफ़ात में दौराने वकूफ़ हाथ उठाना मसनून है:

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ كُنْتُ رَدِيْفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِعَرَفَاتٍ فَرَفَعَ يَدَيْهِ يَدْعُو فَمَالَتْ بِهِ نَاقَتُهُ فَسَقَطَ خِطَامُهَا فَتَنَاوَلَ الْخِطَامَ بِإِحْدَى يَدَيْهِ وَهُوَ رَافِعٌ يَدَهُ الْأُخْرَى.

رواه النسائی (٢) (صحيح)

हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ि० फ़रमाते हैं मैं अरफ़ात में नबी अकरम सल्ल० के पीछे (ऊंटनी पर सवार) था आप सल्ल० ने दुआ मांगने के लिए दोनों हाथ उठा रखे थे। उसी दौरान आप सल्ल०

1- किताबुल हज, बाब हज्जतुन्नबी सल्ल०।

2- किताबुल हज, बाब रफ़उल यदैन फ़िद्दावति बेअरफ़ाति।

Www.IslamicBooks.Website

की ऊंटनी मुड़ी। उस की नकेल हाथ से गिर गई, तो आप सल्ल0 ने एक हाथ से उस की नकेल थामे रखी और दूसरा हाथ दुआ के लिए उठाए रखा। इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 249 वक़ूफ़ के लिए जबले रहमत के ऊपर चढ़ना या उस की तरफ़ मुंह करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 250 वक़ूफ़ के लिए मैदाने अरफ़ात में आना ज़रूरी है।

मसला 251 जिस व्यक्ति ने ग़लती से या अनजाने में वादी अरफ़ात की बाजाय वादी नमरा में वक़ूफ़ किया, उसका हज अदा नहीं होगा।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ عُرْنَةَ وَمُزْدَلِفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ، وَارْتَفِعُوْا عَنْ بَطْنِ مُحَسِّرٍ وَمِنَى كُلُّهَا مَنْحَرٌ.

رواه الطحاوى (۱) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते हैं रसूले अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "मैदाने अरफ़ात सारे का सारा मौक़फ़ है लेकिन वादी उरना (अथार्त नमरा) से बचे रहो (अर्थात उस में वक़ूफ़ न करो) और मुज़दलफ़ा सारे का सारा मौक़फ़ है लेकिन वादी महसर से बचे रहो और मिना सारे का सारा क़ुरबानगाह है।" इसे तहावी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: वादी अरफ़ात और वादी नमरा दोनों एक दूसरे से मिली हुई हैं। यह भी याद रहे कि मस्जिद नमरा का एक हिस्सा वादी अरफ़ात में है और दूसरा वादी नमरा में। मस्जिद के अन्दर बोर्ड लगाकर इस की निशानदही की गई है अतः मस्जिद नमरा में क़याम से पहले अरफ़ात की सीमाओं की जांच कर लेनी चाहिए ताकि हज बातिल न हो।

1–जामेउद्दावात, बाब मिन फ़ज़्ले ला हौला व ला क़ुव्वता।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 252 मैदाने अरफ़ात दुआ के क़ुबूल होने की बेहतरीन जगह और अरफ़ा का दिन क़ुबूलियते दुआ का बेहतरीन दिन है:

मसला 253 मैदाने अरफ़ात में मांगी जाने वाली बेहतरीन दुआ निम्न है:

عَنْ عَمْرِوبْنِ شُعَيْبٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ وَخَيْرُ مَاقُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ قَبْلِي لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ. رواه الترمذى (ا) (صحيح)

हज़रत अम्र बिन शुऐब रज़ि0 अपने बाप (शुऐब रज़ि0) से, शुऐब अपने दादा (हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि0) से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "बेहतरीन दुआ अरफ़ा के दिन की दुआ है और बेहतरीन कलिमात जो मैंने कहे और जो मुझ से पहले अंबिया ने कहे वे यह हैं "अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं वह अकेला है उस का कोई साझी नहीं, बादशाही उसी के लिए है प्रशंसा के योग्य वही है और वह हर चीज़ पर समर्थ है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1-उपरोक्त दुआ के अलावा दौराने वक़ूफ़ आप सल्ल0 ने जो दुआएं मांगीं उन की जानकारी हदीसों में नहीं मिलाती। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

1-दुआ मांगने के शिष्टाचार, दुआ में जाइज़ और ना जाइज़ बातें क़ुबूलियत दुआ के शब्द आदि और चुनिंदा क़ुरआनी व नबवी दुआओं के लिए मेरी "किताबुद्दुआ" देखें।

मसला 254 यौमे अरफ़ा आग से नजात का दिन है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

1-सहीह जामेउस्सग़ीर, अलल अलबानी, रक़मुल हदीस 3901

Www.IslamicBooks.Website

وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللهُ فِيهِ عَبْداً مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِي بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُوْلُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ؟

رواه مسلم (۱)

हज़रत आइशा रज़ि0 कहती हैं कि रसूले अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "अरफ़ा के अलावा कोई दिन ऐसा नहीं जिस में अल्लाह तआला अधिकता से बन्दों को आग से आज़ाद करे उस दिन अल्लाह (अपने बन्दों के) बहुत क़रीब होता है और फ़रिश्तों के सामने उन (हाजियों) की वजह से गर्व करता है और फ़रिश्तों से पूछता है (तनिक बताओ तो) ये लोग मुझ से क्या चाहते हैं?" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 255 मैदाने अरफ़ात में वक़ूफ़ के लिए ग़ुस्ल करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 256 मैदाने अरफ़ात में मौजूद हाजियों को यौमे अरफ़ा का रोज़ा रखना मना है अलबत्ता ग़ैर हाजियों के लिए जाइज़ है:

عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَوْمُ عَرَفَةَ وَيَوْمُ النَّحْرِ وَأَيَّامُ التَّشْرِيْقِ عِيْدُنَا أَهْلَ الْإِسْلاَمِ وَهِيَ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ. رواه الترمذي (۲) (صحيح)

हज़रत उक़बा बिन आमिर रज़ि0 कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "अरफ़ा का दिन, क़ुरबानी का दिन और अय्यामे तशरीक़ मुसलमानों की ईद के दिन और खाने पीने के दिन हैं।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

1–किताबुल हज, बाब फ़ज़्लि यौमे अरफ़ा।

2–किताबुस्सियामि, बाब फ़ी कराहियति सौमि अय्यामुत्तशरीक़।

Www.IslamicBooks.Website

وَسَلَّمَ: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِيْ بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِيْ قَبْلَهُ. رواه مسلم (١)

हज़रत अबु क़तादा रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अरफ़ा के रोज़ा (के सवाब) के बारे में अल्लाह तआला से उम्मीद रखता हूं कि वह (उस के द्वारा) पिछले एक साल और आने वाले एक साल के (छोटे) गुनाह माफ़ कर देगा और यौमे आशूरा (10 मुहर्रम) के रोज़े (के सवाब) के बारे में अल्लाह तआला से उम्मीद रखता हूं कि (इस के द्वारा) वह पिछले एक साल के (छोटे) गुनाह माफ़ कर दे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 257 सूरज अस्त होने के बाद मग़रिब की नमाज़ अदा किए बिना मैदाने अरफ़ात से मुज़दलफ़ा आना चाहिए:

मसला 258 अरफ़ात से मुज़दलफ़ा आते हुए इत्मीनान, संजीदगी और प्रतिष्ठा को ध्यान में रखना ज़रूरी है:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِيْ حَدِيْثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ .....
وَأَرْدَفَ أُسَامَةَ خَلْفَهُ وَدَفَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيْبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُوْلُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِيْنَةَ السَّكِيْنَةَ كُلَّمَا أَتَى حَبْلاً مِنَ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيْلاً حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ. رواه مسلم (٢)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० हज्जतुल वदा वाली हदीस में फ़रमाते हैं (वक़ूफ़े अरफ़ा के बाद) रसूलुल्लाह सल्ल० ने हज़रत उसामा रज़ि० को अपने पीछे (ऊंटनी पर) सवार कराया

1-किताबुस्सियाम, बाब इस्तिहबाबि सियामि सलासता अय्यामि मिन कुल्लि शहरिन।

2-किताबुल हज, बाब हज्जतुन्नबी सल्ल०

Www.IslamicBooks.Website

और आगे बढ़े। आप सल्ल0 ने (अपनी ऊंटनी) क़सवा की महार इतनी खींची हुई थी कि ऊंटनी का सर कजावे के मोरिक (कजावे का वह हिस्सा जिस में सवार अपना पावं रख सकता है) से लग रहा था। आप सल्ल0 अपने दाएं हाथ से (इशारा करके) फ़रमा रहे थे "लोगो! सुकून और इत्मीनान से चलो।" (रास्ते में) जब कोई रेत का टीला आता तो आप सल्ल0 ऊंटनी की महार ज़रा ढीली कर देते और वह टीले पर चढ़ जाती यहां तक कि आप मुज़दलफ़ा पहुंच गए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: सूरज ढलने से पहले मैदाने अरफ़ात छोड़ने पर एक जानवर की क़ुरबानी वाजिब है।

मसला 259 मिना से अरफ़ात और अरफ़ात से मुज़दलफ़ा आते हुए तलबिया कहना मसनून है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 273 के तहत देखें।

9 ज़िलहिज्जा(1) (मुज़दलफ़ा की रात) के मसाइल

मसला 260-9 और 10 ज़िलहिज्जा की बीच की रात मुज़दलफ़ा में बसर करना वाजिब है:

मसला 261-9 ज़िलहिज्जा को मग़रिब और इशा की नमाज़ें क़स्र और जमा करके मुज़दलफ़ा में आकर अदा करनी चाहिए:

मसला 262 दोनों नमाज़ों के बीच कोई सुन्नत या नफ़िल अदा नहीं करनी चाहिए:

मसला 263 दोनों नमाज़ें एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ अदा करनी चाहिएं:

1-9 ज़िलहिज्जा को मग़रिब और इशा की नमाज़ मुज़दलफ़ा आकर जमा करके क़स्र अदा की जाती हैं इस लिए उस रात को लैलतुल जमा कहा जाता है।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 264 मुज़दलफ़ा की रात जाग कर इबादत करने के बाजए सोकर गुज़ारना मसनून है:

मसला 265 नमाज़े फ़ज्र अदा करने के बाद क़िब्ला रुख़ खड़े होकर अच्छी तरह रोशनी फैलने तक वक़ूफ़ करना (दुआएं मांगना) चाहिए:

मसला 266 सूरज उदय होने से थोड़ा पहले रौशनी फैलते ही मुज़दलफ़ा से मिना रवाना हो जाना चाहिए:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي حَدِيْثِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ ..... حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ثُمَّ اضْطَجَعَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُ وَصَلَّى الْفَجْرَ حِيْنَ تَبَيَّنَ لَهُ الصُّبْحُ بِأَذَانٍ وَإِقَامَةٍ ثُمَّ رَكِبَ الْقَصْوَاءَ حَتَّى أَتَى الْمَشْعَرَ الْحَرَامَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ فَدَعَاهُ وَكَبَّرَهُ وَهَلَّلَهُ وَوَحَّدَهُ فَلَمْ يَزَلْ وَاقِفًا حَتَّى أَسْفَرَ جِدًّا فَدَفَعَ قَبْلَ أَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ. رواه مسلم (١)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 हज्जतुल वदा वाली हदीस में बयान फ़रमाते हैं कि मुज़दलफ़ा आकर आप सल्ल0 ने मग़रिब और इशा की नमाज़ें एक अज़ान और दो इक़ामत के साथ अदा कीं। दोनों नमाज़ों के बीच आप सल्ल0 ने कोई दूसरी नमाज़ (नफ़िल आदि) अदा नहीं की। फिर आप सल्ल0 ने फ़ज्र के उदय होने तक आराम किया। जब सुबह हुई तो फ़ज्र की नमाज़, अज़ान और इक़ामत कहने के बाद (जमाअत) से अदा की फिर अपनी ऊंटनी क़सवा पर सवार हुए यहां तक कि मशअरे हराम(2) तक तशरीफ़ लाए फिर क़िब्ला रुख़ होकर दुआएं मांगीं

1–किताबुल हज, बाबु हज्जतुन्नबी सल्ल0

2–मशअरे हराम सारे का सारा मुज़दलफा का नाम है जहां आप सल्ल0 ने वक़ूफ़ फ़रमाया था वहां अब मस्जिद तामीर की गई है।

Www.IslamicBooks.Website

तकबीर व तहलील की और अल्लाह तआला की तौहीद का बयान किया यहां तक कि खूब रौशनी हो गई। फिर आप सल्ल0 सूरज उदय होने से पहले (मिना के लिए) रवाना हो गए। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1–अगर कोई व्यक्ति मुज़दलफ़ा में रात बसर न कर सके तो उसे जानवर की कुरबानी देनी चाहिए।

2– मुज़दलफ़ा से सूरज उदय होने के बाद निकलने पर कोई दम या फ़िदया नहीं।

3– मशअरे हराम सारे का सारा मुज़दलफ़ा का नाम है जहां आप सल्ल0 ने वक़ूफ़ फ़रमाया था वहां अब मस्जिद तामीर की गई है।

मसला 267 मुज़दलफ़ा में नमाज़ फ़ज्र आम दिनों की निसबत समय से पहले अदा करना मसनून है:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى صَلَاةً إِلَّا لِمِيْقَاتِهَا إِلَّا صَلَاتَيْنِ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ بِجَمْعٍ وَصَلَّى الْفَجْرَ يَوْمَئِذٍ قَبْلَ مِيْقَاتِهَا. رواه مسلم (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह रज़ि0 फ़रमाते हैं मेंने रसूले अकरम सल्ल0 को हमेशा समय पर नमाज़ें पढ़ते देखा है सिवाए दो नमाज़ों के। मुज़दलफ़ा में मग़रिब और इशा की नमाज़ जमा करके (अर्थात मग़रिब की नमाज़ देरी से अदा की) और उस दिन नमाज़ फ़ज्र आप सल्ल0 ने समय से पहले अदा की। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 268 जिस व्यक्ति ने नमाज़ फ़ज्र मुज़दलफ़ा में पा ली उस का वक़ूफ़ मुज़दलफ़ा सही होगा उस पर कोई फ़िदया है न दम:

1–किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ مُضَرِّسِ بْنِ أَوْسِ بْنِ حَارِثَةَ بْنِ لاَمَ الطَّائِيِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ بِصَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمُزْدَلِفَةِ حِيْنَ خَرَجَ إِلَى الصَّلاَةِ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنِّي جِئْتُ مِنْ جَبَلَيْ طَيِّ أَكْلَلْتُ رَاحِلَتِي وَأَتْعَبْتُ نَفْسِي وَاللهِ مَاتَرَكْتُ مِنْ جَبَلٍ إِلاَّ وَقَفْتُ عَلَيْهِ فَهَلْ لِي مِنْ حَجٍّ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ شَهِدَ صَلاَتَنَا هَذِهِ وَوَقَفَ مَعَنَا حَتَّى نَدْفَعَ وَقَدْ وَقَفَ بِعَرَفَةَ قَبْلَ ذَلِكَ لَيْلاً أَوْ نَهَارًا فَقَدْ أَتَمَّ حَجَّهُ وَقَضَى تَفَثَهُ. رواه الترمذي (۱) (صحيح)

हज़रत उरवा बिन मुज़र्रिस बिन औस बिन हारिसा बिन लाम ताई रज़ि० कहते हैं मैं मुज़दलफ़ा में रसूलुल्लाह सल्ल० की सेवा में हाज़िर हुआ। उस समय आप सल्ल० नमाज़ के लिए तशरीफ़ लाए। मैंने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! मैं क़बीला तै के पहाड़ों से आया हूं। मैंने अपनी ऊंटनी को खूब दौड़ाया और अपने आप को भी खूब थकाया (जल्दी पहुंचने के लिए) और अल्लाह की क़सम! मैंने रास्ते में कोई पहाड़ ऐसा नहीं छोड़ा जिस पर (अरफ़ात की कल्पना से) वक़ूफ़ न किया हो, क्या मेरा हज है या नहीं?" आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया "जो व्यक्ति मुज़दलफ़ा में हमारी इस नमाज़ (फ़ज्र) में हाज़िर हुआ और हमारे साथ वक़ूफ़ (मुज़दलफ़ा) कर लिया यहां तक कि मिना को रवाना हो और उस से पहले वक़ूफ़ अरफ़ा भी कर चुका हो चाहे रात के समय या दिन के समय उस का हज हो गया और मैल कुचैल दूर हो गया।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: अगर कोई व्यक्ति नमाज़ इशा के आख़िरी समय (आधी रात) तक किसी वजह से मुज़दलफ़ा न पहुंच सके तो उसे नमाज़ मग़रिब और नमाज़े इशा दोनों जमा और क़स्र

1-किताबुल हज,

Www.IslamicBooks.Website

करके मुज़दलफ़ा से बाहर जहां कहीं हो वहीं अदा कर लेनी चाहिएं और बाद में मुज़दलफ़ा पहुंच जाना चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब

मसला 269 मुज़दलफ़ा का सारा मैदान मौक़फ़ (वक़ूफ़ करने की जगह) है हर हाजी अपनी अपनी क़यामगाह पर खड़े होकर दुआएं मांग सकता है लेकिन मशअरे हराम पहाड़ी के दामन में (जहां आज कल मस्जिद है) खड़े होकर दुआएं मांगना श्रेष्ठ है।

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 246 के तहत देखें।

मसला 270 मुज़दलफ़ा में खड़े होकर दुआएं मांगने के लिए क़िबला रुख़ होना और हाथ उठाना मसनून है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 247,248 के तहत देखें।

मसला 271 कमज़ोरों, बीमारों, बच्चों, बूढ़ों और औरतों को आधी रात के बाद मुज़दलफ़ा से मिना जाने की इजाज़त है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَتْ سَوْدَةُ امْرَأَةً ضَخْمَةً ثَبِطَةً فَاسْتَأْذَنَتْ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُفِيْضَ مِنْ جَمْعٍ بِلَيْلٍ فَأَذِنَ لَهَا. رواه مسلم (۱)

हज़रत आइशा रज़ि0 फ़रमाती हैं (उम्मुल मोमिनीन) हज़रत सौदा रज़ि0 भारी भरकम औरत थीं। इस लिए उन्होंने रसूलुल्लाह से रात के समय मुज़दलफ़ा से (मिना) रवाना होने की इजाज़त चाही तो आप सल्ल0 ने उन्हें इजाज़त दे दी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 272 मुज़दलफ़ा से सुकून और वक़ार के साथ मिना आना चाहिए लेकिन वादी महसर से तेज़ी के साथ गुज़रना चाहिए:

1- किताबुल हज, बाब इस्तिहबाब तक़दीम।

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْضَعَ فِي وَادِي مُحَسِّرٍ وَزَادَ فِيهِ بِشْرٌ وَأَفَاضَ مِنْ جَمْعٍ وَعَلَيْهِ السَّكِينَةِ وَأَمَرَهُمْ بِالسَّكِينَةِ. رواه الترمذي (١) (صحيح)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 (मुज़दलफ़ा से मिना आते हुए) वादी महसर से तेज़ी से गुज़रे। रावी बिशर ने इस में वृद्धि की है कि नबी अकरम सल्ल0 मुज़दलफ़ा से सुकून और संजीदगी के साथ लौटे और लोगों को भी सुकून और संजीदगी से चलने का हुक्म दिया। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: वादी महसर, मुज़दलफ़ा और मिना के बीच एक वादी है जहां फ़ील वालों पर अज़ाब नाज़िल हुआ था। इस लिए आप सल्ल0 ने वहां से जल्दी जल्दी गुज़रने का हुक्म दिया।

मसला 273 मुज़दलफ़ा से मिना आते हुए तलबिया कहना मसनून है:

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ كَانَ رَدِيفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى الْجَمْرَةَ.

رواه النسائي (٢) (صحيح)

हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ि0 (मुज़दलफ़ा से मिना आते हुए) नबी अकरम सल्ल0 के पीछे सवार थे उन का बयान है कि आप सल्ल0 जमरा उक़बा को रमी करने तक तलबिया कहते रहे। इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 274 वक़ूफ़ मुज़दलफ़ा के बाद मिना रवाना होने से पहले केवल जमरा उक़बा की रमी के लिए मुज़दलफ़ा से सात कंकरियां चुनना मुस्तहब है। वाजिब नहीं:

1-अबवाबुल हज, बाब मा जाआ फ़िल इफ़ाज़ति मिन अरफ़ातिन।

2-किताबुल हज, बाबुत्तलबियाता फ़िस्सैरि।

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 294 के तहत देखें।

10 ज़िलहिज्जा, कुरबानी के दिन

10 ज़िलहिज्जा, कुरबानी के दिन के मसाइल

मसला 275 यौमुन्नहर (कुरबानी के दिन) मिना पहुंचकर सब से पहले जमरा उक़बा (जो मक्का की तरफ़ है) को कंकरियां मारनी चाहिएं फिर कुरबानी करनी चाहिए फिर हजामत बनवानी चाहिए और उस के बाद मक्का मुकर्रमा जाकर तवाफ़ इफ़ाज़ा करना चाहिए:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةَ ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْبُدْنِ فَنَحَرَهَا وَالْحَجَّامُ جَالِسٌ وَقَالَ بِيَدِهِ عَنْ رَأْسِهِ فَحَلَقَ شِقَّهُ الْأَيْمَنَ فَقَسَمَهُ فِيْمَنْ يَلِيْهِ ثُمَّ قَالَ: احْلِقِ الشِّقَّ الْآخَرَ فَقَالَ: أَيْنَ أَبُو طَلْحَةَ؟ فَأَعْطَاهُ إِيَّاهُ.

رواه مسلم (۱)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि0 से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल0 ने (मुज़दलफ़ा से मिना आने के बाद पहले) जमरा उक़बा को कंकरियां मारीं फिर ऊंटों की तरफ़ तशरीफ़ लाए और उन्हें ज़बह किया (पास ही) हज्जाम बैठा था आप सल्ल0 ने उसे हाथ के इशारे से सर मूंडने का हुक्म दिया। उस ने सर का दायां हिस्सा मूंड दिया। आप सल्ल0 ने बाल नज़दीक बैठे हुए लोगों में तक़सीम कर दिए। फिर आप सल्ल0 ने हज्जाम को सर का बायां हिस्सा मूंडने का हुक्म दिया। फिर पूछा "अबु तलहा कहां है?" (वह हाज़िर हुए तो) आप सल्ल0 ने वे बाल उन को प्रदान कर दिए। इसे

1-किताबुल हज, बाब बयानुस्सफ़रि यौमुन्नहरि

Www.IslamicBooks.Website

मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَفَاضَ يَوْمَ النَّحْرِ ثُمَّ رَجَعَ فَصَلَّى الظُّهْرَ بِمِنًى. رواه مسلم (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने क़ुरबानी के दिन ही तवाफ़ इफ़ाज़ा किया फिर (मक्का से) मिना वापस जाकर नमाज़ ज़ोहर अदा की। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 276 क़ुरबानी के दिन जमरा उक़बा पर रमी (कंकरियां मारना) क़ुरबानी, हजामत और तवाफ़ ज़ियारत बित्तरतीब करने श्रेष्ठ काम हैं लेकिन अगर कोई व्यक्ति जाने बूझे या बे जाने बूझे या भूल कर आगे पीछे कर दे तो कोई हरज नहीं:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ قَالَ وَقَفَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ بِمِنًى لِلنَّاسِ يَسْأَلُوْنَهُ فَجَاءَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ أَشْعُرْ فَحَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَنْحَرَ فَقَالَ: اذْبَحْ وَلاَ حَرَجَ ثُمَّ جَاءَهُ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ لَمْ أَشْعُرْ فَنَحَرْتُ قَبْلَ أَنْ أَرْمِيَ فَقَالَ: ارْمِ وَلاَ حَرَجَ قَالَ فَمَا سُئِلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ شَيْءٍ قُدِّمَ وَلاَ أُخِّرَ إِلاَّ قَالَ: افْعَلْ وَلاَ حَرَجَ. رواه مسلم (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अम्र बिन आस रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 हज्जतुल वदा के अवसर पर मिना में खड़े हुए ताकि लोग आप सल्ल0 से मसाइल मालूम कर सकें। एक आदमी हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया "मैंने अन जाने में क़ुरबानी से पहले

1-किताबुल हज, बाबु इस्तिहबाब तवाफ़ुल इफ़ाज़ति यौमुन्नहरि।

2-किताबुल हज बाब तक़दीमुज्जब्हि।

Www.IslamicBooks.Website

हजामत करवाली।" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "अब क़ुरबानी कर लो, कोई हरज नहीं।" दूसरा व्यक्ति हाज़िर हुआ और अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! मैंने कंकरियां मारने से पहले अनजाने में क़ुरबानी कर ली।" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "अब कंकरियां मार लो, कोई हरज की बात नहीं।" अर्थात रसूलुल्लाह सल्ल0 से पहले और बाद के मामले में जो भी सवाल किया गया उस के जवाब में आप सल्ल0 ने यही जवाब इर्शाद फ़रमाया "अब कर लो, कोई हरज की बात नहीं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 277 हज को हज अकबर और क़ुरबानी के दिन (10 ज़िलहिज्जा को यौमे हज अकबर का दिन कहा जाता है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَفَ يَوْمَ النَّحْرِ بَيْنَ الْجَمَرَاتِ فِي الْحَجَّةِ الَّتِي حَجَّ فَقَالَ: أَيُّ يَوْمٍ هَذَا؟ قَالُوا يَوْمُ النَّحْرِ قَالَ: هَذَا يَوْمُ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ.

رواه ابوداؤد. (۱) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह क़ुरबानी के दिन (मिना में) जमरात के बीच खड़े हुए। उस हज में जो आप सल्ल0 ने अदा किया इर्शाद फ़रमाया "(लोगो!) यह कौन सा दिन है?" सहाबा किराम रज़ि0 ने अर्ज़ किया "क़ुरबानी का दिन है" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "यह हजे अकबर का दिन है।" इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: अरब वाले उमरा को छोटा हज कहते थे अतः रसूलुल्लाह सल्ल0 ने ज़िलहिज्जा की निर्धारित तारीख़ों में अदा किए जाने वाले हज को "हजे अकबर" क़रार दिया।

1-किताबुल मनासिक, बाबु यौमुल हज्जिल अकबरि।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 278-10 ज़िलहिज्जा को मिना में नमाज़ ईद अदा करना सुन्नत से साबित नहीं:

स्पष्टीकरण: रमी जमरा उक़बा, क़ुरबानी, हजामत और तवाफ़ ज़ियारत के मसाइल बित्तरतीब आगे के पृष्ठों में देखें।

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

رَمْيُ الْجَمْرَةِ الْعَقَبَةِ

जमरा उक़बा की रमी के मसाइल

मसला 279 जमरा उक़बा पर रमी करना वाजिब है:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْمِي عَلَى رَاحِلَتِهِ يَوْمَ النَّحْرِ وَيَقُوْلُ: لِتَأْخُذُوا مَنَاسِكَكُمْ فَإِنِّي لاَ أَدْرِي لَعَلِّي لاَ أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ. لواه مسلم (۱)

हज़रत जाबिर से रिवायत है कि मैंने नबी अकरम सल्ल0 को क़ुरबानी के दिन अपनी ऊंटनी पर बैठ कर जमरा उक़बा को कंकरियां मारते देखा है। आप सल्ल0 फ़रमा रहे थे "मुझ से अपने हज के तरीक़े सीख लो क्योंकि मैं नहीं जानता कि इस हज के बाद दूसरा हज कर सकूं या न कर सकूं?" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1-अगर किसी सूरत में यह रमी न की जा सके तो एक दम (जानवर की क़ुरबानी) वाजिब होगा।

2-रसूले अकरम सल्ल0 के उपरोक्त शब्दों فـــان لا ادری की वजह से आप के हज को हज्जतुल वदा कहा जाता है।

मसला 280 जमरा उक़बा की रमी से पहले तलबिया बन्द कर देना चाहिए:

हदीस मसला न0 286 के तहत देखें।

मसला 281 जमरा उक़बा को कंकरियां मारने का बेहतर समय सूरज के उदय होने के बाद चाश्त का समय है लेकिन किसी शरअी मजबूरी की बिना पर 11 ज़िलहिज्जा की फ़ज्र के उदय होने तक कंकरियां मारने की छूट है:

1-किताबुल हज।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 282 तशरीक़ के दिन (11,12,13 ज़िलहिज्जा) में रमी जमार का समय सूरज के ढलने से लेकर अस्त होने तक है:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَمَى رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَمْرَةَ يَوْمَ النَّحْرِ ضُحًى وَأَمَّا بَعْدُ فَإِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ.

رواه مسلم (۱)

हज़रत जाबिर रज़ि0 फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 ने क़ुरबानी के दिन जमरा उक़बा को दिन चढ़े कंकरियां मारीं जबकि उस के बाद (तशरीक़ के दिनों में) दिन ढले रमी की। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسْأَلُ أَيَّامَ مِنًى فَيَقُولُ لاَ حَرَجَ فَسَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ حَلَقْتُ قَبْلَ أَنْ أَذْبَحَ؟ قَالَ: لاَ حَرَجَ فَقَالَ رَجُلٌ رَمَيْتُ بَعْدَ مَاأَمْسَيْتُ؟ قَالَ: لاَ حَرَجَ. رواه النسائى (۲) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते हैं कि मिना में लोग रसूले अकरम सल्ल0 से सवाल पूछते आप सल्ल0 फ़रमाते "कोई हरज नहीं।" एक आदमी ने पूछा "मैंने क़ुरबानी से पहले हजामत बनवाई है।" आप ने फ़रमाया "कोई हरज नहीं।" दूसरे आदमी ने अर्ज़ किया "मैंने शाम के बाद (जमरा उक़बा को) कंकरियां मारीं।" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "कोई हरज नहीं।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1-हौज़ के गिर्द पड़ी हुई कंकरियां रमी के लिए इस्तेमाल करना जाइज़ है अलबत्ता जो कंकरियां हौज़ के

1-किताबुल हज, बयानि इस्तिहबाबुर्रमी।

2-किताबुल मनासिकिल हज्जि, बाबुर्रमी बादल मसाई।

Www.IslamicBooks.Website

अन्दर गिरी हों उन्हें दोबारा रमी के लिए इस्तेमाल करना जाइज़ नहीं।

2- अगर कंकरी खम्बे (जमरा) को न लगे लेकिन हौज़ के अन्दर गिरे तो रमी सही होगी।

3- अगर कंकरी हौज़ के अन्दर न गिरे तो रमी दोबारा करनी चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाबि।

मसला 283 सूरज उदय होने से पहले जमरा उक़बा को कंकरियां मारना मना है चाहे बूढ़े हों चाहे बच्चे, औरतें हों या मरीज़ः

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدَّمَ ضَعَفَةَ أَهْلِهِ وَقَالَ: لاَ تَرْمُوا الْجَمْرَةَ حَتَّى تَطْلُعَ الشَّمْسُ.

رواه الترمذى (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने अपने घर के ज़ईफ़ लोगों को रात के समय ही मिना रवाना कर दिया और उन्हें कहा "जमरा उक़बा को सूरज उदय होने से पहले कंकरियां न मारना।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 284 हर जमरा को अलग अलग सात कंकरियां मारनी चाहिएंः

मसला 285 कंकरी मारते समय "अल्लाहु अकबर" कहना मसनून हैः

मसला 286 जमरा उक़बा की रमी से पहले तलबिया कहना बन्द कर देना चाहिएः

عَنِ الْفَضْلِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ رَدِفَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ يَزَلْ يُلَبِّي حَتَّى رَمَى جَمْرَةَ الْعَقَبَةِ فَرَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. رواه النسائى (٢) (صحيح)

1-अबवाबुल मनासिक 2- किताबुल मनासिकुल हज, बाबुत्तकबीर

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं (क़ुरबानी के दिन)मैं नबी अकरम सल्ल0 के पीछे सवार था। आप सल्ल0 जमरा उक़बा को कंकरियां मारने तक तलबिया कहते रहे। आप सल्ल0 ने जमरा उक़बा को सात (अलग अलग) कंकरियां मारीं और हर कंकरी मारते समय "अल्लाहु अकबर" कहा। इसे नसाई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: मुट्ठी भर कर एक ही बार सात कंकरियां मारना जाइज़ नहीं। ऐसी सूरत में मसनून तरीक़े के मुताबिक़ दोबारा रमी करनी चाहिए अगर यह संभव न हो तो एक दम (जानवर की क़ुरबानी) वाजिब होगी।

मसला 287 मक्का मुकर्रमा बाएं हाथ और मिना दाएं हाथ रखते हुए रमी करना मुस्तहब है:

عَنْ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ انْتَهَى إِلَى الْجَمْرَةِ الْكُبْرَى جَعَلَ الْبَيْتَ عَنْ يَسَارِهِ وَمِنًى عَنْ يَمِينِهِ وَرَمَى بِسَبْعٍ وَقَالَ هٰكَذَا رَمَى الَّذِيْ أُنْزِلَتْ عَلَيْهِ سُوْرَةُ الْبَقَرَةِ. رواه البخاری (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 जब जमरा उक़बा पर पहुंचे तो बैतुल्लाह शरीफ़ को अपनी बायीं तरफ़ और मिना को दायीं तरफ़ रखते हुए जमरा को सात कंकरियां मारीं और फ़रमाया "इस तरह रमी की उस ज़ात ने जिस पर सूरह बक़रा नाज़िल की गई।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 288 जमरा उक़बा की रमी के फ़ौरन बाद वापस आ जाना चाहिए वहां रुकना चाहिए न दुआ मांगनी चाहिए:

मसला 289 जमरा ऊला और जमरा वुस्ता को कंकरियां मारने के बाद ज़रा हट कर क़िब्ला रु होकर दुआ मांगना मसनून है:

1-किताबुल हज, बाब रमी

Www.IslamicBooks.Website

عَنِ الزُّهْرِيِّ قَالَ بَلَغَنَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَمَى الْجَمْرَةَ الَّتِي تَلِي الْمَنْحَرَ مَنْحَرَ مِنًى رَمَاهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ تَقَدَّمَ أَمَامَهَا فَوَقَفَ مُسْتَقْبِلَ الْقِبْلَةِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو يُطِيلُ الْوُقُوفَ ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الثَّانِيَةَ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ كُلَّمَا رَمَى بِحَصَاةٍ ثُمَّ يَنْحَدِرُ ذَاتَ الشِّمَالِ فَيَقِفُ مُسْتَقْبِلَ الْبَيْتِ رَافِعًا يَدَيْهِ يَدْعُو ثُمَّ يَأْتِي الْجَمْرَةَ الَّتِي عِنْدَ الْعَقَبَةِ فَيَرْمِيهَا بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا. رواه النسائی (۱) (صحيح)

इब्ने शिहाब ज़ोहरी कहते हैं हमें यह बात मालूम हुई है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 जब उस जमरा को कंकरियां मारते, जो मिना में क़ुरबानगाह के नज़दीक है (अर्थात जमरा ऊला) तो उसे सात कंकरियां मारते, हर कंकरी मारते समय तकबीर कहते। फिर आगे बढ़ते और क़िबला रु होकर खड़े हो जाते और दोनों हाथ (दुआ के लिए) उठाते और देर तक उसी हालत में वक़ूफ़ फ़रमाते फिर दूसरे जमरे (अर्थात जमरा वुस्ता) के पास आते। उसे सात कंकरियां मारते हर कंकरी मारते समय "अल्लाहु अकबर" कहते। फिर बायीं तरफ़ मुड़ते और क़िब्ला रू खड़े हो जाते और हाथ उठा कर दुआ करते फिर जमरा उक़बा के पास आते उसे सात कंकरियां मारते और उस के पास (दुआ के लिए) वक़ूफ़ नहीं फ़रमाते थे। इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 290 रमी जमार का उद्देश्य अल्लाह का ज़िक्र और अल्लाह की इबादत करना है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 177 के तहत देखें।

मसला 291 रमी के लिए कंकरी का आकार चने के दाने से कुछ बड़ा होना चाहिए।

1-किताबुल मनासिकिल हज्जि बाबुद्दुआई

Www.IslamicBooks.Website

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَقُوْلُ رَأَيْتُ النَّبِيَّ ﷺ رَمَى الْجَمْرَةِ بِمِثْلِ حَصَى الْخَذَفِ. رواه مسلم (۱)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि० फ़रमाते हैं मैंने नबी अकरम सल्ल० को रमी जमार करते देखा। आप सल्ल० ने जमरा को वे कंकरियां मारीं जिन्हें दो उंगलियों के बीच रख कर फेंका जा सके। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 292 चने के दाने से ज़्यादा बड़ी कंकरियां मारना मना है:

मसला 293 सवारी पर रमी करना जाइज़ है:

मसला 294 वकूफ़ मुज़दलफ़ा के बाद मिना रवाना होने से पहले केवल जमरा उक़बा की रमी के लिए मुज़दलफ़ा से सात कंकरियां चुनना मुस्तहब है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ غَدَاةَ الْعَقَبَةِ وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ هَاتِ الْقُطْ لِيْ فَلَقَطْتُ لَهُ حَصَيَاتٍ هُنَّ حَصَى الْخَذْفِ، فَلَمَّا وَضَعْتُهُنَّ فِيْ يَدِهِ قَالَ. بِأَمْثَالِ هَؤُلَاءِ وَإِيَّاكُمْ وَالْغُلُوَّ فِي الدِّيْنِ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمُ الْغُلُوُّ فِي الدِّيْنِ.

رواه النسائی (۲) (صحیح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि रसूले अकरम सल्ल० ने जमरा उक़बा को रमी करने की सुबह मुझे फ़रमाया "आओ मेरे लिए कंकरी चुनो।" उस समय आप सल्ल० (मुज़दलफ़ा से मिना जाने के लिए) ऊंटनी पर सवार थे। मैंने आप सल्ल० के लिए ऐसी कंकरियां इकट्ठी कीं जिन्हें दो उंगलियां के बीच रख कर फेंका जा सके। जब मैंने वे कंकरियां आप सल्ल० के हाथ में रख

1-किताबुल हज बाब इस्तिह़बाब

2-किताबुल मनासिकिल हज्जि

Www.IslamicBooks.Website

दीं तो फ़रमाया "हां! ऐसी ही कंकरियां ठीक हैं। (और याद रखो) दीन में अतिश्योक्ति करने से बचो। तुम से पहले लोगों को दीन में अतिश्योक्ति ने ही हलाक किया।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: तशरीक़ के दिनों के दौरान रमी के लिए किसी भी जगह से कंकरियां ली जा सकती हैं।

मसला 295 बच्चों, बीमारों और बूढ़ों की तरफ़ से रमी करना जाइज़ है:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ حَجَجْنَا مَعَ رَسُوْلُ اللهِ ﷺ وَمَعَنَا النِّسَآءُ وَالصِّبْيَانُ فَلَبَّيْنَا عَنِ الصِّبْيَانِ وَرَمَيْنَا عَنْهُمْ. رواه ابن ماجة. (۱)

हज़रत जाबिर रज़ि0 फ़रमाते हैं हम ने रसूले अकरम सल्ल0 के साथ हज किया। हमारे साथ औरतें और बच्चे भी थे। हम ने बच्चों की तरफ़ से तलबिया भी कहा और उन की तरफ़ से कंकरियां भी मारीं। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: दूसरों की तरफ़ से रमी करने वाले आदमी को पहले अपनी रमी पूरी करनी चाहिए। फिर दूसरे की तरफ़ से करनी चाहिए।

2- यह ज़रूरी नहीं कि रमी करने वाला तीनों जमरात की रमी पूरी करके फिर दूसरे की तरफ़ से शुरु करे बल्कि एक ही जमरा पर पहले अपनी तरफ़ से रमी पूरी करे और फिर दूसरे की तरफ़ से। इसी तरह दूसरे और तीसरे जमरे पर रमी पूरी करनी चाहिए।

रमी से संबंधित ग़ैर मसनून काम

1- तशरीक़ के दिनों की रमी के लिए मुज़दलफ़ा से कंकरियां चुनना।

1-किताबुल मनासिक, बाबुर्रमी।

Www.IslamicBooks.Website

2- रमी से पहले कंकरियों को धोना।

3- सात कंकरियां एक साथ मारना।

4-रमी के समय अल्लाहु अकबर के बाद رَغْمًا لِلشَّيْطَانِ وَرِضًا لِلرَّحْمَانِ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ حَجًّا مَبْرُوْرًا के शब्द कहना।

5- कुदरत के बावजूद रमी स्वयं न करना।

6- रमी करते समय यह अक़ीदा रखना कि कंकरियां शैतान को मार रहे हैं।

7- रमी के लिए पत्थर या जूते इस्तेमाल करना।

8-रमी करते समय शैतान को गालियां देना।

9- रमी के लिए जाते हुए दुआ, अज़कार की बजाए हंगामा और शोर व गुल करते हुए जाना।

11- जमरा ऊला और जमरा वुस्ता की रमी के बाद दुआ तर्क करना।

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

اَلنَّحْرُ

कुरबानी के मसाइल

मसला 296 हज क़िरान और हजे तमत्तोअ करने वालों पर कुरबानी करना वाजिब है जो कुरबानी न कर सके उसे हज के दिनों में तीन और घर वापस जाकर सात (कुल दस) रोज़े रखने चाहिएं:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ ..... فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَكَّةَ قَالَ لِلنَّاسِ: مَنْ كَانَ مِنْكُمْ أَهْدَى فَإِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لِشَيْءٍ حَرُمَ مِنْهُ حَتَّى يَقْضِيَ حَجَّهُ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مِنْكُمْ أَهْدَى فَلْيَطُفْ بِالْبَيْتِ وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ وَلْيُقَصِّرْ وَلْيَحْلِلْ ثُمَّ لِيُهِلَّ بِالْحَجِّ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ هَدْيًا فَلْيَصُمْ ثَلاَثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعَ إِلَى أَهْلِهِ.

رواه البخاری (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं जब नबी अकरम सल्ल० मक्का मुकर्रमा पहुंचे तो लोगों से फ़रमाया "तुम में से जो व्यक्ति अपने साथ कुरबानी का जानवर लाया है वह अहराम की हालत की पाबन्दियों पर अमल करे यहां तक कि अपना हज पूरा कर ले और जो व्यक्ति अपने साथ कुरबानी का जानवर नहीं लाया वह बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करे। सफ़ा व मरवा की सई करे और बाल कटवाकर अहराम खोल दे. फिर (8 ज़िलहिज्जा को) हज का अहराम बांधे, जो व्यक्ति कुरबानी का जानवर न पाए (अर्थात ताक़त न रखे) वह हज के दिनों में तीन और घर वापस जाकर सात

1- किताबुल हज,

Www.IslamicBooks.Website

रोज़े रखे।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1–हज अफ़राद करने वाले के लिए क़ुरबानी ज़रूरी नहीं चाहे करे चाहे न करे।

2– हज के दिनों में तीन रोज़े उमरा का अहराम बांधने के बाद किसी भी समय रखे जा सकते हैं अगर ईद से पहले रखे जा सकें तो तशरीक़ के दिनों (11,12,13 ज़िलहिज्जा) में रखे जा सकते हैं। याद रहे कि आम हालात में हाजी और ग़ैर हाजी सब के लिए तशरीक़ के दिनों में रोज़े रखना मना हैं।

3– घर वापस जाकर सात रोज़े निरंतर या अलग अलग रखना दोनों तरह जाइज़ है।

4– अगर कोई व्यक्ति क़ुरबानी की ताक़त न रखता हो और दौराने हज बीमार हो जाए और तीन रोज़े रखने की ताक़त भी न रखता हो, तो उसे अपने घर पहुंच कर दस रोज़े पूरे करने चाहिएं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

मसला 297 मिना या मक्का में किसी भी जगह हज की क़ुरबानी करना जाइज़ है:

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ عَرَفَةَ مَوْقِفٌ وَكُلُّ مِنًى مَنْحَرٌ وَكُلُّ الْمُزْدَلِفَةِ مَوْقِفٌ وَكُلُّ فِجَاجِ مَكَّةَ طَرِيْقٌ وَمَنْحَرٌ. رواه أبو داؤد (۱) (صحيح)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "सारा अरफ़ात मौक़फ़ है सारा मिना क़ुरबानगाह है। सारा मुज़दलफ़ा मौक़फ़ है। मक्का की सारी गलियां व रास्ता क़ुरबानगाह हैं।" इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

1–किताबुल हज, बाबुस्सलाति बिजमइन।

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण: दम की कुरबानी भी मिना और मक्का से बाहर करनी जाइज़ नहीं।

मसला 298 10 ज़िलहिज्जा की सुबह से लेकर 13 ज़िलहिज्जा के सूरज के अस्त होने तक चार दिन कुरबानी करना जाइज़ है:

عَنْ اَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ ذَبْحٌ. رواه البيهقى (١) (حسن)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0, नबी अकरम सल्ल0 से रिवायत करते हैं कि तशरीक़ के दिनों के तमाम दिन कुरबानी के दिन हैं।" इसे बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

मसला 299 10 ज़िलहिज्जा को जमरा उक़बा की रमी के बाद कुरबानी करनी चाहिए लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी वजह से कंकरियां मारने से पहले कुरबानी करले तो कोई हरज नहीं:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 276 के तहत देखें।

मसला 300 जानवर ज़बह करने के शिष्टाचार:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِحَدِّ الشِّفَارِ وَأَنْ تُوَارَى عَنِ الْبَهَائِمِ وَقَالَ: إِذَا ذَبَحَ أَحَدُكُمْ فَلْيُجْهِزْ. رواه ابن ماجة (٢) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने (जानवर ज़बह करने से पहले) छुरी तेज़ करने का हुक्म दिया है और यह कि छुरी को जानवर से छुपाया जाए और जब ज़बह करना हो तो जल्दी जल्दी ज़बह किया जाए। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

1-सिलसिलतुल अहादीसुस्सहीहा लिल अलबानी, पांचवा भाग, रक़मुल हदीस 2476

2-किताबुज्ज़बाइह इज़ा ज़बहतुम फ़हसिनुज्ज़बह।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 301 कुरबानी के समय जानवर का मुंह क़िब्ला की तरफ़ करना मुस्तहब है:

मसला 302 कुरबानी से पहले بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ **कहना मसनून है:**

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَبَحَ يَوْمَ الْعِيْدِ كَبْشَيْنِ ثُمَّ قَالَ حِيْنَ وَجَّهَهُمَا إِنِّيْ وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِيْ فَطَرَ السَّمٰوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيْفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ إِنَّ صَلَاتِيْ وَنُسُكِيْ وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِيْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَبِذٰلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ بِسْمِ اللهِ اَللهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ مِنْكَ وَلَكَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَأُمَّتِهِ. رواه ابن خزيمة (١) (صحيح)

हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने ईद के दिन दो मेंढे ज़बह किए। दोनों को ज़बह करते समय क़िब्ला रुख़ करके यह आयत पढ़ी मैंने अपना रुख़ उस हस्ती की तरफ़ कर लिया जिस ने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया और मैं कदापि मुश्रिकों में से नहीं हूं। (सूरह अनआम, आयत न0 78) बेशक मेरी नमाज़ और मेरी कुरबानी मेरा जीना और मरना केवल अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। उस का कोई साझी नहीं मुझे इसी का हुक्म दिया गया है और मैं सब से पहले सर झुकाने वाला हूं। (सूरह अनआम, आयत न0 162,163) उपरोक्त आयतें तिलावत करने के बाद आप सल्ल0 ने यह कलिमात इर्शाद फ़रमाए) या अल्लाह! यह जानवर तूने ही दिया था और तेरे ही नाम पर मैंने इस कुरबान किया है। मुहम्मद सल्ल0 और उन की उम्मत की तरफ़ से। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

1-किताबुल मनासिक, बाब इस्तिहबाब तूजिबुहुज्ज़बीहा लिल क़िबलति।

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण: एक सहीह हदीस में ये शब्द भी हैं (अल्लाह के नाम से ज़बह करता हूं, या अल्लाह इसे मुहम्मद, आले मुहम्मद और उम्मते मुहम्मद सल्ल0 की तरफ़ से क़ुबूल फ़रमा। (अबु दाऊद, किताबुल अज़ाही) अतः क़ुरबानी करते समय اللهم تقبل منا के शब्द कहना भी मसनून हैं।

मसला 303 दूसरे से क़ुरबानी करवाना जाइज़ है लेकिन स्वयं करना श्रेष्ठ है:

मसला 304 ताक़त के मुताबिक़ एक से ज़्यादा क़ुरबानी देना भी मसनून है।

मसला 305 अपने जानवर की क़ुरबानी से गोश्त स्वयं खाना मसनून है:

मसला 306 क़ुरबानी का सारा गोश्त इस्तेमाल करना ज़रूरी नहीं:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ ..... ثُمَّ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثَلاَثًا وَسِتِّيْنَ بِيَدِهِ ثُمَّ أَعْطَى عَلِيًّا فَنَحَرَ مَاغَيْرَ وَأَشْرَكَهُ فِي هَدْيِهِ ثُمَّ أَمَرَ مِنْ كُلِّ بَدَنَةٍ بِبَضْعَةٍ فَجُعِلَتْ فِي قِدْرٍ فَطُبِخَتْ فَأَكَلاَ مِنْ لَحْمِهَا وَشَرِبَا مِنْ مَرَقِهَا. رواه مسلم (۱)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से हज्जतिल वदा की हदीस में रिवायत है कि (रमी के बाद) नबी अकरम सल्ल0 क़ुरबानगाह तशरीफ़ लाए और तरेसठ (63) ऊंट अपने हाथ से ज़बह किए। बाक़ी ऊंट (37) हज़रत अली रज़ि0 को दिए जिन्हें हज़रत अली रज़ि0 ने ज़बह किया। आप सल्ल0 ने हज़रत अली रज़ि0 को भी अपनी क़ुरबानी में शरीक किया फिर आप सल्ल0 ने हर ऊंट से गोश्त का टुकड़ा लेने का हुक्म दिया जिसे हंडिया में डाल कर पकाया गया। रसूलुल्लाह सल्ल0 और हज़रत अली रज़ि0 दोनों ने उस में से गोश्त खाया और

1- किताबुल हज, बाब हज्जतुन्नबी।

Www.IslamicBooks.Website

शोरबा पिया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 307 क़ुरबानी के लिए मोटा ताज़ा और अच्छा जानवर ख़रीदना चाहिए:

मसला 308 ख़स्सी जानवर की क़ुरबानी जाइज़ है:

मसला 309 किसी दूसरे ज़िन्दा या मृत व्यक्ति की तरफ़ से क़ुरबानी करना जाइज़ है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُضَحِّيَ اشْتَرَى كَبْشَيْنِ عَظِيْمَيْنِ سَمِيْنَيْنِ أَقْرَنَيْنِ أَمْلَحَيْنِ مَوْجُوْنَيْنِ فَذَبَحَ أَحَدَهُمَا عَنْ أُمَّتِهِ لِمَنْ شَهِدَ لِلّٰهِ بِالتَّوْحِيْدِ وَشَهِدَ لَهُ بِالْبَلَاغِ وَذَبَحَ الْآخَرَ عَنْ مُحَمَّدٍ وَعَنْ آلِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. رواه ابن ماجة (١) (صحيح)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि० से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल० जब भी क़ुरबानी करने का इरादा फ़रमाते, तो दो मोटे ताज़े, सींगों वाले, सियाह रंगदार, ख़स्सी मेंढे ख़रीदते। उन में से एक अपनी उम्मत के लोगों की तरफ़ से ज़बह करते जो अल्लाह की तौहीद की गवाही देने वाले और हज़रत मुहम्मद सल्ल० की रिसालत के क़ाइल हैं और दूसरा मुहम्मद और आले मुहम्मद सल्ल० की तरफ़ से ज़बह करते। इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 310 क़ुरबानी की बजाय उस की क़ीमत सदक़ा करना सुन्नत से साबित नहीं:

☆☆☆

1- किताबुल अज़ाही, बाब अज़ाही रसूलिल्लाहि सल्ल०

Www.IslamicBooks.Website

اَلْحَلْقُ وَالتَّقْصِيْرُ

सर मुंडवाने और बाल कटवाने के मसाइल

मसला 311-10 ज़िलहिज्जा को कुरबानी के बाद सर मुंडवाना या सर के बाल कटवाना वाजिब है:

मसला 312 पहले सर का दायां हिस्सा फिर बायां हिस्सा मुंडवाना मुस्तहब है:

वज़ाहत: 1–हदीस मसला न0 275 के तहत देखें।

2– हलक़ या तक़सीर छोड़ने पर एक दम (मक्का या मिना में) देना वाजिब है।

मसला 313 अगर किसी शरअी मजबूरी या भूल चूक या न जानने की वजह से कुरबानी से पहले हजामत करवाली तो कोई हरज नहीं:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 276 के तहत देखें।

मसला 314 हलक़ या तक़सीर के समय اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَلٰى مَا هَدَانَا وَاَنْعَمَ عَلَيْنَا اَللّٰهُمَّ هٰذِهِ نَاصِيَتِىْ بِيَدِكَ के शब्द सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 315 औरतों को अंगुश्त भर बाल स्वयं या किसी मेहरम से कटवाने चाहिएं:

मसला 316 औरतों के लिए सर के सारे बाल मुंडवाना या कटवाना मना है।

वज़ाहत: 1–हदीस मसला न0 259 के तहत देखें।

2– बाल कटवाते हुए औरतों को पर्दे का आयोजन ज़रूर करना चाहिए।

मसला 317 सर के विभिन्न हिस्सों से थोड़े थोड़े बाल काट कर

Www.IslamicBooks.Website

अहराम उतारना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 318 हलक़ या तक़सीर के लिए क़िब्ला रुख़ बैठना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 319 सर का कुछ हिस्सा मुंडवाना और कुछ हिस्सा छोड़ देना मना है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْقَزَعِ قَالَ قُلْتُ لِنَافِعٍ وَمَا الْقَزَعُ؟ قَالَ يُحْلَقُ بَعْضُ رَأْسِ الصَّبِيِّ وَيُتْرَكُ بَعْضٌ. رواه مسلم (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने क़ज़अ से मना फ़रमाया है (हदीस के एक रावी) ने हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० (दूसरे रावी) से पूछा "क़ज़अ का क्या मतलब है?" हज़रत नाफ़ेअ रज़ि० ने फ़रमाया "सर का कुछ हिस्सा मूंड देना और कुछ छोड़ देना।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 320 अगर कोई मर्द या औरत सई के बाद बाल कटाने भूल जाय तो याद आने पर बाल कटवा लेने चाहिएं और बाल कटवाने के बाद अहराम उतारना चाहिए इस सूरत में कोई दम या फ़िदया नहीं होगा:

मसला 321 अगर कोई मर्द या औरत बाल कटवाए बिना भूल कर अहराम उतार दे तो याद आने पर उसे दोबारा अहराम बांध कर बाल कटवाने चाहिएं और फिर अहराम उतारना चाहिए। इस सूरत में भी कोई दम या फ़िदया नहीं होगा।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ اللهَ وَضَعَ عَنْ أُمَتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا

1–किताबुल लिबास, बाब कराहियतुल क़ज़ाइ।

Www.IslamicBooks.Website

عَلَيْهِ. رواه الحاكم والدار قطنى (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "अल्लाह तआला ने मेरी उम्मत की भूल चूक को माफ़ फ़रमा दिया है और जो काम ज़बरदस्ती कराए जाएं वे भी माफ़ हैं।" इसे हाकिम और दारे कुतनी ने रिवायत किया है।

मसला 322 बाल कटवाने से बाल मुंडवाना श्रेष्ठ है:

عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ؟ قَالَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ، قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ؟ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِلْمُحَلِّقِيْنَ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ؟ قَالَ: وَلِلْمُقَصِّرِيْنَ. رواه مسلم (٢)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने (सहाबा किराम रज़ि0 के किसी सवाल के जवाब में) फ़रमाया "या अल्लाह! सर मुंडवाने वालों की मग़फ़िरत फ़रमा।" सहाबा किराम रज़ि0 ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! बाल कटवाने वालों के लिए मग़फ़िरत की दुआ फ़रमाएं।" आप सल्ल0 ने फिर इर्शाद फ़रमाया "या अल्लाह! सर मुंडवाने वालों की मग़फ़िरत फ़रमा।" सहाबा किराम रज़ि0 ने फिर अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह! बाल कटवाने वालों के लिए भी मग़फ़िरत की दुआ फ़रमाएं।" तब आप सल्ल0 ने (चौथी बार) इर्शाद फ़रमाया "या अल्लाह! बाल कटवाने

1-इरवाउल ग़लैल, लिल अलबानी, पहला भाग, रक़मुल हदीस 83

2-किताबुल हज, बाबु तफ़ज़ीलिल हलक़ि अलत्तक़सीरि।

Www.IslamicBooks.Website

वालों की भी मग़फ़िरत फ़रमा।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 323 हजामत कराने के बाद नाखुन तरशवाना मुस्तहब है:

قَالَ ابْنُ مُنْذِرٍ ثَبَتَ أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا حَلَقَ رَأْسَهُ قَلَمَ ظَفَارَهُ ذَكَرَهُ فِيْ فِقْهِ السُّنَّةِ. (۱)

इब्ने मुंज़िर कहते हैं यह बात साबित है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने जब सर मुंडाया तो अपने नाखुन भी तरशवाए। यह रिवायत फ़िक़्हुस्सुन्ना में है।

मसला 324 हलक़ या तक़सीर के बाद मुहरिम के लिए पत्नी के सिवा तमाम चीज़ें हलाल हो जाती हैं जो अहराम की वजह से हराम थीं, जैसे खुशबू लगाना, सिले हुए कपड़े पहनना, शिकार करना आदि:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُطَيِّبُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ أَنْ يُحْرِمَ وَيَوْمَ النَّحْرِ قَبْلَ أَنْ يَطُوفَ بِالْبَيْتِ فِيْهِ مِسْكٌ. رواه مسلم (۲)

हज़रत आइशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि मैंने नबी अकरम सल्ल0 को अहराम बांधने से पहले और क़ुरबानी के दिन बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ (ज़ियारत) करने से पहले खुशबू लगाई। उस खुशबू में मुश्क शामिल थी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: हलक़ या तक़सीर के बाद हलाल होने को शरअी परिभाषा में पहला तहल्लुल कहा जाता है और दूसरा तहल्लुल तवाफ़ ज़ियारत के बाद होता है जिस में पत्नी भी हलाल हो जाती है।

☆☆☆

1- किताबुल हज, बाबुल हलक़ि वत्तक़सीर।

2-किताबुल हज,

Www.IslamicBooks.Website

طَوَافُ الزِّيَارَةِ

तवाफ़ ज़ियारत के मसाइल

मसला 325 10 ज़िलहिज्जा को क़ुरबानी के बाद मक्का मुकर्रमा आकर तवाफ़े ज़ियारत (या तवाफ़े इफ़ाज़ा) करना फ़र्ज़ है:

मसला 326 तवाफ़ ज़ियारत के बाद आबे ज़मज़म पीना मुस्तहब है:

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ فِي قِصَّةِ حَجَّةِ الْوَدَاعِ قَالَ ..... أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ انْصَرَفَ إِلَى الْمَنْحَرِ فَنَحَرَ ثُمَّ رَكِبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَفَاضَ إِلَى الْبَيْتِ فَصَلَّى بِمَكَّةَ الظُّهْرَ فَأَتَى بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ يَسْقُوْنَ عَلَى زَمْزَمَ فَقَالَ: انْزِعُوا بَنِي عَبْدِ الْمُطَّلِبِ فَلَوْلَا أَنْ يَغْلِبَكُمُ النَّاسُ عَلَى سِقَايَتِكُمْ لَنَزَعْتُ مَعَكُمْ فَنَاوَلُوْهُ دَلْوًا فَشَرِبَ مِنْهُ. رواه مسلم (۱)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से हज्जतिल वदा वाला हदीस में रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 क़ुरबानगाह तशरीफ़ लाए। ऊंट ज़बह किए। फिर ऊंटनी पर सवार होकर मक्का मुकर्रमा तशरीफ़ लाए और तवाफ़ इफ़ाज़ा किया। ज़ोहर की नमाज़ मक्का में अदा की उस के बाद बनी अब्दुल मुत्तलिब के पास तशरीफ़ लाए जो लोगों को ज़मज़म पिला रहे थे। आप सल्ल0 ने उन्हें फ़रमाया "ऐ बनू अब्दुल मुत्तलिब! खूब पानी निकालो (और लोगों को पिलाओ) अगर मुझे यह ख़तरा न होता कि (मेरे पानी निकाल कर पीने या पिलाने के बाद) लोग (स्वयं पानी निकालने की सुन्नत अदा करने के लिए) तुम से डोल ज़बरदस्ती हासिल कर लेंगे तो मैं भी तुम्हारे साथ मिल कर

1–किताबुल मनासिक, बाबु तर्करमलि फ़ी तवाफ़िज़्ज़ियारति।

Www.IslamicBooks.Website

पानी निकालता।" तब बनी अब्दुल मुत्तलिब के लोगों ने पानी का एक डोल (निकाल कर) आप सल्ल0 को दिया और आप सल्ल0 ने उसे पिया। मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: किसी शरअी मजबूरी की वजह से 10 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ ज़ियारत न किया जा सके तो 11, 12,13 ज़िलहिज्जा तक किसी भी दिन किया जा सकता है। इस देरी पर कोई फ़िदया या दम नहीं।

2- तवाफ़े ज़ियारत टालने की सूरत में 12, या 13 ज़िलहिज्जा को तवाफ़े ज़ियारत और तवाफ़े वदा दोनों की नीयत से एक ही तवाफ़ कर लिया जाए तो काफ़ी होगा। इन्शा अल्लाह।

3- तवाफ़े ज़ियारत चूंकि हज का रुक्न है इस लिए अदा न करने पर उस का कफ़्फ़ारा, दम या फ़िदया देने से इन की तलाफ़ी नहीं होती।

4- तवाफ़ ज़ियारत किए बिना हाइज़ा का इस नीयत से ताइफ़, जद्दा या रियाज़ आदि चले जाना कि हैज़ के बाद वापस आकर तवाफ़ ज़ियारत कर लेगी, जाइज़ नहीं। (देखें मसला न0 147)

मसला 327 तवाफ़े ज़ियारत के बाद अहराम की तमाम पाबन्दियां ख़त्म हो जाती हैं यहां तक कि पत्नी से संबंध की पाबन्दी भी ख़त्म हो जाती है। शरअी परिभाषा में इसे "दूसरा तहल्लुल" कहा जाता है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 147 के तहत देखें।

मसला 328 तवाफ़ ज़ियारत में रमल सही नहीं:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِيْ اَفَاضَ فِيْهِ. رواه ابن خزيمة (١) (صحيح)

1-किताबुल हज, बाबु हज्जतुन्नबी सल्ल0

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने तवाफ़े इफ़ाज़ा के सात चक्करों में रमल नहीं फ़रमाया। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 329-10 ज़िलहिज्जा को जमरा उक़बा की रमी से पहले तवाफ़े ज़ियारत करना जाइज़ हैः

स्पष्टीकरणः हदीस मसला न0 276 के तहत देखें।

मसला 330-8 ज़िलहिज्जा को मिना जाने से पहले तवाफ़ ज़ियारत करना सुन्नत से साबित नहींः

मसला 331 तवाफ़ ज़ियारत के बाद रात वापस मिना में आकर गुज़ारना वाजिब हैः

स्पष्टीकरणः 1–हदीस मसला न0 332 देखें।

2– रात मिना से बाहर गुज़ारने पर एक दम वाजिब है।

Www.IslamicBooks.Website

اَيَّامُ التَّشْرِيْقِ

तशरीक़ के दिनों के मसाइल

मसला 332 तवाफ़े इफ़ाज़ा के बाद मिना वापस आना ज़रूरी है:

मसला 333 अज्र व सवाब के हिसाब से तशरीक़ के दिन साल के बाक़ी तमाम दिनों से ज़्यादा श्रेष्ठ हैं।

मसला 334 तशरीक़ के दिनों की तमाम रातें मिना में बसर करनी वाजिब हैं।

मसला 335 तशरीक़ के दिनों में रोज़ाना तीनों जमरों (जमरा ऊला, जमरा वुस्ता और जमरा उक़बा) को क्रमशः सूरज ढलने के बाद कंकरियां मारनी वाजिब हैं।

मसला 336 जमरा ऊला और जमरा वुस्ता को कंकरियां मारने के बाद ज़रा हट कर क़िब्ला रुख़ खड़े होकर दुआ करना मसनून है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ أَفَاضَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ آخِرِ يَوْمِهِ حِيْنَ صَلَّى الظُّهْرَ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مِنًى فَمَكَثَ بِهَا لَيَالِيَ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ يَرْمِي الْجَمْرَةَ إِذَا زَالَتِ الشَّمْسُ كُلَّ جَمْرَةٍ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ وَيَقِفُ عِنْدَ الْأُوْلَى وَالثَّانِيَةِ فَيُطِيْلُ الْقِيَامَ وَيَتَضَرَّعُ وَيَرْمِي الثَّالِثَةَ وَلَا يَقِفُ عِنْدَهَا.

رواه ابوداؤد (۱) (صحيح)

हज़रत आइशा फ़रमाती हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने दिन के दूसरे हिस्से में तवाफ़ इफ़ाज़ा किया और ज़ोहर की नमाज़ भी अदा की फिर वापस तशरीफ़ लाए और तशरीक़ के दिनों की रातें मिना

1–किताबुल मनासिक,

Www.IslamicBooks.Website

में ही गुज़ारीं (उस दौरान) सूरज ढलने के बाद (तीनों) जमरात को कंकरियां मारीं। हर जमरा को सात कंकरियां मारते और हर कंकरी मारते समय "अल्लाहु अकबर" कहते। पहले (जमरा ऊला) और दूसरे जमरा (जमरा वुस्ता) के पास देर तक क़याम किया और रोते गिड़गिड़ाते (दुआ करते) रहे। तीसरे जमरा (जमरा उक़बा) को कंकरियां मारने के बाद आप सल्ल0 ने वक़ूफ़ नहीं किया। इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1–अगर कोई व्यक्ति 11,12,13 ज़िलहिज्जा (तीन दिन) मिना में बसर न करना चाहें तो 11,12 के दो दिन बसर करने के बाद वापस आ सकता है। (देखें मसला न0 33)

2– 12 ज़िलहिज्जा को मिना से वापस आने वाले हाजियों को सूरज से पहले मिना से निकल आना चाहिए अगर मिना में सूरज अस्त हो गया और 13 ज़िलहिज्जा की रात शुरु हो गई तो 13 ज़िलहिज्जा की कंकरियां मारना वाजिब हो जाएगा।

3– तशरीक़ के दिनों में सूरज ढलने से पहले की गई रमी दोहरानी चाहिए या उस की जगह एक जानवर की क़ुरबानी देनी चाहिए।

4– तीनों जमरात की क्रमशः रमी करना वाजिब है अगर तरतीब में ख़लल पैदा हो जाए तो दोबारा सही तरतीब के साथ रमी करनी चाहिए या उस की जगह एक जानवर की क़ुरबानी देनी चाहिए।

5– बिला मजबूरी तशरीक़ के दिनों की रात मिना में न गुज़ारने पर दम वाजिब है।

मसला 337 किसी ख़ास मजबूरी की वजह से तशरीक़ के दिनों की

Www.IslamicBooks.Website

रातें मक्का मुकर्रमा में गुज़ारने की छूट है:

عَنْ عَبْدِ اللهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ الْعَبَّاسَ بْنَ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِسْتَاذَنَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَبِيتَ بِمَكَّةَ لَيَالِيَ مِنًى مِنْ أَجْلِ سِقَايَتِهِ فَأَذِنَ لَهُ. رواه مسلم (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ि0 ने हाजियों को पानी पिलाने के लिए तशरीक़ के दिनों की रातें मक्का में गुज़ारने की इजाज़त रसूलुल्लाह सल्ल0 से तलब की तो आप सल्ल0 ने उन्हें इजाज़त दे दी। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 338 मिना में तशरीक़ के दिनों के दौरान अल्लाह तआला को अधिकता से याद करना चाहिए:

عَنْ نُبَيْشَةَ الْهُذَلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيَّامُ التَّشْرِيقِ أَيَّامُ أَكْلٍ وَشُرْبٍ وَفِي رِوَايَةٍ وَذِكْرٍ لِلَّهِ تَعَالَى. رواه مسلم (٢)

हज़रत नुबैशा हुज़ली रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "तशरीक़ के दिन खाने पीने के दिन हैं और एक रिवायत में है कि ये अल्लाह को याद करने के दिन हैं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ أَيَّامٍ أَعْظَمُ عِنْدَ اللهِ سُبْحَانَهُ وَلاَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنَ الْعَمَلِ فِيهِنَّ مِنْ هَذِهِ الْأَيَّامِ الْعَشْرِ فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّهْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ. رواهأحمد (٣)

1-किताबुल हज, बाबुल मय्यित बेमिना।

2-मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी, किताबुस्सियाम, बाब कराहियतुस्सियामि अय्यामुत्तशरीक़ि।

3- मुंतकियुल अख़बार, किताबुल ईदैनि

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "अल्लाह तआला के नज़दीक उन दस दिनों से अधिक महानता वाला कोई और दिन नहीं है जिस में किए गए कर्म अल्लाह तआला को (उन दिनों के कर्मों के मुक़ाबले में) ज़्यादा महबूब हों। अतः उन दिनों में अधिकता से ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर, और अलहम्दु लिल्लाह कहो।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 तशरीक़ के दिनों में निम्न शब्दों से तकबीर व तहलील फ़रमाया करते। اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُ اَكْبَرُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ اَكْبَرُ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ (इब्ने अबी शैबा)

मसला 339-12 ज़िलहिज्जा को मिना से वापस आना हो तो उसी दिन 13 ज़िलहिज्जा को रमी करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 340 तवाफ़ वदा के बाद रमी करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 341 तशरीक़ के दिनों के दौरान रोज़ाना नफ़्ली तवाफ़ करना मुस्तहब है:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُوْرُ الْبَيْتَ كُلَّ لَيْلَةٍ مَادَامَ بِمَنًى. رواه البيهقى. (۱) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं कि नबी अकरम सल्ल0 (तशरीक़ के दिनों के दौरान) जब तक मिना में रहे रोज़ाना बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करते रहे। इसे बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

मसला 342 तशरीक़ के दिनों के दौरान तमाम नमाज़ें मस्जिद ख़ैफ़ में अदा करना मुस्तहब है:

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَرْفُوْعاً صَلَّى فِيْ مَسْجِدِ الْخَيْفِ

1- किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

سَبْعُوْنَ نَبِيًّا. رواه الطبرانی (۱) (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 नबी अकरम सल्ल0 से रिवायत करते हैं कि आप सल्ल0 ने फ़रमाया "मस्जिद ख़ैफ़ में सत्तर अंबिया किराम ने नमाज़ अदा फ़रमाई।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

मसला 343 जो मुतमत्तोअ या क़ारिन हाजी क़ुरबानी न दे सके वह तशरीक़ के दिनों में रोज़े रख सकता है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا وَابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالاَ لَمْ يُرَخَّصْ فِيْ أَيَّامِ التَّشْرِيْقِ أَنْ يُصَمْنَ إِلاَّ لِمَنْ لَمْ يَجِدِ الْهَدْيَ.

رواه البخاری (۲)

हज़रत आइशा रज़ि0 और हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 फ़रमाते हैं कि तशरीक़ के दिनों में किसी आदमी को रोज़ा रखने की इजाज़त नहीं दी गई सिवाए उस (हाजी) के जो क़ुरबानी न दे सके। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

☆☆☆

1- तहदीरुल मसाजिदि मनित्तख़ज़ल क़ुबूरु मसाजिदन लिल अलबानी, पृ0 72-73 अत्तबअतुर्राबिआ।

2- किताबुस्सौम,

Www.IslamicBooks.Website

طَوَافُ الْوَدَاعِ

तवाफ़े वदा के मसाइल

मसला 344 हज मुकम्मल करने के बाद मक्का मुकर्रमा से लौटने से पहले तवाफ़े वदा करना वाजिब है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّاسُ يَنْصَرِفُوْنَ فِي كُلِّ وَجْهٍ فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَا يَنْفِرَنَّ أَحَدٌ حَتَّى يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ. رواه مسلم (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं लोग (हज अदा करने के बाद) जिधर चाहते चले जाते तो आप सल्ल0 ने फ़रमाया "कोई व्यक्ति उस समय तक न जाए जब तक आख़िरी बार तवाफ़ न करे।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1–तवाफ़े वदा छोड़ने पर एक दम वाजिब है। 2– 12 ज़िलहिज्जा को तवाफ़ वदाअ अदा करने के बाद मिना आकर रमी करना सही नहीं। 3–जद्दा वाले या ताइफ़ वाले का 12 ज़िलहिज्जा को मिना से ही जद्दा या ताइफ़ इस नीयत से वापस चले जाना ताकि भीड़ कम होने के बाद वापस आकर तवाफ़ वदाअ कर लेंगे सही नहीं। ऐसा करने पर एक दम वाजिब होगा। 4–तवाफ़ वदाअ केवल उसी समय अदा करना चाहिए जब मक्का मुकर्रमा से लौटने का इरादा हो, रात के समय तवाफ़े वदा करके दिन को सफ़र शुरू करना साही नहीं। 5– उमरा अदा करने के बाद तवाफ़े वदा करना वाजिब

1–किताबुल हज,

Www.IslamicBooks.Website

नहीं, मुस्तहब है। 6–मक्का के लोगों पर तवाफ़े वदाअ नहीं है।

मसला 345 हाइज़ा को तवाफ़ विदा के बिना मक्का छोड़ने की इजाज़त है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ أُمِرَ النَّاسُ أَنْ يَكُوْنَ آخِرُ عَهْدِهِمْ بِالْبَيْتِ إِلاَّ أَنَّهُ خُفِّفَ عَنِ الْمَرْأَةِ الْحَائِضِ. رواه مسلم (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 फ़रमाते हैं कि लोगों को (रसूलुल्लाह सल्ल0 की तरफ़ से) हुक्म दिया गया है कि (मक्का से रुख़सत होते हुए) उन का आख़िरी अमल बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ हो। अलबत्ता हाइज़ा औरत को इस की छूट दी है (कि वह तवाफ़ के बिना मक्का मुकर्रमा से चली जाए) इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 346 तवाफ़ वदा के बाद मस्जिद हराम से उलटे पांव बाहर निकलना सुन्नत से साबित नहीं:

☆☆☆

1–किताबुल हज, बाब वजूबि तवाफ़ विदा।

Www.IslamicBooks.Website

حَجُّ النِّسَاءِ

औरतों का हज

मसला 347 औरत अगर स्वयं मालदार हो तो उस पर हज फ़र्ज़ है वरना नहीं:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 36 के तहत देखें।

मसला 348 औरतों पर हज फ़र्ज़ होने के लिए आर्थिक हैसियत के अलावा मेहरम का साथ होना भी शर्त है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 37 के तहत देखें।

मसला 349 किसी औरत का ग़ैर मेहरम मर्द को मेहरम बनाकर हज करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 350 जिस औरत का पति मर जाए, उसे दौराने इद्दत हज का सफ़र करना मना है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 39 के तहत देखें।

मसला 351 किसी औरत का मेहरम के बिना औरतों के ग्रुप में शरीक होकर हज का सफ़र करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 352 औरतों को हज का सवाब जिहाद के बराबर मिलता है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 7 के तहत देखें।

मसला 353 हज या उमरा के लिए आने वाली औरतों को अहराम बांधने के लिए हैज़ या निफ़ास की हालत में भी ग़ुस्ल करना चाहिए बशर्तेकि बीमारी का डर न हो:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ نُفِسَتْ أَسْمَاءُ بِنْتُ عُمَيْسٍ بِمُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ بِالشَّجَرَةِ فَأَمَرَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

Www.IslamicBooks.Website

أَبَا بَكْرٍ يَأْمُرُهَا أَنْ تَغْتَسِلَ وَتُهِلَّ. رواه مسلم (١)

हज़रत आइशा रज़ि0 फ़रमाती हैं कि शजरा के स्थान पर हज़रत मुहम्मद बिन अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 की पैदाइश के कारण हज़रत असमा बिन्ते उमैस रज़ि0 निफ़ास की हालत में थीं। रसूलुल्लाह सल्ल0 ने हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 को हुक्म दिया कि असमा रज़ि0 (अपनी पत्नी) से कहें गुस्ल करके अहराम बांध लें। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 354 औरत हैज़ की हालत में तवाफ़ के अलावा बाक़ी तमाम अरकाने हज अदा कर सकती है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 152 के तहत देखें।

मसला 355 औरत का अहराम की हालत में सर के बालों को बांधना या अहराम के लिए ख़ास लिबास सिलवाना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 356 अहराम की हालत में औरत को यथा संभव पर्दा का आयोजन करना चाहिए:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 110 के तहत देखें।

मसला 357 औरत के लिए तवाफ़े कुदूम में रमल सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 358 दौराने सई औरत का सब्ज़ खम्बों के बीच भागना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 359 औरत के लिए सारे सर के बाल कतरवाना या मुंडवाना मना है उसे केवल दो उंगली के बराबर बाल कतरवाने चाहिएं:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ عَلَى النِّسَاءِ حَلْقٌ إِنَّمَا عَلَى النِّسَاءِ التَّقْصِيْرُ.

رواه ابوداؤد (٢) (صحيح)

1-किताबुल हज, बाबु अहरामुन्नुफ़सा।

2-किताबुल हज, बाबुल हलक़ि वत्तक़सीरि।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "औरतें सर न मुंडवाएं बल्कि केवल बाल कटवाएं।" इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 360 हज अदा करने वाली मासिक धर्म वाली औरतों को तवाफ़ वदाअ न करने की छूट है।

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 345 के तहत देखें।

मसला 361 औरत के लिए पति की इजाज़त के बिना नफ़्ली हज अदा करना मना है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ اِمْرَاةٍ كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَلَهَا مَالٌ فَلاَ يَأْذَنُ لَهَا فِي الْحَجِّ قَالَ: لَيْسَ لَهَا أَنْ تَنْطَلِقَ اِلاَّ بِاِذْنِ زَوْجِهَا. رواه الدار قطنى. (1)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 रसूलुल्लाह सल्ल0 से उस औरत के बारे में रिवायत करते हैं जिस का पति है और औरत स्वयं मालदार है। पति उसे (नफ़्ली) हज की इजाज़त नहीं देता, उस औरत के बारे में रसूले अकरम सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "ऐसी औरत को पति की इजाज़त के बिना हज पर नहीं जाना चाहिए।" इसे दारे कुतनी ने रिवायत किया है।

1-फ़िक़्हुस्सुन्ना, किताबुल हज, बाब हज्जिल मिरअति।

Www.IslamicBooks.Website

حَجُّ الصَّبِيِّ

बच्चों का हज

मसला 362 नाबालिग़ बच्चों को हज करवाना चाहिए इस का सवाब बच्चे के अलावा मां बाप को भी मिलता है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِيَ رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ: مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوا مَنْ أَنْتَ؟ قَالَ: رَسُوْلُ اللهِ فَرَفَعَتْ إِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ أَلِهَذَا حَجٌّ؟ قَالَ: نَعَمْ وَلَكِ أَجْرٌ. رواه مسلم (۱)

हज़रत इब्ने अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 रौहा के स्थान पर एक क़ाफ़िले से मिले। आप सल्ल0 ने पूछा "तुम कौन लोग हो?" उन्होंने जवाब दिया "हम मुसलमान हैं।" फिर क़ाफ़िले वालों ने पूछा "आप कौन हैं?" हुज़ूर अकरम सल्ल0 ने जवाब दिया "मैं अल्लाह का रसूल हूं।" क़ाफ़िला में से एक औरत अपने बच्चे को उठा लाई और आप सल्ल0 से पूछा "क्या इस बच्चे का हज हो जाएगा?" रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "हां! हो जाएगा और सवाब तुम्हें मिलेगा।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: 1- मीक़ात पर पहुंच कर बच्चे के संरक्षक को बच्चे की तरफ़ से नीयत करनी चाहिए कि मैं उस बच्चे को मुहरिम बनाता हूं।

2- अगर बच्चा (लड़का) समझदार हो तो उसे अहराम की चादरें पहनानी चाहिएं अगर बच्चा कमसिन या दूध पीता हो तो उस

1- किताबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

के सिले हुए कपड़े उतार कर एक चादर में लपेट लेना चाहिए यही उस का अहराम होगा।

3- ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को अहराम की हालत में कपड़े उतार कर एक चादर में लपेट लेना चाहिए यही उस का अहराम होगा।

ज़रूरत पड़ने पर बच्चे को अहराम की हालत में प्लास्टिक की नैकर आदि पहनाना जाइज़ है।

4- बच्चे की तरफ़ से उन के किसी एक अभिभावक को तलबिया कहना चाहिए।

5- बच्चे को उठाकर तवाफ़ या सई की जाए तो उठाने वाला और उठाया जाने वाला दोनों की एक साथ सई हो जाती है।

6- तवाफ़ के बाद समझदार बच्चे को मक़ामे इबराहीम पर दो रकअत नमाज़ पढ़वानी चाहिए।

7- तवाफ़ के बाद अपने साथ बच्चे को भी ज़मज़म पिलाना चाहिए।

8- सई के बाद बच्चे का हलक़ या क़स्र करवाना चाहिए।

9- हज के दिनों में बच्चे के अभिभावक को बच्चे की तरफ़ से रमी करना चाहिए।

10- हर बच्चे की तरफ़ से हज के आदेशानुसार अलग अलग क़ुरबानी ज़रूरी है। वल्लाहु आलम बिस्सवाब

मसला 363 बच्चे की तरफ़ से अहराम का उल्लंघन या किसी दूसरी ग़लती पर कोई दम या फ़िदया नहीं:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 36 के तहत देखें।

मसला 364 बचपन में हज करने वाले बच्चों को व्यस्क होने के बाद हज फ़र्ज़ होने पर दोबारा हज करना चाहिए:

Www.IslamicBooks.Website

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَيُّمَا صَبِيٍّ حَجَّ ثُمَّ بَلَغَ الْحِنْثَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى وَأَيُّمَا عَبْدٍ حَجَّ ثُمَّ أُعْتِقَ فَعَلَيْهِ أَنْ يَحُجَّ حَجَّةً أُخْرَى. رواه الطبرانى (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि नबी अकरम सल्ल० ने फ़रमाया "जो बच्चा हज करे फिर बालिग़ हो जाए तो (हैसियत होने पर) उसे दोबारा हज करना चाहिए और जिस ग़ुलाम ने हज किया फिर आज़ाद किया गया, तो उसे (हैसियत होने पर) दोबारा हज करना चाहिए।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

1-फ़िक़्हुस्सुन्ना, किताबुल हज,

Www.IslamicBooks.Website

اَلْحَجُّ عَنِ الْغَيْرِ

दूसरों की तरफ़ से हज करने के मसाइल

ज़िन्दा आदमी की तरफ़ से हज अदा करना

मसला 365 हैसियत वाला लेकिन बूढ़ा, कमज़ोर, अपंग या सदैव बीमार रहने वाला अपने माल में से किसी ऐसे व्यक्ति को हज करा दे जो पहले अपना फ़र्ज़ हज अदा कर चुका हो, तो उस अपंग व्यक्ति का हज अदा हो जाएगा। इसे हज्जे बदल कहते हैं:

मसला 366 अगर कोई व्यक्ति अपने माल में से किसी दूसरे ज़िन्दा व्यक्ति की तरफ़ से नफ़ली हज अदा करे तो उस का अज्र व सवाब करने वाले और जिस की तरफ़ से किया गया है, दोनो को मिलेगा। इन्शा अल्लाह।

मसला 367 औरत, मर्द की तरफ़ से हज अदा कर सकती है:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ قَالَ: كَانَ الْفَضْلُ بْنُ عَبَّاسٍ رَدِيْفَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَائَتْهُ امْرَأَةٌ مِنْ خَثْعَمَ تَسْتَفْتِيْهِ فَجَعَلَ الْفَضْلُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَتَنْظُرُ إِلَيْهِ فَجَعَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَصْرِفُ وَجْهَ الْفَضْلِ إِلَى الشِّقِّ الْآخَرِ قَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّ فَرِيْضَةَ اللهِ عَلَى عِبَادِهِ فِي الْحَجِّ أَدْرَكَتْ أَبِيْ شَيْخًا كَبِيْرًا لَا يَسْتَطِيْعُ أَنْ يَثْبُتَ عَلَى الرَّاحِلَةِ أَفَأَحُجُّ عَنْهُ قَالَ: نَعَمْ وَذَلِكَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ. رواه مسلم

1- किताबुल हज, बाबुल हज्जि,

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते हैं कि फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ि0 (हज के अवसर पर) नबी अकरम सल्ल0 के पीछे सवार थे। क़बीला ख़सअम की एक औरत हाज़िर हुई और मसला पूछने लगी। हज़रत फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ि0 उस औरत की तरफ़ देखने लगे और वह औरत फ़ज़्ल बिन अब्बास रज़ि0 को देखने लगी। रसूलुल्लाह सल्ल0 ने हज़रत फ़ज़्ल रज़ि0 का चेहरा (हाथ से पकड़ कर) दूसरी तरफ़ फेर दिया। उस औरत ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! अल्लाह तआला ने अपने बन्दों पर हज फ़र्ज़ किया है, मेरा बाप बूढ़ा है, सवारी पर सवार नहीं हो सकता, क्या मैं उस की तरफ़ से हज अदा कर सकती हूं?" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "हां! कर सकती हो।" यह हज्जतुल वदाअ की घटना है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَمِعَ رَجُلاً يَقُوْلُ لَبَّيْكَ عَنْ شُبْرُمَةَ قَالَ: مَنْ شُبْرُمَةُ؟ قَالَ أَخٌ لِي أَوْ قَرِيْبٌ لِيْ قَالَ: حَجَجْتَ عَنْ نَفْسِكَ؟ قَالَ لاَ قَالَ: حُجَّ عَنْ نَفْسِكَ ثُمَّ حُجَّ عَنْ شُبْرُمَةَ. رواه ابو داؤد (۱) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने एक व्यक्ति को शुबरुमा की तरफ़ से लब्बैक कहते सुना तो पूछा "शुबरुमा कौन है?" उस ने अर्ज़ किया "मेरा भाई! या कहा "मेरा क़रीबी रिश्तादार।" आप सल्ल0 ने पूछा "क्या तूने अपना हज किया है?" उस ने अर्ज़ किया "नहीं!" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "पहले अपना हज अदा करो, फिर शुबरुमा की तरफ़ से करना।" इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: हज्जे बदल करने वाले की मजबूरी या बीमारी अस्थाई

1-किताबुल मनासिक, बाबुर्रजुलि युहज्जु अन ग़ैरिहि।

Www.IslamicBooks.Website

हो तो फिर मजबूरी या बीमारी ख़त्म होने के बाद उसे स्वयं हज अदा करना चाहिए। बशर्तेकि वह उस समय तक हैसियत वाला हो।

मसला 368 ज़िन्दा, हैसियत वाले और स्वस्थ आदमी की तरफ़ से हज्ज बदल अदा करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 369 हज्जे बदल में मीक़ात पर पहुंच कर अहराम बांधते समय हज करवाने वाले का नाम लेना चाहिए लेकिन अगर याद न रहे तो हज में कोई ख़राबी पैदा नहीं होगी:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 365 के तहत देखें।

मसला 370 किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ़ से उमरा या हज अदा करने की नीयत से अहराम बांध लिया जाए तो फिर उस उमरा या हज को किसी तीसरे व्यक्ति के नाम से अदा करना जाइज़ नहीं:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 25 के तहत देखें।

मसला 371 किसी दूसरे व्यक्ति की तरफ़ से हज के अलावा उमरा करना भी जाइज़ है उस का अज्र व सवाब करने वाले और जिस की तरफ़ से किया गया है दोनों को मिलेगा। इन्शा अल्लाह।

عَنْ أَبِي رَزِيْنٍ الْعُقَيْلِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ أَبِي شَيْخٌ كَبِيْرٌ لاَ يَسْتَطِيْعُ الْحَجَّ وَلاَ الْعُمْرَةَ وَالظَّعْنَ؟ قَالَ: حُجَّ عَنْ أَبِيْكَ وَاعْتَمِرْ. رواه النسائي (١) (صحيح)

हज़रत अबु रज़ीन उक़ैली रज़ि0 से रिवायत है कि उन्होंने रसूलुल्लाह सल्ल0 से अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! मेरा बाप

1- किताबुल हज, बाबुल उमराता अन रजुलिल्लज़ी ला यसततीउ।

Www.IslamicBooks.Website

बूढ़ा है हज की ताक़त नहीं रखता है न उमरा की और न ही ऊंट पर सवार होने की, (इसलिए क्या हुक्म है?)" आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया "अपने बाप की तरफ़ से हज और उमरा कर।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: किसी दूसरे की तरफ़ से हज या उमरा करना हो तो एक समय में केवल एक आदमी की तरफ़ से ही उमरा या हज की नीयत करनी चाहिए। वल्लाहु आलम बिस्सवाब

मय्यित की तरफ़ से हज अदा करना

मसला 372 हज की नज़्र मानने वाला व्यक्ति अगर हज किए बिना मर जाए और उस के वुरसा उस की तरफ़ से हज अदा करें तो मरने वाले की नज़्र पूरी हो जाएगी चाहे मरने वाला वसीयत करे या न करे।

मसला 373 हैसियत वाला व्यक्ति अगर हज किए बिना मर जाए और उस के वुरसा उस के माल में से हज अदा करें, तो मरने वाले व्यक्ति का फ़र्ज़ हज अदा हो जाएगा, चाहे मरने वाला वसीयत करे या न करे।

मसला 374 मर्द, औरत की तरफ़ से हज अदा कर सकता है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا: أَنَّ امْرَأَةً مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتْ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ إِنَّ أُمِّي نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَلَمْ تَحُجَّ حَتَّى مَاتَتْ أَفَأَحُجُّ عَنْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ حُجِّي عَنْهَا أَرَأَيْتِ لَوْ كَانَ عَلَى أُمِّكِ دَيْنٌ أَكُنْتِ قَاضِيَةً اقْضُوا اللهَ فَاللهُ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. رواه البخارى (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० से रिवायत है कि क़बीला

1- किताबु जज़ाउस्सैदि व नहवहुल हज्जु वन्नज़ूरु अनिल मय्यिति।

Www.IslamicBooks.Website

जुहैना की एक औरत नबी अकरम सल्ल0 की सेवा में हाज़िर हुई और अर्ज़ किया "मेरी मां ने हज की नज़्र मानी थी, लेकिन मरने से पहले हज नहीं कर सकी, क्या मैं उस की तरफ़ से हज करूं?" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "हां! उस की तरफ़ से हज करो, हां! देखो अगर तुम्हारी मां पर क़र्ज़ होता तो क्या तुम अदा न करतीं? अतः अल्लाह का क़र्ज़ अदा करो। अल्लाह इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उस का क़र्ज़ अदा किया जाए।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحُجَّ فَمَاتَتْ فَأَتَى أَخُوهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ: أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى أُخْتِكَ دِيْنٌ أَكُنْتَ قَاضِيَهُ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ: فَاقْضُوا اللهَ فَهُوَ أَحَقُّ بِالْوَفَاءِ. رواه النسائى (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि एक औरत ने हज की नज़्र मानी, मर गयी तो उस का भाई रसूलुल्लाह सल्ल0 की सेवा में हाज़िर हुआ और मसला मालूम किया। आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "अगर तेरी बहन पर क़र्ज़ होता तो क्या अदा करता?" उस ने कहा "हां, या रसूलुल्लाह सल्ल0!" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "तो फिर अल्लाह का क़र्ज़ अदा करो और अल्लाह इस बात का ज़्यादा हक़दार है कि उस का क़र्ज़ अदा किया जाए।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

☆☆☆

1-किताबुल हज, बाबुल हज्जि अनिल मय्यितिल्लज़ी नज़रून अन युहज्जा।

Www.IslamicBooks.Website

حُرْمَةُ مَكَّةَالْمُكَرَّمَةِ

मक्का मुकर्रमा की हुरमत के मसाइल

मसला 375 शहर मक्का को अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश के दिन से ही सम्मान योग्य बनाया है:

मसला 376 हरम मक्का की सीमाओं में किसी जानवर का शिकार करना, शिकार को डराना या उस का पीछा करना मना है:

मसला 377 हरम मक्का में आप ही उगने वाले पेड़ों, पौधों और हरी घास को काटना मना है:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ..... يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ إِنَّ هَذَا الْبَلَدَ حَرَّمَهُ اللهُ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَإِنَّهُ لَمْ يَحِلَّ الْقِتَالُ فِيهِ لِأَحَدٍ قَبْلِي وَلَمْ يَحِلَّ لِي إِلَّا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ فَهُوَ حَرَامٌ بِحُرْمَةِ اللهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ لَا يُعْضَدُ شَوْكُهُ وَلَا يُنَفَّرُ صَيْدُهُ وَلَا يَلْتَقِطُ إِلَّا مَنْ عَرَّفَهَا وَلَا يُخْتَلَى خَلَاهَا فَقَالَ الْعَبَّاسُ يَا رَسُولَ اللهِ إِلَّا الْإِذْخِرَ فَإِنَّهُ لِقَيْنِهِمْ وَلِبُيُوتِهِمْ فَقَالَ: إِلَّا الْإِذْخِرَ. رواه مسلم (۱)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मक्का की विजय के दिन फ़रमाया "निःसन्देह अल्लाह तआला ने ज़मीन व आसमान की पैदाइश के दिन से ही इस शहर को सम्मानित ठहराया है और वह अल्लाह की ठहराई हुई हुरमत से क़यामत तक सम्मानित रहेगा। मुझ से पहले किसी के लिए इस शहर में जंग हलाल नहीं हुई और मेरे लिए भी दिन की एक घड़ी

1- किताबुल हज, बाब तहरीमु सय्यदि मक्का।

Www.IslamicBooks.Website

भर के लिए हलाल हुई थी तो वह अल्लाह तआला की क़ाइम की हुई हुरमत के तहत क़यामत तक के लिए सम्मान योग्य शहर है अतः उस (में आप ही उगे हुए पेड़) का कांटा न तोड़ा जाए न उस में शिकार भगाया जाए न उस में गिरी पड़ी चीज़ उठाई जाए हां अलबत्ता वह व्यक्ति उठा सकता है जो उसे (मालिक तक) पहुंचाए। वह (स्वयं उगी) हरी घास न काटी जाए।" हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह! इज़ख़िर (की इजाज़त दे दीजिए) कि यह लोगों के चूल्हों (में जलाने के लिए) और घरों (में छतों पर डालने के लिए) इस्तेमाल होती है।" तब आप ने इर्शाद फ़रमाया "इस की इजाज़त है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 378 हरमे मक्का की सीमाओं का निर्धारण हज़रत इबराहीम अलैहि० और हरमे मदनी की सीमाओं का निधारण रसूले अकरम सल्ल० ने किया है:

عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيْجٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ إِبْرَاهِيْمَ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَرَّمَ مَكَّةَ وَإِنِّيْ أُحَرِّمُ مَا بَيْنَ لَابَتَيْهَا يُرِيْدُ الْمَدِيْنَةَ. رواه مسلم (۱)

हज़रत राफ़ेअ बिन ख़दीज रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "हज़रत इबराहीम अलैहि० ने मक्का को हरम क़रार दिया और मैं दोनों सियाह पत्थरों वाले टीलों के बीच वाली जगह अर्थात मदीना को हरम क़रार देता हूं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: अल्लाह तआला के हुक्म से हज़रत इबराहीम अलैहि० ने हरम मक्का की जो सीमाएं निधारित की वे निम्न हैं।

1-किताबुल हज, बाब फ़ज़्लुल मदीनति।

Www.IslamicBooks.Website

उत्तर की तरफ़ मक्का मुकर्रमा से चार मील (तनईम तक) पूर्व की तरफ़ मक्का मुकर्रमा से लग भग दस मील (जाअराना तक) उत्तर पूर्व की तरफ़ मक्का मुकर्रमा से लगभग नौ मील (वादी नख़ला तक) पश्चिम की तरफ़ मक्का मुकर्रमा से आठ मील हुदैबिया (नया नाम शुमैसी) तक। हुकूमत ने निशानी के तौर पर चारों दिशाओं में उल्लिखित स्थानों पर सफ़ेद खम्बे बनाए हुए हैं।

मसला 379 मक्का मुकर्रमा अल्लाह तआला और उस के रसूल सल्ल0 का प्रिय शहर है:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَدِيِّ ابْنِ حَمْرَاءَ الزُّهْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاقِفًا عَلَى الْحَزْوَرَةِ فَقَالَ: وَاللهِ إِنَّكِ لَخَيْرُ أَرْضِ اللهِ وَأَحَبُّ أَرْضِ اللهِ إِلَى اللهِ وَلَوْلَا أَنِّي أُخْرِجْتُ مِنْكِ مَاخَرَجْتُ. رواه الترمذى (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अदी बिन हमरा रज़ि0 कहते हैं कि मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को हज़वरह के ऊपर खड़े यह फ़रमाते हुए देखा है "अल्लाह की क़सम! (ऐ मक्का!) तू अल्लाह की सारी ज़मीन से बेहतर है और अल्लाह को सब से ज़्यादा प्रिय है। अगर मैं यहां से निकाला न जाता तो मैं कभी यहां से न निकलता।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَكَّةَ مَا أَطْيَبَكِ مِنْ بَلَدٍ وَأَحَبَّكِ إِلَيَّ وَلَوْلَا أَنَّ قَوْمِي أَخْرَجُوْنِي مِنْكِ مَا سَكَنْتُ غَيْرَكِ. رواه الترمذى (٢) (صحيح)

1-अबवाबुल मनाक़िब, बाब फ़ी फ़ज़्लि मक्का।

2-अबवाबुल मनाक़िब, बाब फ़ी फ़ज़्लि मक्का।

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने मक्का से मुख़ातब होकर फ़रमाया "तू क्या ही अच्छा शहर है मुझे सब से ज़्यादा प्रिय है, अगर मेरी क़ौम मुझे न निकालती तो मैं तेरे अलावा किसी दूसरी जगह रहना पसन्द न करता।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 380 दज्जाल मक्का और मदीना में दाख़िल नहीं हो सकेगाः

عَنْ أَنَسُ بْنُ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَيْسَ مِنْ بَلَدٍ إِلاَّ سَيَطَأُهُ الدَّجَّالُ إِلاَّ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةَ وَلَيْسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابِهَا إِلاَّ عَلَيْهِ الْمَلاَئِكَةُ صَافِّيْنَ تَحْرُسُهَا. رواه مسلم (١)

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "कोई शहर ऐसा नहीं है जिस में दज्जाल का गुज़र न हो सिवाए मक्का और मदीना के। उन के तमाम रास्तों पर फ़रिश्ते पंक्ति दर पंक्ति पहरा दे रहे हैं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 381 मक्का मुकर्रमा में बिना ज़रूरत हथियार लेकर चलना मना हैः

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: لاَ يَحِلُّ لِأَحَدِكُمْ أَنْ يَحْمِلَ بِمَكَّةَ السِّلاَحَ. رواه مسلم (٢)

हज़रत जाबिर रज़ि० कहते हैं मैंने नबी अकरम सल्ल० को फ़रमाते हुए सुना है कि किसी व्यक्ति के लिए मक्का में हथियार उठाना जाइज़ नहीं है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 382 मक्का मुकर्रमा की मस्जिद ..... मस्जिदुल हराम ..... में एक नमाज़ अदा करने का सवाब एक लाख नमाज़ के बराबर हैः

عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ

1–कितबुल फ़ितन, बाब बक़ियतुन मिन अहादीसिद्दज्जाल। 2–किताबुल हज,

Www.IslamicBooks.Website

وَسَلَّمَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِيْ أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ وَصَلاَةٌ فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَفْضَلُ مِنْ مِائَةِ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيْهِ سِوَاهُ. رواه احمد (۱) (صحيح)

हज़रत जाबिर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "मेरी मस्जिद में नमाज़ अदा करने का अज्र (दूसरी मस्जिदों के मुक़ाबले में) हज़ार गुना ज़्यादा है सिवाए मस्जिदे हराम के और मस्जिदे हराम में एक नमाज़ का सवाब (दूसरी मस्जिदों के मुक़ाबले में) एक लाख गुना ज़्यादा है।" इसे अहमद ने रिवायत किया है।

मसला 383 दुनिया में सब से पहले मक्का मुकर्रमा की मस्जिद ..... मस्जिदुल हराम ..... तामीर की गई:

عَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَيُّ مَسْجِدٍ وُضِعَ فِي الْأَرْضِ أَوَّلُ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْحَرَامُ قُلْتُ ثُمَّ أَيٌّ؟ قَالَ: الْمَسْجِدُ الْأَقْصَى قُلْتُ كَمْ بَيْنَهُمَا؟ قَالَ: أَرْبَعُوْنَ سَنَةً وَأَيْنَمَا أَدْرَكَتْكَ الصَّلاَةُ فَصَلِّ فَهُوَ مَسْجِدٌ. رواه مسلم (۲)

हज़रत अबु ज़र रज़ि0 कहते हैं मैंने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह! ज़मीन पर सब से पहले कौन सी मस्जिद तामीर की गई?" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "मस्जिदे हराम" मैंने अर्ज़ किया "उस के बाद कौन सी?" आप ने इर्शाद फ़रमाया "मस्जिदे अक़सा" मैंने अर्ज़ किया "इन दोनों की तामीर के बीच कितना ज़माना है?" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "चालीस साल! और तुझे जहां भी नमाज़ का समय आ जाए वहीं नमाज़ पढ़ ले। वह मस्जिद है।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

1- सहीहुल जामेउस्सग़ीर, लिल अलबानी, रक़मुल हदीस 3732

2- किताबुल मसाजिद व मवाज़ेउस्सलात।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 384 मक्का मुकर्रमा की मस्जिद..... मस्जिदुल हराम .....
नमाज़ के वर्जित समयों से अपवाद है:

عَنْ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَا بَنِي عَبْدِ مَنَافٍ لاَ تَمْنَعُوا أَحَداً طَافَ بِهَذَا الْبَيْتِ وَصَلَّى أَيَّةَ سَاعَةٍ شَاءَ مِنْ لَيْلٍ أَوْنَهَارٍ. رواه الترمذى (١) (صحيح)

हज़रत जुबैर बिन मुतइम रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "ऐ बनू अब्दे मनाफ़! बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करने और नमाज़ पढ़ने से किसी को मना न करो चाहे दिन और रात का कोई सा समय हो।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

☆☆☆

1-अबवाबुल हज

Www.IslamicBooks.Website

حُرْمَةُ الْمَدِيْنَةِ الْمُنَوَّرَة

मदीना मुनव्वरा की हुरमत के मसाइल

मसला 385 मदीना मुनव्वरा भी मक्का मुकर्रमा की तरह हरम है जिस में पेड़ काटना या शिकार करना मना है:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 377–378 के तहत देखें।

मसला 386 मदीना मुनव्वरा का दूसरा नाम "ताबा" है जिसे स्वयं अल्लाह तआला ने रखा है:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: إِنَّ اللهَ تَعَالَى سَمَّى الْمَدِيْنَةَ طَابَةَ. رواه مسلم (١)

हज़रत जाबिर बिन समुरा रज़ि0 कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को फ़रमाते हुए सुना है कि अल्लाह तआला ने मदीना का नाम "ताबा" रखा है। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 387 मदीना मुनव्वरा में ताऊन की बीमारी कभी नहीं फैलेगी और न उस में दज्जाल दाख़िल हो सकेगा।

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عَلَى أَنْقَابِ الْمَدِيْنَةِ مَلَائِكَةٌ لَا يَدْخُلُهَا الطَّاعُوْنُ وَلَا الدَّجَّالُ. رواه البخاري (٢)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "मदीना के रास्तों पर फ़रिश्ते मुक़र्रर हैं उस में न कभी ताऊन फैल सकता है न दज्जाल दाख़िल हो सकता है।" इसे बुख़ारी

1–किताबुल हज,

2– किताबु फ़ज़ाइलिल मदीनाति, बाब ला यदखुलुहुज्जालुल मदीनता।

Www.IslamicBooks.Website

ने रिवायत किया है।

मसला 388 मदीना में मौत तक स्थाई ठहरना रसूले अकरम सल्ल0 की शफ़ाअत का कारण है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنِ اسْتَطَاعَ أَنْ يَمُوْتَ بِالْمَدِيْنَةِ فَلْيَمُتْ بِهَا فَإِنِّي أَشْفَعُ لِمَنْ يَمُوْتُ بِهَا. رواه الترمذي (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जो व्यक्ति मदीना मुनव्वरा में मर सकता हो (अर्थात यहां आकर मौत तक क़याम कर सकता हो) उसे ज़रूर मदीना में मरना चाहिए क्योंकि मैं उस व्यक्ति के लिए सिफ़ारिश करूंगा जो मदीना में मरेगा।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 389 मदीना मुनव्वरा में मक्का मुकर्रमा की निस्बत दोगुनी बरकत रखी गई है:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ بِالْمَدِيْنَةِ ضِعْفَيْ مَاجَعَلْتَ بِمَكَّةَ مِنَ الْبَرَكَةِ.

رواه البخاري (٢)

हज़रत अनस रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "या अल्लाह! मक्का को तूने जितनी बरकत प्रदान है मदीना को उस से दोगुनी बरकत प्रदान कर।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 390 मदीना में मुसीबतों और आज़माइशों पर सब्र करने वालों के लिए रसूलुल्लाह सल्ल0 क़यामत के दिन सिफ़ारिश करेंगे:

1-अबवाबुल मनाक़िब, बाब मा जाआ फ़ी फ़ज़िलल मदीनति।

2-किताब फ़ज़ाइलिल मदीनति।

Www.IslamicBooks.Website

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ: مَنْ صَبَرَ عَلَى لَأْوَائِهَا كُنْتُ لَهُ شَفِيْعًا أَوْ شَهِيْداً يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رواه مسلم (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 कहते हैं मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को फ़रमाते हुए सुना है जिस ने (मदीना में क़याम के दौरान आने वाली) मुश्किलात व मसाइब पर सब्र किया क़यामत के दिन मैं उस (के ईमान) की गवाही दूंगा या फ़रमाया ' उस की सिफ़ारिश करूंगा।'' इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 391 मदीना मुनव्वरा में क़यामत तक ईमान वाले बाक़ी रहेंगेः

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِنَّ الْإِيْمَانَ لَيَأْرِزُ إِلَى الْمَدِيْنَةِ كَمَا تَأْرِزُ الْحَيَّةُ إِلَى جُحْرِهَا. رواه لابخاري (٢)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया ''(क़यामत के क़रीब) ईमान मदीना में सिमट कर उसी तरह वापस आ जएगा जिस तरह सांप फड़फड़ाकर अपने बिल में वापस आ जाता है।'' इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 392 मदीना मुरव्वरा के पहाड़ ''उहुद'' से भी रसूलुल्लाह को मुहब्बत थी।

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَى خَيْبَرَ أَخْدُمُهُ فَلَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاجِعاً وَبَدَا لَهُ أُحُدٌ قَالَ: هَذَا جَبَلٌ يُحِبُّنَا وَنُحِبُّهُ.

رواه البخارى (٣)

1-किताबु फ़ज़ाइलिल मदीनति।

2-किताबु फ़ज़ाइलिल मदीनति, बाबुल ईमान यारुजु इलल मदीनति।

3-किताबुल जिहाद,

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत अनस बिन मालिक रज़ि० कहते हैं कि मैं ख़ैबर जाने के लिए नबी अकरम सल्ल० के साथ (घर से) निकला वहां (ख़ैबर में) मैं आप सल्ल० की सेवा करता रहा। नबी अकरम सल्ल० ख़ैबर से मदीना वापस लौटे। उहुद पहाड़ दिखाई दिया तो फ़रमाया "यह पहाड़ वह है जो हम से मुहब्बत करता है और हम उससे मुहब्बत करते हैं।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 393 मदीना मुनव्वरा की खुजूर "अजवा" जन्नत का फल है जिस में ज़हर और जादू के लिए शिफ़ा रखी गई है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْعَجْوَةُ مِنَ الْجَنَّةِ وَفِيْهَا شِفَاءٌ مِنَ السُّمِّ.

رواه الترمذي (١) (صحيح)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "अजवा खुजूर जन्नत का फल है और उस में ज़हर के लिए शिफ़ा है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ تَصَبَّحَ كُلَّ يَوْمٍ سَبْعَ تَمَرَاتٍ عَجْوَةً لَمْ يَضُرُّهُ فِيْ ذَلِكَ الْيَوْمِ سُمٌّ وَلاَ سِحْرٌ. رواه البخاري (٢)

हज़रत साद बिन वक़ास रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जो व्यक्ति जिस दिन सुबह के समय सात अदद अजवा खुजूरें खाएगा उस को उस दिन ज़हर और जादू नुक़सान नहीं पहुंचाएगा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 394 मदीना मुनव्वरा में दाख़िल होने से पहले वज़ू या ग़ुस्ल करना सुन्नत से साबित नहीं:

1-किताबुत्तिब्ब, बाब मा जाआ फ़िल अजवा।

2- किताबुल अतइमा, बाबुल अजवा।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 395 मदीना मुनव्वरा में नंगे पावं दाख़िल होना सुन्नत से साबित नहीं

मसला 396 मदीना मुनव्वरा की इमारतें नज़र आने पर प्रचलित शब्द اَللّٰهُمَّ هٰذَا حَرَمُ نَبِيِّكَ ..... पढ़ना मसनून है:

मसला 397 मदीना मुनव्वरा में दाख़िल होते समय بِسْمِ اللّٰهِ وَعَلٰى مِلَّةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ رَبِّ اَدْخِلْنِيْ مُدْخَلَ صِدْقٍ وَّاَخْرِجْنِيْ مُخْرَجَ صِدْقٍ وَّاجْعَلْ لِّيْ مِنْ لَّدُنْكَ سُلْطَانًا نَّصِيْرًا पढ़ना सुन्नत से साबित नहीं:

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

زِيَارَةُ مَسْجِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

मस्जिद नबवी की ज़ियारत के मसाइल

मसला 398 मस्जिद नबवी सल्ल0 की ज़ियारत करने और उस में नमाज़ पढ़ कर ज़्यादा अज्र व सवाब हासिल करने की नीयत से मदीना का सफ़र करना मसनून है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ يَبْلُغُ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تُشَدُّ الرِّحَالُ إِلاَّ إِلَى ثَلاَثَةِ مَسَاجِدَ مَسْجِدِي هَذَا وَمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَمَسْجِدِ الْأَقْصَى. رواه مسلم (١)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 रसूलुल्लाह सल्ल0 से रिवायत करते हैं "तीन मस्जिदों के अलावा किसी दूसरी मस्जिद का (ज़्यादा सवाब हासिल करने की नीयत से) सफ़र इख़्तियार न किया जाए,मस्जिद नबवी, मस्जिद हराम और मस्जिद अक़सा।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 399 मस्जिद नबवी में नमाज़ का सवाब मस्जिदे हराम के अलावा बाक़ी तमाम मस्जिदों से हज़ार गुना ज़्यादा है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: صَلاَةٌ فِي مَسْجِدِ هَذَا أَفْضَلُ مِنْ أَلْفِ صَلاَةٍ فِيمَا سِوَاهُ إِلاَّ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ. رواه مسلم (٢)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "मेरी इस मस्जिद में नमाज़ का सवाब बाक़ी

1-किताबुल हज, बाब फ़ज़्लुस्सलाति बिमस्जिदि मक्कता वल मदीनतां

2-किताबुल हज, बाब फ़ज़्लुल मसाजिदिस्सलासति।

Www.IslamicBooks.Website

मस्जिदों के मुक़ाबले में हज़ार गुना ज़्यादा है सिवाए मस्जिद हराम के।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 400 मस्जिद नबवी में दाख़िल होते और निकलते समय आम मस्जिदों की दुआ मांगना मसनून है:

मसला 401 मस्जिद नबवी में दाख़िल होते और निकलते समय आम मस्जिदों की दुआ मांगना मसनून है:

عَنْ أَبِي حُمَيْدٍ أَوْ عَنْ أَبِي أُسَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ أَبْوَابَ رَحْمَتِكَ وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ. رواه مسلم (١)

हज़रत अबु हुमैद या अबु उसैद रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "जब कोई व्यक्ति मस्जिद में दाख़िल हो वह यह दुआ मांगे "या अल्लाह! मेरे लिए अपनी रहमत के दरवाज़े खोल दे।" और जब मस्जिद से बाहर निकले तो यह दुआ मांगे "या अल्लाह! मैं तेरी कृपा का इच्छुक हूं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: मस्जिद में दाख़िल होने के लिए कोई ख़ास दुआ सुन्नत से साबित नहीं।

मसला 402 मस्जिद में दाख़िल होने के बाद पहले तहिय्यतुल मस्जिद अदा करनी चाहिए फिर क़ब्र मुबारक पर हाज़िर होकर दुरूद व सलाम पढ़ना चाहिए:

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ وَرَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ بَيْنَ ظَهْرَانَيِ النَّاسِ قَالَ فَجَلَسْتُ فَقَالَ

1- किताबुल मसाजिद, बाब मा यकूलु इज़ा दखूलुल मस्जिदि।

Www.IslamicBooks.Website

رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَا مَنَعَكَ أَنْ تَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ تَجْلِسَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ رَأَيْتُكَ جَالِسًا وَالنَّاسُ جُلُوْسٌ قَالَ: فَإِذَا دَخَلَ أَحَدُكُمُ الْمَسْجِدَ فَلَا يَجْلِسْ حَتَّى يَرْكَعَ رَكْعَتَيْنِ.

رواه مسلم (۱)

हज़रत अबु क़तादा रज़ि0 कहते हैं मैं मस्जिद नबवी सल्ल0 में हाज़िर हुआ और रसूलुल्लाह सल्ल0,सहाबा किराम रज़ि0 के बीच तशरीफ़ फ़रमा थे। मैं भी उन के पास बैठ गया। रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "बैठने से पहले दो रकअतें (तहिय्यतुल मस्जिद) पढ़ने से आप को किस चीज़ ने रोका?" हज़रत अबु क़तादा रज़ि0 ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! मैंने आप को और लोगों को बैठे देखा (तो मैं भी बैठ गया)" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "जब कोई व्यक्ति मस्जिद में आए तो उस समय तक न बैठे जब तक दो रकअत (तहिय्यतुल मस्जिद) अदा न कर ले।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 403 मस्जिद नबवी में अगर रौज़तुल जन्नह में इबादत करने का अवसर मिल जाए तो वह ज़्यादा अज्र व सवाब का कारण है:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ ض رَضِيَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا بَيْنَ بَيْتِي وَمِنْبَرِي رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الْجَنَّةِ وَمِنْبَرِي عَلَى حَوْضِي. رواه البخاري (۲)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 से रिवायत है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "मेरे हुजरे और मिंबर के बीच वाली जगह जन्नत के बाग़ों में से एक बाग़ है और मेरा मिंबर मेरे हौज़ पर मौजूद है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

1–किताब सलातुल मुसाफ़िरीना। बाबु इस्तिहबाब तहिय्यतुल मस्जिद।

2–किताबुस्सलात फ़ी मस्जिद मक्काता वल मदीनता।

Www.IslamicBooks.Website

स्पष्टीकरण: रौज़तुल जन्नह को सफ़ेद संग मरमर के खम्बों और सफ़ेद क़ालीनों नुमायां किया गया है इस जगह का दूसरा नाम "रौज़ा शरीफ़" है और जहां आप सल्ल0 की क़ब्र मुबारक है, उसे हुजरा शरीफ़ कहा जाता है।

मसला 404 कपट और जहन्नम से मुक्ति के लिए मस्जिद नबवी में चालीस नमाज़ें पूरी करने का आयोजन करना सहीह हदीसों से साबित नहीं:

स्पष्टीकरण: من صلى فى مسجدى اربعين صلاة لا يفوته صلاة كتبت له برأة من النفاق. ونجاة من العذاب وبرأة من النار (अनुवाद: जिस व्यक्ति ने मेरी मस्जिद में नाग़ा किए बिना (निरंतर) चालीस नमाज़ें अदा कीं। उस के लिए आग से मुक्ति, अज़ाब से निजात और कपट से छुटकारा लिखा जाएगा) तबरानी की उल्लिखित उपरोक्त हदीस और इसी विषय की तिर्मिज़ी और इब्ने माजा की हदीसें ज़ईफ़ हैं। विवरण के लिए देखिए سلسله احاديث الضعيفه والموضوعه للالبانى الجزء الاول. हदीस न0 364

मसला 405 मस्जिद नबवी सल्ल0 की ज़ियारत के बाद उल्टे पावं वापस आना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 406 मस्जिद नबवी सल्ल0 में हर नमाज़ के बाद बुलन्द आवाज़ से السلام عليک يا رسول الله कहना सुन्नत से साबित नहीं:

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

زِيَارَةُ قَبْرِ النَّبِيِّ

क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के मसाइल

मसला 407 आप सल्ल0 की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना जाइज़ नहीं:

स्पष्टीकरण: हदीस मसला न0 398 के तहत देखें।

मसला 408 मस्जिद नबवी सल्ल0 की ज़ियारत के बाद रसूले अकरम सल्ल0 की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत करना मुस्तहब है:

मसला 409 क़ब्र मुबारक के सामने आदर से खड़े होकर धीमी आवाज़ से السلام علیک یا رسول اللہ कह कर सलाम कहना चाहिए:

عَنْ نَافِعٍ رَحِمَهُ اللهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا كَانَ إِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ دَخَلَ الْمَسْجِدَ ثُمَّ أَتَى الْقَبْرَ فَقَالَ: اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَا بَكْرٍ اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا اَبَتَاهُ.

رواه البيهقي (۱) (صحيح)

हज़रत नाफ़ेअ रह0 से रिवायत है कि हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 सफ़र से वापस आकर मस्जिद तशरीफ़ लाते तो (तहिय्यतुल मस्जिद अदा करने के बाद) क़ब्र पर हाज़िर होते और यूं सलाम करते السلام علیک یا رسول اللہ (फिर हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 को यूं सलाम करते) السلام علیک یا ابا بکر (फिर हज़रत उमर रज़ि0 को इन शब्दों से सलाम करते) السلام علیک یا ابتاہ. बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: सलाम के लिए तशहहुद के ये शब्द السلام علیک

1-फ़ज़्लुस्सलाति अलन्नबी लिल इमाम इस्माईल बिन इसहाक़ुल हजमी, रक़मुल हदीस 100

Www.IslamicBooks.Website

ايها النبى ورحمة الله وبركاته. कहने भी सही हैं

मसला 410 क़ब्र मुबारक पर सलाम कहने के बाद दुरूद शरीफ़ पढ़ना भी मुस्तहब है:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ دِيْنَارٍ رَحِمَهُ اللهُ قَالَ رَأَيْتُ عَبْدَ اللهِ بْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا يَقِفُ عَلَى قَبْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَى أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا. رواه مالك (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन दीनार रज़ि0 फ़रमाते हैं मैंने हज़रत अब्दुलाह बिन उमर रज़ि0 को नबी अकरम सल्ल0 की क़ब्र मुबारक पर खड़े होकर नबी अकरम सल्ल0, हज़रत अबु बकर सिद्दीक़ रज़ि0 और हज़रत उमर रज़ि0 पर दुरूद शरीफ़ पढ़ते देखा है। इसे मालिक ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: हज़रत अबु बकर रज़ि0 और हज़रत उमर रज़ि0 पर दुरूद भेजने से तात्पर्य उनके लिए दुआ करना है।

मसला 411 नबी अकरम सल्ल0 पर दुरूद भेजने के लिए मसनून शब्द निम्न हैं:

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قِيلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ أَمَّا السَّلَامُ عَلَيْكَ فَقَدْ عَرَفْنَاهُ فَكَيْفَ الصَّلَاةُ عَلَيْكَ؟ قَالَ: قُوْلُوا اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَجِيْدٌ.

رواه البخاري (٢)

1-किताबुस्सलात, बाब मा जाआ फ़िस्सलाति अलन्नबी।

2-किताबुत्तफ़सीर, बाब कौलिहि अज़्ज़ा व जल्ल ﴿ان الله وملائكته يصلون على النبى﴾

Www.IslamicBooks.Website

हज़रत काअब बिन उजरा रज़ि0 कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल0 से अर्ज़ किया गया "या रसूलुल्लाह सल्ल0! आप पर सलाम कहने का तरीक़ा तो हमें मालूम है आप पर दुरूद कैसे भेजा जाए?" आप सल्ल0 ने इर्शाद फ़रमाया "कहो ऐ अल्लाह! मुहम्मद सल्ल0 और आप की आल पर इसी तरह रहमत नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इबराहीम अलैहि0 और उनकी की आल पर रहमत नज़िल फ़रमाई थी। निःसन्देह तू अपनी ज़ात में आप महमूद है। ऐ अल्लाह! मुहम्मद सल्ल0 और मुहम्मद सल्ल0 की आल पर उसी तरह बरकतें नाज़िल फ़रमा जिस तरह तूने इबराहीम आले इबराहीम अलैहि0 पर बरकतें नाज़िल फ़रमाईं बेशक तू अपनी ज़ात में आप महमूद है और बुजुर्ग है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 412 रसूलुल्लाह सल्ल0 की क़ब्र मुबारक पर नमाज़ की तरह हाथ बांध कर खड़े होना, रुकूअ की तरह झुकना, सज्दा करना या तिलावत और ज़िक्र के लिए बैठना, उस का तवाफ़ करना, उस की तरफ़ मुंह करके दुआ करना या नमाज़ पढ़ना मना है:

عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ قَبْرِي وَثَنًا لَعَنَ اللهُ قَوْمًا اتَّخَذُوْا قُبُوْرَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدَ. رواه أحمد (١) (صحيح)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "या अल्लाह! मेरी क़ब्र को बुत न बनाना। अल्लाह तआला ने उन लोगों पर लानत फ़रमाई जिन्होंने अंबिया की क़ब्रों को उपासना स्थल बना लियां" इसे अहमद ने रिवायत किया है।

1–अहकामुल जनाइज़, लिल अलबानी, रक़मुस्स्फ़हा 216

Www.IslamicBooks.Website

मसला 413 हर नमाज़ के बाद दुरूद व सलाम के लिए रसूले अकरम सल्ल0 की क़ब्र मुबारक पर हाज़िरी का आयोजन करना और वहां देर तक खड़े रहना सही नहीं:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لاَ تَجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قُبُوْرًا وَلاَ تَجْعَلُوا قَبْرِي عِيْدًا وَصَلُّوا عَلَيَّ فَإِنَّ صَلاَتَكُمْ تَبْلُغُنِي حَيْثُ كُنْتُمْ. رواه ابوداؤد (١) (صحيح)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "अपने घरों को क़ब्रिस्तान न बनाओ (अर्थात घरों में नफ़िल नमाज़ पढ़ो और क़ुरआन मजीद की तिलावत किया करो) और मेरी क़ब्र को त्यौहार न बनाओ और मुझ पर दुरूद भेजो, तुम जहां कहीं भी होगे तुम्हारा दुरूद मुझे पहुंच जाएगा।" इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 414 औरतों का ज़ियारत के लिए बार बार नबी अकरम सल्ल0 की क़ब्र मुबारक पर आना पसन्दीदा नहीं:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَعَنَ زَوَّارَاتِ الْقُبُوْرِ. رواه الترمذى (٢)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने अधिकता से क़ब्रों की ज़ियारत करने वाली औरतों पर लानत की है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 414 क़ब्र मुबारक की ज़ियारत का वाजिब होना सहीह हदीसों से साबित नहीं:

1–किताबुल मनासिक, बाब ज़ियारतुल क़ुबूरि।

2–अबवाबुल जनाइज़, बाब कराहियतु ज़ियारतुल क़ुबूरि लिन्निसाई

Www.IslamicBooks.Website

क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के बारे में ज़ईफ़ और मौज़ू हदीसें

1- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जिस ने मेरे मरने के बाद हज किया फिर मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उस ने मानो मेरी ज़िन्दगी में ज़ियारत की। इसे तबरानी, दारे कुतनी और बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: यह हदीस मौज़ू है विवरण के लिए देखिए सिलसिला अहादीसुज़्ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ लिल अलबानी भाग न0 1, हदीस न0 47

2- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जिस ने हज किया और मेरी (क़ब्र की) ज़ियारत न की उस ने मुझ पर ज़ुल्म किया।" इसे दैलमी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: यह हदीस मौज़ू है विवरण के लिए देखिए सिलसिला अहादीसुज़्ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ लिल अलबानी पहला भाग 1, हदीस न0 45

3- हज़रत अनस रज़ि0 कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जिस ने मदीना आकर सवाब की नीयत से मेरी (क़ब्र की) ज़ियारत की, क़यामत के दिन मैं उस के हक़ में गवाही दूंगा और सिफ़ारिश भी करूंगा।" इसे बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: यह हदीस ज़ईफ़ है विवरण के लिए देखिए ज़ईफ़ुल जामेउस्सग़ीर लिल अलबानी पांचवां भाग, हदीस न0 5619

Www.IslamicBooks.Website

5- हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जिस ने मेरी क़ब्र की ज़ियारत की उस के लिए सिफ़ारिश करना मुझ पर वाजिब है।" इसे बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरणः यह हदीस मौज़ू है विवरण के लिए देखिए ज़ईफुल जामेउस्सग़ीर पांचवां भाग, हदीस न0 5618

5- ख़त्ताब की संतान में से एक आदमी रिवायत करता है कि नबी अकरम सल्ल0 ने फ़रमाया "जिस ने इरादा करके मेरी (क़ब्र की) ज़ियारत की, वह क़यामत के दिन मेरे साथ होगा जिस ने मदीना में क़याम किया और उस दौरान आने वाली मुसीबतों पर सब्र किया मैं क़यामत के दिन उस की गवाही दूंगा और उस के लिए सिफ़ारिश करूंगा, जो व्यक्ति हरम मक्का या हरम मदीना में से किसी एक में मरेगा अल्लाह उसे क़यामत के दिन अमन दिए गए लोगों के साथ उठाएगा।" इसे बैहेक़ी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरणः यह हदीस ज़ईफ़ है देखिए मिश्कातुल मसाबीह लिल अलबानी किताबुल हज हरमुल मदीना हरसमल्लाहु तआला, तीसरी फ़स्ल।

6- रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जिस ने एक ही साल में मेरी और मेरे बाप इबराहीम की ज़ियारत की वह जन्नत में दाख़िल होगा।

स्पष्टीकरणः यह हदीस मौज़ू है विवरण के लिए देखिए सिलसिला अहादीसुज़्ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ लिल अलबानी पहला भाग हदीस न0 46

7- हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह

Www.IslamicBooks.Website

सल्ल0 ने फ़रमाया "जिस ने हालते इस्लाम में हज किया और मेरी क़ब्र की ज़ियारत की जिहाद किया और बैतुल मक़िदस में मुझ पर दुरूद भेजा अल्लाह तआला फ़राइज़ में कोताही के बारे में इस से सवाल नहीं करेगा।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरण: यह हदीस मौज़ू हैं विवरण के लिए देखिए सिलसिला अहादीसुज़्ज़ईफ़ा वल मौज़ूआ लिल अलबानी पहला भाग हदीस न0 4।

क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के बारे में वे काम जो सुन्नत से साबित नहीं

1- क़ब्र मुबारक की ज़ियारत की नीयत से मदीना मुनव्वरा का सफ़र करना।

2- मस्जिद नबवी में दाख़िल होने के बाद तहिय्यतुल मस्जिद अदा किए बिना सीधे क़ब्र मुबारक पर चले जाना।

3- क़ब्र मुबारक की तरफ़ मुंह करके दुआ करना।

4- बरकत की प्राप्ती के लिए क़ब्र मुबारक की जालियों, दीवारों, दरवाज़ों को छूना, बोसे देना या अपने जिस्म से लगाना।

5- क़ब्र मुबारक पर खड़े होकर ग़ैर मसनून दुरूद जैसे दुरूद ताज, दुरूद लखी, दुरूद माही, दुरूद अकबर, दुरूद मुक़द्दस और दुरूद तन्जीना आदि पढ़ना।

6- अपनी हाजतें और मुरादें कागज़ पर लिख कर जालियों के अन्दर फेंकना।

7- क़ब्र मुबारक पर कुरआन ख़्वानी या नात ख़्वानी के लिए बैठना।

Www.IslamicBooks.Website

8- क़ब्र पर बैठ कर मुराक़बा करना।

9- क़ब्र पर दुरूद व सलाम के बाद कुरआन मजीद की आयत وَلَوْ اَنَّهُمْ اِذْ ظَّلَمُوْا ...... तिलावत करके आप सल्ल0 से इस्तिग़फ़ार की प्रार्थना करना।

10- दूरूद व सलाम पढ़ने के बाद اَلشَّفَاعَةُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اِلْاَمَانُ يَا رَسُوْلَ اللهِ اَتَوَسَّلُ بِکَ يَا رَسُوْلَ اللهِ بِجَاهِ مُحَمَّدٍ اشْفِنِیْ يَا اَللّٰهُ जैसे कलिमात करना।

11- भीड़ के बावजूद दुरूद व सलाम पढ़ने के लिए क़ब्र पर आना।

12- दुआ करते हुए रसूलुल्लाह सल्ल0 को वसीला बनाना।

13- यह अक़ीदा रखना कि जिस तरह रसूलुल्लाह सल्ल0 अपनी पवित्र जीवनी में हमारी विनतियां सुनते थे अब भी उसी तरह हमारी विनतियां सुन रहे हैं।

14- यह अक़ीदा रखना कि दुरूद व सलाम के लिए हाज़िर होने वालों के हालात, कर्म और नीयतों को आप सल्ल0 जानते हैं।

15- यह अक़ीदा रखना कि क़ब्र मुबारक के क़रीब खड़े होकर मांगी गई दुआ ज़रूर कुबूल होगी।

16- क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के बाद उल्टे पावं वापस पलटना।

17- मदीना मुनव्वरा जाने वालों के ज़रिए आप सल्ल0 को सलाम भिजवाना।

18- रजब, शाअबान या रमज़ान में क़ब्र मुबारक की ज़ियारत का खुसूसी आयोजन करना।

19- क़ब्र मुबारक पर एतिकाफ़ करना या क़ब्र का तवाफ़ करना।

20- क़ब्र मुबारक के सामने नमाज़ की तरह हाथ बांध कर शान्त बे हरकत खड़े होना।

Www.IslamicBooks.Website

21- बारिश के बाद क़ब्र मुबारक के सब्ज़ गुंबद से गिरने वाली बून्दों को तबर्रुक के तौर पर जमा करना।

22- क़ब्र मुबारक की तरफ़ रुख़ करके नमाज़ पढ़ना।

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

زِيَارَةُ مَسْجِدِ قُبَاءَ

मस्जिद कुबा की ज़ियारत के मसाइल

मसला 415 मस्जिद कुबा की ज़ियारत करना मसनून है:

عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَزُوْرُ قُبَاءً رَاكِبًا وَمَاشِيًا. رواه مسلم (١)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 सवार होकर और कभी पैदल चल कर मस्जिद कुबा की ज़ियारत किया करते थे। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 416 मस्जिद कुबा में तहिय्यतुल मस्जिद अदा करने का सवाब उमरा के बराबर है:

عَنْ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ خَرَجَ حَتَّى يَأْتِيَ هَذَا الْمَسْجِدَ مَسْجِدَ قُبَاءَ فَصَلَّى فِيْهِ كَانَ لَهُ عَدْلَ عُمْرَةَ. رواه النسائي (٢) (صحيح)

हज़रत सहल बिन हुनैफ़ रज़ि0 कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जो व्यक्ति (अपने घर से) निकले और उस मस्जिद अर्थात मस्जिद कुबा में आकर (दो रक़अत) नमाज़ पढ़े, तो उसे उमरा के बराबर सवाब मिलेगा।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 417 मस्जिद कुबा के अलावा सवाब की नीयत से मदीना मुनव्वरा की बाक़ी मस्जिदों की ज़ियारत करना सुन्नत से साबित नहीं:

स्पष्टीकरण: एतिहासिक स्थानों की हैसियत से अन्य स्थानों को देखना बुरा नहीं। वल्लाहु आलम बिस्सवाब।

1- किताबुल हज, बाबु फ़ज़्लु मस्जिद कुबा।

2- किताबुल मसाजिद, बाब फ़ज़्लु मस्जिद कुबा वस्सलातु फ़ीहि।

Www.IslamicBooks.Website

زِيَارَةُ الْقُبُوْرِ

क़ब्रों की ज़ियारत के मसाइल

मसला 418 मदीना मुनव्वरा के क़ब्रिस्तान (जन्नतुल बक़ीअ़) और उहुद के शहीदों की क़ब्रों की ज़ियारत करना मसनून है:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: قَدْ كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُوْرِ فَقَدْ أُذِنَ لِمُحَمَّدٍ فِيْ زِيَارَةِ قَبْرِ أُمِّهِ فَزُوْرُوْهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الْآخِرَةَ. رواه الترمذى (١) (صحيح)

हज़रत बुरैदा रज़ि० कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल० ने फ़रमाया "मैंने तुम्हें क़ब्रों की ज़ियारत से मना किया था अब मुहम्मद सल्ल० को अपनी मां की क़ब्र की ज़ियारत की इजाज़त दे दी गई है अतः तुम भी क़ब्रों की ज़ियारत कर लिया करो। क़ब्र की ज़ियारत करना आख़िरत याद दिलाती है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 419 ज़ियारत कुबूर के अवसर पर निम्न दुआ मांगना मसनून है:

عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُعَلِّمُهُمْ إِذَا خَرَجُوا إِلَى الْمَقَابِرِ اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الدِّيَارِ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُسْلِمِيْنَ وَإِنَّا إِنْ شَاءَ اللهُ بِكُمْ لَلَاحِقُوْنَ نَسْأَلُ اللهَ لَنَا وَلَكُمُ الْعَافِيَةَ. رواه مسلم (٢)

हज़रत बुरैदा रज़ि० फ़रमाते हैं क़ब्रिस्तान जाने के लिए रसूलुल्लाह सल्ल० सहाबा किराम रज़ि० को यह दुआ सिखलाया करते थे "ऐ इस घर के रहने वाले मोमिनों और मुसलमानों! तुम पर सलामती हो

1- अबवाबुल जनाइज़, बाबुर्रुख़सति फ़ी ज़ियारतिल कुबूरि।

2- किताबुल जनाइज़

Www.IslamicBooks.Website

हम भी इन्शा अल्लाह तुम्हारे पास आने वाले हैं। हम अपने लिए और तुम्हारे लिए अल्लाह से आफ़ियत मांगते हैं।'' इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

स्पष्टीकरणः बक़ीअ वालों के लिए दुआ करते हुए आख़िर में निम्न शब्दों की वृद्धि भी सुन्नत से साबित है اللهم اغفر لاهل البقيع الغرقد या अल्लाह! बक़ीअ़ ग़रक़द वालों की मग़फ़िरत फ़रमा।

मसला 420 रसूलुल्लाह सल्ल० की क़ब्र मुबारक की ज़ियारत के बाद जन्नतुल बक़ीअ की ज़ियारत का ख़ास आयोजन करना सुन्नत से साबित नहीं:

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

مَسَائِلُ مُتَفَرِّقَةٌ

विभिन्न मसाइल

मसला 421 रसूलुल्लाह सल्ल0 ने सारी पवित्र जीवनी में चार उमरे और एक हज अदा कियाः

عَنْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ أَنَسًا رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اعْتَمَرَ أَرْبَعَ عُمَرٍ كُلُّهُنَّ فِيْ ذِي الْقَعْدَةِ إِلَّا الَّتِي مَعَ حَجَّتِهِ عُمْرَةً مِنَ الْحُدَيْبِيَةِ أَوْزَمَنَ الْحُدَيْبِيَةِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مِنْ جِعْرَانَةَ حَيْثُ قَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ فِي ذِي الْقَعْدَةِ وَعُمْرَةً مَعَ حَجَّتِهِ. (۱) رواه مسلم

हज़रत क़तादा रज़ि0 रिवायत करते हैं कि हज़रत अनस रज़ि0 ने उन्हें बताया कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने चार उमरे अदा किए हैं, हज वाले उमरे के सिवा बाक़ी सारे उमरे ज़िलक़ाअदा (के महीने) में अदा किए हैं एक उमरा हुदैबिया से या (सुलह) हुदैबिया के मौक़ा पर ज़िलक़ाअदा में। दूसरा अगले साल ज़िलक़ाअदा में तीसरा जाअराना से जहां पर नबी अकरम सल्ल0 ने ग़ज़वा हुनैन के माले ग़नीमत की तक़सीम की, ज़िलक़ाअदा में और चौथा वह उमरा जो आप सल्ल0 ने (ज़िलहिज्जा में) अपने हज के साथ अदा किया। इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

मसला 422 नफ़्ली हज इन्सान जितनी बार चाहे अदा कर सकता हैः

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ الْأَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ سَأَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللهِ الْحَجُّ فِي كُلِّ سَنَةٍ أَوْ مَرَّةً

1–किताबुल हज, बाब बयानि अदद उमरुन्नबी।

Www.IslamicBooks.Website

وَاحِدَةً؟ قَالَ: بَلْ مَرَّةً وَاحِدَةً فَمَنِ اسْتَطَاعَ فَتَطَوَّعَ.

رواه ابن ماجة (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 से रिवायत है कि हज़रत अक़राअ़ बिन हाबिस रज़ि0 ने नबी अकरम सल्ल0 से अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल0 क्या हज हर साल फ़र्ज़ है या एक ही बार है?" आप सल्ल0 ने फ़रमाया "एक ही बार फ़र्ज़ है अलबत्ता जो ताक़त रखे वह नफ़िल हज अदा करे।" इसे इब्ने माजा ने रिवायत किया है।

मसला 423 हज और उमरे का सवाब खर्च और तकलीफ़ के अनुसार मिलता है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا فِي رِوَايَةٍ اَنَّ النَّبِيَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهَا فِي الْعُمْرَةِ وَلَكِنَّهَا عَلَى قَدْرِ نَفَقَتِكَ اَوْ نَصَبِكَ.

رواه البخاري (٢)

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि एक अवसर पर नबी अकरम सल्ल0 ने उन (हज़रत आइशा रज़ि0) से उमरा के (सवाब के) बारे में फ़रमाया कि इस का सवाब ख़र्च या मेहनत के अनुसार मिलता है।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 224 हज या उमरा में ज़्यादा अज्र व सवाब हासिल करने की नीयत से अपने आप को जान बूझ कर परेशानी में डालना जाइज़ नहीं:

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَيْخٍ كَبِيْرٍ يَتَهَادَى بَيْنَ ابْنَيْهِ فَقَالَ مَا بَالُ هَذَا؟ قَالُوا يَا رَسُوْلَ اللهِ

1-किताबुल उमरा बाब अजरुल उमराति अला क़दरि

2-अबवाबुन्नुजूरि वल अयमान, बाब फ़िमन यहलिफ़ु बेशयइन व लय यसततीअ़।

Www.IslamicBooks.Website

نَـذَرَ أَنْ يَـمْشِي قَالَ: إِنَّ اللهَ عَزَّوَجَلَّ لَغَنِيٌّ عَنْ تَعْذِيبِ هَذَا نَفْسَهُ قَالَ فَأَمَرَهُ أَنْ يَرْكَبَ. رواه الترمذي (١) (صحيح)

हज़रत अनस रज़ि० से रिवायत है कि रसूले अकरम सल्ल० का गुज़र एक ऐसे बूढ़े व्यक्ति पर हुआ जो अपने दो बेटों के सहारे चल रहा था। आप सल्ल० ने मालूम किया "क्या हाल है इस का?" लोगों ने अर्ज़ किया "या रसूलुल्लाह सल्ल०! इस ने (बैतुल्लाह शरीफ़ तक) पैदल चल कर पहुंचने की मन्नत मानी है।" तो आप सल्ल० ने इर्शाद फ़रमाया "अल्लाह तआला इस बात से बेनियाज़ है कि यह व्यक्ति अपने आप को अज़ाब का शिकार करे।" रावी कहते हैं फिर नबी अकरम सल्ल० ने उसे हुक्म दिया "कि सवार हो जाए।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 425 हतीम (काबा शरीफ़ का बिना छत वाला हिस्सा) में नमाज़ अदा करना मुस्तहब है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ كُنْتُ أُحِبُّ أَنْ أَدْخُلَ الْبَيْتَ فَأُصَلِّيَ فِيهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِيَدِي فَأَدْخَلَنِي الْحِجْرَ فَقَالَ: إِذَا أَرَدْتِ دُخُوْلَ الْبَيْتِ فَصَلِّي هَاهُنَا فَإِنَّمَا هُوَ قِطْعَةٌ مِنَ الْبَيْتِ وَلَكِنَّ قَوْمَكِ اقْتَصَرُوا حَيْثُ بَنَوْهُ. رواه النسائي (٢) (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि० फ़रमाती हैं कि मैं काबा शरीफ़ में दाख़िल होकर नमाज़ पढ़ना चाहती थी। रसूलुल्लाह सल्ल० मेरा हाथ पकड़ कर मुझे हतीम में ले गए और फ़रमाया "जब तुम बैतुल्लाह शरीफ़ के अन्दर नमाज़ पढ़ना चाहो तो यहां (हतीम में) खड़े होकर नमाज़ पढ़ लो। यह भी बैतुल्लाह शरीफ़ का हिस्सा है। तेरी क़ौम ने बैतुल्लाह

1-किताबुल मनासिक, बाब फ़र्ज़ल हज्ज।

2-किताबुल हज, बाबुस्सलाति फ़िलहज।

Www.IslamicBooks.Website

शरीफ़ की तामीर के समय (हलाल कमाई पर्याप्त न होने की वजह से) उसे (बिना छत की हालत में) थोड़ा सा तामीर कर दिया था।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

मसला 426 बैतुल्लाह शरीफ़ के अन्दर जाने का सौभाग्य नसीब हो तो बैतुल्लाह शरीफ़ के दरवाज़े के मुक़ाबिल की दीवार की तरफ़ मुंह करके खम्बों के बीच खड़े होकर दो रकअत नमाज़ अदा करनी चाहिए उस के बाद बैतुल्लाह शरीफ़ के चारों कोनों में खड़े होकर अल्लाह की तकबीर, तौहीद और तहमीद के कलिमात और तौबा इस्तिग़फ़ार और दुआएं मांगनी चाहिए:

عَنِ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ دَخَلَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْكَعْبَةَ وَدَنَا خُرُوجُهُ وَوَجَدْتُ شَيْئًا فَذَهَبْتُ وَجِئْتُ سَرِيْعًا فَوَجَدْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَارِجاً فَسَأَلْتُ بِلالاً أَصَلَّى رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْكَعْبَةِ قَالَ نَعَمْ رَكْعَتَيْنِ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ. رواه النسائي (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० फ़रमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल० काबा शरीफ़ में दाख़िल हुए और निकलने ही वाले थे कि मुझे कोई चीज़ याद आ गई और मैं वहां से चला गया और जल्दी जल्दी वापस आ गया, लेकिन इतने में ही रसूलुल्लाह सल्ल० को काबा शरीफ़ से निकलते हुए पाया। मैंने हज़रत बिलाल रज़ि० से मालूम किया "क्या रसूलुल्लाह सल्ल० ने काबा शरीफ़ में नमाज़ पढ़ी है?" हज़रत बिलाल रज़ि० ने जवाब दिया "हां! दो खम्बों के बीच दो रकअत नमाज़ अदा की है।" इसे नसाई ने रिवायत किया है।

عَنْ أُسَامَةَ ابْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّهُ دَخَلَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى

1-किताबुल हज, बाब मौज़ूउस्सलात फ़िल बैति।

Www.IslamicBooks.Website

اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ الْحَدِيْثَ وَقَالَ ثُمَّ انْصَرَفَ اِلَى اَرْكَانِ الْبَيْتِ يَسْتَقْبِلُ كُلَّ رُكْنٍ مِنْهَا بِالتَّكْبِيْرِ وَالتَّهْلِيْلِ وَالتَّحْمِيْدِ وَسَأَلَ اللهَ وَأَسْتَغْفِرَهُ. رواه ابن خزيمة (١) (صحيح)

हज़रत उसामा बिन ज़ैद रज़ि0 से रिवायत है कि वह रसूलुल्लाह सल्ल0 के साथ (काबा शरीफ़ में) दाख़िल हुए। फिर हदीस बयान की और कहा कि (नमाज़ के बाद) नबी अकरम सल्ल0 काबा शरीफ़ के कोनों की तरफ़ मुतवज्जह हुए और हर कोने के सामने खड़े होकर तकबीर, तौहीद और तहमीद के कलिमात इर्शाद फ़रमाए। अल्लाह से दुआ और इस्तिग़फ़ार की। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 427 हजरे असवद और मक़ामे इबराहीम दोनों जन्नत के पत्थर हैं:

عَنْ عَبْدِ اللهِ بْنِ عُمَرٍو رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلرُّكْنُ وَالْمَقَامُ يَاقُوْتَتَانِ مِنْ يَاقُوْتِ الْجَنَّةِ طَمَسَ اللهُ نُوْرَهُمَا وَلَوْلاَ ذَلِكَ لَأَضَاءَتَا مَا بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ.

رواه ابن خزيمة (٢) (حسن)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "हजरे असवद और मक़ामे इबराहीम जन्नत के क़ीमती पत्थरों में से दो पत्थर हैं। अल्लाह तआला ने दोनों पत्थरों की रोशनी ख़त्म करदी है। अगर अल्लाह तआला ऐसा न करता तो ये दोनों पत्थर पूरब और पश्चिम के बीच हर चीज़ को रौशन कर देते।" इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 428 हजरे असवद जन्नत से उतारा गया पत्थर है, जो दूध

1–किताबुल मनासिक, बाबुत्तकबीरि वत्तहमीद वत्तहलीलि इन्दा कुल्लि रुकनिन मिन अरकानिल काबता रक़मुल हदीस 3006

2– किताबुल मनासिक, बाब सिफ़ातुर्रुकनि वलमक़ाम।

Www.IslamicBooks.Website

की तरह सफ़ेद था लेकिन, लोगों के गुनाहों की वजह से सियाह हो गया:

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَزَلَ الْحَجَرُ الْأَسْوَدُ مِنَ الْجَنَّةِ وَهُوَ أَشَدُّ بَيَاضًا مِنَ اللَّبَنِ فَسَوَّدَتْهُ خَطَايَا بَنِي آدَمَ. رواه الترمذي (١) (صحيح)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन अब्बास रज़ि0 कहते हैं रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "हजरे असवद जन्नत से उतरा हुआ पत्थर है जो कि दूध से ज़्यादा सफ़ेद था लेकिन लोगों के गुनाहों ने इसे सियाह कर दिया है।" इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 429 हजरे असवद को चूमना और बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ करना शिर्क नहीं बल्कि सुन्नते रसूलुल्लाह सल्ल0 का अनुसरण और पैरवी करना है:

عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ عَنْ أَبِيْهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ لِلرُّكْنِ أَمَا وَاللهِ إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنَّكَ حَجَرٌ لَا تَضُرُّ وَلَا تَنْفَعُ وَلَوْلَا أَنِّي رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَلَمَكَ مَا اسْتَلَمْتُكَ فَاسْتَلَمَهُ ثُمَّ قَالَ فَمَا لَنَا وَلِلرَّمَلِ؟ إِنَّمَا كُنَّا رَأَيْنَا الْمُشْرِكِيْنَ وَقَدْ أَهْلَكَهُمُ اللهُ ثُمَّ قَالَ شَيْءٌ صَنَعَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا نُحِبُّ أَنْ نَتْرُكَهُ. رواه البخاري (٢)

हज़रत ज़ैद रज़ि0 अपने बाप हज़रत असलम रज़ि0 से रिवायत करते हैं कि हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ि0 ने हजरे असवद को मुख़ातब करके फ़रमाया "अल्लाह की क़सम! मैं खूब जानता हूं कि तू एक पत्थर है न नुक़्सान पहुंचा सकता है न नफ़ा दे सकता है

1- अबवाबुल हज, बाब फ़ज़्लुल हजरिल असवदि।

2- किताबुल हज, बाबुर्रमलि फ़िलहज वलउमरति।

Www.IslamicBooks.Website

अगर मैंने रसूलुल्लाह सल्ल0 को चूमते न देखा होता तो तुझे कभी न चूमता।" यह कह कर हजरे असवद का इस्तिलाम किया। फिर फ़रमाने लगे "अब हमें (तवाफ़ के पहले तीन चक्करों में) रमल करने की क्या ज़रूरत है रमल तो मुश्रिकों को दिखाने के लिए था और अब अल्लाह ने उन्हें तबाह कर दिया है फिर स्वयं ही फ़रमाया "कोई चीज़ जिसे रसूलुल्लाह सल्ल0 ने किया हो उसे छोड़ना हमें पसन्द नहीं।" इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 430 हज या उमरा के बाद मक्का मुकर्रमा से आबे ज़मज़म का तोहफ़ा साथ ले जाना मुस्तहब है:

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّهَا كَانَتْ تَحْمِلُ مِنْ مَاءِ زَمْزَمَ وَتُخْبِرُ أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَحْمِلُهُ.

رواه الترمذي (١) (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि0 ज़मज़म का पानी (मक्का से मदीना) ले जाया करती थीं और फ़रमातीं रसूलुल्लाह सल्ल0 भी ले जाया करते थे। इसे तिर्मिज़ी ने रिवायत किया है।

मसला 431 दौराने हज तिजारत या मज़दूरी करना जाइज़ है:

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ التَّيْمِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ رَجُلاً أُكَرِّي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَكَانَ نَاسٌ يَقُوْلُوْنَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ فَلَقِيْتُ ابْنَ عُمَرَ فَقُلْتُ يَا أَبَا عَبْدِ الرَّحْمٰنِ إِنِّي رَجُلٌ أُكَرِّي فِي هَذَا الْوَجْهِ وَإِنَّ نَاسًا يَقُوْلُوْنَ لِي إِنَّهُ لَيْسَ لَكَ حَجٌّ؟ فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ أَلَيْسَ تُحْرِمُ وَتُلَبِّي وَتَطُوْفُ بِالْبَيْتِ وَتُفِيْضُ مِنْ عَرَفَاتٍ وَتَرْمِي الْجِمَارَ؟ قَالَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَإِنَّ لَكَ حَجًّا جَاءَ رَجُلٌ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ مِثْلِ مَا سَأَلْتَنِي عَنْهُ فَسَكَتَ عَنْهُ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1-अबवाबुल हज,

Www.IslamicBooks.Website

فَلَمْ يُجِبْهُ حَتَّى نَزَلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ (لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلاً مِنْ رَبِّكُمْ) فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَرَأَ عَلَيْهِ هٰذِهِ الْآيَةَ وَقَالَ: لَكَ حَجٌّ. رواه ابوداؤد (۱) (صحيح)

हज़रत अबु उमामा तैमी रज़ि0 कहते हैं मैं मौसमे हज में हाजियों का सामान ढोने का काम करता था कुछ लोग कहते थे तुम्हारा हज नहीं हुआ, अतएव मैं हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 से मिला और अर्ज़ किया "ऐ अबु अब्दुर्रहमान! मैं हाजियों का सामान ढोने का काम करता हूं और कुछ लोग कहते हैं तुम्हारा हज नहीं है?" हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि0 ने फ़रमाया "क्या तुम ने अहराम नहीं बांधा? क्या तुम ने तलबिया नहीं कहा? क्या तुम ने बैतुल्लाह शरीफ़ का तवाफ़ नहीं किया? क्या तुम अरफ़ात से होकर नहीं आए? क्या तुम ने रमी जमार नहीं की?" मैंने अर्ज़ किया "क्यों नहीं (सब कुछ किया है)" हज़रत अब्दुर्रहमान बिन उमर रज़ि0 ने फ़रमाया "तो फिर तुम्हारा हज हो गया है।" (सुनो) एक आदमी नबी अकरम सल्ल0 की सेवा में हाज़िर हुआ और आप सल्ल0 से यही मसला पूछा, जो तुम ने मुझ से पूछा है। उस पर रसूलुल्लाह सल्ल0 ख़ामोश रहे यहां तक कि यह आयत नाज़िल हुई। "इस बात में कोई गुनाह नहीं कि (हज के दिनों में) तुम (तिजारत करके) अल्लाह से रोज़ी तलब करो।" (सूरह बक़रा, आयत 198) तब रसूलुल्लाह सल्ल0 ने उस आदमी की तरफ़ पैग़ाम भेजा। उस के सामने यह आयत पढ़ी और फ़रमाया "तेरा हज हो गया।" इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 432 क़ुबूलियत हज के लिए रिज़्क़ हलाल शर्त है:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ

1–किताबुल मनासिक, बाबुल क़ुबरा।

Www.IslamicBooks.Website

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ حَاجًّا بِنَفَقَةٍ طَيِّبَةٍ وَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لَبَّيْكَ وَسَعْدَيْكَ زَادُكَ حَلَالٌ وَرَاحِلَتُكَ حَلَالٌ وَحَجُّكَ مَبْرُوْرٌ غَيْرُ مَازُوْرٍ وَإِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيْثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ وَحَجُّكَ مَأْزُوْرٌ وَغَيْرُ مَأْجُوْرٍ. رواه الطبراني (١)

हज़रत अबु हुरैरा रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जब आदमी हज के लिए हलाल रोज़ी ले कर निकलता है और रकाब में अपना पावं रखता है और لبیک اللھم لبیک पुकारता है तो आसमान से एक मुनादी निदा करता है तेरी लब्बैक कुबूल हो और रहमत इलाही तुझ पर नाज़िल हो, तेरा सफ़र ख़र्च हलाल और तेरी सवारी हलाल और तेरा हज मक़बूल गुनाहों से पाक है और जब आदमी हराम कमाई के साथ हज के लिए निकलता है और रकाब में पावं रखता है और لبیک اللھم لبیک पुकारता है तो आसमान से निदा करने वाला निदा करता है तेरी लब्बैक कुबूल नहीं न तुझ पर रहमत हो, तेरा सफ़र ख़र्च हराम, तेरी कमाई हराम और तेरा हज गुनाहों से आलूदा और बेकार है।" इसे तबरानी ने रिवायत किया है।

मसला 433 सफ़र हज पर निकलने से पहले घर में दो रकअत नफ़िल अदा करना सहीह हदीस से साबित नहीं:

मसला 434 सफ़र हज पर रवान्गी से पहले बुज़ुर्गो और वलियों से इजाज़त लेना सुन्नत से साबित नहीं:

1–फ़िक़्हुस्सुन्ना, किताबुल हज, बाबुल हज्जि मिन मालि हराम।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 435 सफ़र हज पर खान्गी से पहले बुज़ुर्गों और वलियों की क़ब्रों की ज़ियारत करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 436 घर से निकलते हुए निम्न दुआएं मांगना मसनून हैं:

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا خَرَجَ الرَّجُلُ مِنْ بَيْتِهِ فَقَالَ بِسْمِ اللهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللهِ لاَ حَوْلَ وَلاَقُوَّةَ إِلاَّ بِاللهِ قَالَ يُقَالُ حِيْنَئِذٍ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ فَتَتَنَحَّى لَهُ الشَّيَاطِيْنُ فَيَقُوْلُ شَيْطَانٌ آخَرُ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ. رواه ابوداؤد (۱) (صحيح)

हज़रत अनस रज़ि0 कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जब आदमी अपने घर से निकले और यह दुआ मांगे "अल्लाह के नाम से (निकलता हूं) अल्लाह पर भरोसा करता हूं, हानि से बचने की ताक़त और लाभ की प्राप्ति की ताक़त अल्लाह के सौभाग्य के बिना (किसी में नहीं है) उस समय उस के हक़ में यह बात कही जाती है (सारे कामों में) तेरा मार्ग दर्शन किया गया। तो किफ़ायत किया गया और (हर तरह की बुराई और घाटे से) बचा लिया गया। तो शैतान उस से अलग हो जाता है और दूसरा शैतान उस से कहता है तुम उस व्यक्ति पर कैसे क़ाबू पा सकते हो जिस का मार्ग दर्शन किया गया, किफ़ायत किया गया और महफ़ूज़ किया गया।" इसे अबु दाऊद ने रिवायत किया है।

मसला 437 सवारी पर सवार होने के बाद सफ़र के आरंभ में और सफ़र से वापसी पर निम्न दुआ मांगना मसनून है:

عَنْ إِبْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا اسْتَوَى عَلَى بَعِيْرِهِ خَارِجاً إِلَى سَفَرٍ كَبَّرَ ثَلاَثًا ثُمَّ قَالَ

1–अबवाबुन्नौम, बाब मा जाआ फ़ीमन दख़ला बैतिहि मा यक़ूलु।

Www.IslamicBooks.Website

سُبْحَانَ الَّذِي سَخَّرَ لَنَا هَذَا وَمَا كُنَّا لَهُ مُقْرِنِيْنَ وَإِنَّا إِلَى رَبِّنَا لَمُنْقَلِبُوْنَ اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ فِيْ سَفَرِنَا هَذَا الْبِرَّ وَالتَّقْوَى وَمِنَ الْعَمَلِ مَا تَرْضَى اَللّٰهُمَّ هَوِّنْ عَلَيْنَا سَفَرَنَا هَذَا وَاطْوِ عَنَّا بُعْدَهُ اَللّٰهُمَّ أَنْتَ الصَّاحِبُ فِي السَّفَرِ وَالْخَلِيْفَةُ فِي الْأَهْلِ اَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ وَعْثَاءِ السَّفَرِ وَكَآبَةِ الْمَنْظَرِ وَسُوءِ الْمُنْقَلَبِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ وَإِذَا رَجَعَ قَالَهُنَّ وَزَادَ فِيْهِنَّ آيِبُوْنَ تَائِبُوْنَ عَابِدُوْنَ لِرَبِّنَا حَامِدُوْنَ. رواه مسلم (1)

हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ि० से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल० जब अपने ऊंट पर सवार हो जाते सफ़र पर निकलने की हालत में तीन बार अल्लाहु अकबर कह कर यह दुआ पढ़ते "पाक है वह ज़ात जिस ने हमारे लिए इस सवारी को वशीभूत किया हम इसे वशीभूत करने की ताक़त नहीं रखते थे और हमें अपने पालनहार ही की तरफ़ पलटना है ऐ अल्लाह! इस सफ़र में हम तुझ से नेकी, तक़वा और ऐसे कर्म का सवाल करते हैं जिस से तू राज़ी हो। या अल्लाह हमारे लिए हमारा सफ़र आसान फ़रमा दे और इस की लम्बाई कम करदे। या अल्लाह सफ़र में तू ही हमारा मुहाफ़िज़ है और घर वालों की ख़बर गीरी करने वाला है। या अल्लाह मैं सफ़र की मुशक़्क़त (दौराने सफ़र दुर्घटना की वजह से) बुरे मंज़र और घर वालों में बुरी हालत के साथ वापस आने से तेरी पनाह मांगता हूं।" जब रसूलुल्लाह सल्ल० सफ़र से वापस तशरीफ़ लाते तब भी यही दुआ पढ़ते और इसी के इन शब्दों की वृद्धि फ़रमाते "हम वापस आने वाले तौबा करने वाले इबादत करने वाले और अपने पालनहार की प्रशंसा करने वाले हैं।" इसे मुस्लिम ने रिवायत किया है।

1- अबवाबुद्दावात मा यक़ूलु इज़ा रकिबा दाब्बतन।

Www.IslamicBooks.Website

मसला 438 क़ाफ़िला वालों को दौराने सफ़र अमीर नियुक्त करके सफ़र करना चाहिएः

قَالَ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ إِذَا كَانَ نَفَرٌ ثَلاثٌ فَلْيُؤَمَّرُوْا اَحَدَهُمْ ذَاكَ اَمِيْرٌ اَمَرَهُ رَسُوْلُ اللهِ. رواه ابنخزيمة (١) (صحيح)

हज़रत उमर रज़ि0 फ़रमाते हैं जब तीन आदमी (सफ़र में) हों तो अपने में से एक को अमीर बना लें। अमीर बनाने का हुक्म रसूले अकरम सल्ल0 ने दिया है। इसे इब्ने खुज़ैमा ने रिवायत किया है।

मसला 439 दौराने सफ़र बुलन्दी पर चढ़ते हुए अल्लाहु अकबर और बुलन्दी से नीचे उतरते हुए सुब्हानल्लाह कहना मसनून हैः

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا إِذَا صَعِدْنَا كَبَّرْنَا وَإِذَا نَزَلْنَا سَبَّحْنَا. رواه البخاري (٢)

हज़रत जाबिर रज़ि0 फ़रमाते हैं (दौराने सफ़र में) जब हम बुलन्दी पर चढ़ते तो अल्लाहु अकबर कहते और जब बुलन्दी से उतरते तो सुब्हानल्लाह कहते। इसे बुख़ारी ने रिवायत किया है।

मसला 440 हज अदा करने के बाद अपने घर वालों में जल्दी वापस जाना बड़े सवाब का कारण हैः

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: إِذَا قَضَى اَحَدُكُمْ حَجَّهُ فَلْيُعَجِّلِ الرَّحْلَةَ اِلَى أَهْلِهِ فَإِنَّهُ اَعْظَمُ لِأَجْرِهِ. رواه الدار قطني والحاكم. (٣) (صحيح)

हज़रत आइशा रज़ि0 से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्ल0 ने फ़रमाया "जब कोई व्यक्ति अपना हज मुकम्मल करले तो उसे अपने

1–किताबुल मनासिक, बाब इस्तिहबाबि तामीरुल मुसाफ़िरीना अहदाहुम अला अनफुसिहिम

2– किताबुल जिहाद, बाबुत्तसबीह इज़ा हबाता वादियन।

3–सिलसिला अहादीसुस्सहीहा, लिल अलबानी रक़मुल हदीस 9 ता 13

Www.IslamicBooks.Website

घर वालों में (वापस) आने के लिए जल्दी करनी चाहिए, यह उस के लिए बड़े सवाब का कारण है।" इसे दारे कुतनी और हाकिम ने रिवायत किया है।

मसला 441 मदीना मुनव्वरा में दाख़िल होने से पहले वज़ू या ग़ुस्ल करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 442 सफ़र हज के दौरान जहां कहीं क़ाफ़िला ठहरे वहां दो रकअत नफ़िल का आयोजन करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 443 सवाब की नीयत से हिरा ग़ुफ़ा या सौर ग़ुफ़ा का सफ़र करना आसारे सहाबा से साबित नहीं:

मसला 444 मस्जिद आइशा रज़ि0 में नमाज़ पढ़ने के लिए सफ़र करना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 445 बरकत की प्राप्ती के लिए आबे ज़मज़म में कपड़े या कफ़न भिगोना सुन्नत से साबित नहीं:

मसला 446 मीज़ाब के नीचे اَللّٰهُمَّ اَظِلَّنِیْ فِیْ ظِلِّکَ یَوْمَ لَاظِلَّ اِلَّا ظِلُّکَ कहना सुन्नत से साबित नहीं:

स्पष्टीकरण: काबा शरीफ़ की छत पर हतीम शरीफ़ की तरफ़ बारिश का पानी नीचे गिराने के लिए जो परनाला लगाया गया है, उसे मीज़ाब कहते हैं।

मसला 447 मक्का मुकर्रमा या मदीना मुनव्वरा की मिट्टी को ख़ाके शिफ़ा समझना, उसे खाना और अपने साथ लाना सुन्नत से साबित नहीं:

☆☆☆

Www.IslamicBooks.Website

اَلْاَدْعِيَةُ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

क़ुरआन मजीद और हदीस शरीफ़ की दुआएं

मसला 448 तवाफ़ व सई और क़याम मिना, वक़ूफ़ अरफ़ात और वक़ूफ़ मुज़दलफ़ा के दौरान मांगने के लिए क़ुरआन व हदीस की कुछ महत्व पूर्ण दुआएं:

١ – (رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنْفُسَنَا وَإِنْ لَّمْ تَغْفِرْلَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُوْنَنَّ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○) (٧:٢٣)

"ऐ हमारे पालनहार! हम ने अपने ऊपर ज़ुल्म किया है अगर तूने हमें न बख़्शा और हम पर दया न की तो हम निश्चय ही घाटा उठाने वालों में से हो जाऐंगे।" (सूरह आराफ़, आयत न0 23)

٢ – (ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ○) (٢:٢٠١)

"ऐ हमारे पालनहार! हमें दुनिया में भलाई प्रदान कर और आख़िरत में भी भलाई से नवाज़ और हमें आग के अज़ाब से बचा ले।" (सूरह बक़रा, आयत न0 201)

٣ – (ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ○) (٢٥:٦٥–٦٦)

"ऐ हमारे पालनहार! हम से जहन्नम का अज़ाब दूर रखना क्योंकि उस का अज़ाब चिमट जाने वाला है निःसन्देह जहन्नम बहुत ही बुरा ठिकाना और बहुत ही बुरी जगह है।"

(सूरह फ़ुरक़ान, आयत न0 65–66)

٤ – (ربنا هب لنا من ازواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا

Www.IslamicBooks.Website

للمتقين. إماماO) (٢٥ : ٧٤)

"ऐ हमारे पालनहार! हमें हमारी पत्नियों और सन्तानों की तरफ़ से आंखों की ठंडक प्रदान कर और हमें मुत्तक़ी लोगों का इमाम बना दे।" (सूरह फ़ुरक़ान, आयत न0 74)

٥- (ربنا لاتزغ قلوبنا بعد إذا هديتنا وهب لنا من لدنک رحمة إنک أنت الوهابO) (٣:٨)

"ऐ हमारे पालनहार! पथ प्रदर्शन करने के बाद हमारे दिलों को गुमराह न कर और हमें अपनी तरफ़ से रहमत प्रदान कर। निःसन्देह तू ही वास्तविक दाता है।" (सूरह आले इमरान, आयत, न0 8)

٦- (ربنا اغفرلنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولاتجعل فى قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنک رء وف رحيمO) (٥٩:١٠)

"ऐ हमारे पालनहार! हमें और हमारे उन भाइयों को भी बख़्श दे जो हम से पहले ईमान ला चुके हैं और अहले ईमान के बारे में हमारे दिलों में किसी क़िस्म का बैर न आने दे ऐ हमारे पालनहार तू बड़ा ही शफ़ीक़ और दयालू है।" (सूरह हश्र, आयत न0 10)

٧- (ربنا آتنا من لدنک رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشداO) (١٨:١٠)

"ऐ हमारे पालनहार! हमें अपने पास से रहमत प्रदान कर और हमारे मामलात में सुधार की सूरत पैदा कर।"

(सूरह कहफ़, आयत न0 10)

٨- (ربنا أتمم لنا نورنا واغفرلنا إنک على كل شئ قديرO) (٦٦:٨)

"ऐ हमारे पालनहार! हमारा नूर आख़िर तक बाक़ी रखना और हमें बख़्श देना। तू यक़ीनन हर चीज़ पर समर्थ है।"

(सूरह अत्तहरीम, आयत न0 8)

Www.IslamicBooks.Website

٩ - (رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذرّیتی ربنا وتقبل دعاء○ ربنا اغفرلی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب○)

(۱۴:۴۰-۴۱)

"ऐ मेरे पालनहार! मुझे और मेरी सन्तान को नमाज़ क़ाइम करने वाला बना ऐ हमारे पालनहार! मेरी दुआ कुबूल फ़रमा। ऐ हमारे पालनहार! मुझे मेरे मां बाप और अहले ईमान को हिसाब किताब के दिन बख़्श देना।" (सूरह इबराहीम, आयत न0.40-41)

۱۰ - (رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَّسِيْنَا أَوْ أَخْطَأْنَا رَبَّنَاوَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَالَا طَاقَةَ لَنَا بِهٖ وَاعْفُ عَنَّا، وَاغْفِرْلَنَا، وَارْحَمْنَا، أَنْتَ مَوْلَانَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ) (۲: ۲۸۶)

"ऐ हमारे पालनहार! अगर हम से भूल या चूक हो जाए तो हम पर गिरफ़्त न कर, ऐ हमारे पालनहार! हम पर वह बोझ न डाल जो तूने हम से पहले लोगों पर डाला था ऐ हमारे पालनहार! जो बोझ उठाने की ताक़त हमारे अन्दर नहीं वह हमारे ऊपर न रख हमें माफ़ फ़रमा। हमें बख़्श दे हम पर दया कर, तू ही हमारा स्वामी है काफ़िर क़ौम के मुक़ाबले में हमारी मदद फ़रमा।" (सूरा बक़रा, आयत न0 286)

۱۱ - (يَا مُقَلِّبَ الْقُلُوْبِ ثَبِّتْ قَلْبِيْ عَلَى دِيْنِكَ) (۱)

"ऐ दिलों को फेरने वाले! मेरा दिल अपने दीन पर जमादे।"

۱۲ - (اَللّٰهُمَّ أَحْسِنْ عَاقِبَتَنَا فِى الْأُمُوْرِ كُلِّهَا وَأَجِرْنَا مِنْ خِزْىِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْآخِرَةِ) (۲)

"ऐ अल्लाह! हमारा अंजाम सब ही कामों में अच्छा कीजिए और

1- सहीह सुनन त्तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, दूसरा भाग रक़मुल हदीस 2792

2-मुसनद इमाम अहमद बिन हंबल, पृ0 181, चौथा भाग

Www.IslamicBooks.Website

दुनिया की रुसवाई से हमें पनाह दीजिए और आख़िरत के अज़ाब से भी।''

۱۳ – (أَللّٰهُمَّ مَغْفِرَتُکَ اَوْسِعُ مِنْ ذُنُوْبِیْ وَرَحْمَتِکَ اَرْجٰی عِنْدِیْ مِنْ عَمَلِیْ) (۱)

''या अल्लाह! मेरे गुनाहों के मुक़ाबले में तेरी मग़फ़िरत बहुत व्यापक है और मुझे मेरे कर्म के मुक़ाबले में तेरी रहमत की ज़्यादा उम्मीद है।''

۱۴ – (أَللّٰهُمَّ رَحْمَتَکَ أَرْجُوْا فَلاَ تَکِلْنِیْ إِلَی نَفْسِیْ طَرْفَةَ عَیْنٍ وَأَصْلِحْ لِیْ شَانِیْ کُلَّهُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ) (۲)

''ऐ अल्लाह! मैं तेरी रहमत का उम्मीदवार हूं मुझे क्षण भर के लिए भी मेरे नफ़्स के हवाले न कर। मेरे तमाम हालात सही कर दे। तेरे सिवा कोई उपास्य नहीं।''

۱۵ – (أَللّٰهُمَّ إِنَّکَ عَفُوٌّ تُحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّیْ) (۳)

''ऐ अल्लाह! तू माफ़ करने वाला है माफ़ करना पसन्द करता है मुझे माफ़ कर।''

۱۶ – (أَللّٰهُمَّ إِنِّیْ ظَلَمْتُ نَفْسِیْ ظُلْمًا كَثِيْرًا وَلاَيَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلَّا أَنْتَ فَاغْفِرْلِیْ مَغْفِرَةً مِّنْ عِنْدِکَ وَارْحَمْنِیْ إِنَّکَ أَنْتَ الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ) (۴)

''ऐ अल्लाह! मैंने अपनी जान पर बहुत ज़ुल्म किए और तेरे सिवा कौन है जो गुनाह बख़्शे तो मुझे भी अपने यहां से ख़ास बख़शिश से नवाज़ और मुझ पर दया कर''

1–हिस्ने हसीन, रक़मुल हदीस 246

2–सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, तीसरा भाग रक़मुल हदीस 4246

3–सहीह सुनन तिर्मिज़ी लिल अलबानी तीसरा भाग रक़मुल हदीस 2789

4–अल लू लूऊ वल मरजान, दूसरा भाग रक़मुल हदीस 1729

Www.IslamicBooks.Website

١٧ - (أَللّٰهُمَّ أَنْتَ رَبِّیْ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ خَلَقْتَنِیْ وَأَنَا عَبْدُکَ وَأَنَا عَلٰی عَهْدِکَ وَوَعْدِکَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتُ أَبُوْءُ لَکَ بِنِعْمَتِکَ عَلَیَّ وَأَبُوْءُ بِذَنْبِیْ فَاغْفِرْلِیْ فَإِنَّهُ لاَیَغْفِرُ الذُّنُوْبَ إِلاَّ أَنْتَ) (١)

''ऐ अल्लाह! तू मेरा पालनहार है तेरे सिवा कोई उपास्य नहीं तूने ही मुझे पैदा किया है मैं तेरा बन्दा हूं तुझ से किए हुए वचन और वायदे पर अपनी ताक़त भर के मुताबिक़ क़ाइम हूं अपने किए हुए बुरे कामों के वबाल से तेरी पनाह चाहता हूं मुझ पर तेरे जो उपकार हैं उन को स्वीकार करता हूं और अपने गुनाहों का इक़रार करता हूं। मुझे बख़्श दे क्योंकि तेरे सिवा कोई बख़्शने वाला नहीं।''

١٨ - (أَللّٰهُمَّ رَبَّ جِبْرَآئِیْلَ وَمِیْکَائِیْلَ وَرَبَّ إِسْرَافِیْلَ وَرَبَّ مُحَمَّدٍ أَعُوْذُبِکَ مِنَ النَّارِ) (٢)

''इलाही! ऐ जिब्राइल, मीकाईल, इसराफ़ील और हज़रत मुहम्मद सल्ल0 के पालनहार! मैं तेरे साथ आग के अज़ाब से पनाह मांगता हूं।''

١٩ - (أَللّٰهُمَّ قِنِیْ عَذَابَکَ یَوْمَ تَبْعَثُ عِبَادَکَ) (٣)

''ऐ अल्लाह! जिस दिन तू अपने बन्दों को उठाएगा उस दिन मुझे अपने अज़ाब से बचाए रखना।''

٢٠ - (أَللّٰهُمَّ حَاسِبْنَا حِسَابًا یَّسِیْرًا) (٤)

''ऐ अल्लाह! हम से आसान हिसाब ले।''

٢١ - (أَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ مَاقَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا

1-मुख़तसर सहीह बुख़ारी लिज्ज़ुबैदी रक़मुलहदीस 2070

2-मजमउज्ज़वाइद पृ0 104, दसवां भाग।

3- सहीह सुनन अबी दाऊद लिल अलबानी तीसरा भाग रक़मुल हदीस 4218

4-मिशकातुल मसाबीह लिल अलबानी तीसरा भाग रक़मुल हदीस 5562

Www.IslamicBooks.Website

أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّیْ أَنْتَ الْمُقَدِّمُ وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ وَأَنْتَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ) (۱)

ऐ अल्लाह! मेरे अगले, पिछले, छुपे और खुले और वे गुनाह जिन्हें तू मुझ से ज़्यादा जानता है सब माफ़ फ़रमादे। तेरी ज़ात सब से पहले और सब से आख़िर है और तू हर चीज़ पर समर्थ है।

۲۲- (اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِیْ وَارْحَمْنِیْ وَعَافِنِیْ وَاهْدِنِیْ وَارْزُقْنِیْ) (۲)

"ऐ अल्लाह! मुझे बख़्श दे मुझ पर दया कर मुझे सेहत, पथ प्रदर्शन और आजीविका प्रदान कर।"

۲۳- (اَللّٰهُمَّ اكْفِنِیْ بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَامِكَ وَاَغْنِنِیْ بِفَضْلِكَ عَمَّنْ سِوَاكَ) (۳)

"या अल्लाह! रोज़ी हलाल से मेरी सारी ज़रूरतें पूरी कर और हराम से बचा और अपने करम से मुझे अपनी ज़ात के अलावा हर एक से बेनियाज़ करदे।"

۲۴- (اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْعَفْوَ وَالْعَافِیَةَ وَالْمُعَافَاةَ فِی الدُّنْیَا وَالْاٰخِرَةِ) (۴)

इलाही! मैं सवाल करता हूं आप से क्षमा का और सलामती और हर तकलीफ़ से बचाव का दुनिया व आख़िरत में।"

۲۵- (اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْئَلُكَ الْهُدٰی وَالتُّقٰی وَالْعِفَافَ وَالْغِنٰی) (۵)

"या अल्लाह! मैं तुझ से हिदायत, तक़वा, पाकदामनी और

1- सहीह मुस्लिम किताबुज़िक्र वदुआ बाबुत्वुज़ मिन शर्रे मा अमला व मिन शर्रे मा लम यालम

2- सहीह सुनन अबी दाऊद, लिल अलबानी, पहला भाग रक़मुल हदीस 756

3- सहीह सुनन तिर्मिज़ी लिल अलबानी तीसरा भाग रक़मुल हदीस 2822।

4- अत्तरग़ीब वत्तरहीब किताबुल जनाइज़ पृ० 507 चौथा भाग

5- मुख़्तसर सहीह मुस्लिम, लिल अलबानी रक़मुल हदीस 1870।

Www.IslamicBooks.Website

बेनियाज़ी का सवाल करता हूं।''

٢٦- (اَللّٰهُمَّ اهْدِنِىْ وَسَدِّدْنِىْ اَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْئَلُكَ الْهُدٰى وَالسَّدَادَ) (١)

''ऐ अल्लाह! मुझे पथ प्रदर्शन दिखा और मेरा सुधार कर। ऐ अल्लाह! मैं तुझ से पथ प्रदर्शन सुधार का सवाल करता हूं।''

٢٧- (رَبِّ اغْفِرْلِىْ وَتُبْ عَلَىَّ اِنَّكَ اَنْتَ التَّوَّابُ الْغَفُوْرُ) (٢)

ऐ मेरे पालनहार! मुझे बख़्श दे मेरी तौबा कुबूल कर तू निश्चय ही तौबा कुबूल करने वाला और बख़्शने वाला है।

٢٨- (اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَدَنِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ سَمْعِىْ اَللّٰهُمَّ عَافِنِىْ فِىْ بَصَرِىْ لَا إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ) (٣)

''ऐ अल्लाह! मेरे बदन को स्वस्थ रख। ऐ अल्लाह! मेरे कान आफ़ियत से रख। ऐ अल्लाह! मेरी आंख को आफ़ियत प्रदान कर। तेरे सिवा कोई उपास्य नहीं।''

٢٩- (أَللّٰهُمَّ طَهِّرْ قَلْبِىْ مِنَ النِّفَاقِ وَعَمَلِىْ مِنَ الرِّيَاءِ وَلِسَانِىْ مِنَ الْكَذِبِ وَعَيْنِىْ مِنَ الْخِيَانَةِ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ) (٤)

''या अल्लाह! मेरे दिल को कपट से, कर्म को दिखावे से, ज़बान को झूठ से और आंख को बेईमानी से पाक करदे क्योंकि तू आंखों की बेईमानी और सीनों के अन्दर छुपी बातों को जानता है।''

٣٠- (أَللّٰهُمَّ إِصْلِحْ لِىْ دِيْنِى الَّذِىْ هُوَ عِصْمَةُ أَمْرِىْ وَاصْلِحْ

1-सहीह मुस्लिम किताबुज़्ज़िक्र वद्दुआ बाबुत्तव्वुज़ मिन शर्रे मा अमला व मिन शर्रे मालम यालम।

2-सहीह सुनन इब्ने माजा लिल अलबानी दूसरा भाग रक़मुल हदीस 3075

3-मिशकातुल मसाबीह, बाब मा यकूलु इन्दस्सबाहि वल मसाई तीसरी फ़स्ल

4-मिशकातुल मसाबीह, अलल अलबानी अल दूसरा भाग, रक़मुल हदीस 2501

Www.IslamicBooks.Website

لِيْ دُنْيَايَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَاشِيْ وَأَصْلِحْ لِيْ آخِرَتِيَ الَّتِيْ فِيْهَا مَعَادِيْ وَاجْعَلِ الْحَيَاةَ زِيَادَةً لِيْ فِيْ كُلِّ خَيْرٍ وَاجْعَلِ الْمَوْتَ رَاحَةً لِيْ مِنْ كُلِّ شَرٍّ) (۱)

"या अल्लाह! मेरे दीन का सुधार कर जो मेरे अंजाम का मुहाफ़िज़ है। मेरी दुनिया का सुधार कर जिस में मेरी रोज़ी है। मेरी आख़िरत को संवार दे जहां मुझे (मरने के बाद) पलट कर जाना है मेरी ज़िन्दगी की भलाइयों में वृद्धि का कारण बना और मौत को हर बुराई से बचने के लिए राहत बना।"

۳۱- (أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ وَفُجَاءَةِ نَقْمَتِكَ وَجَمِيْعِ سَخَطِكَ) (۲)

"या अल्लाह! मैं तेरी नेमत के पतन, तेरी आफ़ियत से महरूमी, तेरे अचानक अज़ाब और तेरे हर तरह के ग़ुस्से से पनाह मांगता हूं।"

۳۲-(أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنَ الشِّقَاقِ وَالنِّفَاقِ وَسُوْءِ الْأَخْلَاقِ) (۳)

"या अल्लाह! मैं हक़ के विरोध, कपट और बुरे आचरण से तेरी पनाह मांगता हूं।"

۳۳- (أَللّٰهُمَّ إِنِّيْ أَعُوْذُبِكَ مِنْ شَرِّ سَمْعِيْ وَشَرِّ بَصَرِيْ وَشَرِّ لِسَانِيْ وَشَرِّ قَلْبِيْ وَشَرِّ مَنِيِّيْ) (۴)

"ऐ अल्लाह! मैं अपने कान, आंख, ज़बान, दिल और शर्मगाह के शर से तेरी पनाह मांगता हूं।"

1-मुख़तसर सहीह मुस्लिम लिल अलबानी रक़मुल हदीस 1869

2-मुख़तसर सहीह मुस्लिम लिल अलबानी रक़मुल हदीस 1913

3-सहीह सुनन नसाई बाब जामेउद्दावात

4-सहीह नसाई लिल अलबानी तीसरा भाग रक़मुल हदीस 5031

Www.IslamicBooks.Website

٣٤- (أَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِکَ مِنَ الْفَقْرِ وَأَعُوْذُبِکَ مِنَ الْقِلَّةِ وَالذِّلَّةِ وَأَعُوْذُبِکَ اَنْ أَظْلِمَ أَوْأُظْلَمَ) (١)

"या अल्लाह! मैं फ़क़ीरी से (दीन और दुनिया की ज़रूरतों में) कमी से और (दुनिया व आख़िरत में) बदनामी से तेरी पनाह मांगता हूं और इस बात से तेरी पनाह मांगता हूं कि मैं किसी पर ज़ुल्म करूं या कोई मुझ पर ज़ुल्म करे।"

٣٥- (أَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَاعَمِلْتُ وَمِنْ شَرِّ مَالَمْ أَعْمَلْ) (٢)

"ऐ अल्लाह! मैंने जो अमल किया है उस की बुराई से और जो (अभी) नहीं किया उस की बुराई से आप की पनाह तलब करता हूं।"

٣٦- (أَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِکَ مِنَ الْبَرَصِ وَالْجُذَامِ وَالْجُنُوْنِ وَمِنْ سَيِّئِ الْأَسْقَامِ) (٣)

"या अल्लाह! मैं तेरी पनाह मांगता हूं बर्स, कोढ़, जुनून और तमाम बुरी बीमारियों से।"

٣٧- (أَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِکَ مِنْ يَوْمِ السُّوْءِ وَمِنْ لَيْلَةِ السُّوْءِ وَمِنْ سَاعَةِ السُّوْءِ وَمِنْ صَاحِبِ السُّوْءِ وَمِنْ جَارِ السُّوْءِ فِیْ دَارِ الْمُقَامَةِ) (٤)

"या अल्लाह! मैं अपने घर में बुरे दिन व रात, बुरी घड़ी, बुरे साथी और बुरे पड़ौसी से तेरी पनाह मांगता हूं।"

٣٨- (أَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَعُوْذُبِکَ مِنَ الْأَرْبَعِ مِنْ عِلْمٍ لَّايَنْفَعُ وَمِنْ

1- सहीह सुनन नसाई लिल अलबानी तीसरा भाग रक़मुल हदीस 5046

2- सहीह मुस्लिम किताबुज़्ज़िक्र वदुआ

3- सहीह नसाई लिल अलबानी, तीसरा भाग रक़मुल हदीस 5060

4- सिलसिलात अहादीसुस्सहीहा लिल अलबानी तीसरा भाग रक़मुल हदीस 1443

Www.IslamicBooks.Website

قَلْبٍ لاَ يَخْشَعُ وَمِنْ نَفْسٍ لاَتَشْبَعُ وَمِنْ دُعَاءٍ لاَّ يُسْمَعُ) (۱)

"या अल्लाह! मैं चार चीज़ों से तेरी पनाह मांगता हूं (1) ऐसा ज्ञान जो लाभ न दे (अर्थात जिस के मुताबिक़ अमल न हो) (2) ऐसा दिल जो भय न खाए (3) ऐसा नफ़्स जो आसूदा न हो (4) और ऐसी दुआ जो कुबूल न हो।"

۳۹- (اَللّٰهُمَّ اقْسِمْ لَنَا مِنْ خَشْيَتِكَ مَاتَحُوْلُ بِهِ بَيْنَنَا وَبَيْنَ مَعَاصِيْكَ وَمِنْ طَاعَتِكَ مَاتُبَلِّغُنَا بِهِ جَنَّتِكَ، وَمِنَ الْيَقِيْنِ مَاتُهَوِّنُ بِهِ عَلَيْنَا مُصِيْبَاتِ الدُّنْيَا وَمَتِّعْنَا بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّتِنَا مَاأَحْيَيْتَنَا وَاجْعَلْهُ الْوَارِثَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَارَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى مَنْ عَادَانَا وَلاَ تَجْعَلْ مُصِيْبَتِنَا فِيْ دِيْنِنَا وَلاَ تَجْعَلِ الدُّنْيَا أَكْبَرَ هَمِّنَا وَلاَ مَبْلَغَ عِلْمِنَا وَلاَ تُسَلِّطْ عَلَيْنَا مَنْ لاَّ يَرْحَمُنَا) (۲)

"या अल्लाह! तू हमें इतना डर अता फ़रमा जो हमारे और हमारे गुनाहों के बीच बाधा बन जाए और हमें इतना आज्ञा पालन प्रदान कर जो हमें तेरी जन्नत में पहुंचादे और इतना यक़ीन प्रदान कर जो दुनिया के मसाइब सहने हमारे लिए आसान बना दे या अल्लाह! जब तक तू हमें ज़िन्दा रखे हमें कानों आंखों और दूसरी ताक़तों से लाभ पहुंचा और हमें उस लाभ का वारिस बना (अर्थात उम्र भर हमारी इन्द्रियां सहीह सलामत रख) जो व्यक्ति हम पर जुल्म करे उस से तू इन्तिक़ाम ले दुशमनों के मुक़ाबले में हमारी मदद कर। दीन के मामले में हम पर मुसीबत न डाल, दुनिया को हमारी ज़िन्दगी का सब से बड़ा उद्देश्य न बना न ही दुनिया को हमारे ज्ञान की मंज़िले मक़सूद बना और ऐसे व्यक्ति को हम पर न थोप जो हम पर दया न करे।"

1- सहीह सुनन इब्ने माजा लिल अलबानी दूसरा भाग, रकमुल हदीस 3094

2-सहीह जामेउत्तिर्मिज़ी लिल अलबानी, तीसरा भाग रकमुल हदीस 2783

Www.IslamicBooks.Website

٤٠- (أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ عَبْدُکَ وَابْنُ عَبْدِکَ وَابْنُ أَمَتِکَ نَاصِیَتِیْ بِیَدِکَ قَاضٍ فِیْ حُکْمُکَ عَدْلٌ فِیْ قَضَاءُکَ أَسْئَلُکَ بِکُلِّ إِسْمٍ هُوَ لَکَ سَمَّیْتَ بِهٖ نَفْسَکَ أَوْ أَنْزَلْتَهٗ فِیْ کِتَابِکَ أَوْ عَلَّمْتَهٗ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِکَ أَوْ إِسْتَأْثَرْتَ بِهٖ فِیْ عِلْمُ الْغَیْبِ عِنْدَکَ أَنْ تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِیْعَ قَلْبِیْ وَنُوْرَ صَدْرِیْ وَجَلَاءَ حُزْنِیْ وَذَهَابَ هَمِّیْ وَغَمِّیْ) (١)

"या अल्लाह! मैं तेरा बन्दा हूं तेरे बन्दे और बन्दी का बेटा, मेरी पेशानी तेरे हाथ में है, तेरा हर हुक्म मुझ पर लागू होने वाला है मेरे बारे में तेरा हर फ़ैसला इन्साफ़ पर आधारित है मैं तुझ से तेरे हर उस नाम के वसीले से सवाल करता हूं जिसे तूने स्वयं अपने लिए पसन्द किया है या अपनी किताब में नाज़िल किया है या अपनी स्रष्टि में से किसी को सिखाया है या अपने परोक्ष ज्ञान के ख़ज़ाने में महफ़ूज़ कर रखा है कि कुरआन को मेरे दिल की बहार, सीने का नूर और मेरे दुखों और ग़मों को दूर करने का साधन बना दे।"

٤١- (أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُکَ مِنَ الْخَیْرِ کُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَآجِلِهٖ مَاعَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمُ وَأَعُوْذُبِکَ مِنَ الشَّرِّ کُلِّهٖ عَاجِلِهٖ وَآجِلِهٖ مَا عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَالَمْ أَعْلَمُ أَللّٰهُمَ إِنِّىْ أَسْأَلُکَ مِنْ خَیْرِ مَا سَأَلَکَ عَبْدُکَ وَنَبِیُّکَ وَأَعُوْذُبِکَ مِنْ شَرِّ مَاعَاذَبِهٖ عَبْدُکَ وَنَبِیُّکَ أَللّٰهُمَّ إِنِّىْ أَسْأَلُکَ الْجَنَّةَ وَمَا قَرَّبَ إِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلٍ وَأَعُوْذُبِکَ مِنَ النَّارِ وَمَاقَرَّبَ إِلَیْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْعَمَلٍ وَأَسْأَلُکَ أَنْ تَجْعَلَ کُلَّ قَضَاءٍ قَضَیْتَهٗ لِیْ خَیْرًا) (٢)

"या अल्लाह! मैं तुझ से हर तरह की भलाई मांगता हूं जल्द या देर की जिसे मैं जानता हूं और जिसे मैं नहीं जानता और तुझ से

1- सहीह जाभेउत्तिर्मिज़ी, लिल अलबानी, तीसरा भाग, रकमुल हदीस 2796

2- सहीह सुनन इब्ने माजा लिल अलबानी दूसरा भाग, रकमुल हदीस 3102

Www.IslamicBooks.Website

पनाह तलब करता हूं हर तरह की बुराई से जल्द या देर की जिसे मैं जानता हूं और जिसे मैं नहीं जानता। या अल्लाह! मैं तुझ से हर वह भलाई मांगता हूं जो तुझ से तेरे बन्दे और नबी ने मांगी और हर उस बुराई से तेरी पनाह तलब करता हूं जिस से तेरे बन्दे और नबी ने पनाह मांगी। या अल्लाह! मैं तुझ से जन्नत का सवाल करता हूं और ऐसी करनी कथनी का जो जन्नत के क़रीब ले जाए। या अल्लाह! मैं तेरी पनाह तलब करता हूं आग से और उस करनी कथनी व फ़ेल से जो आग के क़रीब ले जाए। या अल्लाह! मैं तुझ से प्रार्थना करता हूं कि तूने मेरे लिए जिस भाग्य का फ़ैसला किया उसे मेरे हक़ में बेहतर बना दे।"

۴۲- (لاَ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ الْعَظِيْمُ الْحَلِيْمُ لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمُ
لاَ إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ رَبُّ السَّمٰوٰاتِ وَرَبُّ الْاَرْضِ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيْمِ) (۱)

"महानता और साधन वाले अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं अर्श अज़ीम के मालिक अल्लाह के सिवा काई उपास्य नहीं। ज़मीन व आसमान के मालिक अल्लाह के सिवा काई उपास्य नहीं। वह अर्श करीम का भी मालिक है।"

۴۳- (لاَ إِلٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّىْ كُنْتُ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ)
(۸۷:۲۱)

"तेरे सिवा कोई उपास्य नहीं तू (हर ख़ता से) पाक है। निःसन्देह मैं ही ज़ालिमों से हूं।" (सूरह अंबिया, आयत न० 78)

۴۴- (لاَ إِلٰـهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْـدَهُ لاَ شَـرِيْكَ لَـهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْـحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ اَللّٰهُمَّ لاَ مَانِعَ لِمَا اَعْطَيْتَ وَلاَ مُعْطِىَ لِمَا مَنَعْتَ وَلاَ يَنْفَعُ ذَالْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ) (۲)

1-अल लूलूऊ वल मरजान, दूसरा भाग, रक़मुल हदीस 1741

2- मुख़तसर सहीह बुख़ारी, लिज्ज़ुबैदी, रक़मुल हदीस 699

Www.IslamicBooks.Website

"अल्लाह के सिवा कोई उपास्य नहीं, वह एक है, उस का कोई साझी नहीं, बादशाही उसी के लिए है, प्रशंसा के योग्य वही है और वह हर चीज़ पर समर्थ है।"

٤٥- (اَللّٰهُمَّ إِنِّیْ أَسْئَلُکَ بِأَنَّکَ أَنْتَ اللهُ لاَ إِلٰهَ إِلاَّ أَنْتَ الْأَحَدُ الصَّمَدُ الَّذِیْ لَمْ یَلِدْ وَلَمْ یُوْلَدْ وَلَمْ یَکُنْ لَهُ کُفُوًا أَحَدٌ) (۱)

"ऐ अल्लाह! मैं तुझ से इस लिए पनाह मांगता हूं कि तू अल्लाह है तेरे सिवा कोई उपास्य नहीं तू अकेला है बे नियाज़ है न उस ने किसी को जना न वह किसी से जना गया और उस की बराबरी करने वाला कोई नहीं:

☆☆☆

1-सहीह सुनन इब्ने माजा, लिल अलबानी, पहला भाग, रक़मुल हदीस 3111

Www.IslamicBooks.Website

Haj Aur Umra Ke Masail

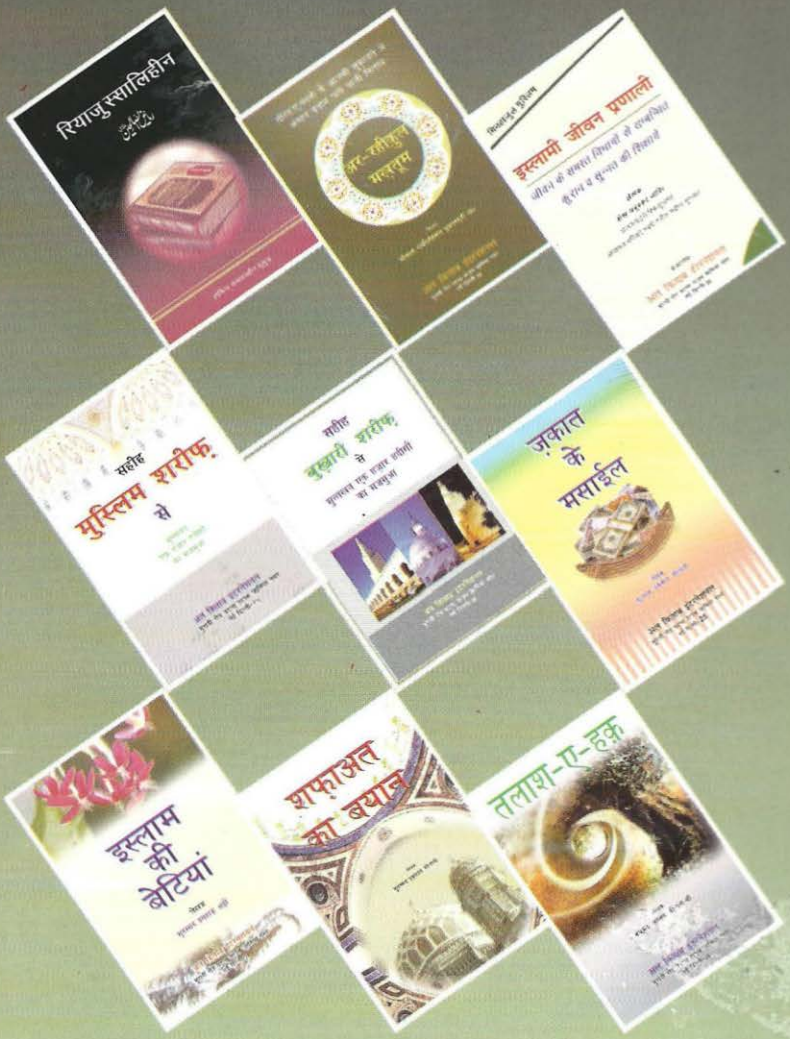

Al-Kitab International الکتاب انٹرنیشنل

Jamia Nagar, New Delhi-25
Ph.: 26986973 M. 9312508762

Price 100/-

Www.IslamicBooks.Website